लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

[खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/Contents

अंक 5, शुक्रवार, 16 नवम्बर, 1973/25 कार्तिक, 1895 (शक)

No. 5, Friday, November 16, 1973/Kartika 25, 1895 (Saka)

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
82.	तृतीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा किया गया निर्णय — Decision taken by Government on the Third Pay Commission's Report. .	2
83.	सितम्बर, 1973 में उड़ानों से हटाये गये एवरो विमान — Avros Grounded during September, 1973	5
86.	दिल्ली के कुछ बैंकों में लाकरों के साथ कथित छेड़छाड़ — Alleged tampering with lockers in certain Banks in Delhi.	8
89.	घाटे की अर्थव्यवस्था — Deficit Financing. .	9
91.	अक्तूबर, 1973 में इंडियन एयर-लाइंस के विमान का पाकिस्तान को अपहरण करने के षडयंत्र — Plot to Hijack Indian Airlines Plane to Pakistan in October, 1973. . .	12
96.	चालू सर्दी के मौसम में ऊनी-कपड़ों के मूल्यों में 30 प्रतिशत वृद्धि — Increase in the Prices of Woollens by 30 per cent during the current Winter Season	13
97.	नेपाल और भारत के बीच व्यापार का विस्तार — Expansion of Trade between Nepal and India	15
100.	निर्यात नीति संकल्प, 1970 का संशोधन — Amendment of Export Policy Resolutions for 1970	16

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
81.	सम्पत्ति का कम मूल्य पर रजिस्ट्री कराया जाना — Under valued Registration of Property Transfers.	17
84.	डाकघर बचत बैंक खाता-धारियों के लिये नई इनामी योजना — New Prize Scheme for Post Office Saving Bank Account Holders	17
85.	उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि — Rise in prices of Consumer Goods.	18
87.	सब्जियों तथा फलों के निर्यात के लिये नकद सहायता — Cash Assistance for Export of Vegetables and Fruits	19
88.	सोने की तस्करी का उसके मूल्य पर प्रभाव — Impact of smuggling of Golds on its Price	19
90.	विभिन्न आटोमोबाइल फर्मों द्वारा लाभांशों की राशि की घोषणा — Amount of Dividend declared by Different Automobile Firms	21
92.	जीवन बीमा निगम में पदोन्नति के लिये युक्तियुक्त योजना बनाना — Formulation of Rational Promotion policy in L.I.C.	21
93.	इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमान की खरीद के लिये समझौता — Agreement for purchase of Aircraft by ndian Airlines.	22
94.	नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक की कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियां — Allegedly Anti National Activities of National and Grindlays Bank	22
95.	शिमला के निकट हवाई-अड्डा बनाने का प्रस्ताव — Proposal to set up an Airport near Simla	25
98.	मध्य प्रदेश वन निगम द्वारा एक विदेशी तम्बाकू उद्योग निगम को केन्दू पत्तों की सप्लाई — Supply of Kendu Leaves by M.P. Forest Corporation to a Foreign Tobacco Industrial Corporation	25
99.	जीवन बीमा निगम के एजेंटों का कमीशन — Commission for Agents of Life Insurance Corporation	26
अ ता० प्र० सख्या U.S.Q.Nos.		
803.	जन पथ, रणजीत तथा लोधी होटलों के कर्मचारियों द्वारा अधिक बोनस की मांग — Demand for higher bonus by employees of Janpath, Ranjit and Lodhi Hotels	26

अता० ० संख्य U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
804. अखिल भारतीय विद्युत चालित करघा बोर्ड की स्थापना	Setting up of All India Powerloom Board	26
805. निर्यात नीति में परिवर्तन	Modification in export policy. .	27
806. गैर-परियोजना ऋण के लिये बैल्जियम के साथ करार	Agreement for non-project Belgium Loan	27
807. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अनुसरण में रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा फर्मों के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for R.B.I. and firms in pursuance of Foreign Exchange Regulation Act, 1973.	28
808. भारत को अखबारी कागज सप्लाई करने के सम्बन्ध में बंगला देश के साथ करार	Agreement with Bangladesh for Supply of Newsprint to India. . . .	28
809. अक्तूबर, 1973 में भारत-ईरान व्यापार वार्ता	Indo-Iran trade talk during October, 1973	28
810. रोजवुड निर्यात बन्द करने के मामले में केरल सरकार द्वारा बताई गई प्रक्रिया की अन्तर्निहित बातें	Implications of the procedure suggested by Kerala Government in the matter of stopping Rosewood export. . .	29
811. इंजीनियरी के सामान के निर्यात में वृद्धि	Increase in export of engineering goods .	29
812. बैंक आफ इंडिया की शाखाओं द्वारा गोआ में की गई जांच/निरीक्षण के परिणाम	Results of investigation /inspection carried out in Goa branches of the Bank of India	29
813. मसर्ज अमृतसर शूगर लिमिटेड को स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा दिये गये ऋण	Grant of Loans by State Bank of India to Messrs Amritsar Sugar Mills Limited	3
814. यात्री यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिये विमानों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन	Assessment of requirements of Aircraft to meet the needs of passenger traffic .	31
815. वर्ष 1973 के दौरान ऐलकिल बैंजीन का आयात	Import of Alkyl Benzene during 1973.	32

अ ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
816. उद्योग को ऐलकिल बैंजीन की की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये उपाय	Steps to ensure supply of enough quantity of Alkyl Benzene to Industry. .	33
817. गत तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किये गये युवक छात्रावास	Youth Hostels set up in Andhra Pradesh during the last three years. . .	34
818. देश में हथकरघों तथा विद्युत् चलित करघों की बुनाई क्षमता	Weaving capacity of handlooms and powerlooms in the country. . .	34
819. समुद्र तटीय क्षेत्र में तटों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से अनुरोध	Request from Andhra Pradesh Government to develop beaches on coastline as Tourist Centres	36
820. आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिये मंजूर की गई होटल परियोजनाओं को पूरा करना	Completion of Hotel projects approved for various places in Andhra Pradesh .	36
821. आवश्यक वस्तुओं की कमी	Shortage of Essential Commodities.	38
822. राष्ट्रमंडल वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में बड़ी जहाजरानी कम्पनियों के विरुद्ध सुझाये गये उपाय	Measures against major Shipping Companies proposed at Commonwealth Finance Ministers, Conference. .	39
823. उड़ीसा में बाढ़ से हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिये केन्द्रीय दल	Central team to Assess Damage caused by Floods in Orissa	39
824. बिजली की सप्लाई में कटौती के कारण सूती धागे के उत्पादन को क्षति	Set back in production of cotton yarn due to power cut	40
825. वित्तीय निकायों के लिये एक होल्डिंग कम्पनी बनाना	Setting up of a Holding Company for Financial bodies	40
826. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रधान उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए श्वेत पत्र को तैयार करना	Preparation of a White Paper Defining the Major objectives of Public Sector Undertakings	41
827. पब्लिक सेक्टर कन्स्ट्रक्शन और फैब्रीकेशन अंडरटेकिंग्स के लिये होल्डिंग कम्पनी	Holding company for Public Sector construction and fabrication undertakings	42

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
828. सरकारी उपक्रमों के कार्य में सुधार करने के लिये उठाये गये कदम	Steps to improve working of Public undertakings	43
829. केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों द्वारा स्टाफ कार में की गई निजी यात्रा के लिये भुगतान की गई राशि	Amount paid on account of private Journeys performed by Ministers of Central Government by Staff cars. . .	44
830. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कच्चे माल का नियतन	Allocation of raw materials to Public Sector Undertakings	44
831. चालू वर्ष की पहली तिमाही के दौरान निर्यात में गिरावट	Fall in Exports during the first quarter of the current year.	44
832. निर्धारित समय सूची से पीछे चल रही सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें	Projects in Public Sectors behind Schedule	45
833. घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings units running at loss	45
834. 'सी०सी०आई० कांट्रावेज एक्सपोर्ट बेन' शीर्षक से समाचार	News item captioned CCI contravene Export Ban	46
835. एयर इंडिया द्वारा टूरिस्ट ट्रांजिट होटल स्थापित करने की योजना	Scheme for setting up Tourist Transit Hotels by Air India . . .	46
836. एयर इंडिया द्वारा आरक्षण और बुकिंग प्रक्रियाओं पर संगणक लगाने संबंधी योजना	Scheme for computerising Reservation and Booking Procedures by Air India .	46
837. दिल्ली में अवैध वायदा व्यापार	Illegal forward market trade in Delhi .	47
839. पांचवीं योजना में कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Industry in Fifth Plan . . .	47
840. 1972–73 में भारत के विदेशी ऋण की अदायगी	Repayment of India's Foreign Debt in 1972-73	48
841. सूखा राहत कार्यों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States for Drought relief measures	48
842. बंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to establish International Institute of Tourism in Bangalore . .	49

अत० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
843. पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि के कारण इंडियन एयरलांइस और एयर इंडिया के विमान किरायों में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to increase Airfare of Indian Airlines and Air India due to increase in prices of petrol	50
844. भारतीय होजरी और गर्म कपड़ों पर चिथड़ों के आयात का प्रभाव	Impact of Import of rags on Indian Hosiery and Woollen cloth . . .	51
845. भारत में विदेशी कम्पनियों का निर्यात दायित्व	Export obligation of Foreign Companies in India	51
846. 1971, 1972 और 1973 के दौरान होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण पाने वाली पार्टियां	Parties given loans under Hotel Development loan scheme during 1971, 1972 and 1973	52
847. स्टेट बैंक आफ इंडिया में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण	Reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for Promotion in State Bank of India	52
848. दिल्ली में सेंट्रल बैंक की बहादुरशाह जफर मार्ग शाखा में चोरी	Theft in Bahadur Shah Zaffar Marg Branch of Central Bank in Delhi .	53
849. स्टेट बैंक आफ इंडिया के चयन बोर्डों के पुनर्गठन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी कल्याणसमिति द्वारा दिया गया सुझाव	Suggestion made by Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes regarding Reconstitution of Selection Boards of S.B.I. . . .	53
850. ईरान से खजूर का आयात	Import of Dates from Iran .	54
851. भारतीय स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के अवसर पर पर्यटन निदेशालय के तत्वाधान में प्रकाशित पुस्तिकाएं	Pamphlets brought out under the auspices of Directorate of Tourism on the occasion of Silver Jubilee Celebration of Indian Independence . .	54
852. मंत्रियों के विदेशों के दौरों पर व्यय	Expenditure on foreign tours of Ministers	55
853. केप्रोलेक्टम कच्चे माल की कमी	Shortage of Caprolactum Raw Material	55
855. जीवन बीमा निगम में पुनः नियुक्त भूतपूर्व आपात-कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के अभ्यावेदन	Representation of ex-emergency Commissioned Officers re-employed in LIC.	56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
856. जीवन बीमा निगम के प्रबंध में कर्मचारियों का शामिल किया जाना	Employees participation in Management of LIC	56
857. फैडरेशन आफ एल०आई०सी० क्लास 1 आफीसर्ज एसोसिएशन का जयपुर, अमृतसर और रोहतक में डिविजनल कार्यालय खोलने संबंधी प्रस्ताव	Proposals by Federation of LIC Class I Officer's Association for opening of Divisional Offices at Jaipur, Amritsar and Rohtak	56
858. जीवन बीमा निगम तथा अन्य वित्तीय एजेंसियों द्वारा हिन्दुस्तान टाईम्स लिमिटेड के कर्जन रोड़ स्थित इसके भवन निर्माण हेतु दिये गये ऋण की राशि	Amount of loan given by LIC and other financial agencies to Hindustan Times Ltd. for its building on Curzon Road, New Delhi	57
859. गत तीन वर्षों के दौरान चाय, चीनी और मूंगफली, बीजों तेल और मछली से प्राप्त विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Tea, Sugar, Groundnut Seeds and Oil and Fish during last three years . . .	58
860. पटसन उत्पादकों को राजसहायता की मांग	Demand for payment of Subsidy to jute growers	58
861. स्टेट बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन द्वारा बैंक की राशि का कथित दुरुपयोग	Alleged misappropriation of Bank money by Chairman, State Bank of India	59
862. स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष को दूसरी पदावधि के लिये नियुक्त करना	Grant of another tenure of office for the Chairman, State Bank of India . .	59
863. दिल्ली, नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिक कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of clerical staff in various Nationalised Banks of Delhi, New Delhi and Himachal Pradesh . .	60
864. राष्ट्रीयकृत बैंकों की हिमाचल प्रदेश में शाखायें खोला जाना	Opening of branches of Nationalised Banks in Himachal Pradesh . .	61
865. इंडियन एयरलांइस के मार्गों पर टी० यू० 154 विमान चलाने संबंधी सोवियत संघ की पेशकश	Offer from Soviet Union to fly TU-154 Aircraft on routes operated by Indian Airlines	62
866. योरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का प्रवेश	Britain's entry into ECM . . .	62

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
867.	देश में चार तथा पांच 'स्टार' वाले होटलों के निर्माण की दिशा में की गई प्रगति	Progress made in constructing four and five star Hotels in the country . .	63
868.	मुद्रा स्फीती और मूल्य वृद्धि का सामना करने के लिये अर्थशास्त्रियों के सुझाव	Suggestions from Economists to deal with inflation and price rise . . .	63
869.	औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मध्य-प्रदेश को दी गई धनराशी	Amount given by IFC to Madhya Pradesh	63
870.	सहकारी क्षेत्र में अतिरिक्त करघे लगाना	Setting up of additional looms in co-operative Sector	64
871.	वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान कोसा कपड़े का निर्यात	Export of Kosa Cloth during 1971—73 .	64
872.	जीवन बीमा निगम के एजेंटों को मोटर गाड़ियां खरीदने के लिये अग्रिम राशि देना	Grant of advance to agents of LIC for purchase of motor vehicles . .	65
875.	इंडियन एयरलांइस द्वारा तीन बोइंग 737 परिवहन विमानों की खरीद	Purchase of three Boeing 737 Transport Planes by Indian Airlines . .	66
876.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि ऋण प्रदान करने के लिये अनिवार्य प्रावधान	Compulsory provision for advancing agricultural loan by Nationalised Banks	66
877.	कृषकों को उनकी भूमि पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना	Grant of loan by Nationalised Banks to agriculturists against their land .	66
878.	कृषकों को पर्याप्त कृषि ऋण प्रदान करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कथित असफलता	Alleged failure of nationalised Banks to advance adequate amount of agricultural loans to farmers . . .	67
879.	ऊन के व्यापार को नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव	Proposal to take over wool trade	68
880.	समुद्र का पानी मिला हुआ सोयाबीन तेल	Soyabean oil mixed up with sea water .	68
881.	लंबी अवधि की संकलित टैक्सटाइलज योजना	Integrated long term Textile Policy	69
883.	कोचीन के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नार्वे से आई मछली पकड़ने वाली नौका के स्वागत के बारे में नार्वे की ओर से शिकायत	Complaint from Norway regarding receiption given by Cochin Customs to its fishing vessel	69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
884.	चमड़ा निर्यात निगम की स्थापना	Setting up of a leather Export Corporation	70
885.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की गोल मार्किट ब्रांच के लेखाधिकारियों की 'पास बुक्स' को पूर्ण करने में विलंब	Delay in Completion of pass books of accounts holders in Gole Market Branch of the Central Bank of India .	70
886.	तस्करी में सीमा शुल्क अधिकारियों का कथित हाथ	Alleged involvement of Customs officials in smuggling activities . . .	71
887.	50 करोड़ रुपये की जमाराशि वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Banks whose deposits have reached Rs. 50 crore .	71
888.	दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये फ्लैटों को खरीदने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसीधारियों को गृह निर्माण की मंजरी	Grant of House Building Advance to policy holders by LIC for Purchase of DDA built flats in Delhi . .	72
889.	जीवन बीमा निगम द्वारा सदर बाजार, दिल्ली में सम्पत्ति की बिक्री	Sale of property by LIC in Sadar Bazar Delhi	72
890.	भारतीय चाय द्वारा कुछ पुरानी मंडियों में अपना स्थान खोना	Loss of Traditional Markets by Indian Tea	73
891.	सरकार को चाय बागानों के कार्यकरण की जांच पड़ताल करवाने की शक्ति प्रदान करने के लिये विधान	Legislation to Empower Government to order investigations into Working of Tea Estates	74
892.	थोक मूल्यों में वृद्धि	Rise in Whole Sale prices	75
893.	दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह बनाना	Dry port in Delhi	76
894.	उज्जैन की कुछ कपड़ा मिलों की ओर बकाया ऋण	Outstanding Loan against certain Textile Mills of Ujjain	76
895.	सितम्बर, 1973 के दौरान दिल्ली में यूनियन बैंक आफ इंडिया की एक गाड़ी से नगदी का लूटा जाना	Looting of cash from a van of the Union Bank of India in Delhi during September, 1973	77
896.	पश्चिम बंगाल में पकड़ी गई तस्करी की वस्तुयें	Seizure of Smuggled Goods in West Bengal	77
898.	पी० एल० 480 निधियों के निपटान के संबंध में वार्तायें	Talks of Disposal of P.L. 480 Funds	78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
899.	कर योग्य जमा राशियों के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सूचना देना	Supplying of information by the Nationalised Banks about the texable deposits	79
900	दिल्ली में आयकर की चोरी करने वालों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Income Tax evaders in Delhi	79
901.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की दिल्ली और नई दिल्ली स्थित शाखाओं में 'टेलर' व्यवस्था	Teller system in the Branches of Central Bank of India in Delhi and New Delhi	79
902	केरल के लिये वित्तिय सहायता	Financial Assistance to Kerala	80
903.	बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को राहत देने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States for Relief as Worsk in Area Affected by Floods .	80
904.	केरल के काजू उद्योग में संकट	Crisis in Kerala Cashew Industry .	82
905.	केरल के हथकरघा उद्योग में संकट	Crisis in Handloom Industry of Kerala	83
906.	राज्य व्यापार निगम द्वारा कलकत्ता के रिलीज आर्डरधारियों को उनके द्वारा आयातित माल को बम्बई पत्तन से रिलीज करने के लिए कहना	Release order Holders of Calcutta asked by STC to Release their Imported Materials from Bombay Port . .	83
908.	देश में जाली करेंसी बरामद होना	Seizure of Forged Currency in the country	83
909.	संस्थानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Institutions .	84
910.	देश में जूट उत्पादकों द्वारा कच्च जूट के भंडारों को कम मूल्यों पर बेचा जाना	Sale of Raw Jute Stocks at Lower prices by jute Growers in the country .	84
911.	भुवनेश्वर में तूफान का पता लगाने वाले रेडार तथा मौसम विज्ञान कार्यालय की स्थापना	Setting up of Cyclone Detection Radar and Meteorological Office at Bhubaneswar	84
912.	अंतर्राष्ट्रीय वित्त संबंधी सुधार	International Monetary Reforms .	85
913.	ब्रिटेन तथा राष्ट्रमंडलीय देशों के बीच व्यापार, शर्तों संबंधी विशेषाधिकारों को जारी रखना	Extension of the privileges of trade terms existing between Britains and Commonwealth countries . . .	86
914.	1973-74 के दौरान सोमनाथ मंदिर और गिरनार का विकास	Development of Somnath Temple and Girnar during 1973-74 . . .	87
915.	हेसियन पर निर्यात शुल्क में कमी	Reduction in Export Duty on Hessian .	87

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
916. अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में भारतीय फर्नीचर की मांग	Demand for Indian Furniture in International Market	87
917. भारतीय जूट निगम का कार्यकरण	Performance of Jute Corporation of India	88
918. तीसरे वेतन आयोग के साथ काम करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर रखे गये अधिकारी	Officials taken on Deputation to work in the Third Pay Commission . .	88
919. हालैंड से ऋण के लिए करार	Agreement for Dutch Credit . .	88
920. पश्चिम बंगाल में हुए पटसन मालिकों के सम्मेलन द्वारा पटसन के मूल्य का निर्धारण	Fixation of Jute Price by Jute owners Conference held in West Bengal .	89
921. सरकार द्वारा निर्धारित कच्चे जूट के मूल्यों को प्रभावी न किया जाना	Non implementation of Raw Jute Prices fixed by Government . . .	90
922. राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of STC . . .	90
923. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा पिछड़े क्षेत्रों को सहायता देने के लिए व्यवस्था	Machinery for Extension of Assistance by IFC to backward areas . . .	90
925. जूट के सामान पर निर्यात शुल्क का समाप्त किया जाना	Abolition of Export Duty on Jute Goods	91
926. विदेशी सहयोग करारों का विश्लेषण	Analysis of Foreign Collaboration Agreements	91
927. आसाम बाटम और कच्चे पटसन के अन्य किस्मों के लिए सरकार द्वारा समर्थन मूल्य निर्धारित करना	Support prices fixed by Government for Assam Bottom of Raw Jute . .	92
928. मैसर्ज कापड़िया तथा उनके सम्बन्ध निकायों द्वारा प्राप्त आयात लाइसेंस	Import licences acquired by /s Kapadias and Allied Sister co cerns . .	93
929. हवाई अड्डों पर मार्गनिर्देशन तथा विमान अवतरण संबन्धी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में टाटा समिति का प्रतिवेदन	Report of Tata Committee on availability of Navigational and landing facilities in Aerodromes	93
930. अखबारी कागज के आयात में राज्य व्यापार निगम द्वारा कथित अनियमितताएं	Alleged irregularities by STC in Import of News Print	93

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
931. कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करने पर टैरिफ तथा अन्य प्रतिबंधों का हटाया जाना	Elimination of tariff and other barriers to export agricultural and industrial products	94
932. गुजरात में द्वारका तथा बेट द्वारका का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास	Development of Dwarka and Bet-Dwarka in Gujarat as Tourist Spots . .	95
933. जापान एयर लाइंस द्वारा अपने डी०सी० 8 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारणों की पुनः जांच करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करना	Case filed by Japan Airlines in Delhi High Court for re-examination of cause of Air Crash of its DC-8 Aircraft	95
934. ब्रिटेन में भारत के चाय व्यापार का बंद होना	Loss of Indian Tea Market in U.K. .	96
935. नागर विमानन विभाग के कार्यकरण पर टाटा समिति के प्रतिवेदन को लागू करना	Implementation of Tata Committee Report on functioning of Civil Aviation Department	97
936. विदेश व्यापार क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात/निर्यात बैंक की स्थापना	Setting up of an import/export Bank to cater to needs of foreign Trade sector .	97
937. भारत में मूल्य वृद्धि के संबंध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया का प्रतिवेदन	R.B.I. Report on price rise in India . .	98
938. केन्या में वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भारत का भाग लेना	India's participation in Finance Minister's Conference in Kenya . . .	99
939. यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश करने के पश्चात् ब्रिट्रेन द्वारा भारत के निर्यात पर टैरिफ संबंधी रुकावटें	Imposition of Tariff Walls by Britain against Indian Exports after its entry into ECM	100
940. आय-कर की बकाया राशि को बट्टे खाते डालना	Writing off of arrears of Income Tax .	100
941. जीवन बीमा निगम के एजेंटों को दिये जाने वाले कमीशन से आयकर की कटौती	Deduction of Income Tax from the Commission paid to LIC Agents .	101
942. जीवन बीमा निगम के कार्यकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर व्यय हुआ धन	Amount spent by LIC Executives Travels Abroad	101

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
943.	कलकत्ता में आवास तथा जल सप्लाई में सुधार करने के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण के लिए करार	Agreement with World Bank for Credit to improve Housing and Water Supply in Calcutta	102
944.	भारत और स्कैन्डेनीविया के दलों में विमान परिवहन के बारे में वार्ता	Talks between Indian and Scandinavian Teams Regarding Air Transportation .	102
945.	व्यापारियों द्वारा दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की मूल्य सूची न लगाया जाना	Non Display of Rate Lists of Essential Commodities by Businessmen . .	103
946.	तकनीकी कर्मचारियों में स्वनियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना	Issuing of Guidelines to Banks to encourage self Employment Programmes among Technical Personnel . . .	103
947.	विकासशील देशों को सहायता देने की नीति	Pattern of Aid to Developing Countries .	104
948.	वर्ष 1973 के दौरान भारतीय परामर्शदात्री सेवा द्वारा प्राप्त किये गये ठेकों की संख्या	Number of Contracts Secured by Indian Consultancy Service . . .	105
949.	भारत के बड़े शहरों में ऊनी चीथड़ों की बिक्री में काला बाजारी	Black Marketing in the Sale of Woollen Rags in Big Cities in. India . .	105
950.	वर्ष 1967 से स्वेज नहर के बंद रहने के कारण भारत को हुई हानि	Loss suffered by India due to closure of Suez Canal since 1967 . . .	106
951.	लघु क्षेत्र में अधिकाधिक पूंजी लगाने के बारे में बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये जाना	Issuing of Guidelines to Banks in regard to greater involvement in Small Sector .	106
952.	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात और निर्यात के आंकड़े दर्शाने वाला (रोल-आन-प्लान) खाका	Roll on Plan of STC Projecting Import Export Turn Over	107
953.	राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण के बारे में यूनुस समिति का प्रतिवेदन	Yunus Committee Report on the Working of STC	107
954.	शेयरों और मूल्यों में वृद्धि	Rise in Share Prices . . .	107
955.	बम्बई में राजनीतिक दलों द्वारा किये गये आन्दोलन के परिणामस्वरूप मूल्यों में गिरावट	Fall in prices due to Agitation Launched by Political parties in Bombay . .	108
956.	गत वर्षों की तुलना में भारतीय निर्यात में वृद्धि	Increase in Indian Export as compared to previous years	108

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
957.	उच्च न्यायालयों और न्यायधिकरणों में आयकर के अनिर्णीत पड़े मामले	Pending cases of Income Tax in High Courts and Tribunals . . . 109
958.	तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों से सरकारी कर्मचारियों में असंतोष	Dissatisfaction of Government Employees with the Recommendations of Third Pay Commission's Report . . . 111
959.	बम्बई में फ्लैटों के आवंटन में जीवन बीमा निगम द्वारा की गई कथित अनियमितताएं	Alleged irregularities in Allotment Flats by LIC in Bombay 112
960.	इंडियन एयरलाइंस द्वारा एवरो विमान को न चलाया जाना	Grounding of Avro Planes by Indian Airlines 112
961.	पश्चिम योरोप के देशों के साथ व्यापार करार	Trade Agreements with West European countries 113
962.	सिगरेटों का आयात तथा निर्यात	Import and Export of Cigarettes . . 113
963.	कालीकट हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य	Construction work on Calicut Airport . 114
964.	गत तीन वर्षों में दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को चाय के निर्यात में कमी	Decline in Export of Tea to Hard Currency Areas during last three years 115
965.	विदेशों में भारतीय तम्बाकू की मांग	Demand of Indian Tobacco in Foreign Countries 116
966.	प्रधान मंत्री को कनाडा ले जाने वाले विमान चालक दल द्वारा मार्ग से परिचित होने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	Routine followed for Familiarisation of Route by the Crew which Flew Prime Minister to Canada . . . 116
967.	6 बजे सांयाकाल से 6 बजे प्रातः काल के बीच अदीस अबाबा हवाई अड्डे पर विमान उतारने और वहां से उड़ानें भरने के लिए एयर इंडिया के विमान चालकों पर रोक लगाया जाना	Pilots of Air India Prohibited from Landing or taking off from Addis Ababa Airport between 6 P.M. and 6 A.M. . 117
968.	विभिन्न बैंकों से चुराई गयी धनराशि	Amount of Money Stolen from various Banks 117
969.	एयर इंडिया द्वारा पायलटों को विभिन्न प्रकार के विमान उड़ाने की अनुमति दिये जाने की व्यवस्था	Practice to Allow Pilots to Fly Multiple Aircraft by Air India . . . 118

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
970. चावल तथा मोटे अनाज के विक्रय मूल्यों में वृद्धि का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर प्रभाव	Impact of Rise in Issue Prices of Rice and Coarse Grains on Consumer price Index	118
971. रोजगार न देने वाले उद्योगों में विदेशियों का निजी पूंजी नियोजन	Foreign Private Investment in Non-employment Industries	119
972. भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति रोकने के लिये मुद्रा उपलब्धि को विनियमित करने के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to regulate Money supply in order to contain inflationary trend in Indian Economy	121
973. इण्डियन एयर लाईन्स के लिये बोइंग विमान की उपयुक्तता	Suitability of Boeing Aircraft for Indian Airlines	121
974. वर्ष 1973–74 के दौरान चाय तथा पटसन के निर्यात में कमी	Fall in Export of Tea and Jute during 1973-74	122
975. कुछ अधिकारियों द्वारा अनुपात से अधिक आस्तियां रखने के बारे में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के सतर्कता अधिकारी और स्टेट बैंक के इंस्पैक्टर का प्रतिवेदन	Report of Vigilence Officer of State Bank of Bikaner and Jaipur and Inspector of State Bank Regarding Disproportionate Assets possessed by certain officers.	123
976. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर की नई दिल्ली शाखा के भूतपूर्व एजेंट द्वारा गलत मैडीकल बिल पेश किया जाना	Submission of False Medical Bill by Ex-Agent of New Delhi Branch of State Bank of Bikaner and Jaipur .	124
977. इंडियन एयर लाइंस द्वारा 'एयरबस' खरीदे जाने का प्रस्ताव	Proposal to purchase Airbus by Indian Airlines	124
978. हवाई अड्डों पर महत्वपूर्ण उपकरणों का उपलब्ध न होना	Non-Availability of Vital Aids at Airports	124
979. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में पर्यटक स्थलों का विकास	Development of Tourist Spots in Rajasthan	125
980. एवरो विमान संबंधी धवन समिति का प्रतिवेदन	Report of Dhawan Committee on Avro Aircraft	125

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
981. इंडियन एयर लाइंस द्वारा तीन कैरेवैल विमान किराये पर लिये जाने का निर्णय	Decision to Hire Three Caravelles by Indian Airlines . . .	126
982. भारत पर्यटन विकास निगम का पुनर्गठन करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to Re-Structure ITDC	126
983. यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ वाणिज्यिक सहयोग करार	Commercial Co-operation Agreement with EEC.	126
984. भारत में मुद्रास्फीति से निपटने के लिये की गई कार्यवाही	Steps to deal with inflation in India	126
985. भारत में काम कर रहे विदेशी उद्यमों के लाभ की दरें	Rates of return of Foreign ventures Operating in India . .	128
986. योजना आयोग द्वारा कार्यक्रमों में कटौती करने के कारण पर्यटन को धक्का पहुंचना	Set back to Tourism due to slashing down of programmes by Planning Commission	129
987. वर्ष 1973–74 में काफी का निर्यात	Export of Coffee during 1973-74	129
988. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा विरोध दिवस आयोजित किया जाना	Observance of a protest Day by LIC Employees	129
989. तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के सुझाव	Suggestions made by representative of Government Employees with regard to recommendations of Third Pay Commission	130
991. बिहार में इलाहाबाद बैंक की शाखाओं का कार्यकरण	Functioning of Branches of Allahabad bank in Bihar .	131
992. मिल मालिकों द्वारा कपड़ा मूल्य नियंत्रण योजना की घोषणा	Cloth price control Scheme by Mill Owners . .	132
993. अन्य देशों को अभ्रक का निर्यात	Export of Mica to other Countries	133
994. गत तीन वर्षों के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किये गये अभ्रक व्यापार का मूल्य	Value of Mica Trade Handled by MMTC during the last three years . .	133

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
995. होटलों में विदेशी शैली के कैबरे नृत्य	Western Style Cabaret Dances in Hotels	134
996. विदेशों में स्थित 'एयर इंडिया' के कार्यालय	Air India Offices located in Foreign Countries . . .	134
997. भारतीय पटसन निगम की आलोचना	Criticism levelled against Jute Corporation of India	135
998. पटसन निगम द्वारा गरीब किसानों से पटसन की वसूली	Procurement of Jute by Jute Corporation from Poor Peasants .	136
999. धागा नियंत्रणाध्यादेश को लागू करना	Implementation of Yarn Control Ordinance . .	136
1000. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा एकाधिकार गृहों और छोटे औद्योगिक एककों को दिये गये ऋण	Loan given by Nationalised Banks to Monopoly Houses and Small Scale Industrial Units	136
1001. पश्चिम गोदावरी जिले के कलेक्टर की कार से सोना तथा मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Gold and Currency from the Car of Collector of West Godavari District .	137
अविलंबनीय लोक महत्व के वषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .	138
बोकारो इस्पात कारखाने में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उत्पादन बंद हो जाने का समाचार	Reported Stoppage of production at Bokaro Steel Plant owing to Employees strike . .	138
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	Re. Motions for Adjournment .	142
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	143
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई (श्रीमती विभा घोष गोस्वामी)	Arrest and Release of Member (Shrimati Bibha Ghosh Goswami)	147
राष्ट्रीय संग्राहालय, नई दिल्ली से चांदी के सिक्कों की चोरी के बारे में वक्तव्य	Statement re. Theft of Silver coins from National Museum, New Delhi	147
पो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	147
सभा का कार्य	Business of the House .	148

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee . .	151
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee .	151
होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक	Homoeopathy Central Council Bill .	151
विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha .	151
श्री ए० के० किस्कु	Shri A. K. Kisku .	151
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	153
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	153
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya	154
डा० कैलास	Dr. Kailas	154
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazara	155
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	155
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder . .	157
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions .	158
32 वां प्रतिवेदन	Thirty Second Report .	158
विधेयक पुरःस्थापित :—	Bills introduced—	
श्री मधु लिमये का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1973 (अनुच्छेद 1 और 3 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill Amendment of articles 1 and 3) by Shri Madhu Limaye	
श्री मधु लिमये का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1973 (अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 74 and 163) by Shri Madhu Limaye	
श्री मधु लिमये का छावनी (संशोधन) विधेयक, 1973 (धारा 13 का संशोधन तथा धारा 14 आदि का लोप)	Cantonments (Amendment) Bill (Amendment of section 13 and omission of section 14, etc.) by Shri Madhu Limaye	159
श्री मधु लिमये का कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1973 (धारा 252, 275 का संशोधन तथा नई धारा 255 क का अंतःस्थापन)	Companies (Amendment) Bill . (Amendment of sections 252, 275 and insertion of new section 255A) by Shri Madhu Limaye	159

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री पी० के० देव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1973 (अनुच्छेद 371 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 371) by Shri P. K. Deo	160
श्री दिनेश चन्द्रगोस्वामी का खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1973 (धारा 16 का संशोधन)	Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill (Amendment of section 16) by Shri Dinesh Chandra Goswami . .	160
श्री अर्जुन सेठी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1973 (अनुच्छेद 58–59 आदि का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 58,59 etc.) by Shri Arjun Sethi	160
श्री हुकम चन्द कछवाय का भूख से मृत्यु (पूर्वाधिकारी उपाय और उत्तरदायित्व) विधेयक, 1973	Starvation Deaths (Precautionary Measures and Responsibilities) Bill by Shri Hukam Chand Kachwai .	161
श्री मूल चन्द डागा का बाल विवाह अवरोध (संशोधन) विधेयक, 1973 (नयी धारा 13 का अन्तःस्थापन)	Child Marriage Restraint (Amendment Bill (Insertion of new section 13) by Shri M. C. Daga .	161
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 124 का संशोधन) श्री अटल बिहारी बाजपेयी का,	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 124) by Shri Atal Bihari Vajpayee .	161
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	162
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	162
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	163
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	163
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A. K. M. Ishque .	164
श्री जी० विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan	164
श्री एन० के० पी० साल्वे	Shri N. K. P. Salve	165
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	167
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	168
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	168
श्री पीलू मोदी	Shr Piloo Mody	170

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडु, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बांसरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेनु (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरेना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन् (कासरगोड)
कतामुनु, श्री एम० (नागापट्टिनम्)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्णसिंह, डा० (उधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम्, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री टी० डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नाशिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगाव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कौपा, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नानि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नन्दुरबार)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव (बड़ौदा)
गायत्री देवी श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनोराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोयेन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा बीरबासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चिक्कलिंगय्या, श्री० के० (मांड्या)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (निल्लपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बराहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (हौशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जूल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जायनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तिरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नांदेड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री के० एन० (बेतिया)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणी, श्री सी० टी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच विहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (वांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)

देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूमिया, श्री अनंत प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (केथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फुलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एम० टी० (भीर)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंडुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (वलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादरा तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पस्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय (राजनंद गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दोली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० बी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एम० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पार्णिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्रनगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन (मावलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एम० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढवाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली, बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एम० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हमेन्द्र सिंह (भीरवाड़ा)
बड़े, श्री आर० पी० (खारगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)

बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बहुगुणा, श्री हेमवतीनन्दन (इलाहाबाद)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अलमोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा श्री (झालावाड़)
ब्रह्मनन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन, श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीनराव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री मानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तयार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोंड्डा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरूलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिपी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री० के० डी० (डुमरियागन्ज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुर्मू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)

मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पोलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (देवरकपुर)
मोहम्मद खुदा बख्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानवेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेंद्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर सिंह, श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादूर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन्, श्री एम० (कुड्डलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामदेव सिंह, श्री (महराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सुहोदराबाई (सागर)
राव, श्री मती वी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्रीनागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री डा० वी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडंडा रानी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिन्हा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० वायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी श्री वी० एन० (निरायलगूड़ा)
रोहतगी, श्रीमति सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)

लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (कैरीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफल हक श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री रामसिंह भाई (इंदौर)
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुट्टूकोटै)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुबय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफकत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (वक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज़ खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय. श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझनू)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलौर)
शेर सिंह प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चंन्द्र (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलिभाना, श्री (मिजोरम)
सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री बसन्त (अकोला)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एम० सी० (तामलुक)
सामिनाथन्, श्री पी० ए० (गोवीचे टिट्टपलयम)
साल्व, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आवला)

साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपूर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिन्हा, श्री० आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्यन्द्र नारायण (औरगांबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपूर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेलु, श्री (मयुरम)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोमचंद (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंदर)
स्वमीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिल)

ह

हसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तया, श्री के० (बंगलोर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरी सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एम० ढिल्लों

ऊपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री के० एन० तिवारी

नरेन्द्र कुमार साल्वे

श्रीमती शीला कौल

डा० सेरदीश राय

श्री इरा सेझियान

महा सचिव

श्री शयामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री	श्री मती इन्दिरा गांधी
कृषि मंत्री	श्री फखरुद्दीन अली अहमद
वित्त मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
विदेश मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री देवकान्त बरुआ
योजना मंत्री	श्री डी० पी० धर
गृह मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
रेल मंत्री	श्री ललित नारायण मिश्र
भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री	श्री टी० ए० पाई
संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
निर्माण और आवास मंत्री	श्री भोला पासवान शास्त्री
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नौवहन और परिवार मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहन धारिया
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी
संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरुल हसन
सिंचाई और विद्युत मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० बी० राना
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० शेर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

उप-मंत्री

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री कोंडाजी बासप्पा
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुबोध हंसदा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० किस्कु
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वैंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 16 नवम्बर, 1973/25 कार्तिक, 1895 (शक)

Friday, November 16, 1973/Kartika 25, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

स्विटजरलैंड के संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का स्वागत

Welcome to Swiss Parliamentary Delegation

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, आरम्भ में मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से मैं स्विटजरलैंड की सीनेट के अध्यक्ष महामहिम श्री मेरियस लैम्पर्ट, मदाम लैम्पर्ट और स्विटजरलड के संसदीय प्रतिनिधिमण्डल के माननीय सदस्यों, उनकी पत्नियों तथा पुत्री का जोकि हमारे सम्माननीय अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आये हैं, का स्वागत करता हूं।

यह प्रतिनिधिमण्डल कल यहां पहुंचा है और भारत में 8 दिन तक ठहरेगा। यद्यपि यह समय बहुत कम है फिर भी हम अपनी ओर से इनकी अधिक से अधिक सेवा करने का प्रयत्न करेंगे। इस समय वे विशिष्ट दीर्घा में बैठे हैं। हम उनकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। हम उनके जरिये उनकी संसद, उनकी सरकार तथा स्विटजरलैंड के लोगों के लिये शुभकामनायें भेजते हैं।

मैं उन्हें अपनी ओर से तथा सदस्यों की ओर से उनके द्वारा कल रात्रि भोजन उपरान्त भेंट किये गये उपहार के लिये भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमें एक नई प्रकार की आधुनिकतम स्विस घड़ी भेंट की है। यह काफी बड़ी और काफी भारी है। इसमें चाबी भरने की भी आवश्यकता नहीं। आप इसे सिर्फ मेज पर बराबर सतह पर रख दीजिये, यह वातावरण से गति प्राप्त करेगी। इस सदन में हर प्रकार का वातावरण पदा होता है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आप इसे सभा पटल पर रख दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : यह अध्यक्ष की मेज पर रखी है। मैं इसे दुलहन की तरह दिखा रहा हूं। मैं इसे ग्रन्थालय में रखवा दूंगा ताकि आप लोग इसे देखने के साथ-साथ इसके वजन का अंदाजा भी लगा लें। मैं उन्हें इस सुन्दर उपहार के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। घड़ियों के लिये उनका देश विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह नवीनतम माडल है जोकि हमारी संसद में आया है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तृतीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा किया गया निर्णय

*82. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह तृतीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा किये गये मुख्य-मुख्य निर्णयों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे; और

(ख) क्या वे निर्णय सभी मंत्रालयों/विभागों सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों को प्रेषित किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) केन्द्रीय सरकार के श्रेणी II, III और IV के सिविल कर्मचारियों के वेतनमानों, भत्तों, सेवानिवृत्ति लाभों आदि के सम्बन्ध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों की घोषणा करते हुये, दिनांक 1 नवम्बर 1973 का संकल्प संख्या 70(34)/73-इम्पली० सेल, भारत के 1 नवम्बर, 1973 के असाधारण राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 सं० 257 में प्रकाशित हुआ है, जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में 8 नवम्बर, 1973 को रखी गई हैं।

(ख) उस संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी गई हैं। सरकार के निर्णय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर सीधे लागू नहीं होते।

श्री प्रबोध चन्द्र : वेतन आयोग का निर्णय किस तिथि से लागू किया जायेगा और उस तिथि को निर्धारित करने के क्या कारण हैं; वेतन आयोग की सिफारिशों को शीघ्र ही अथवा उचित समय के भीतर क्रियान्वित क्यों नहीं किया जा रहा?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : क्रियान्वयन की तिथि निर्णय में ही घोषित की गई है। सिफारिशें 1 जनवरी, 1973 से लागू होंगी। उन्हें क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है। निर्णय की घोषणा अक्तूबर में की गई और उसके तुरन्त बाद यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की गई कि संकल्प की अधिसूचना दी जाये तथा समय समय पर आवश्यक आदेश जारी किये जायें।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों में किन कारणों से परिवर्तन किया जबकि दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के मामले में ऐसा नहीं किया गया था? क्या वेतन आयोग की सभी सिफारिशें पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली जायेंगी अथवा कि उनमें कोई मुख्य परिवर्तन किया जायेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार ने अपने निर्णय की घोषणा कर दी है। जिसमें कुछ सिफारिशों को कुछ सुधार के साथ स्वीकार किया गया है। जबकि दूसरे वेतन आयोग के बारे में ऐसा नहीं किया गया था। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद हमने कुछ सिफारिशों में सुधार करना उचित समझा।

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Speaker, I wish to know whether it is a fact that the Government wants to keep the amount of arrears from January to October in G. P. Fund but the employees, unions are against it?

I also want to know whether the Government had talked with the employees' representatives before arriving at a final decision on Pay Commissions recommendations and if so which were these representatives and what was their opinion? Most of the unions are not satisfied with this decision and they have given a notice for strike. I also wish to know the amount to be incurred on salaries that will be disbursed and the income from the excise levied on pétrol?

Shri Yashwantrao Chavan : It is a fact that the Pay Commission's recommendations will be implemented from Januray, 1973. As regards the arrears, we wanted the amount to be kept in saving deposit with the Government but there is no question of any compulsion If the employees want it they will have it. It is all a matter of understanding we will try to persuade them. We have already met their representatives but they do not seem to favour our point of view. They had certain demands which the Government is unable to accept in toto. It is difficult to say how far they are aggreeable to our proposals. We have tried to do what we thought was right. The amount involved will exceed Rs. 60 crores. How much shall be able to raise from petrol duty depends upon its actual consumption.

Shri Hukam Chand Kachwai : Is the Government aware that trade unions are not satisfied with the decision and they have already given a notice for strike ?

Mr. Speaker : How does the question of strike arise ?

Shri Chandu Lal Chandrakar : May I know if the decision will cover pensioners and army personnel also and why it has not been made applicable to autonomous bodies?

Shri Yashwantrao Chavan : This does not apply to autonomous bodies as the Pay Commission did not deal with them.

Shri Chandu Lal Chandrakar : I wanted to know whether Pensioners and army personnel would be covered thereunder or not.

श्री यशवन्तराव चव्हाण: जहां तक श्रेणी एक के कर्मचारियों का प्रश्न है चाहे वह सैनिक कर्मचारी हैं अथवा असैनिक उनके बारे में हमें अभी निर्णय लेना है। अन्य रक्षा कर्मचारियों के संबंध में भी समान सुधार किए जाएंगे। यह सिफारिशें पेंशन भोगियों पर लागू नहीं होतीं।

श्री एस० एम० बनर्जी : कर्मचारियों के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि यदि सरकार के लिए न्यूनतम वेतन 314 रुपये करना संभव नहीं है तो कम से कम वह केन्द्रीय कर्मचारियों को सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के समान स्तर तक तो ले आएं अर्थात् उन्हें भी उतना ही वेतन और भत्ता दिया जाए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सिफारिश पर सरकार ने विचार किया था और यदि हां, तो सुधारों में उसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? सुधार करके भी 196 रुपये न्यूनतम मजूरी निर्धारित की गई है। विभिन्न संघों द्वारा स्ट्राइक बैलट या स्ट्राइक नोटिस के माध्यम से रखी गई मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशों

से सभी कर्मचारी असंतुष्ट हैं और उन्हें भी सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के समान स्तर पर लाया जाए क्योंकि दोनों को एक ही निधि से वेतन दिया जाता है और सरकारी उपक्रमों को कोई लाभ नहीं हो रहा। क्या सरकार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से इस संबंध में दोबारा बातचीत करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है उसका उत्तर है "नहीं"। पुनः बातचीत का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक केन्द्रीय कर्मचारियों को सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के समान स्तर पर लाने का प्रश्न है विभिन्न सरकारी उपक्रमों में भी वेतनमानों में समानता नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : हाल ही में उन्होंने हरिद्वार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में 250 रुपये दिए हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : किन्तु सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के वेतन-मानों में समानता नहीं है। दूसरे, ऐसी समानता स्वीकार करने में बहुत भारी व्यय अर्न्तग्रस्त है। अतः इसे स्वीकार करना सरकार के लिए संभव नहीं।

श्री के० नारायणराव : तकनीशियनों और विशेषज्ञों की शिकायतों के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : श्रेणी एक के अधिकारियों के संबंध में हमने कोई निर्णय नहीं लिया है।

Shri M. Ram Gopal Reddy : I want to know the difference between the amount payable to the employees according to the recommendations of the Pay Commission and the amount actually demanded by them.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा सरकार पर पड़ता था लेकिन किये गये कुछ सुधारों के फलस्वरूप हमें 60 करोड़ रुपया अधिक कर्मचारियों को देना पड़ेगा। जहां तक कर्मचारियों की मांगों का प्रश्न है। भिन्न-भिन्न वर्गों की मांगें भिन्न-भिन्न हैं। अतः समग्र रूप में यह बताना कठिन है कि उनकी मांगों से कितना अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Pay Commission has recommended payment of City Compensatory Allowance in case of Central Government employees and has said that while determining this allowance, the rise in price, the population, and the urban agglomeration should be kept in view. I want to know why the question of upgradation of cities has not been considered while taking a decision on Pay Commission's recommendations ? The population of Gwalior has exceeded four lakhs.

Shri Yeshwantrao Chavan : The matter is under consideration.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Ten days ago I had written a letter to the Finance Minister and he had replied that the matter was under consideration and more again the hon. Minister says that they are considering over the matter. I wish to know by when a decision is likely to be taken in this regard ?

Shri Yashwantrao Chavan : We will do so shortly.

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has announced that the minimum wage of Rs. 196 which was recommended by the Third Pay Commission has been accepted. As for the question of officers in private and public sectors is concerned, their minimum scale is Rs. 700 per month and they have recommended an increment between Rs. 200 and Rs. 700. What are the views of the Government regarding the salaries of such officers when they have accepted the minimum wage of Rs. 196.

Shri Yashwantrao Chavan : We have not taken any decision in regard to class I officers.

Shri Madhu Limaye : If there is no simultaneous decision regarding class I officers and the low paid employees, the 26 lakh employees are bound to be dissatisfied when they realise that their case is being treated differently than that of class I officers.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक श्रेणी एक के अधिकारियों का संबंध है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि उनका मामला अभी विचाराधीन है। हमने श्रेणी दो, तीन और चार के अविलम्बनीय महत्व के विषयों पर निर्णय ले लिया है।

Smt. Mukul Banerjee : The Pay Commission, inspite of a lot of discussion, did not accept the demands of school teachers in consequence whereof there is lot of resentment amongst the teachers. Is the hon Minister taking any action in this regard ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : किसी विशिष्ट सेवा वर्ग के मामलों पर पुनर्विचार करना अथवा समीक्षा करना मेरे लिए बहुत कठिन है। जो भी निर्णय श्रेणी दो, तीन, चार के कर्मचारियों के बारे में लिए गए हैं, वे सभी पर समान रूप से लागू किए जाएंगे।

Avros Grounded during September, 1973

*83. **Shri Jagannathrao Joshi:**
Shri Sat Pal Kapur :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Avros had been grounded during the month of September, 1973 and, if so, the reasons therefor;

(b) the number of planes and flights affected and the loss of revenue on this account; and

(c) the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) As a result of a failure of an aileron hinge on an HS-748 on 8-9-73 and detection of incipient cracks on another aircraft on 12-9-73 it was decided that all HS-748 aircraft in Indian Airlines fleet which had logged 5000 hours and above should be subjected to mandatory inspection before the next scheduled flight.

(b) and (c) Of the 13 operating Avro aircraft 12 had done more than 5000 hours and were withdrawn from service temporarily and alternate arrangements were made to the extent possible with the remaining fleet. These 12 aircraft were cleared for operation as follows :

(i) 3 from 24-9-1973
(ii) 3 from 1-10-1973

(iii) 3 from 10-10-1973
(iv) 3 from 22-10-1973

Initially 25 routes were affected but this number came down as and when the Avros were brought back into service after necessary checks and rectification. There was a revenue loss of Rs. 62.7 Lacs.

Shri Jagannathrao Joshi: Mr. Speaker, Sir, the Avros have been the subject of discussion since 1969. Had the hon. Minister been posted with full facts I would have been satisfied. The question is not that of any defect having been found after a flight of 5000 hours. It relates to something fundamental and intrinsic. The expert that has been sent for U.K. also testified that the avro 748 should be of 5080 H.P. and if there is deficiency of 80 H.P. how could the aircraft fly. The hon. Minister has referred only to 5000 hours of Flight. Defects have been found only after flight of 3000 hours. I want to know if the hon. Minister would lay on the Table of the House the report of the Committee which was constituted for the purpose of looking into this matter. During the course of its test flight, a pilot lost his life at Hyderabad because of which the former Minister tendered his resignation. Will the hon. Minister lay on the Table of the House the detailed particulars about the aircraft and the finding of the Committee ?

Shri Raj Bahadur : I have already said that there will be no compromise so far as the safety standards are concerned. The hon. Member has said that some doubts were raised about the mental fatigue even about those aircraft which had done less than 5000 hours, flying. We have not spared even those aircraft which have done less than 5000 hours flying. They were grounded and checked and whatever was required was done. From the point of view of safety, they are free from defects. Besides, a Committee has been constituted under the chairmanship of Shri Dhawan, who is an expert and a scientist. He is assisted by other eight experts. They are studying if this aircraft is wanting in anything. After all it is our own aircraft produced by our own people...

Shri Atal Bihari Vajpayee : Wherefrom the engine has been brought ?

Shri Raj Bahadur : Inspite of that, we are working on it. We should look at it with pride.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. speaker, the hon. Minister has brought in the question of national pride whether or not this aircraft is useful is the only matter which requires consideration.

Shri Jagannathrao Joshi : The main question is that of safety. In the year 1969, Captain Ranadive had said that 45,000 pounds pay load was too much and that they would not fly with more than 42,000 pounds pay load because that obstructed the climbing speed. Shri Karan Singh said that this aircraft is airworthy. Still, defects have been noticed off and on. Captain Ranadive was punished for having pointed out a defect in the aircraft. He was, however, acquitted by the High Court. Will the hon. Minister reinstate those pilots and not punish them for having refused to fly this aircraft with a pay load of 45,000 pounds ?

Shri Raj Bahadur : Captain Ranadive's question has no bearing on this. If the hon. member wants to have information he can Table a separate question.

Shri Jagannathrao Joshi: Mr. Speaker, Sir, I have raised a specific question but the reply has not been given.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, who is to decide whether the question is relevant or otherwise. It is for you or for the hon. Minister to decide ?

Shri Raj Bahadur : As far the question of safety, I have already given my answer. Mr. Speaker, you have very often said that we should answer the question and not give a lecture.

Shri Jagannathrao Joshi : Mine is a very specific question. The pilots are not prepared to fly the aircraft with 45,000 pounds pay load. Does he still call it safe and airworthy ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has given his reply. If you want some other information, please give notice for that.

डा० हरि प्रसाद शर्मा : नागर विमानन, जिसके लिए इस विमान का प्रयोग किया जा रहा है, के अतिरिक्त इस विमान का प्रयोग 1980 के बाद रक्षा सेवाओं के लिए भी किया जायेगा। इसका निर्यात भी किया जायेगा। अतः ऐसी अवस्था में क्या यह उचित नहीं है कि सरकार इसके कार्य निष्पादन के संबंध में उठाए जाने वाले संदेहों से पूर्व ही इसकी पूरी जांच करा ले जिससे कि देश इतनी अपेक्षा कर रहा है।

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस विमान का दक्षिण अमरीका से न्यूजीलैण्ड तक प्रयोग 30 देशों में, 33 असैनिक आपरेटरों तथा विश्व की सात वायु सेनाओं द्वारा किया जा रहा है। इस किस्म के 170 विमान परिचालन में हैं, अतः जहां तक सुरक्षा के स्तर का प्रश्न है इस बारे में किसी प्रकार की ढील नहीं की जाएगी।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि धवन-समिति को परीक्षण के लिए क्या विषय दिए गए थे। क्या हाल ही में भार योग (पे-लोड) अथवा चढ़ाई की गति अथवा ढांचे की असफलता की जांच की गई थी। कब तक समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी क्योंकि यह आशा थी कि वह अक्तूबर के मध्य में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। अब कितना समय और लगेगा ?

श्री राज बहादुर : धवन-समिति को एवरो परिचालन के सभी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा सुरक्षा तथा उड़न योग्यता पर समिति को विशेष रूप से विचार करने के लिए कहा गया है। मुझे विश्वास है कि वह इन सभी प्रश्नों पर विचार करेगी ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि अमरीकी समाचार पत्रों में विशेषकर पश्चिमी समाचार पत्रों में एवरो विमान तथा हमारे देश में बनाए तथा प्रयोग में लाए जाने वाले विमानों के विरुद्ध कई वर्षों तक जानबूझकर प्रचार किया गया। अब जबकि सरकार एवरो विमान के विभिन्न पहलुओं की जांच करा रही है, क्या उसने इस बात को भी ध्यान में रखा है ?

श्री राज बहादुर : आपका प्रश्न क्या है, मैं समझ नहीं पाया। फिर भी यह जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री के० भालभा—अनुपस्थित। श्री सी० के० जाफर शरीफ—सभा में नहीं हैं। प्रश्न संख्या 85—श्री जी० वाई० कृष्णन—सभा में उपस्थित नहीं हैं। और श्री समर गुह भी अनुपस्थित हैं।

दिल्ली के कुछ बैंकों में लाकरों के साथ कथित छेड़छाड़

*86. **श्री सेझियान**† :

श्री राम सहाय पाण्डे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली के कुछ लाकर छेड़े हुए और खुले पाये गये थे और उनमें रखा सामान गायब मिला था;

(ख) क्या उक्त घटनाओं के बारे में कोई जांच की गयी है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार ने भविष्य में बैंकों में लाकरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है और क्या उन व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाएगा जिनके लाकर खुले पाये गये ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचना दी है कि 1973 में दिल्ली के चार विभिन्न बैंकों की चार शाखाओं के लाकरों में से नकदी और जेवरों की चोरी के चार मामले उन्होंने दर्ज किये थे। पुलिस की जांच अभी तक जारी है। जिन शाखाओं में लाकरों की व्यवस्था है, उन बैंकों के पास लाकरों की सुरक्षा का प्रबन्ध है। चारों मामलों में, जो पुलिस जांच के अधीन हैं, पुलिस की जांच पूरी हो जाने के बाद ही पता चलेगा कि वास्तव में किसी लाकर की चीजें खोई हैं, यदि ऐसा होगा तो निश्चित होगा कि ऐसी हानियों के लिये संबंधित बैंक की जिम्मेदारी और देनदारी है या नहीं।

श्री सेझियान : जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, चार विभिन्न बैंकों की चार शाखाओं में चोरी के मामले दर्ज किए गए, और यह चोरियां बहुत कम समय के अन्तराल में हुई, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन बैंकों द्वारा सुरक्षा उपाय करने में कोई कमी रह गई थी क्योंकि बैंकों की कितनी ही शाखाओं में लाकर की सुविधा उपलब्ध है लेकिन चोरी केवल इन्हीं चार बैंकों में हुई।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा बैंक अधिकारियों द्वारा लाकरों के संबंध में अपनाए जाने वाले नियमों और प्रक्रिया में अपने कर्त्तव्यों का पालन न करने के कारण तो नहीं हुआ, चूंकि इस मामले का संबंध बैंक के ग्राहकों के विश्वास तथा सुरक्षा से है। मुझे भय है इससे लोगों की बैंक में चीजें रखने की आदत को धक्का पहुंचेगा। यदि बैंक ही नकदी और जेवरात को सुरक्षित रखने में असमर्थ है तो फिर किसका आश्रय लिया जा सकता है। यही मुख्य बात है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आंतरिक जांच द्वारा पता चला है कि इन चार शाखाओं में ऐसी वारदात कर्तव्यों का उचित रूप से पालन न कर पाने के कारण हुई है।

दूसरे, कब तक मंत्री महोदय को पुलिस जांच पूरी होने की आशा है ? इसे ज्यादा समय तक न लटकाया जाए।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : चूंकि पुलिस जांच हो रही है, मैं इस मामले पर अंतिम राय नहीं दे सकता और न ही मुझे देनी चाहिए। आंतरिक जांच द्वारा पता चला है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : जहां तक बैंकों में लाकर प्रणाली का संबंध हैं, लाकर वाल्ट के अन्दर रखे जाते हैं। एक मुख्य वाल्ट होता है और उसके बाद दूसरा जिसमें सिक्के तथा मुद्रा रखी जाती है। क्या इन घटनाओं को देखते हुए सरकार ने अन्य बैंकों को निवारक उपायों तथा लाकरों के संबंध में क्या प्रक्रिया तथा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिएं, इसके संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश जारी किए हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : प्रत्येक बैंक के इस मामले में अपने नियम और प्रक्रियाएं हैं। मुझे आंतरिक जांच के द्वारा पता चला है कि इन नियमों में कोई दोष नहीं है तथा इनका बड़ा कड़ा पालन किया जाता है। अतः सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता। बैंकों द्वारा स्वयं निर्देश दिए गए हैं और उनका कठोरता से पालन किया जा रहा है।

श्री शंकर राव सावंत : यह कहा गया है कि चोरी चार विभिन्न बैंकों में हुई। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चोरियों की कार्यप्रणाली समान थी अथवा भिन्न-भिन्न थी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वस्तुतः अभी तक पता नहीं चला कि क्या इस संबंध में कोई अपराध हुआ है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में कार्य प्रणाली का पता लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। पुलिस जांच कर रही है। इस स्थिति में मैं कुछ नहीं बता सकता।

श्री बी० आर० शुक्ल : जमाकर्ताओं को इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप कुल कितनी क्षति हुई है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जैसाकि मैंने पहले बताया मामले की जांच हो रही है। नुकसान हुआ है या नहीं इसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ। अतः यह जांच चल रही है।

घाटे का अर्थ-व्यवस्था

*89. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटे की अर्थ-व्यवस्था बहुत बढ़ रही है और इस पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा रहा;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान ऐसे घाटे के बजट की कुल राशि कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के बचे भाग के दौरान ऐसे घाटे की अर्थ-व्यवस्था को कम करने तथा उस पर रोक लगाने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) और (ख) अक्टूबर, 1973 के अन्त तक, केन्द्रीय सरकार का बजट सम्बन्धी घाटा 541 करोड़ रुपये था जबकि गत वर्ष की उस अवधि में यह रकम 434 करोड़ रुपये थी इस वर्ष घाटे का यह ऊंचा स्तर भयंकर सूखे और बाढ़ों से प्रभावित राज्यों को उनके द्वारा राहत कार्यों पर किए जाने वाले व्यय के लिए सहायता देने, अनाज के आयात के लिए अदायगियां करने जिनकी प्रति पूर्ति अभी खाद्य निगम द्वारा की जानी है तथा रेलवे की आय में कमी होने जैसी अपरिहार्य किस्म की अप्रत्याशित तथा तात्कालिक मांगों के कारण हुआ।

(ग) घाटे का स्तर कम करने के लिए कई उपाय किये गये हैं जिनमें ये शामिल हैं :—(1) आयोजन-भिन्न तथा आयोजनागत व्यय में मितव्ययता के द्वारा सरकारी खर्च में लगभग 400 करोड़

रुपये की कटौती करना; (2) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 1972 में शुरू किये गये राहत कार्यों का बन्द किया जाना और इस वर्ष सूखे/बाढ़ों से प्रभावित राज्यों द्वारा शुरू किये गये राहत कार्यों के सम्बन्ध में फिर से अधिकतम वित्तीय सीमा निर्धारित करना; (3) खाद्य निगम को देय राजसहायता की राशि को कम करने के प्रयोजन से चावल, मोटे अनाजों तथा गेहूं का निर्गम मूल्य बढ़ाना और (4) मोटर स्पिरिट तथा मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क की दर में वृद्धि करना। इस वर्ष अल्प बचतों के अन्तर्गत संग्रह कार्यक्रम को और तेज करने तथा बाजार ऋण कार्यक्रम के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए भी उपाय किये जा रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर: मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के भाग (क) में स्वीकार किया है कि घाटे की अर्थव्यवस्था पहले ही बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है और सात महीनों में घाटे की अर्थ-व्यवस्था की राशि 541 करोड़ तक पहुंच चुकी है। प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उठाये गये कदमों की जो रूपरेखा बतायी गयी है उस सम्बन्ध में मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या व्यय में कटौती करने की सरकार की योजना सरकार की आशा के अनुकूल चल रही है? दूसरे, राहत कार्यों के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे राहत कार्यों को जो पूरा होने वाले हैं। सम्मिलित नहीं कर रही है क्योंकि आवश्यक अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं है; क्या इससे ऐसे कार्यों पर अब तक व्यय की गई राशि बेकार नहीं हो जायेगी? दूसरे शब्दों में क्या सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देगी कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था की राशि को कम करने के लिये ऐसे राहत कार्यों को नहीं रोका जायेगा जो पूरे होने वाले हैं परन्तु पैसे की कमी के कारण पूरे नहीं हो पाये हैं?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या जिस मितव्ययता योजना का विचार किया गया है वह निर्धारित कार्यक्रम अथवा योजनानुसार चल रही है। हम उसके लिये प्रयास कर रहे हैं। यह एक वृहद् क्षेत्र है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये। जहां तक उनका विशिष्ट प्रश्न है, मेरा उत्तर यह है कि यह योजनानुसार चल रहा है। हमें समय-समय पर इसे गम्भीरता से देखते रहना होगा।

श्री पी० जी० मावलंकर: कितनी धनराशि बचायी गई है? सात महीनों में 541 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मितव्ययता अभियान हमारी योजनानुसार चल रहा है। दूसरी बात यह पूछी गई है कि क्या सरकार ने राज्यों के लिये सूखा राहत सम्बन्धी व्यय बन्द कर दिया है। यह भी पूछा गया है कि राज्यों में जो विकास कार्य किये गये हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब सूखा राहत के लिये धनराशि देना बन्द कर दिया जाता है तो आरम्भ किये गये कार्यों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। राज्यों को मेरा यह परामर्श है कि उन्हें उन सभी कार्यों को, जो अभी पूरे होने हैं, अपनी सामान्य योजना का भाग बनाना होगा। इसका एक यही समाधान है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने मूल प्रश्न के भाग (ग) के अन्तिम उत्तर में पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि के बारे में कहा है। क्या सरकार को इस बात का पता है कि इस उत्पादन शुल्क ने मुद्रा स्फीति तथा मूल्यवृद्धि को और बढ़ावा दिया है, इससे यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसे पूरा करना सरकार चाहती है और इससे कराधान में और वृद्धि होगी? अतः यह किस प्रकार सहायक होगा?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह अपनी राय की बात है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैंने सरकार की राय नहीं पूछी है, सरकार से जानकारी मांगी है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण: मैंने बताया है कि यह उनकी राय हो सकती है। मुझे उनकी राय मानने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : राय के बारे में मैं किसी तर्क-वितर्क में नहीं पड़ना चाहता, मुझे जानकारी चाहिये।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सूचना यह है कि हमने इन संसाधनों में वृद्धि की है, इनसे घाटे की अर्थ-व्यवस्था में कमी आयेगी। मैंने यह सूचना दी है।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या इससे और कराधान नहीं होगा और मुद्रा-स्फीति नहीं बढ़ेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह अनुमान की बात है।

श्री अण्णासाहिब गोर्टखिडे: घाटे की अर्थ-व्यवस्था कम करने के लिये जो कदम उठाये गये हैं उनमें सूखा पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्यों को बन्द करना भी एक कदम बताया गया है। क्या उत्पादन कार्यों को केन्द्र से आवश्यक सहायता दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले ही एक माननीय सदस्य ने पूछा है और इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री अण्णासाहिब गोर्टखिडे : मैंने अधूरे उत्पादन कार्यों के बारे में पूछा है।

श्री वसंत साठे : उन्होंने कहा है कि इन्हें योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। यदि वह अपने उत्तर को दोहराना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : घाटे की अर्थ-व्यवस्था को कम करने के लिये मंत्री महोदय जो कदम उठाने जा रहे हैं जैसे चावल के विक्रय मूल्य में वृद्धि से क्या वह उद्देश्य नष्ट नहीं हो जायेगा जिसके लिये घाटे की अर्थ-व्यवस्था को कम करने का विचार किया जा रहा है, और क्या मंत्री महोदय इसके साथ उत्पादन प्रधान कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये कदम उठायेंगे जिससे घाटे की अर्थ-व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाये ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने उनका प्रश्न समझा है। यही प्रश्न पहले श्री मावलंकर ने पूछा है।

अध्यक्ष महोदय: उनका प्रश्न केवल पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क तक सीमित था परन्तु माननीय सदस्य का प्रश्न अधिक समान्य संदर्भ में पूछा गया है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण: यह सच है कि इस से मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा । इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु स्थिति यह है कि जो भी कदम उठाये जायेंगे उनके विरुद्ध कुछ न कुछ तो कहने को होगा ही। परन्तु स्थिति की कुछ अनिवार्य बातें देखनी होंगी। मेरे विचार से मूल्य वृद्धि के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। जब वसूली मूल्य बढ़ाया जाता है और जब राजसहायता में भी वृद्धि होने की संभावना है तब किसी सीमा तक विक्रय मूल्य वृद्धि के बारे में सोचना स्वाभाविक है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या सरकार के अनुमान अथवा आशा के अनुसार वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित घाटे से अधिक व्यय होने की संभावना है?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : ऐसा व्यय नहीं होना चाहिये। मैं इतना ही कह सकता हूं। परन्तु इस समय ऐसी कोई आशा नहीं है।

अक्तूबर, 1973 में इंडियन एयरलाइन्स के विमान का पाकिस्तान को अपहरण करने का षड़यन्त्र

*91 **श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :**

श्री प्रसन्नाभाई मेहता :

क्या **पर्यटन और नागर विमान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1973 में श्रीनगर में इंडियन एयरलाइन्स के विमान का पाकिस्तान को अपहरण करने के षडयन्त्र का पता लगा था;

(ख) यदि हां, तो घटना का सही ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has given good reply and no supplementary arises out of that. But I would like to ask a general question that there have been so many plane hijacking incidents for the last two three years. We find these incidents in our country and in other countries of the world as well.

Mr. Speaker : You have asked a specific question.

Shri Ram Shekhar Prasad Singh : Though it is not directly related but such incidents have been taking place in this country and in other countries as well.

Mr. Speaker : This does not arise out of that.

श्री प्रसन्नभाई मेहता : जो उत्तर दिया गया है उसको देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या क्लाक रूम में रिवालवर पाये जाने के पश्चात् दिल्ली से श्रीनगर उड़ाने के विमान के पहुंचने के बाद अधिकारियों को श्रीनगर हवाई अड्डे पर किसी विमान अपहरण का संदेह हुआ था?

श्री राजबहादुर : प्रश्न यह था कि क्या विमान अपहरण के किसी षडयन्त्र का पता लगा है। जहां तक इन्डियन एयरलाइन्स तथा उड्डयन मंत्रालय का सम्बन्ध है, ऐसे किसी षडयन्त्र का पता नहीं चला, ना ही ऐसा कोई बात ध्यान में आई। जहां तक पिस्तौल आदि का प्रश्न है यह गृह मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैंने पूछा है कि क्या संदेह के कोई आधार थे और क्या संदेह के पश्चात् देश पर्यन्त सुरक्षा उपाय मजबूत किये गये।

श्री राजबहादुर : हम संदेह के आधार पर सामान्यतया कार्यवाही नहीं करते। यदि कोई जानकरी होती तो मुझे विश्वास है कि उस पर ध्यान दिया जाता।

अध्यक्ष महोदय : आधुनिक युग में, प्रत्येक हवाई अड्डे पर प्रत्येक यात्री संदेहशील है । हम इससे तंग आ चुके हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मंत्री महोदय को इस बात पर ध्यान देना चाहिये।

Mr. Speaker : I do not mean our country but other Countries of the world.

चालू सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों के मूल्यों में 30 प्रतिशत वृद्धि

***96. श्री अरविंद एम० पटेल :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अक्तूबर, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि चालू सर्दी के मौसम में देश में ऊनी कपड़ों के मूल्य 30 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) सामान्य जनता को सस्ती दरों पर ऊनी कपड़े उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) मूल्य में वृद्धि मुख्यतः विदेश में कच्ची ऊन के मूल्यों में असाधारण वृद्धि होने के कारण हुई है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

ऊनी माल की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये निम्नोक्त उपाय किये गये हैं:--

(1) भारतीय कच्ची ऊन का निर्यात कोटा तक सीमित कर दिया गया है और ऊन उद्योग के लिये देशी कच्ची ऊन की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा इसकी कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये इस पर यथा मूल्य 25 प्र० श० निर्यात शुल्क लगा दिया गया है ।

(2) आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में ऊन खरीदने के लिये प्रक्रिया का पूर्ण अध्ययन करने तथा लाभकारी कीमतों पर आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की ऊन प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान प्रक्रिया में सुधार करने के उपाय ढूंढने के लिये एक प्रतिनिधिमण्डल इस समय आस्ट्रेलिया तथा न्युजीलैंड का दौरा कर रहा है; तथा

(3) निर्यातों के आधार पर प्रतिपूर्ति स्वरूप तथा साथ ही वास्तविक प्रयोक्ता हकदारियों के आधार पर उद्योग को 40 प्रतिशत तक एक्रिलिक फाइबर का आयात करने का विकल्प दिया गया है।

Shri Arvind M. Patel : In his reply in the statement the hon. Minister has said that an export duty of 25% has been levied on raw wool and thus an experiment has been made to reduce the prices. In our country, Shepherds undertake wool production and the life they are leading is not a hidden fact. May I know the steps the Government are taking to protect their interests against the loss they have suffered as a result of this ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमने बताया है कि बढ़ते हुये मूल्यों से उत्पन्न स्थिति में सुधार लाने के लिये बहुत से उपाय किये गये हैं। उनमें से एक उपाय यह है कि निर्यात कोटा सीमित कर दिया गया है, दूसरे इस पर यथा मूल्य 25 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगा दिया गया है । ये उपाय किये गये हैं । विदेशों से सस्ते मूल्यों पर ऊन खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उपायों का पता करने के लिये एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल आस्ट्रेलिया भेजा गया है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि ऊन के मूल्यों में विश्व पर्यन्त वृद्धि हुई है और ऊन की सप्लाई कम है तथा मांग अधिक। अतः देश में ही इस सम्बन्ध में बहुत अधिक कुछ नहीं किया जा सकता। परन्तु जो कुछ संभव है वह किया गया है और किया जा रहा है।

श्री वसंत साठे : प्रश्न कुछ और था और उत्तर कुछ और दिया गया है। उन्होंने यह प्रश्न पूछा है कि देश के गड़रियों, जो ऊन उत्पादन करते हैं, के हितों की सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है। यह प्रश्न है मंत्री महोदय उत्तर देते हैं कि एक शिष्टमडल आस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह उपचारात्मक उपाय है। मेरे विचार से मंत्री महोदय ने सही उत्तर दिया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a facct that price rise of certain woollen cloth is not limited to 30% but it is upto 50 or 60 percent regarding certain items ?

Secondly, why did we not purchase wool when it was cheaper in the world markets; why delayed purchase; who is responsible for this ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्यया : मैंने बताया है कि ऊन के मूल्यों में वृद्धि केवल भारत में ही नहीं हुई है। यह विश्वपर्यन्त है । हमने यह भी बताया है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में ठोस उपाय किये हैं। हमने निर्यात सीमित कर दिया है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मंत्री महोदय अपने उत्तर को दोहरा रहे हैं। हमारी इसमें रुचि नहीं है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं कोई काल्पनिक बात नहीं करता, सम्बन्द्ध तथ्य बता रहा हूं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : कल्पना से उनका क्या तात्पर्य हैं? मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। मंत्री महोदय अपना उत्तर दोहरा रहे हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने सम्बद्ध तथ्य दोहराये हैं। ठीक है माननीय सदस्य नाराज हैं, परन्तु मैं उनकी बात मानने में असमर्थ हूं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैंने उनसे किसी आभार की इच्छा नहीं की है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं असम्बद्ध बातें नहीं कह सकता ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या मंत्री महोदय ने मेरा प्रश्न समझा है। **(व्यवधान)** कांग्रेस दल के सदस्य द्वारा पूछे गये एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप समझते हैं कि उन्होंने आपका प्रश्न नहीं समझा है तो आप मेरी अनुमति से प्रश्न को उपयुक्त शब्दावली में पूछ सकते हैं, उनसे झगड़िये मत।

श्री एस० एम० बनर्जी : कठिनाई यह है कि दोनों ही कुंवारे हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक दूसरे से झगड़कर व्यक्तिगत समस्यायें नहीं सुलझायी जा सकतीं। उन्हें विवाह कर लेने चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : This is a serious matter. I had asked two questions, firstly, is it not a fact that the price rise of woollens is not limited only to 30% but it has gone upto 50 to 60 percent in respect of certain items ? Secondly, is it not a fact that the Government of India did not make purchases of wool when prices were low in international market and now when the prices are soaring they are trying to purchase it?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : पहले प्रश्न के बारे में, मैंने स्वीकारात्मक उत्तर दिया है। मूल्य बढ़े हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि हमने विदेशों से ऊन खरीदने का प्रयास किया है परन्तु विश्व के कुछ देश पहले ही ऊन के भंडार एकत्र कर चुके हैं, इसलिये हम अपेक्षित मात्रा में ऊन नहीं खरीद सके। इसके परिणामस्वरूप हमने एक प्रतिनिधि मंडल प्रक्रिया आदि जानने के लिये भेजा था जिससे कि हम भविष्य में उपयुक्त समय में ही उन खरीद सकें।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, are you satisfied with this reply ? Have I got or the house has got reply to the question? I want to know whether the Government did not delay the purchase ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: हमने देरी नहीं की है।

श्री डी० पी० जदेजा: क्या सरकार को पता है कि जिस कच्ची ऊन का निर्यात किया जा रहा था वह स्थानीय उपयोग में नहीं आती और जो निर्यात शुल्क लगाया गया है उससे व्यापारियों अथवा उद्योगों पर भार नहीं पड़ा हैं परन्तु गडरियों पर भार पड़ा है ? गडरियों के लिये क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं बता चुका हूं कि हमारा जितना निर्यात कोटा था । उसे सीमित कर दिया गया है । जिससे देश में कच्ची ऊन की उपलब्धता में वृद्धि हो सके । यह सच है कि हम देश में जो ऊन तैयार करते हैं उसकी पूर्ण खपत देश में नहीं हो पाती है। इन परिस्थितियों में निर्यात के लिये प्रोत्साहन देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नेपाल और भारत के बीच व्यापार का विस्तार

*97. **श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल के महाराजा ने अपनी हाल की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार के और अधिक विस्तार के सम्बन्ध में बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) व्यापार के किन-किन क्षेत्रों में विस्तार के लिये विशेष बातचीत की गई ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) नेपाल के श्री महाराजाधिराज ने आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के मामलों पर बातचीत की थी लेकिन व्यापार के विस्तार के बारे में विशेष रूप से कोई वार्ता नहीं हुई थी।

Shri Shri Krishna Agrawal : I have been told that a demand has been made to expand the two roads connecting Nepal to the Sea, which are trade links. Is it a fact ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह प्रश्न पहले उठाया गया था परन्तु महामहिम की इस बार की यात्रा के दौरान इसे छोड़कर अन्य बातों पर ही चर्चा हुई। तथापि यह निर्णय पहले ही किया जा चुका है कि नेपाल तथा अन्य देशों के बीच माल लाने ले जाने की पर्याप्त सुविधायें की जायें, जो दी जा रही हैं।

निर्यात नीति संकल्प, 1970 का संशोधन

*100. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन†** :
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात नीति संकल्प, 1970 के संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) पांचवीं पंच वर्षीय योजना और उसके बाद के लिए एक दीर्घकालिक निर्यात नीति की सिफारिश करने के लिए प्रोफेसर एस० चक्रवर्ती, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक ग्रुप गठित किया गया है। ग्रुप के विचारार्थ विषयों के अंतगत निर्यात नीति संकल्प और उसमें किये जाने वाले संशोधनों की समीक्षा करना शामिल है। ग्रुप ने अभी अपने विचार विमर्श पूर्ण नहीं किये हैं। अतः अभी यह बताना संभव नहीं है कि 30 जुलाई, 1970 के निर्यात नीति संकल्प में किन संशोधनों का सुझाव दिया जाएगा।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या इस वर्ष की पहली तिमाही में हमारा निर्यात 5.5 प्रतिशत की प्रत्याशित वृद्धि के बजाय 10 प्रतिशत कम हो गया है और क्या बंगला देश को किया गया 80 करोड़ रूपये का अप्रैल से अगस्त तक का निर्यात डी०जी०सी०आई० एस० के ध्यान से रह गया था ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अप्रैल और अगस्त में हमारा कुल निर्यात 850 करोड़ रुपये का है जो गत वर्ष की अपेक्षा 12.4 प्रतिशत अधिक है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want to raise a point of order regarding the question hour.

Mr. Speaker : He may make a submission instead of raising a point of order.

Shri Madhu Limaye : When Deputy Ministers are allowed to give replies to questions when Ministers are absent other Members should also be authorised to ask questions when the Member in whose name a question stands is not present here.

अध्यक्ष महोदय : यह तो पहले ही नियमों में है। आप दूसरे सदस्य को प्राधिकृत कर सकते हैं और ऐसे श्न दूसरे दौर में. पूछे जाते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सम्पत्ति का कम मूल्य पर रजिस्ट्री कराया जाना

*81. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के होते हुये भी बड़े नगरों में सम्पत्ति हस्तांतरण के प्रयोजनार्थ उसका कम मूल्य पर रजिस्ट्री कराये जाने की बुराई का अभी तक बोलबाला है ;

(ख) 30 सितम्बर, 1973 को भारत के प्रत्येक बड़े नगर में कम मूल्यांकित नगरीय सम्पत्ति के कितने कथित मामले उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पूंजीकृत एवं जांच में थे ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा किसी ऐसी सम्पत्ति का अधिग्रहण किया गया है, जिसके बारे में यह संदेह था कि उसका मूल्यांकन कम किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। कुछ हद तक। कानून के उपबन्ध 15 नवम्बर, 1972 से लागू हुए।

(ख) 30 सितम्बर 1973 तक जिन चार बड़े शहरों में आयकर अधिनियम की धारा 269 (घ) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये थे वे इस प्रकार हैं :–

बम्बई	139 नोटिस
कलकत्ता	111 ,,
दिल्ली	396 ,,
मद्रास	62 ,,

तथापि सम्पत्तियों के सम्बन्ध में पूरे भारत में कुल मिला कर 1,786 नोटिस प्रकाशित किये गये थे।

(ग) जी, नहीं। कार्यवाही जारी है।

डाकघर बचत बैंक खाता-धारियों के लिये नई इनामी योजना

*84. **श्री के० मालन्ना :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाकघर बचत बैंक खाता रखने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिये एक नई इनामी योजना आरम्भ की ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी, हां।

(ख) पुरस्कार योजना की मुख्य बातें ये हैं:-

(i) 1973-74 के बाद से डाकघर बचत बैंक के वे खाताधारी, जिनकी किसी एक वित्तीय वर्ष भर में कम से कम 200 रुपये की राशि जमा रहेगी, इनामी लाटरी में भाग लेने के पात्र होंगे।

(ii) परन्तु, 1973-74 के वित्तीय वर्ष में वे खाते जिनमें पहली दिसम्बर, 1973 तथा 31 मार्च, 1974 के बीच की अवधि में कम से कम 200 रुपये की राशि जमा रहेगी, इनामी लाटरी में भाग लेने के पात्र होंगे।

(iii) इसमें 50 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तक के 11,116 इनाम होंगे। हर साल इनामों की रकम 32,50,000 रुपये होगी।

(iv) वे व्यक्ति जिनका एकल या संयुक्त खाता होगा या जिनके खाते नाबालिगों के नाम में होंगे, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे।

उपभोक्ता वस्तुओ के मूल्यों में वृद्धि

*85. **श्री जी० वाई० कृष्णन्:**

श्री समर गुह:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से पैदा हुई स्थिति पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ता वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये तथा मूल्यों को कम करने के लिये कौन-कौन से पग उठाये गये हैं तथा उठाये जाने के विचार हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले वर्ष के दौरान मूल्य-स्तर में काफी वृद्धि हुई है, जिसका मल कारण है 1971-72 और 1972-73 में कृषि उत्पादन में कमी तथा सूखे और अन्य राहत कार्यों और आपातकालिन कृषि कार्यक्रमों पर व्यय होने के कारण अर्थ-व्यवस्था में मांग में वृद्धि । अशोधित पट्रोल, उर्वरक और अलौह धातुओं के मुल्य में वृद्धि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से भी मूल्यों में वृद्धि हुई है। सरकार ने जन-साधारण की कठिनाईयों को दूर करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं, (1) उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से अधिक अनाजों का वितरण करना, (2) आयातों द्वारा अनाजों और तेलों की उपलब्धता में वृद्धि करना (3) वित्तीय तथा मुद्रा सम्बन्धी उपायों द्वारा अतिरिक्त मांग को रोकना। इस प्रकार, अगस्त 1972 से सरकारी स्टाक से प्रतिमास औसतन 10 लाख टन अनाज की निकासी हुई है। जनवरी-सितम्बर 1973 के दौरान 20 लाख टन का अनाजों का आयात किया गया जबकि 1972 की इसी अवधि के दौरान 5 लाख टन से भी कम अनाज आयात किया गया था, तथा और अधिक अनाज प्राप्त करने के लिये ठेके दिये जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की सरकार ने 20 लाख टन गहूं का एक ऋण दिया है। इसी प्रकार, चालू वर्ष में खाद्य तेलहनों और तेलों के आयात कायक्रम के सम्बन्ध में 43 करोड़ रुपये का व्यय होगा। 20 लाख खाद्य तेलों के आयात का प्रबन्ध पहले ही किया जा चुका है तथा और अधिक आयात के लिये बातचीत चल रही है। वित्तीय नीति एसी वनायी गई है कि अधिक बाजार ऋण का सहारा लिया जा सके तथा सरकारी खर्चों में कटौती

करके घाटे की वित्त व्यवस्था पर निर्भरता को कम किया जा सके। बाजार ऋण की राशि बजट व्यवस्था से 28 करोड़ रुपये अधिक हो चुकी है, जबकि केन्द्रीय सरकार के परिव्यय में 400 करोड़ रुपये की कमी का प्रस्ताव है। पिछले कुछ महीनों में ऋण नीति विषयक जो परिवर्तन किये गये हैं उनमें से एक परिवर्तन का उद्देश्य बैंक की लगभग 400 करोड़ रुपये की जमा रकमों को स्थिर करना है तथा इसके साथ-साथ ऋण सम्बन्धी लागत में वृद्धि करना है।

इन उपायों से तथा वर्ष में अच्छी फसल की प्रत्याशा होने के कारण मूल्य-स्तर में स्थिरता शुरू हो गई है। किन्तु, सरकार यह महसूस करती है कि अर्थ-व्यवस्था में मांग और पूर्ति के बीच जो असंतुलन बढ़ गया है उसे ठीक करने में कुछ समय लगेगा और साधारण लोगों के हितों की सुरक्षा करनी होगी। इसके लिये एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना करने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है जिसके अन्तर्गत वर्तमान वस्तुओं की अपेक्षा और अधिक वस्तुएं आ जायेंगी।

सब्जियों तथा फलों के निर्यात के लिये नकद सहायता

*87. **श्री ई० वी० विखेपाटिल:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सब्जियों तथा फलों के निर्यात के लिये कोई नकद सहायता प्रदान करती है अथवा गत दो वर्षों में प्रदान की है;

(ख) इन दो मदों में से प्रत्येक के लिये वर्षवार कितनी नकद सहायता दी गई; और

(ग) ऐसे निर्यातों से कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) दी गई नकद सहायता के आंकड़े समूह-वार संकलित किये जाते हैं, निर्यात की प्रत्येक मद के लिये अलग-अलग नहीं। ताज़े फलों, ताज़ी सब्जियों तथा ताज़े फूलों के निर्यात पर दी गई नकद सहायता और ऐसे निर्यातों का जहाज़ पर कुल मूल्य नीचे दिया गया है:

वर्ष	दी गई नकद सहायता (रु०)	ऐसे निर्यातों का जहाज़ पर कुल मूल्य (रु०)
1972-73	29,246	1,46,238
1973-74 (केवल अप्रैल-सितम्बर, 73)	38,224	1,91,120

Impact of Smuggling of Gold on it's Price.

*88. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether one of the reasons of the instability in the price of gold is smuggling ;

(b) whether Bombay is the base of smuggling of gold ; and

(c) If so, the steps being taken to check it so that the price of gold may stabilize ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) By and large the price of gold in India has been fluctuating following the trend in the free market price of gold in the international markets as is evident from statement laid on the Table of the House and on account of economic and other factors affecting the demand for gold. The day to day marginal fluctuations in prices may however be caused by increased or restricted supply of gold by smuggling.

(b) Most of the West Coast is vulnerable to smuggling of contraband including gold. Of these Bombay is most important.

(c) The following steps have been taken to check smuggling of gold into the country :-

Systematic collection and follow up of information, keeping a watchful eye on the suspected smugglers rummaging of suspected vessels or aircraft, and checking of vulnerable sectors along the coast and the land frontiers. Additional launches and vehicles are being provided from time to time for effective interception, prevention, etc. Some senior officers of the rank of Collectors of Customs, Additional Collectors of Customs and Assistant Collectors of Customs have been posted in vulnerable areas to look after anti-smuggling work exclusively. The Customs Act, 1962 was amended in 1969 making additional provisions to take special measures for the purpose of checking illegal import of certain commodities and facilitating their detection. Recently, the Customs Act, 62 has been further amended to provide more severe punishments for smuggling offences and to plug loopholes. The positon is kept under constant review.

Statement

Monthwise Prices of gold in London and Bombay Markets

Month	London price of gold per Troy Oz. US $ Max.	Bombay price of gold/per 10 gms.Max.
1	2	3
December, 1971	43.75	200.00
January, 1972	48.05	204.00
February	48.70	208.00
March	48.40	204.00
April	49.50	203.00
May	59.00	227.00
June	66.75	242.00
July	67.45	233.00
August	68.80	257.00
September	67.20	254.00
October	64.83	245.00
November	64.12	247.00
December	65.40	244.50
January, 1973	66.05	245.00

1	2	3
February	95.00	282.50
March	91.50	274.00
April	92.00	324.30
May	112.50	336.00
June	127.00	338.00
July	127.00	353.00
August	117.50	410.00
September	106.97	355.00

विभिन्न ग्रोटोमोबाइल फर्मों द्वारा लाभांशों की राशि की घोषणा

*90. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न ग्राटोमोबाइल फर्मों द्वारा घोषित की गई लाभांशों की कुल राशि कितनी है तथा इसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) विस्तार के ग्रनुपात में उनकी पूंजी वृद्धि की प्रतिशतता क्या है ; ग्रौर

(ग) विदेशी कम्पनियों को, जिनके मुख्यालय विदेशों में हैं, तकनीकी ग्रथवा सहयोग शुल्क दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5706/73]

(ख) ग्रौर (ग) सूचना इकठ्ठी की जा रही है ग्रौर जितनी उपलब्ध होगी उतनी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जीवन बीमा निगम में पदोन्नति के लिए युक्तियुक्त योजना बनाना

*92. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन के पैरा 110 की ग्रोर दिलाया गया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो सभी ग्रधिकारियों की ग्राकांक्षाग्रों को दृष्टिगत रखते हुये ग्रौर कुशल प्रबन्ध व्यवस्था के लिये, जीवन बीमा निगम द्वारा पदोन्नति हेतु युक्तियुक्त योजना बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) मामला ग्रभी भी जीवन बीमा निगम के विचाराधीन है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमान की खरीद के लिए समझौता

*93. **श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान फ्लीट में कमी हो जाने के परिणामस्वरूप इण्डियन एयरलाइन्स का विचार अन्य देशों से विमान खरीदने का है ;

(ख) क्या खरीद संबंधी समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किन देशों से कितने व किस प्रकार के विमान खरीदे जायेंगे और उनका मूल्य कितना है एवं वे कब तक प्राप्त होंगे ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) : जी, हां। सरकार की अनुमति से इंडियन एयरलाइन्स ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका की बोइंग कम्पनी को मई, 1973 में नष्ट हुये अपने विमान के स्थान पर दूसरा विमान लेने तथा अपनी वहन क्षमता में वृद्धि करने के लिये चार बोइंग -737 विमानों की खरीद के लिये आशय-पत्र जारी कर दिये हैं। ध्वस्त विमान के स्थान पर लिया जाने वाला विमान 50.02 लाख अमरीकी डालर का पड़ेगा जबकि अन्य तीन बोईगं विमानों की मूल कीमत प्रति विमान 54,73,551 अमरीकी डालर होगी जिसमें ख़रीदार द्वारा अपेक्षित उपस्कर की अनुमानित लागत भी शामिल होगी। विमानों के 1974 की अंतिम तिमाही में मिलने की आशा है।

इंडियन एयरलाइन्स ने एयर बस उद्योग, फ्रांस, से 18 मास की अवधि के लिये पट्टे पर तीन कारवेल विमान भी लिये हैं। इन में से दो विमान प्राप्त हो चुके हैं और तीसरा शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये और आगे ख़रीदे जाने वाले विमानों की संख्या और प्रकार पर अभी विचार किया जा रहा है।

नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक की कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

*94. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री सरोज मुखर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 16 सितम्बर, 1973 के 'न्यू एज' (साप्ताहिक) में 'एन्टी-नेशनल एक्टस आफ नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक' (नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेंज बैंक के राष्ट्र-विरोधी कार्य) शीर्षक से प्रकाशित समाचार सरकार के ध्यान में लाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 16 सितम्बर, 1973 के "न्यू एज" के अंक के एक लेख "नेशनल एंड ग्रिण्डलेज बैंक की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां" शीर्षक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए गये और उन पर की गयी टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:—

(1) बचत बैंक खाते में न्यूनतम राशि में वृद्धि करना

(1) यह ठीक है कि नेशनल एंड ग्रिण्डलेज बैंक लि० ने अपने बचत बैंक नियमों में जो 1 अक्तूबर, 1973 से लागू होगा और उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि कुछ न्यूनतम बकाया रकम जमा रखी जाय जिसके अभाव में एक सेवा प्रभार लगाया जा सकेगा संशोधन कर दिया है। बैंक ने यह फैसला भी किया है कि 2,500 रुपये से कम राशि की अल्पावधिक या मीयादी जमा स्वीकार नहीं की जाएगी। विदेशी बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों के जमा-खातों के लेन-देन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और कोई शर्तें लागू नहीं की गयी हैं। जो जमाकर्ता, किसी बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने की स्थिति में नहीं है उसके लिये यह छूट है कि वे अन्य बैंक (बैंकों), खासतौर से भारतीय बैंकों से लेन-देन कर सकते हैं।

(2) नेशनल एंड ग्रिण्डलेज बैंक द्वारा फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक को तकनीकी फीस की अदायगी

(2) नेशनल एंड ग्रिण्डलेज बैंक लि० ने फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक से एक करार किया है जिसके अनुसार उत्तरवर्ती बैंक ने पूर्ववर्ती बैंक को प्रशिक्षण कार्यक्रम, लेन देन संबंधी प्रणाली, प्रशासन, व्यापार के विस्तार और विकास के संबंध मे तकनीकी सेवाएं प्रदान करना स्वीकार किया है। यह करार 1 अप्रैल, 1969 से 5 वर्ष की अवधि के लिये मान्य है। उपर्युक्त करार के अनुसार नेशनल एंड ग्रिण्डलेज बैंक के द्वारा फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक को भारतीय रुपयों में अदायगियां की जाती हैं, इसलिये इस प्रयोजनार्थ विदेश को रकम भेजने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इसके अतिरिक्त नेशनल एंड ग्रिण्डलेज बैंक द्वारा फर्स्ट नेशनल सिटी बक को परिलब्धियों की अदायगी किये जाने के संबंध में कानूनी स्थिति की भारतीय रिजर्व बक ने जांच की थी और उसने रिपोर्ट दी है कि चूंकि करार का संबंध एक भारतीय

निवासी द्वारा भार दूसरे भारतीय निवासी को अदायगी किये जाने से था इसलिये इसमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के किसी उपबन्ध का विषय उत्पन्न होने की बात नहीं दिखाई देती किन्तु चूंकि यह एसा मामला था जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना नियंत्रण करना आवश्यक समझा इसलिये इसने नवम्बर, 1972 में एक निर्देश जारी किया कि कोई भी बैंकिंग संस्था या कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना, उक्त बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में किये जाने वाले व्यापार या ऐसे व्यापार के किसी भाग के संबंध में तकनीकी या प्रबंध विषयक परामर्श के लिये किसी भी ऐसे बैंकिंग संस्था या कंपनी को, जो भारत से बाहर निगमित हो, या इस प्रकार की बैंकिंग संस्था या कंपनी की भारत में स्थित शाखा या कार्यालय को अपना परामर्शदाता नियुक्त नहीं करेगी । इस निर्देश के अनुसार विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं और भारत में कार्य करने वाले विदेशी बैंकों से यह अपेक्षा की जाती कि वे लाभों की राशि प्रेषित करने के लिये अपने आवेदन-पत्रों के साथ ऐसा प्रमाण-पत्र दें कि लाभ के रूप में प्रेषित की जाने वाली राशि में सम्मिलित आय का कोई भी भाग, भारत में स्थित बैंकिंग कंपनी में तकनीकी व प्रबंध संबंधी परामर्शदाता को ऐसी नियुक्ति के कारण नहीं है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के बिना की गयी हो ।

(3) लंदन में अपने मुख्यालय को किराये की अदायगी

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भूत-काल में जब बैंक द्वारा भारत में स्वामित्व वाली कुछ सम्पत्ति बैंक के लंदन कार्यालय की लेखा-पुस्तकों में दिखाई जाती थी, उनका किराया भारत से प्रेक्षित किया जाता था किन्तु 1967 तक नेशनल एंड ग्रिण्डलेज बैंक अपनी भारतीय शाखाओं को भारत स्थित सभी ऐसी सम्पत्तियों को हस्तांतरित कर चुका था जो पहले उसके मुख्य कार्यालय की लेखा-पुस्तकों में दिखाई जाती थी और अब बैंक की भारत में स्वामित्व वाली सभी सम्पत्तियां उसकी भारतीय शाखाओं की लेखा-पुस्तकों में दर्ज है ।

(4) भारतीय शाखाओं में अपने कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में भारत में भेजी जाने वाली प्रेषणाओं का बन्द करना

(4) नेशनल एंड ग्रिण्डलेज बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि भारतीय कर्मचारियों के संबंध में ब्रिटेन में कभी भी उसने कोई नेंशन निधि नहीं रखी ।

(5) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भारत में अपनी सम्पत्तियों का पुर्नमूल्यांकन करना

(5) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक द्वारा सम्पत्तियों का पनर्मूल्यांकन 1967 में अर्थात् 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से पूर्व किया गया है । और पुनर्मूल्यांकन के कारण होने वाली वृद्धि की राशि बैंक की भारतीय शाखाओं की लेखा-पुस्तकों में पूंजीगत प्रारक्षित निधि में रखी जा रही है ।

(6) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आजकल जो जांच पड़ताल की जा रही है उसे नेशनल एंड ग्रिण्डलेज बैंक द्वारा डाले जा रहे दबाव के कारण सम्भवतः समाप्त करना

(6) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने नेशनल एंड ग्रिण्डलेज बैंक लि० की जांच सामान्य रूप से 28 मई, 1973 से शुरू की थी और इसका काम जारी है ।

शिमला के निकट हवाई-अड्डा बनाने का प्रस्ताव

*95. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला के निकट हवाई-अड्डा बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) शिमला की ऊंचाई के कारण, एच०एस०-748 विमानों के परिचालनों के लिए कम से कम 6000 फुट लम्बे धावन-पथ की आवश्यकता होगी । विमान क्षेत्र के लिए साफ 'ऐप्रोचों' की भी आवश्यकता होगी । कार-वेल अथवा बोइंग 737 विमानों के परिचालनों के लिए तो और भी अधिक लम्बे धावन-पथ की आवश्यकता होगी । राज्य अधिकारियों की सहायता से शिमला से उचित दूरी के अंदर अंदर एक उपयुक्त स्थान का निर्धारण करने के प्रयत्नों के बावजूद, अभी ऐसा स्थान ढूंढा नहीं जा सका है । पिछली जून में कुछ और स्थानों की जांच की गयी थी । तथा उनमें से एक के संबंध में यह जानने के लिए और आगे सूचना प्राप्त की जा रही है कि क्या वह आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति करता है ।

Supply of Kendu leaves by M.P. Forest Corporation to a Foreign Tobacco Industrial Corporation

*98. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Forest Corporation has entered into any agreement with a foreign Tobacco Industrial Corporation for the supply of Kendu leaves; and

(b) if so, the name of the Corporation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George):(a) No, Sir. There has no organisation known as Madhya Pradesh Forest Corporation.

(b) Does not arise.

जीवन बीमा निगम के एजेंटों का कमीशन

*99. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जीवन बीमा निगम के एजेंटों की कमीशन दरों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ; और यदि हां, तो कब किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : भारत के जीवन बीमा निगम के एजेंटों के कमीशन की दरों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जन पथ, रणजीत तथा लोधी होटलों के कर्मचारियों द्वारा अधिक बोनस की मांग

803. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनपथ, रणजीत तथा लोधी होटलों के कर्मचारियों ने अधिक बोनस की मांग की है और उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में हाल में प्रदर्शन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) जी, हां। जनपथ, रणजीत और लोधी होटलों के कर्मचारियों ने 20 प्रतिशत बोनस की अपनी मांग के बारे में 20-10-73 को प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के साथ-साथ कुछ घंटों के लिये आंशिक रूप से काम भी रोक दिया गया था, हालांकि इस मामले पर भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधक वर्ग के साथ अभी विचार-विमर्श चल ही रहा था और आगे की बात-चीत के परिणामस्वरूप भारत पर्यटन विकास निगम और तीनों होटलों के कर्मचारियों ने गत वर्ष की भांति 18 प्रतिशत बोनस की अदायगी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये ।

अखिल भारतीय विद्युतचालित करघा बोर्ड की स्थापना

804. **श्री धामनकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विद्युत चालित करघा उद्योग का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिये तथा उत्पादन के विविधीकरण के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध कराने के लिये हथकरघा बोर्ड के आधार पर अखिल भारतीय विद्युतचालित करघा बोर्ड स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कब स्थापित करने की संभावना है ; और

(ग) क्या बिक्री बढ़ाने हेतु बेहतर टेकानालोजी किस्म तथा डिजाइन की शिक्षा के लियें इसमें रिसर्च तथा डिजाइन सेल भी होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Modification in Export Policy

805. **Shri Shiv Kumar Shashtri:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to modify their export policy; and

(b) if so, the reasons therefore and the broad outlines of the proposed modifications?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) & (b) The Government has set up a Group under the Chairmanship of Prof. S. Chakarvarty Member Planning Commission to recommend a long term strategy for the Fifth Five Year Plan and beyond. One of the terms of reference ofthe Group is to review the Export Policy Resolution of 1970 and suggest amendments thereto.

As the work of the Group is in preliminary stages, at the present moment no indication of the proposed modifications, if any, can be given.

गैर-परियोजना के लिए बैल्जियम के साथ करार

806. **श्री भागीरथ भंवर**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-परियोजना ऋण के लिए वैल्जियम के साथ करार पर अक्तूबर 1973 के तीसरे सप्ताह में विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की राशि से किस प्रकार के गैर-परियोजना मदों का उत्पादन किया जाएगा ; और

(ग) क्या वैल्जियम से कुछ माल खरीदने का प्रस्ताव भी ऋण करार में किया गया है और यदि हां, तो वह माल किस प्रकार का होगा और ऋण कितनी अवधि के लिये होगा और उस पर सूद की दर क्या होगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 19 अक्टूबर 1973 को ब्रसेलज में भारत और वेल्जियम की सरकारों के बीच 25.00 करोड़ वैल्जियम फ्रैंक (केन्द्रीय विनियम दर के अनुसार 4.05 करोड़ रूपये) के लिए सामान्य प्रयोजन ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

(ख) इस ऋण का उपयोग भारतीय उद्योगों के लिए पूंजीगत उपकरणों, कच्चे माल औरअतिरिक्त पुर्जों तथा संघटकों का आयात करने के लिए किया जा सकता है ।

(ग) ऋण की रकम में 7.5 करोड़ बैल्जियम फ्रैंक (121.5 लाख रूपये) की ऋण राहत भी शामिल है । तह रकम नकद ली जाएगी । शेष रकम बल्जियम मूल की वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए उपलब्ध होगी ।

इस ऋण पर 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा और यह 30 वर्षों की अवधि में वापस किया जाना है जिसमें 10 वर्षों की प्रारम्भिक रियायती अवधि भी शामिल है ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अनुसरण में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा फर्मों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

807. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अनुसरण में रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा विदेशी और भारतीय फर्मों के मार्गदर्शन के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) क्या वे उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 की धारा 29 के प्रशासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाएं जा रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दिये जाने पर उनकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत को अखबारी कागज सप्लाई करने के सम्बन्ध में बंगला देश के साथ करार

808. **श्री वरके जार्ज :**
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में भारत को अखबारी कागज की सप्लाई करने के संबंध में बंगला देश के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) करार में 28 सितम्बर, 1973 से 27 सितम्बर, 1974 तक की अवधि के दौरान 4.50 करोड़ रुपये के मूल्य के अखबारी कागज तथा कम ग्रमेज वाले कागज के आयात की व्यवस्था है। माल अभी तक रवाना नहीं हुआ है ।

अक्तूबर, 1973 में भारत-ईरान व्यापार वार्ता

809. **श्री वरके जार्ज :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1973 में कोई नई भारत-ईरान व्यापार वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है और हस्ताक्षर किये गये करार की मुख्य मुख्य

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रोजवुड निर्यात बन्द करने के मामले में केरल सरकार द्वारा बताई गई प्रक्रिया की अन्तर्निहित बातें

810. **श्री वरके जार्ज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 809 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजवुड निर्यात बन्द करने के मामले में केरल सरकार द्वारा बतायी गई प्रक्रिया की अन्तर्निहित बातों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) केरल सरकार का यह सुझाव कि निर्यात के लिये मंजूर किये जाने वाले रोजवुड की मात्रा के संबंध में उनसे परामर्श लिया जाना चाहिए, सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

Increase in export of engineering goods

811. **Shri Shiv Kumar Shashtri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the exports of Engineering goods during this year as compared to the last two years have registered any increase; and

(b) the value of exports of the Engineerings goods during 1971-72, 1972-73 and the first six months of the current year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) Yes, Sir.

(b) Exports of engineering goods during 1971-72, 1972-73 and the first 6 months of the current years have been as follows:—

Year	Value
1971-72	Rs. 126.04 Crores
1972-73	Rs. 150.50 Crores
1973-74 (Aprl.-Sept., '73)	Rs. 68.00 Crores (estimated)

Source:—EEPC, Calcutta.

बैंक आफ इंण्डिया की शाखाओं द्वारा गोआ में की गयी जांच/निरीक्षण के परिणाम

812. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ इंडिया ने गोआ शाखाओं के संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई निरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा किन आरोपों की जांच की गयी ;

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(घ) संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) प्रबंधक, गोआ परिमंडल शाखाएं, बैंक आफ इंडिया के कार्यालय की लेखा परीक्षा बैंक के आन्तरिक लेखा परीक्षकों के द्वारा जनवरी और अक्टूबर, 1972 के दौरान की गयी थी । बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत इन कार्यालयों का निरीक्षण जनवरी, फरवरी, 1973 में भी किया गया था ।

(ख) 1972 में बैंक की आन्तरिक लेखा परीक्षा से कुछ अनधिकृत खर्चों तथा अग्रिमों के मामले में 1968—72 के दौरान गोआ परिमंडल शाखाओं के प्रबंधक द्वारा की गयी अन्य अनियमितताओं का पता चला । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन और अनुवीक्षणाधीन अधिकारी के व्यक्तिगत खाते में कुछ अनियमितताएं भी सामने आयीं । 1973 नें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये बैंक के मुख्य कार्यालय के निरीक्षण से, बैंक के कर्मचारी अधिकारी द्वारा, 1967 में जब वह गोआ परिमंडल शाखाओं का प्रबंधक था, किये गये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की कुछ धाराओं के उल्लंघन का पता चला है ।

(ग) और (घ) गोआ परिमंडल शाखाओं के प्रबंधक द्वारा 1968—72 में अग्रिमों के मामले में की गयी अनियमितताओं और 1972 में आन्तरिक लेखा-परीक्षा के दौरान पाए गए अनधिकृत व्यय के मामले बैंक के निरीक्षणाधीन हैं तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न विचाराधीन है । अनुवीक्षणाधीन अधिकारी के मामले में, उसे, विदेशी मुद्रा विनियमन के उल्लंघन की जांच करने के लिये निर्धारित अधिकारियों द्वारा दोषी पाया गया । बैंक आफ इंडिया द्वारा विभागीय जांच की गयी तथा उसे उचित सजा दी गयी । जहां तक एक कर्मचारी अधिकारी द्वारा, जब वह 1967 में गोआ परिमंडल का प्रबन्धक था, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की कुछ धाराओं के उल्लंघन का प्रश्न है, जिसका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1973 में किये गये बैंक आफ इंडिया के मुख्य कार्यालय के निरीक्षण के दौरान पता चला, उसे दोषी पाया गया तथा संबंधित अधिकारी द्वारा उसे उचित दंड दिया गया । उसके द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में बैंक द्वारा विभागीय जांच की गयी थी तथा उसे उचित दंड दिया गया था ।

मैसर्स अमृतसर शूगर मिल्स लिमिटेड को स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा दिये गये ऋण

813. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया ने मेसर्ज अमृतसर शूगर मिल्स लिमिटेड को लाखों रुपये के ऋण दिये थे ;

(ख) क्या इसके लिए बैंक के प्रबंधकों पर कोई राजनैतिक दबाव डाला गया था ; और

(ग) यदि हां, तो राजनैतिक दबाव को रोकने तथा उक्त ऋण को वसूल करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : भारतीय स्टेट बैंक ने मई, 1972 में मैसर्स अमृतसर शूगर मिल्स कंपनी लिमिटेड को नकद ऋण देने की सीमा स्वीकृत की थी। इस ऋण को मंजूर करने में बैंक पर किसी प्रकार का राजनैतिक दबाव नहीं डाला गया। इसलिए सरकार द्वारा राजनैतिक दबाव रोकने के लिए कदम उठाये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। भारतीय स्टेट बैंक ने सुचित किया है कि वह ऋण वसूली के लिए पर्याप्त उपाय कर रहा है। तथापि, ऋण कितना स्वीकार किया गया और बैंक इस संबंध में क्या कदम उठा रहा है, इस प्रश्न का संबंध ग्राहक के खाते से है इसलिए बैंकरों में प्रचलित परिपाटियों और प्रथाओं के अनुसार और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के उपबंधों के अनुरूप इस प्रकार की सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

यात्री यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विमानों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन

814. **श्री घामनकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के विमान-बेड़ों में इस समय कितने विमान हैं ;

(ख) क्या बढ़ते हुए यात्री यातायात की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए विमान आवश्यकताओं का कोई अध्ययन किया गया था/किया गया है ; और

(ग) विमान बेड़ों में वृद्धि करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है तथा उसकी कुल लागत क्या होगी और उसे कैसे पूरा किया जायेगा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े में विमानों की वर्तमान संख्या निम्न प्रकार है :—

विमान	विमान संख्या
एयर इंडिया :	
बोइंग 707-437	4
बोइंग 707-337 बी	3
बोइंग 707-337 सी	2
बोइंग 747-237	4
इंडियन एयरलाइंस :	
बोइंग 737	6
कारवेल (विदेश से पट्टे पर लिये गये दो विमानों सहित)	8
वाइकाण्ट	5
एफ–27	9
एच०एस०–748	15
डी०सी०–3	7

(ख) दोनों कारपोरेशनों द्वारा यातायात वृद्धि का, तथा यात्री एवं माल दोनों प्रकार के यातायात की बढ़ती हुई मांगों की यथेष्ट रूप से पूर्ति के लिये विमानों की आवश्यकताओं के मूल्यांकन का निरंतर अध्ययन किया जाता है ।

(ग) सरकार की अनुमति से इंडियन एयरलाइंस ने फ्रांस के मैसर्स एयरबस उद्योग से 25,000 अमरीकी डालर प्रति विमान प्रति मास की दर से तीन कारवेल 6 एन विमानों को फिलहाल 18 महीनों के लिये पट्टे पर लेने का प्रबंध किया है सरकार ने इंडियन एयरलाइंस द्वारा चार बोइंग 737 विमानों को एक विमान मई, 1973 में नष्ट हुये विमान के स्थान पर तथा शेष तीन अपनी विमान क्षमता में वृद्धि करने के लिये खरीदने की भी अनुमति प्रदान कर दी है । नष्ट हुये विमान के स्थान पर लिये जाने वाले विमान की लागत 5,001,676 अमरीकी डालर है, तथा अन्य तीन बोइंग विमानों की प्रति विमान मूल कीमत 5,473,551 अमरीकी डालर है । नष्ट हुये विमान के स्थान पर लिये जाने वाले विमान की लागत का मूल्य बीमे की राशि और उस पर अर्जित व्याज से पूरा किया जायेगा, तथा अन्य तीन बोइंग की लागत के 90 प्रतिशत का वित्त-व्यवस्था विदेशों से उद्ग्रहीत ऋणों से की जायेगी ।

एयर इंडिया का एक बोइंग 747 विमान खरीदने का प्रस्ताव है और वे पहले ही एक आशय-पत्र जारी कर चुके हैं । विमान की अनुमानित लागत 27,061,300 डालर है । विदेशी मुद्रा लागत के 90 प्रतिशत भाग की व्यवस्था विदेशों से उद्गृहीत ऋणों से की जायेगी ।

वर्ष 1973 के दौरान ऐलकील बैंजीन का आयात

815. **श्री धामनकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने केवल ग्राहकों के लिये अच्छे मूल्य प्राप्त करने में असफल रहा है बल्कि ऊंचे दामों पर भी ऐलकील बैंज़ीन का क्रय नहीं कर सका यद्यपि इसे पहले ही उचित समय पर चेतावनी दी जा चुकी थी कि इस वस्तु की सप्लाई विश्व बाजार में कम है और इसके मूल्य बढ़ जाने की संभावना है ;

(ख) वास्तविक आवश्यकताओं के लिये राज्य व्यापार निगम ने क्या क्या वायदे किये थे ;

(ग) 1973 के दौरान (31-10-73 तक) माहवार कितने मूल्य और मात्रा का आयात किया गया है ; और

(घ) उत्पादन के बनाये रखने के लिये इस आयातित कच्चे माल की सप्लाई में कमी को सरकार किस तरह पूरा करना चाहती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं । राज्य व्यापार निगम ने देश में वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये काफी मात्रा में डोडेसिल ऐलकील बैंज़ीन की खरीद की थी ।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने 1973 के लिये 18,000 से 20,000 मी० टन की कुल आवश्यकता के आधार पर 17,850 मी० टन ऐलकील बैंज़ीन के क्रय के लिये संविदाएं सम्पन्न की है ।

(ग) अक्तूबर, 1973 के अन्त तक राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई ऐलकील बैंज़ीन की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिये गये हैं:

माह	मात्रा (मी० टन में)	मूल्य (लाख रू० में)
1	2	3
जनवरी 73 . . .	1044.689	14.19
फरवरी ,, .	1491.080	20.27
मार्च ,,	3648.424	51.25
अप्रैल ,,	1314.826	18.40
मई ,,	228.147	3.19
जून ,,	909.694	12.73
जुलाई ,,	2637.244	36.91
अगस्त ,,	598.040	8.40
सितम्बर ,,	1000.000	18.00
अक्तूबर ,, ...	800.000	18.81
	13672.144	202.15

(घ) राज्य व्यापार निगम ने चालू वर्ष के लिये पहले ही इस रासायनिक पदार्थ को काफी मात्रा में खरीद लिया है और वर्ष 1974 के लिये काफी मात्रा में खरीद करने के लिये बातचीत कर ली है ।

उद्योग को ऐलकील बैंजीन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये उपाय

816. **श्री धामनकर:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐलकील बैंज़ीन (हाई टाइप) जिसका आयात मूल्य लगभग लागत बीमा, भाड़ा सहित 160 डालर प्रति मीटरी टन है इस समय लागत बीमा, भाड़ा सहित 250 डालर प्रति मीटरी टन की दर पर भी मिलना दुलर्भ है जबकि ऐलकील बैंजीन (सोफ्ट टाईप) का भारत में आयात नगण्य था क्योंकि लागत, बीमा भाड़ा सहित इसका मूल्य लगभग 290 डालर प्रति मीटरी टन था जो कि उद्योग के लिये आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं था इसमें विदेशी मुद्रा भी अन्तर्ग्रस्त थी ;

(ख) उद्योग को पर्याप्त मात्रा में ऐलकील बैंज़ीन उपलब्ध कराने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) ऐलकील बैंज़ीन के ऊंचे मूल्यों को देखते हुए प्रज्ञालकों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि वास्तविक उपयोक्ताओं को दिक्कत न हों और उद्योग, विशेष कर लघु उद्योग पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) दूषण समस्याओं के कारण काफी निर्माताओं ने हार्ड डोडिसाइल बैंजीन का उत्पादन करना बन्द कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में डोडिसाइल बैंजीन की कीमतें बढ़ गई हैं तथा हार्डडोडिसाइल बैंजीन लगभग उसी अथवा कुछ ऊंची कीमत पर उपलब्ध हैं जिस कीमत पर डी० डी० बी० उपलब्ध है।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने 1475 मे० टन साफ्ट ऐलकील बैंजीन पहले ही खरीद लिया है जिसमें से 800 मे० टन प्राप्त हो चुका है तथा जिसका आवंटन वास्तविक उपभोक्ताओं को कर दिया गया है। राज्य व्यापार निगम ने अतिरिक्त सप्लाई प्राप्त करने के लिये अक्तूबर 1973 में एक क्रेता प्रतिनिधिमण्डल, जिसमें वास्तविक प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि भी शामिल थे, यूरोप को भेजा तथा केमिकल बैंजीन की 17000 मे० टन की सप्लाई के लिये बातचीत सम्पन्न हुई थी। 1974 के लिये उपयुक्त सप्लाई की सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमरीका से और सप्लाई हेतु बातचीत करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ग) क्योंकि विश्व बाजार में पैट्रो केमिकल की कीमतों में काफी तेजी आई है, अतः उद्योग की आवश्यकताएं चालू अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर ही पूरी की जानी हैं। किन्तु, जब कभी आई० पी० सी० एल० में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा तब उद्योग को कम कीमतों पर रासायनिक पदार्थ देना सम्भव हो जायेगा।

गत तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किये गये युवक छात्रावास

817. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, आन्ध्र प्रदेश में कितने युवक छात्रावास (यूथ होस्टल) की स्थापना की गई ; और

(ख) यह स्थापना किन-किन स्थानों पर की गई तथा परियोजना वार उनका अनुमानित व्यय और कार्य की प्रगति क्या है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) युवा होस्टल 1 ;

(ख) स्थान — हैदराबाद ;

अनुमानित लागत — 3.12 लाख रुपये ;

कार्य की प्रगति — निर्माण कार्य अभी-अभी पूरा हुआ है ; अब फर्निशिंग का कार्य हाथ में लिया जा रहा है।

देश में हथकरघों तथा विद्युत्चालित करघों की बुनाई क्षमता

818. **श्री के० कोट्टा रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार, हथकरघों तथा विद्युत्चालित करघों की बुनाई क्षमता क्या है;

(ख) क्या उनका मंत्रालय पांचवीं योजना में विद्युत्चालित करघों की अपेक्षा हथकरघों को प्राथमिकता देने के बारे में विचार कर रहा है; और

(ग) हथकरघों के लिये अन्य कौनसी प्राथमिकताएं तथा सुविधाएं देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें देश में, राज्यवार हथकरघों तथा विद्युत्चालित करघों की संख्या दिखाई गई है। बुनाई क्षमता के बारे में ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी मोटे तौर पर और सूत की खपत के आधार पर ऐसा अनुमान है कि एक हथकरघे की उत्पादन क्षमता लगभग पांच मीटर कपड़ा प्रति दिन और विद्युत्चालित करघे की लगभग 30 मीटर कपड़ा प्रतिदिन है।

(ख) तथा (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना जिसमें हथकरघा तथा विद्युत्चालित उद्योगों के विकास के लिये कार्यक्रम शामिल हैं, अभी तैयार की जा रही है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों विकेन्द्रित क्षेत्र में हथकरघों तथा विद्युत्चालित करघों की संख्या।

क्रमांक	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	हथकरघों की संख्या	विद्युतचालित करघों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	5,97,000	6,353
2.	असम	5,90,480	752
3.	बिहार	2,00,820	4,159
4.	गुजरात	34,069	57,892
5.	हरयाणा	8,991	1,088
6.	हिमाचल प्रदेश	2,136	54
7.	जम्मू तथा काश्मीर	उपलब्ध नहीं	39
8.	केरल	71,325	2,662
9.	मध्य प्रदेश	52,738	10,033
10.	महाराष्ट्र	1,85,000	1,13,065
11.	मणिपुर	2,00,259	22
12.	मैसूर (कर्नाटक)	1,37,000	21,824
13.	नागालैंड	50	6
14.	उड़ीसा	87,281	1,243
15.	पंजाब	18,000	18,027
16.	राजस्थान	1,41,750	4,440
17.	तमिलनाडु	5,50,000	23,087
18.	त्रिपुरा	10,000	24

1	2	3	4
19.	उत्तर प्रदेश	5,09,400	14,809
20.	प० बंगाल	1,60,030	8,637
21.	दादर नागर हवेली	कुछ नहीं	154
22.	दिल्ली	2,800	1,595
23.	गोग्रा	187	122
24.	पांडिचेरी	4,047	1,059
25.	कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र	उपलब्ध नहीं	68
	योग	35,63,363	2,91,204

समुद्र तटीय क्षेत्र में तटों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिए ग्रान्ध्र प्रदेश सरकार की ग्रोर से ग्रनुरोध

819. **श्री के० कोड्डा रामी रेड्डी :** क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रान्ध्र प्रदेश सरकार ने ग्रपने लम्बे तटीय क्षेत्र में कुछ तटों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार से ग्रनुरोध किया है;

(ख) यदि नहीं तो क्या स्वयं केन्द्रीय सरकार के पास ऐसे कोई प्रस्ताव हैं; ग्रौर

(ग) यदि हां तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

संचार तथा पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) ग्रान्ध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम में एक समुद्र तटीय विहार-स्थल के विकास के लिए ग्रपनी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में स्वयं ही एक स्कीम सम्मिलित की है ।

(ख) ग्रौर (ग) ग्रान्ध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में समुद्र तटीय तथा पर्वतीय विहार स्थलों के रूप में नए क्षेत्रों का विकास करने की सम्भावनाग्रों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ।

ग्रान्ध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए मंजूर की गई होटल परियोजनाग्रों को पूरा करना

820. **श्री के० कोड्डा रामी रेड्डी :** क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रान्ध्र प्रदेश के हैदराबाद, विजयवाड़ा, राजामुन्दरी, खम्माम, जी, तरुपती तथा करनूल के लिये मंजूर की गई होटल परियोजनाग्रों में से किसी को पूरा कर लिया गया है ग्रौर यदि नहीं तो इनके निर्माण की ग्रवस्था क्या है;

(ख) इनकी ग्रनुमानित लागत कितनी है ग्रब तक कितना व्यय किया गया है कितने कमरे ग्रौर बनाये जायेंगे ये किस किस स्तर के होंगे ग्रौर प्रत्येक परियोजना कितनी ग्रवधि में पूरी हो जायेगी;

(ग) क्या इनके अतिरिक्त हाल में और होटल मंजूर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनकी लागत क्या है, किन-किन स्थानों पर बनाये जायेंगे और प्रत्येक परियोजना में कितने कमरे बनाये जायेंगे ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (घ) : पर्यटन विभाग द्वारा विदेशी पर्यटकों के लिए उपयुक्तता की दृष्टि से होटल प्रायोजनाओं का अनुमोदन तथा उनका पूरा किया जाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । इन स्थानों पर पूरी की जाने वाली नवीनतम होटल प्रायोजना राजामुन्दरी में पंचवटी होटल था जिसने कि 22 कमरों के साथ सितम्बर 1972 में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया ।

होटल प्रायोजनाएं क्योंकि निजी क्षेत्र में प्रारम्भ की जा रही हैं इसलिए ठीक-ठीक विवरण जैसे उन पर अभी तक किया गया व्यय, निर्माण की अवस्था पूरा होने की सम्भावित अवधि आदि पर्यटन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है । तथापि, इन स्थानों के लिए अनुमोदित होटल प्रायोजानओं की एक सूची संलग्न है जिसमें होटल प्रवर्त्तकों द्वारा दी गयी अपनी प्रायोजनाओं के अनुमोदन के लिए आवेदन करते समय बनाये जाने वाले कमरों की सम्भावित संख्या तथा प्रत्येक प्रायोजना की अनुमानित लागत का विवरण भी सम्मिलित है । जहां तक इन प्रायोजनाओं के दर्जे का सम्बन्ध है जिस श्रेणी के ये पात्र हैं उसका निर्धारण तभी किया जा सकेगा जब इनका अपना कार्य करना प्रारम्भ कर देने के उपरान्त श्रेणी निर्धारण के उद्देश्य से निरीक्षण कर लिया जाएगा ।

विवरण

प्रायोजना का स्थान	होटल प्रायोजना/प्रवर्तक का नाम	कमरे	अनुमानित लागत
1	2	3	4
			(लाख रुपयों में)
हैदराबाद	हैदराबाद होटल्स (प्रा०) लिमिटेड	54	15.00
	सुरभि होटल	90	33.50
	नटराज होटल	117	53.50
	त्रिवेणी होटल	63	37.19
	होटल सागर व्यू (प्रा०) लिमिटेड	56	16.60
	बनजारा होटल	101	95.80
	फ़लकनुमा होटल्स (प्रा०) लिमिटेड	88	180.00
	होटल पार्कलेन प्रा० लिमिटेड	48	29.00
	अन्नपूर्णा एन्टर प्राईज़ेज़	69	20.50
	लेक एण्ड राक इण्डिया प्रा० लिमिटेड	100	100.00
	शिवहर्ष होटल्स प्रा० लिमिटेड	204	92.00
विजयवाड़ा	विजयविहार होटल	41	6.50

1	2	3	4
खमाम	मैसर्स एस० वेंकट राव एण्ड ब्रास०	44	5.35
	श्री कोना पट्टाभी रमैया	18	2.40
	श्री वसी रेड्डी नगेश्वर	28	5.48
	किनेरा होटल्स प्रा० लिमिटेड .	26	6.00
तिरूपति	होटल गोविन्द .	40	38.65
	गौतम होटल प्रा० लिमिटेड	40	19.25
करनूल	न्यू वुडलैण्ड्स होटल	45	10.00

आवश्यक वस्तुओं की कमी

821. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक भागों में आवश्यक वस्तुओं की अत्यधिक कमी अभी तक बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान बेहद सूखा बिजली की व्यापक कटौती तथा श्रम समस्याओं के कारण कृष्य तथा औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई जिससे देश के विभिन्न भागों में आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई ।

(ग) सरकारी वितरण व्यवस्था को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं । उचित कीमतों की दुकानों की संख्या बढ़ा दी गई है । 1-11-72 से नियंत्रित किस्मों के कपड़े के वितरण की एक नई योजना भी शुरू की गई है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आम उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने पर काफी बल दिया गया है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में खाद्यान्नों के उत्पादन में 22 प्रतिशत, चीनी तथा गुड़ में 28 प्रतिशत, वनस्पति तेल में 30 प्रतिशत तथा सूती कपड़े के उत्पादन में 30 प्रतिशत वृद्धि की परिकल्पना की गई है ।

इसमें कम से कम कमजोर वर्ग के लिये उचित स्थिर कीमतों पर आवश्यक उपभोक्ता माल की सुनिश्चित सप्लाई के लिये एक पर्याप्त वसूली तथा वितरण प्रणाली की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है ।

राष्ट्रमंडल वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में बड़ी जहाजरानी कम्पनियों के विरुद्ध सुझाए गए उपाय

822. **श्री एच० एम० पटेल :**
श्री एम० सुदर्शनम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दारु-ए-स्लाम में हाल के राष्ट्रमंडल वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि विकासशील देशों को मुख्य जहाजरानी कम्पनियों के खिलाफ यदि वे इस वर्ष के अन्त तक वास्तव में कोई प्रगति नहीं कर सकती हैं एकपक्षीय कार्यवाही आरम्भ करनी चाहिए;

(ख) इस बारे में सम्मेलन में क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एक अध्ययन में, जो राष्ट्रमण्डल सचिवालय ने राष्ट्रमण्डल के देशों की जहाजरानी संबन्धी समस्याओं के बारे में तैयार करवाया था, लेखक ने यह आशा व्यक्त की थी कि सभी सरकारें लाइनर सम्मेलनों के लिए एक आचार संहिता पर सहमत न हो सकने की अपनी असमर्थता से उत्पन्न होने वाली पेचिदगियों पर पूरी तरह से विचार करेंगी । उसने यह आशंका व्यक्त की थी कि यदि इस बारे में कोई सहमति नहीं होती तो असफलता तथा भविष्य के प्रति संशय से उत्तेजित होकर बहुत सी सरकारें एक तरफा कार्रवाई कर सकती हैं जिसका अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों से कोई सम्बन्ध न हो तथा जिससे जहाजरानी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को भारी हानि हो सकती है ।

(ख) और (ग) वहां पर जहाजरानी के प्रश्न पर कोई निर्णयक बातचीत नहीं हो सकी । मंत्रियों ने जहाजरानी के विषय में आयोग के अध्ययन की सिफारिशों को नोट किया और राष्ट्रमण्डल सचिवालय के महासचिव से कहा कि तकनीकी सहायता से सम्बद्ध जितनी सिफारिशें व्यवहार्य हों उन्हें राष्ट्रमण्डल तकनीकी सहयोग निधि के माध्यम से कार्यान्वित किया जाए । मंत्रियों ने इस बात पर विचार किया कि इस सारे विषय पर राष्ट्रमण्डल के व्यापार मंत्रियों की एक बैठक में उपयोगी ढंग से बातचीत की जा सकती है ताकि राष्ट्रमण्डल के सन्दर्भ में कार्रवाई करने के बारे में कोई निश्चय किया जा सके ।

उड़ीसा में बाढ़ से हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिये केन्द्रीयदल

823. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की बाढ़ द्वारा हुई क्षति का अनुमान लगाने और राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता की सिफारिश करने के लिये केन्द्रीय दल ने उड़ीसा का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा क्या सिफारिश की गई है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितना नियतन किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) केन्द्रीय दलों ने जुलाई—सितम्बर 1973 और नवम्बर 1973 में हुई भारी वर्षा के कारण होने वाली बाढ़ की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए सितम्बर और नवम्बर में उड़ीसा राज्य का दौरा किया था । केन्द्रीय दलों की रिपोर्ट की इन्तजार हो रही है । इस बीच में उनकी तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्य सरकार को 3 करोड़ रुपये की रकम दे दी गयी है । और सहायता देने के लिए व्यय की प्रगति और दलों की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाएगा ।

बिजली की सप्लाई में कटौती के कारण सूती धागे के उत्पादन को क्षति

824. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में बिजली की सप्लाई में कटौती के कारण धागे के उत्पादन तथा उपलब्धता में गम्भीर क्षति हुई है ।

(ख) यदि हां तो उत्पादन की अनुमानित कमी कितनी है;

(ग) क्या सूती धागे की उत्पादन प्रणाली धागे के मूल्यों तथा वितरण का पुनरीक्षण करने तथा इसमें कोई सुधार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जनवरी 1973 के उत्पादन की तुलना में फरवरी से जून 1973 के दौरान उत्पादन में 80 से 120 लाख कि० ग्रा० प्रति मास तक गिरावट आई ।

(च) तथा (घ) सूती धागे के उत्पादन के तरीके कीमतों तथा वितरण पर कानूनी नियंत्रण 13 मार्च 1973 से लगाया गया था । नियंत्रण की योजना का निरन्तर पुनरावलोकन किया जाता है । जून 1973 से बिजली की कटौती समाप्त करने के फलस्वरूप उत्पादन में सुधार होने के कारण 80 काउंटों तक के धागे के वितरण पर नियंत्रण में धीरे धीरे ढील दे दी गई । धागा नियंत्रण आदेश की सांवैधानिक वैधता को एक सूती धागा उत्पादक ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है । नियंत्रण आदेश में कोई संशोधन करने के प्रश्न पर इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाये जाने के पश्चात् विचार किया जा सकता है ।

वित्तीय निकायों के लिए एक होल्डिंग कम्पनी बनाना

825. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रशासनात्मक विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से वित्तीय निकायों के लिए एक होल्डिंग कम्पनी बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) जी हां । सरकार उद्योग को प्रोत्साहन अथवा विकास के कार्य में लगी सभी वित्तीय संस्थाओं के बीच अधिक समन्वय लाने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को पुर्नगठित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है । प्रस्ताव की अन्तिम रूप से जांच की जा रही है और आशा है सरकार यथाशीघ्र उचित कानून लागू करेगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रधान उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए श्वेत पत्र को तैयार करना

826. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 सितम्बर 1973 को नई दिल्ली में आयोजित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारियों और जन सम्पर्क अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन में यह सिफारिश की गई है कि सरकार को समग्र रूप से सरकारी क्षेत्र के प्रधान उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए श्वेत पत्र तैयार करना चाहिये और वह उसे संसद द्वारा अनुमोदित कराये;

(ख) यदि हां तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्मेलन में की गई सिफारिशें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के लक्ष्यों का विवरण तैयार करने का काम पहले ही सरकारी उद्यम कार्यालय में हाथ में ले लिया गया है जिसमें सरकारी उद्यमों, प्रशासनिक मंत्रालयों और एक प्रबन्ध संस्थान को भी शामिल किया गया है ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता के अलावा, सम्मेलन ने निम्नलिखित सिफारिशें भी की :

(क) एक अलग लोक सम्पर्क विभाग की स्थापना जिसमें व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त और अनुभवी कार्मिक हों;

(ख) कुल मिलाकर सारे सरकारी क्षेत्र का सम्पूर्ण स्वरूप उभारने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने के निमित्त एक केन्द्रीय कक्ष की स्थापना जिसमें सरकारी प्रतिनिधि, सरकारी उद्यमों के लोक सम्पर्क प्रबन्धक आदि हों;

(ग) निश्चय करने की प्रक्रिया में लोक सम्पर्क एककों की पहुंच होनी चाहिए ;

(घ) राज्यों की राजधानियों में ऐसी समन्वय समितियों को सक्रिय बनाना चाहिए जिनमें माध्यमों और उद्यमों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ।

(ङ) सरकारी क्षेत्र की सूचना देने की प्रणाली में गुणात्मक सुधार होना चाहिए, ताकि जीवन और समुदाय की बदलती हुई गुणवत्ता पर उनके अंशदान और प्रभाव को प्रकट किया जा सके ।

(च) सरकारी उद्यम कार्यालय को केन्द्रीय सूचना संग्रह और वितरण प्रणाली के रूप में कार्य करना चाहिए;

(छ) प्रत्येक संगठन के कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और सर्वसाधारण के लिये उपयुक्त संचार कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए ;

(ज) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सरकारी सूचना अभिकरणों और उद्यमों के लोक सम्पर्क अधिकारियों के बीच अधिक समन्वय होना चाहिए;

(झ) जनता को सूचना देने के लिए फिल्मों और टेलीविजन माध्यम के अधिक प्रयोग पर विचार किया जाना चाहिए; और

(ञ) सरकारी क्षेत्र के कार्य पर प्रकाश डालने, लोक सम्पर्क आयोजना के कार्यक्रम बनाने और जन सम्पर्क के माध्यमों के प्रयोग के बारे में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अधिक सहयोग होना चाहिए ।

पब्लिक सैक्टर कन्स्ट्रक्सन और फैब्रीकेशन अंडरटेकिंग्स के लिए होल्डिंग कम्पनी

827. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, पब्लिक सैक्टर कंस्ट्रक्शन और फैब्रीकैशन अण्डरटेकिंग्स के लिए ठेके प्राप्त करने के लिए उनके बीच बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए, एक होल्डिंग कम्पनी बनाने पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या इस समय ये संगठन एक दूसरे के विरुद्ध निविदाएं भर रहे हैं जिससे लाभ बहुत कम हो जाता है और क्या परियोजनाओं की कमी के कारण बहुत से उपक्रम वर्षों पहले अपने कर्मचारियों और उपकरणों के विकास का कार्यक्रम बनाने में असमर्थ होते हैं; और

(ग) क्या सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो द्वारा बुलाई गई बैठक में इन सभी बातों पर विचार कर किया गया था और यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) यद्यपि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न निर्माण संगठनों के हितों में परस्पर कुछ विरोध हो सकता है किन्तु अस्वस्थ प्रतियोगिता के बारे में कोई शिकायतें नहीं हुई हैं । 1972-73 के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार इन सभी संगठनों ने लाभ कमाया है ।

(ग) जी, नहीं ।

सरकारी उपक्रमों के कार्य में सुधार करने के लिए उठाये गये कदम

828. **श्री पुरुषोत्तम कोकोडकर :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों के निकट भविष्य में पूरी क्षमता पर काम करने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में व्यावसायिक दृष्टि से निपुण व्यक्तियों को रखने, कर्मचारियों के और औद्योगिक सम्बन्ध में निगमित आयोजन, उत्पादन और आयोजन को सुदृढ़ बनाने/करने के लिए सरकार कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार इस बारे में आतुर है कि सरकारी क्षेत्र में निर्मित समता का यथासम्भव शीघ्र अधिकतम प्रयोग किया जाय । आशा है कि हाल में उठाये गये कुछ कदमों के परिणामस्वरूप, अगले एक से तीन वर्षों में 12 बड़े निगम पूर्ण क्षमता से काम करने लगेंगे ।

(ख) और (ग) क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिए निम्नलिखित मुख्य कदम उठाये गये हैं :—

(i) उत्पादन का विवधिकरण;

(ii) अधिक निर्यात प्रयत्न;

(iii) उपकरणों के बेकार पड़े रहने के समय को कम करने के लिए अच्छी तरह अनुरक्षण;

(iv) जहां आवश्यक हो, ऐसे पुर्जों और सामग्रियों का आयात जो देश में उपलब्ध नहीं हैं;

(v) अच्छे प्रबन्ध के जरिये तथा समस्याओं को निपटाने में श्रमिकों का अधिक सहयोग प्राप्त करने का दृष्टिकोण अपनाकर औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार;

(vi) कर्मचारियों के उत्साह और उत्प्रेरण में सुधार;

(vii) प्रबन्ध विकास, सामग्री प्रबन्ध, उत्पादन आयोजन तथा नियंत्रण प्रयोजन के आधार पर प्रबन्ध आदि के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रबन्ध तकनीकों को लागू करना;

(viii) निर्णय करने में तेजी लाने तथा सुधार करने के लिये सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में तथा उद्यमों और सरकारी विभागों में उत्तम समन्वय लाना; और

(ix) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में व्यवसायिक रूप से सक्षम और समकक्ष प्रबन्ध संवर्गों का विकास करने के लिये सरकार विशेष ध्यान दे रही है । पहले कदम की रूपरेखा में पांच वर्ष पहले यह निर्णय किया गया था कि प्रतिनियुक्त पर आये कर्मचारियों पर उद्यमों की निर्भरता को कम किया जाय । प्रशिक्षण कार्य-आवर्तन, वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली, प्रोत्साहन, व्यवसाय आयोजन आदि के जरिये प्रबन्धकारी क्षमता में सुधार करने के लिये इन उद्यमों को विभिन्न उपायों के सम्बन्ध में परामर्श दिया गया है ।

केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों द्वारा स्टाफ कार में की गई निजी यात्रा के लिये भुगतान की गई राशि

829. **श्री मुख्तियार सिंह मालिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 के दौरान केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्री ने स्टाफ कार में की गयी निजी यात्रा के लिये कितनी राशि का भुगतान किया और इसी अवधि के दौरान सरकारी काम से स्टाफ कार द्वारा केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्री ने कुल कितने मील की यात्रा की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मंत्रालयों और विभागों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कच्चे माल का नियतन

830. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने सरकार से कच्चे माल की खरीद में युक्तिसंगत और प्राथमिक व्यवहार की मांग की है : और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) दुर्लभ कच्चे माल का निर्धारण, जिन विभिन्न उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है उन्हें और उत्पादक की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही किया जाता है । इस योजना में, सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का दुर्लभ कच्चे माल के निर्धारण में तरजीही व्यवहार की मांग का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

चालु वर्ष की पहली तिमाही के दौरान निर्यात में गिरावट

831. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष की पहली तिमाही के दौरान निर्यात में 55 प्रतिशत वृद्धि जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था, के स्थान पर 10 प्रतिशत गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हानि को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ग) 1973-74 की प्रथम तिमाही के दौरान वास्तविक निर्यात पिछले वर्ष की इसी तिमाही के निर्यातों से अधिक हुए हैं । इस वर्ष की बाकी अवधि में हमारे निर्यातों को और बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

निर्धारित समय सूची से पीछे चल रही सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

832. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनका कार्य निर्धारित समय सूची से पीछे है;

(ख) प्रत्येक मामले में इनके कार्य के निर्धारित समय से पीछे रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन परियोजनाओं में प्रत्येक परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में निर्धारित निर्माण कार्यक्रम विभिन्न अनुमानों पर आधारित है । जहां पर उचित कारणों से यह अनुमान पूरे नहीं होते हैं, वहां निर्माण कार्यक्रम में संशोधन किये जाते हैं । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में भी देरी होती है जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को पूरा करने में देरी होती है । जिन परियोजनाओं का कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पीछे है उनके सम्बन्ध में सबसे हाल की सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

833. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से किसी उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक अथवा महाप्रबन्धक को सम्बन्धित उपक्रम के खराब कार्यकरण के लिये जिम्मेवार ठहराया गया है; और

(ख) यदि हां तो उनके नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जो हानियां हुई हैं वे प्रबन्ध सम्बन्धी असफलताओं के अतिरिक्त अन्य विभिन्न कारणों से भी हुई हैं जो इस प्रकार हैं : दीर्घ निर्माणाधीन अवधि, कुछ आधुनिकतम उद्योगों में दक्षता के विकास के लिए समय लगना, कच्चे माल, संघटकों अथवा बिजली की कमी, खराब औद्योगिक सम्बन्ध, मांग की अपर्याप्तता आदि । सरकार प्रबन्ध निदेशकों और महाप्रबन्धकों के कार्य पर निरन्तर ध्यान रखती है । सरकारी क्षेत्र की सेवा में उनकी स्थिरता और उन्नति पर विचार करते समय उनके मूल्यांकन को प्रयोग में लाया जाता है । उच्च पदों पर व्यक्तियों की नियुक्तियां ठेके के आधार पर इस शर्त पर की जाती हैं कि वे तीन महीने का नोटिस देने पर समाप्त की जा सकती हैं ।

योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में गठित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्रवाई समिति द्वारा जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जांच की जा रही है उनमें से एक का सम्बन्ध संगठनात्मक ढांचे की पर्याप्तता

और वैयक्तिक उपक्रमों की उच्च कार्मिक आवश्यकताओं से है । संगठनात्मक ढांचे और उच्च प्रबन्धक कार्मिकों में सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं उनका सम्बन्ध राउरकेला इस्ताप संयंत्र, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से है ।

'सी० सी० आई० कांट्रावेज एक्सपोर्ट बेन' शीर्षक से समाचार

834. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 20 सितम्बर, 1973 के 'इकानामिक टाइम्स' में 'सी० सी० आई० कांट्रावेंज एक्सपोर्ट बेन' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने उक्त समाचार को देख लिया है ।

(ख) सी० सी० आई० के बोर्ड ने उक्त रुई के निर्यात को स्वीकार नहीं किया था ।

एयर इंडिया द्वारा टूरिस्ट ट्रांजिट होटल स्थापित करने की योजना

835. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के पर्यटकों के लिये ट्रांजिट-होटल शृंखला स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप-रेखा क्या है और योजना पर कितना व्यय आयेगा; और

(ग) क्या विदेशों में भी ऐसे पर्यटक ट्रांजिट-होटल बनाने का विचार है यदि हां, तो किस-किस देश में ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) एयर इण्डिया केवल बम्बई विमान क्षेत्र पर एक ट्रांजिट होटल बना रहा है । अन्य नगरों में ऐसे होटल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) 300 कमरों के एक होटल का प्रस्ताव है जिसमें 5-स्टार होटल की सुख-सुविधायें उपलब्ध होंगी तथा इसकी अनुमानित लागत 5.75 करोड़ रुपये होगी ।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

एयर इंडिया द्वारा आरक्षण और बुकिंग प्रक्रियाओं पर संगणक लगाने संबन्धी योजना

836. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने अपने आरक्षण और बुकिंग प्रक्रियाओं पर संगणक लगाने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितनी लागत आयेगी और कर्मचारियों की वर्तामान संख्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) योजना के अनुसार क्या क्या आयात करना पड़ेगा;

(घ) साज-सामान और प्रौद्योगिकी के विदेशी सप्लायरों के मान क्या हैं; और

(ङ) यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी और इसे कब लागू किया जायेगा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) स्कीम अभी प्रारम्भिक जांच की अवस्था में है । आरक्षण प्रयोग के कम्प्यूटरीकरण को पूरा करने में, इन उपकरणों के लिए आदेश दिए जाने की तारीख से, लगभग दो वर्ष लगने की सम्भावना है । उपकरण के आयात किये जाने वाले पुर्जों की मात्रा उन स्रोतों के अनुसार अलग-अलग होगी जिनसे इसकी खरीद की जाएगी ।

दिल्ली में अवैध वायदा व्यापार

837. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली में इस समय अवैध वायदा व्यापार चल रहा है और क्या पुलिस ने बम्बई अधिनियम के अन्तर्गत एक ऐसा दल पकड़ा है जो अवैध व्यापार करता हुआ बताया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : दिल्ली में अवैध वायदा व्यापार के सम्बन्ध में वायदा बाजार आयोग को कुछ शिकायत प्राप्त हुई हैं तथा उनके बारे में आयोग द्वारा जांच की जा रही है ।

पांचवीं योजना में कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

839. **श्री हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उन पर कितना वित्तीय परिव्यय किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय रुई मिल संघ ने सूती वस्त्र मिलों को अगले पांच वर्षों के लिए आधुनिकीकरण हेतु प्रस्थापनाएं बनाने को कहा है । जब इस

उद्योग से प्रस्थापनाएं उपलब्ध हो जाएंगी तब वस्त्र उद्योग के इस क्षेत्र के लिए आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के स्वरूप तथा आकार के बारे में सरकार विचार करेगी । भारतीय ऊनी मिल संघ तथा मानव निर्मित रेशा उद्योग के संघ को भी उनसे सम्बन्धित एककों से ऐसी प्रस्थापनाएं प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है ।

(ख) जबकि उद्योग से उपर्युक्त प्रस्थापनाएं प्रतीक्षित हैं, योजना आयोग द्वारा वस्त्र उद्योग पर संगठित कृतिक दल द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार पांच वर्षीय योजना के दौरान सूती तकुओं तथा करघों के सामान्य प्रतिस्थापना कार्यक्रम में लगभग 450 करोड़ रु० की लागत के 35 लाख तकुए तथा 52000 करघों को शामिल कर लेना चाहिए । पांचवीं योजना पर अन्तिम निर्णय लिए जाने के पश्चात् इस पर अन्तिम निश्चय हो सकेगा ।

Repayment of India's Foreign Debt in 1972-73

840 Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of Finance be pleased to state the amount paid in Rupees as well as in foreign exchange during 1972-73 to the various countries, country-wise, as principal and interest on foreign loans taken by India ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : A statement is laid on the Table of the House.[Placed in Library. See No. L.T.5707/73]

सूखा राहत कार्यों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

841. श्री के० मालन्ना :

श्री रण बहादुर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा राहत कार्यों पर जून के अन्त तक राज्यों द्वारा कितना व्यय किया गया है और केन्द्र ने प्रत्येक राज्य को कितनी राशी की प्रतिपूर्ति की थी ।

(ख) केन्द्र द्वारा सूखाग्रस्त राज्यों को अनुदान और ऋण के रुप में दी गई सहायता के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या सूखे से संबंधित समस्त व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा सूचित अप्रैल-जून 1973 की अवधि में किया गया व्यय और अब तक (13 नवम्बर 1973 तक) 1973-74 में दी गयी केन्द्रीय सहायता का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	अप्रैल-जून 1973 की अवधि के लिए सूचित व्यय	अब तक (13-11-73 तक) 1973-74 में दी गयी केन्द्रीय सहायता		
		ऋण	अनुदान	जोड़
1. आन्ध्र प्रदेश	10.75	4.00	3.00	7.00
2. विहार	20.90 (पूरे वर्ष के लिए अनुमान)	—	—	—
3. गुजरात	31.99	10.00	12.75	22.75
4. मध्य प्रदेश	3.74	—	—	—
5. महाराष्ट्र .	82.18	47.00	40.00	87.00
6. मणीपुर .	0.20	—	—	—
7. मैसूर .	13.91	20.81	2.50	23.31
8. उड़ीसा .	2.32	—	—	—
9. राजस्थान .	8.58	11.00	2.00	13.00
10. उत्तर प्रदेश	1.99	5.00	—	5.00

टिप्पणी:—राज्यों को, केन्द्रीय सहायता व्यय की प्रगति के आधार पर दी जाती है परन्तु शर्त यह होती है कि इसके बारे में उस केन्द्रीय दल की सिफारिस होनी चाहिए जो राज्यों में स्थिति का मूल्यांकन करता है केन्द्रीय सहायता समय समय पर दी जाती हैं और जून 1973 तक किए गए व्यय से तत्काल सम्बन्धित नही हैं इसलिए केन्द्रीय सहायता के दिए गए उपर्युक्त आंकड़े व्यय के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर अब तक दी गई सहायता के द्योतक हैं।

बंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

842. श्री के० मालन्ना :

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पाठ्यक्रमों का पाठ्यचर्या संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस संस्थान को कोई विदेशी एजेंसी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और यदि हां, तो कितनी ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां।

(ख) इन्हें तैयार किया जा रहा है।

(ग) इस प्रायोजना को भारत के लिए 1972-78 के 'यू०एन०डी०पी० कंट्री प्रोग्राम' के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। 2,70,000 डालर की अनुमानित सहायता संकाय (फैकल्टी) के कुछ सदस्यों की व्यवस्था करने तथा पुस्तकालय एवं उपस्कर के लिए होगी। संस्थान की स्थापना के लिए प्रायोजना प्रस्ताव एक विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया था जिस की सेवाएं 'संयुक्त राष्ट्रविकास कार्यक्रम' के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ली गयी थी।

पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि के कारण इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के विमान किरायों में वृद्धि करने का प्रस्ताव

843. **श्री रामसहाय पांडे** :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के पश्चिम एशियाई युद्ध और उन देशों से अशोधित तेल के उपलब्ध न होने से इंडियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया की उड़ानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ख) क्या पैट्रोल के मूल्यों में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार इन दो विमान कम्पनियों के विमान किरायों में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) :(क) पश्चिमी एशिया में संघर्ष छिड़ जाने पर एयर इण्डिया को अपनी वे सेवाएं जोकि पहले बेरुत तथा काहिरा होकर परिचालित होती थीं कुवैत के रास्ते मोड़नी पड़ीं। 4 नवम्बर से एयर इण्डिया ने पुनः बेरुत के रास्ते परिचालन प्रारम्भ कर दिया है।

इस संघर्ष से इण्डियन एयरलाइंस की उड़ानें प्रभावित नहीं हुई थीं।

ईंधन की कीमत में वृद्धि होने के कारण दोनों एयरलाइनों के परिचालन व्यय काफी बढ़ गये हैं।

(ख) और (ग) किरायों में वृद्धि के लिए सरकार को इण्डियन एयरलाइंस से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु ऐसा समझा जाता है कि प्रबंधक वर्ग ऐसे एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ का सदस्य होने के कारण एयर इण्डिया पर लागू होने वाले किराये तथा माल भाड़ा दरें संघ द्वारा पारित विभिन्न प्रस्तावों द्वारा अधिशासित होते हैं ऐसा समझा जाता है कि स्थिति की समीक्षा करने के लिए संघ दिसम्बर में एक विशेष बैठक का आयोजन कर रहा है ।

भारतीय हौजरी और गर्म कपड़ों पर चिथड़ों के आयात का प्रभाव

844. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी भी चिथड़ों का आयात किया जा रहा है और खुले बाजार में बेचा जा रहा है और इनकी बिक्री का भारतीय हौजरी और गरम कपड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भविष्य में चिथड़ों के अयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) विगत में हौजरी निर्यातकों को जारी किये गये प्रतिपूर्ति लाइसंसों के बदले बड़ी मात्रा में पुराने पहनने योग्य परिधान आयात किये गय थे तथा कुछ परिधान खुले बाजार में बेचे गये हैं। इससे कुछ हद तक भारतीय ऊनी उद्योग के हौजरी तथा वस्त्र क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा । हौजरी निर्यातों के बदले अब चिथड़ों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती ।

चूंकि चीथड़े शाडी उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में काम आते तथा भारत उनकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं हैं इसलिए उनका आयात आवश्यक है। तथापि आयात प्रतिबन्धित कर दिया गया है और अब केवल वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए एवं शाडी ऊनी कम्बलों के निर्यात के बदले ही उसके आयात की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त यह अनिवार्य है कि भारत को लदान से पूर्व परिधानों को विकृत किया जाये और एक विश्वसनीय अभिकरण द्वारा इस प्रकार की कांट छांट का निरीक्षण किया जाये ।

भारत में विदेशी कम्पनियों का निर्यात दायित्व

845. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों पर किसी निर्यात दायित्व को लगाया है और यदि हां, तो दायित्व का स्वरूप क्या है ;

(ख) क्या निर्यात दायित्व का विदेशियों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के साथ कोई संबंध है; और

(ग) उत्पादन में लगी हुई भारत में वे विदेशी कम्पनियां कौन सी हैं जिनमें विदेशियों के पास 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर हैं :

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी उपलब्ध हो सकेगी उतनी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी नहीं।

1971, 1972 और 1973 के दौरान होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण पाने वाली पार्टियां

846. **श्री ई० बी० विखे पाटिल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971, 1972 और 1973 के दौरान होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत किन-किन पार्टियों को ऋण दिया गया था और प्रत्येक पार्टी को कुल कितनी राशि दी गई थी ;

(ख) क्या ऋणों की शर्तें समान हैं अथवा ऋण की अदायगी के लिए विभिन्न ऋणियों पर विभिन्न शर्तें लागू की जाती हैं ; और

(ग) क्या इन पार्टियों में से किसी पार्टी ने ऋण की किश्त देनी शुरु कर दी है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) (क) वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 के दौरान जिन पार्टियों को ऋण वितरित किए गये उनके नामों तथा प्रत्येक पार्टी को अब तक दिए गए ऋण की राशि के क्रमागत योग को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5708/73]

(ख) ऋण समय-समय पर यथा संशोधित ऋण स्वीकृति सम्बन्धी अनुदेशों में दी गयी शर्तों द्वारा शासित होते हैं जो ऋण के समस्त मामलों पर समान रूप से लागू होती हैं।

(ग) पांच पार्टियों ने ऋण की किश्तें वापस करना प्रारम्भ कर दिया है।

Reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for Promotion in State Bank of India

847 Shri Maha Deepak Singh Shakya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Committe on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has expressed regret that the State Bank of India and its subsidiaries have not provided any reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the matter of posts to be filled up by promotion;

(b) whether the Ministry of Home Affairs had issued a Memorandum on 11th July, 1968 in this regard; and

(c) if so, the reasons for not providing reservations and the steps taken in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c) The Committe on the Welfare of Scheduled Castes ad Scheduled Tribes in its Ninth Report (Fifth Lok Sabha) have made the following observations :

"The Committee note that promotions in the State Bank of India and its Subsidiaries from Subordinate staff to Clerical Cadre and from Clerical/Cash Department Cadre to Officer Grade II and trainee officers, are made on the basis of a written

test and interview. The Committe are constrained to note that the State Bank of India and its Subsidiaries have not provided for reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in posts filled by promotion although the Ministry of Home Affairs, vide their O.M. No. 1/12/67-Est(C) dated the 11th July, 1968, issued instructions providing for reservations of 12½ per cent and 5 per cent (now 15 per cent and 7.5 per cent) for Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively, in promotions made on the basis of competitive examinations limited to departmental candidates, within or to Class II, III and IV posts, in grade or services in which the element of direct recruitment, if any, does not exceed 50 per cent.

The following reply was given by the Government :

"In accordance with the provisions of the directive issued by Bureau of Public Enterprises all posts the maximum of which exceeds Rs. 950 are to be treated as class I posts. Reservations are required to be made on the basis of limited competitive examinations in respects of class III and II posts only and not from Class II to Class I. As the maximum of the scale of the lowest category of officers in State Bank of India and its subsidiaries exceeds Rs. 950 they are for the purposes of these order to be treated as Class I posts and as such Government orders for making reservations are not attracted.

In view of the above reply, the Committee do not desire to pursue the matter.

Theft in Bahadur Shah Zaffar Marg Branch of Central Bank in Delhi

848. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in the 'Nav Bharat Times, dated the 4th August regarding theft of Rs. 1.12 lakhs in the Bahadur Shah Zaffar Marg Branch of the Central Bank in Delhi;

(b) whether Police has failed to find a clue to it so far; and

(c) if so, the reasons therfore and the action taken in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a): Yes, Sir.

(b) & (c) The police investigations are still continuing.

Suggestion Made by Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes regarding reconstitution of selection Boards of S.B.I.

849. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have accepted the suggestion made by the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes that the Selection Boards ofthe State Bank of India would be reconstituted and one officer belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be included in each Selection Board; and

(b) if so, the steps taken so far in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) (a) & (b) The State Bank of India has reported that it has decided to implement the recommendation in so far as recruitment of Probationary Officers is concerned by associating directors/members of the Central/Local boards of the bank belonging to Scheduled Castes/Tribes, by co-opting them on the banks central recruitment board for the purpose of interviewing candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

As regards recruitment of clerks/cashiers, the interviews are conducted by the bank's officers. No marks are awarded at the interview and the candidates who are not considered unsuitable, are merit-listed according to their performance in the written examination The Bank hasi ssued instructions to the recruiting authorities not to reject any Scheduled Caste/Tribe candidate at the interview without proper reference to the controlling authorities. This, according to the Bank, would adequately safeguard the interests of these communities.

Imports of Dates from Iran

850. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to the state :

(a) whether Dates are imported from Iran every year; and

(b) If so, the total amount spent by India on the import of Dates from Iran during last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir :

(b) Imports of dates from Iran during the last three years were :—

1970-71	Rs. 20 lakhs.
1971-72	Rs. 23 lakhs
1972-73	Rs. 26 lakhs.

भारतीय स्वतंत्रता की रजत जयन्ती के अवसर पर पर्यटन निदेशालय के तत्वावधान में प्रकाशित पुस्तिकाएं

851. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता की रजत जयंती के अवसर पर पर्यटन निदेशालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केन्द्रों को दर्शित करने वाले चित्रों और नक्शों सहित अनेक रंगों और आकर्षक पुस्तकें प्रकाशित की है ;

(ख) यदि हां तो इस प्रकार की पुस्तिकाओं और प्रकाशनों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त पुस्तिकाओं के एक चित्र में विश्व प्रसिद्ध स्थान 'डांडी' जहां महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह चलाया था, जो कच्छ के रन के एक भाग के रूप में दिखाया गया है ; और

(घ) यदि हां तो इस प्रकार की गम्भीर त्रुटि के क्या कारण हैं और इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) भारत की स्वतंत्रता की रजत जयन्ती मनाने के उपलक्ष्य में प्रकाशित फोल्डर पर्यटन विभाग द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम के माध्यम से तैयार किया गया था।

(ख) फोल्डर का शीर्षक "इंडिया वेलकम फोल्डर" था।

(ग) और (घ) क्योंकि यह जल्दी का काम था यह गलती भूलवश हो गई। प्रथम बैच के मुद्रण में ही 'डांडी' को गलत स्थान पर दर्शाने की भूल का पता चल गया था तथा इस गलती को तुरन्त सुधार दिया गया। फोल्डर के बाद में मुद्रित सभी बैचों 'डांडी' के स्थान को सही रूप में दर्शाया गया है ।

मंत्रियों के विदेशों के दौरों पर व्यय

852. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 सितम्बर, 1973 से लेकर 11 नवम्बर, 1973 की अन्तः सत्रावधि के दौरान प्रधान मंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों द्वारा किये गये विभिन्न विदेशों के दौरों पर कुल कितना व्यय (भारतीय मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा दोनों में) किया गया ;

(ख) किये गए इन दौरों के उद्देश्य क्या थे ; और

(ग) इनके क्या ठोस परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और उपलब्ध होते ही सदन पटल पर रखा दी जायेगी।

केप्रोलेक्टम कच्चे माल की कमी

853. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केप्रोलेक्टम कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति बहुत खराब रही है और इस समय तो बहुत ही गम्भीर है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। पैट्रोलियम पर आधारित रसायनिक पदार्थों की विश्वव्यापी कमी के कारण केप्रोलेक्टम की सप्लाई में कमी रही है।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :--

(1) केप्रोलेक्टम प्राप्त करने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(2) उद्योग भी अपने पहले सप्लाई करने वालों से/उनके माध्यम से केप्रोलेक्टम प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तथा ऐसे कत्तिनों को, जो केप्रोलेक्टम प्राप्त कर पाते हैं, प्राधिकार पत्र दिये जा रहे हैं ।

जीवन बीमा निगम में पुनः नियुक्त भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के अभ्यावेदन

855. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जीवन बीमा निगम में पुनः नियुक्त भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों द्वारा किये गये उन अभ्यावेदनों की ओर दिलाया गया है जिनमें उन्होंने वरीयता तथा वेतन निश्चित करने के मामले में उन लाभों की मांग की है जो केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की सेवाओं में उन नियुक्त भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को दिये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्मचारी विनियम, 1960 की शर्तों के अनुसार सीधे भर्ती के सभी उम्मीदवारों को एक समान गिना जाता है, इसलिए जीवन बीमा निगम ने भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को वरीयता तथा वेतन नियतन संबंधी विशष लाभ देना संभव नहीं पाया । उन्हें पदों के आरक्षण, आयु में छूट तथा शिक्षा संबंधी योग्यता के मामले में रियायतें मिल ही चुकी हैं।

जीवन बीमा निगम के प्रबन्ध में कर्मचारियों का शामिल किया जाना

856. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम के प्रबंध में कर्मचारियों को शामिल करने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम श्रेणी I अधिकारी एसोसियेशन के फेडरेशन द्वारा नामित व्यक्ति को बोर्ड में न लिये जाने का क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) जीवन बीमा निगम के श्रेणी I के अधिकारियों का कोई प्रतिनिधि, बोर्ड पर नियुक्त करना अभी तक संभव नहीं हो सका है, क्योंकि कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने के तंत्र को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है ।

फैडरेशन आफ एल० आई० सी० क्लास I आफिसर्ज एसोसिएशन का जयपुर, अमृतसर और रोहतक में डिविजनल कार्यालय खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव

857. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन आफ एल० आई० सी० क्लास I आफिसर्ज एसोसिएशन ने जयपुर, अमृतसर और रोहतक में डिविजनल कार्यालय खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव दिया; और

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम ने इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में नये प्रभागीय और शाखा कार्यालय खोलने के लिए बहुत से प्रस्ताव निगम को प्राप्त हुए हैं जिनमें एक प्रस्ताव संघ की ओर से भी प्राप्त हुआ है। ये सभी प्रस्ताव विचाराधीन है।

जीवन बीमा निगम तथा अन्य वित्तीय एजेन्सियों द्वारा हिन्दुस्तान टाईम्स लिमिटेड के कर्जन रोड स्थित इसके भवन निर्माण हेतु दिये गये ऋण की राशि

858. **श्री सरजू पांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम तथा अन्य वित्तीय एजेन्सियों द्वारा हिन्दुस्तान टाईम्स लिमिटेड को कर्जन रोड स्थित इसके भवन निर्माण हेतु कितना ऋण दिया गया;

(ख) ऋण किन-किन शर्तों पर दिया गया; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि इन शर्तों का पालन हो, क्या कदम उठाय गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारत के जीवन बीमा निगम ने हिन्दुस्तान टाईम्स लि० को नई दिल्ली में 18/20, कर्जन रोड पर बहुमंजिली इमारत के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये का एक ऋण मंजूर किया है। किसी अन्य वित्तीय संस्था ने हिन्दुस्तान टाईम्स लि० को कोई ऋण नहीं दिया है।

(ख) 1967 में जीवन बीमा निगम ने हिन्दुस्तान टाईम्स लि० को उस की नई दिल्ली में 1/2-बी, पूसा रोड पर तथा 18/20, कर्जन रोड पर स्थित सम्पत्तियों के प्रथम कानूनी बंधक पर ऋण मंजूर किया है। ऋण पर व्याज की दर 9 प्रतिशत है, जिस में से नियत समय पर ऋण की अदायगी के लिए एक प्रतिशत की छूट दी जाती है और ऋण 31 मई, 1969 से 12 वर्षों की अवधि में वापिस अदा होना है।

(ग) जहां तक ऋण की शर्तों का संबंध है, कम्पनी मूल तथा व्याज की किस्तें नियमित रूप से अदा कर रही है और शर्तों के अनुपालन के लिए किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ी । केवल एक शर्त का अभी अनुपालन होना है, वह यह है कि जमानत के रूप में बंधक रखी गयी, 18/20, कर्जन रोड (नई दिल्ली) पर स्थित प्रस्तावित बहुमंजिली इमारत के तैयार होते ही नई दिल्ली के कनाट सर्कस में स्थित जीवन बीमा निगम की बोम्बे लाइफ बिल्डिंग में हिन्दुस्तान टाइम्स के कब्जे में स्थित कोई 38,000 वर्ग फुट भाग को जीवन बीमा निगम को वापस सौंपा जाना है। कंपनी के अनुसार उस की इमारत अभी तैयार नहीं हुई है और इसलिए वह जीवन बीमा निगम की इमारत को अभी छोड़ नहीं सकती और वह उसे तभी छोड़ेगी जब उसकी इमारत पूरी हो जाएगी तथा मशीन नई इमारत में लगा ली जायगी। जीवन बीमा निगम का यह मामला हिन्दुस्तान टाईम्स के साथ चल रहा ह ।

गत तीन वर्षों के दौरान चाय, चीनी और मूंगफली, बीजों, तेल और मछली से प्राप्त विदेशी मुद्रा

859. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चाय, चीनी, मूंगफली, बीजों, तेल और मछली के निर्यात द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान मीटरी टनों में कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान चाय, चीनी, मूंगफली (छिलके रहित अथवा सहित), मूंगफली का तेल तथा मछली तथा मछली से निर्मित उत्पादों (खाद्य मछली वेस्ट सहित) के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1970-71 से 1972-73 के दौरान चाय, चीनी, मूंगफली (छिलके रहित अथवा सहित) मूंगफली का तेल, मछली तथा मछली से निर्मित पदार्थों के निर्यात को दर्शाने वाला विवरण

मात्रा : मे० टन मूल्य : लाख रु०

क्रमांक विवरण	1970-71		1971-72		1972-73	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. चाय	199139	14825	208570	15631	193228	14729
2. चीनी	472704	2930	361957	3086	122960	1377
3. मूंगफली						
(1) मूंगफली छिलके सहित	1259	21	3101	59	2881	51
(2) मूंगफली गिरी	24612	541	23682	521	18594	484
4. मूंगफली का तेल	165	7	74	3	108	5
5. मछली तथा मछली से निर्मित पदार्थी (खाद्य मछली वेस्ट सहित)	32613	3128	32991	4200	34710	5445

पटसन उत्पादकों को राजसहायता की मांग

860. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पटसन उत्पादकों ने, महाराष्ट्र से कपास उत्पादकों को दी गई राजसहायता के आधार पर, पटसन उत्पादकों को भी राजसहायता दिये जाने की मांग की है;

(ख) क्या पटसन उत्पादकों ने अपनी मांग पूरी न होने की दशा में पटसन के स्थान पर धान की फसल बोजने का निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में चंदन नगर में हुए पटसन उपजकर्त्ताओं के सम्मेलन में इस संबंध में एक संकल्प पास किया गया था।

(ख) इस संबंध में सम्मेलन में एक वक्तव्य दिया गया बताते हैं।

(ग) कच्चे पटसन के लिए न्यूनतम कीमत प्रत्येक मौसम में सरकार द्वारा कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं। आयोग सभी संबंधित तथ्यों पर ध्यान देता है, जिनमें उत्पादन लागत भी शामिल है। चालू मौसम के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम कानूनी कीमत को संशोधित करने का सरकार का इस समय विचार नहीं है। भारतीय पटसन निगम द्वारा जिस औसत कीमत पर खरीद की जा रही है वह कलकत्ता में पटसन मिलों के द्वार पर सुपुर्दगी के आधार पर 157.68 रु० प्रति क्विंटल से अधिक बैठती है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन द्वारा बैंक की राशि का कथित दुरुपयोग

861. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भागीरथ भंवर:

क्या **वित्त** मंत्री 31 अगस्त 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 524 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक के व्याय पर पांडोचेरी के निजी दौरे के लिये बैंक की राशि का कथित दुरुपयोग करने के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन के बारे विरुद्ध कोई कानूनी अथवा अन्य प्रकार की कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन उनके विरुद्ध अभियोग चलाने के लिये इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क)से (ग) जैसा कि मैंने सदन को आश्वासन दिया था, मैंने भारतीय स्टेट बैंक के उन अध्यक्ष के साथ उसकी पाण्डीचेरी की यात्रा के सम्बन्ध में बात कर ली है और मेरे विचार में आग किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष को दूसरी पदावधि के लिये नियुक्त करना

862. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष को पांच वर्षों की दूसरी पदावधि के लिये नियुक्त किया जा रहा है इसके बावजूद कि उन्होंने बैंक के धन का कथित दुरुपयोग किया है और ड्यूटी पर होते हुए तीन वर्षों में 24 बार पांडीचेरी के प्राइवेट दौरे करके गम्भीर अनियमितताये की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में फिर से विचार करेगी और उन्हें दूसरी पदावधि के प्रदान नहीं करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष की कार्य अवधि 28 फरवरी, 1974 को समाप्त होनी है। सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया कि उसके कार्य की अवधि बढ़ाई जाए या नहीं।

दिल्ली, नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिक कर्मचारियों की भर्ती

863. **श्री बीर भद्र सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों ने गत 6 मास में दिल्ली, नई दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश में कितने लिपिक तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती की ; और

(ख) उनमें हरिजन उम्मीदवारों की संख्या क्या है और क्या हरिजन उम्मीदवारों की भर्ती आरक्षण के अनुरूप है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) बैंकों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 1-5-1973 से 31-10-1973 तक की अवधि में उन राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा जिनकी शाखाएं संघीय राज्य क्षेत्र दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में हैं लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :—

भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या

	जोड़	अनुसूचित जाति
लिपिकीय पदक्रम	398	52
अधीनस्थ कर्मचारी	94	39

सभी चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये पद सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में सरकार की हिदायतों को अपना लिया है। आरक्षण नियमों के अन्तर्गत अनूसूचित जातियों के लिये सुरक्षित पदों में जब एक वर्ष में लिये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कम रह जाती है तो सुरक्षित खाली पद तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ा दिये जाते हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की हिमाचल प्रदेश में शाखाएं खोला जाना

864. श्री वीरभद्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की हिमाचल प्रदेश में चालू वर्ष में कितनी शाखाएं खोली जानी हैं; और

(ख) कितनी शाखाओं के खोलने की अनुमति दी जा चुकी है और ये शाखाएं कब तक खोली जायेंगी और कहां कहां पर खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) चालू वर्ष में अगस्त के अन्त तक राष्ट्रीयकृत बकों ने हिमाचल प्रदेश में 6 कार्यालय खोले थे। राष्ट्रीयकृत बकों के हाथ में इस समय उस राज्य में निकट भविष्य में 20 और कार्यालय खोलने के लाइसेंस/आवंटन हैं। वे स्थान जहां इन कार्यालयों के खोले जाने की आशा है इस प्रकार है :–

जिले का नाम	केन्द्र
चम्बा	पंगी
कांगड़ा	सरोज
	ऊना
	वारसर
	गग्गल
	मिलोदगंज
किन्नौर	काल्पा
	पूह
	पिओ
कुल्लू	कुल्लू
	मनाली
मण्डी	वाग्गी
	रावालसर
	चनौतरा
	पहाड़ी
	मण्डी
शिमला	शिमला
सोलन	वरोटी वाला
	सोलन (2 कार्यालय)

इण्डियन एयरलाइंस के मार्गों पर टी० यू० 154 विमान चलाने संबंधी सोवियत संघ की पेशकश

865. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने इण्डियन एयरलाइन्स के मार्गों पर टी० यू० 154 विमान चलाने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो इण्डियन एयरलाइन्स की उन उड़ानों की संख्या और ब्यौरा क्या है जो सोवियत विमान टी० यू० 154 द्वारा भरी जायेंगी :

(ग) दो देशों के बीच हुए करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) टी० यू० 154 वाणिज्यिक दृष्टि से भारत के लिए कितना लाभदायक सिद्ध होगा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद तथा कलकत्ता में 16 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 1973 के बीच प्रदर्शन उड़ाने करने की अनुमति प्रदान की गयी है बशर्ते कि हवाई यातायात नियंत्रण की अनुमति आदि के संबंध में नागर विमानन महानिदेशक के अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विमानों की खरीद के बारे में अंतिम निर्णय लिए जाने के समय इस पहलू पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा।

योरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का प्रवेश

866. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के योरोपीय साझा बाजार में एक सदस्य के रूप में प्रवेश किया है ;

(ख) क्या भारत ने ब्रिटेन सरकार से विकासशील देशों को प्रत्येक सम्भव सहायता देते रहने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) हालांकि ब्रिटेन सरकार से इस संबंध में कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया गया है, हम यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा ब्रिटेन दोनों के साथ ब्रिटेन के समुदाय में प्रवेश से पैदा होने वाली संक्रमणकालीन समस्या के बारे में कार्यवाही करते रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Progress made in constructing Four and Five-star Hotels in the Country

867. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** b pleased to state :

(a) What progress has been made during the last two years with regard to Government's decision for giving incentives for constructing Four and Five-star Hotels in the country to earn more foreign exchange; and

(b) the amount of foreign exchange earned by hotels constructed under this scheme during the last two years ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) The various incentives such as tax reliefs, financial assistance, etc. are not confined to four and five-star hotels only but are available to hotels of all categories ranging from 1-star to 5-star, which have been approved from the point of view of their suitability for foreign tourists.

(b) Complete information regarding the amount of foreign exchange earned by hotels constructed during the last two years is not readily available. According to the half yearly report on foreign tourist expenditure survey (1972-73) conducted by the Indian Institute of Public Opinion, 33.9 per cent of the total expenditure by foreign tourists was on boarding and lodging (including restaurants and entertainment). The estimated foreign exchange earnings through tourism were Rs. 40.4 crores and Rs. 48.3 crores during 1971 and 1972 respectively.

Suggestions from Economists to deal with Inflation and Price Rise

868. **Shri Shrikrishna Agrawal :**
Shri M. Ram Gopal Reddy :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether some leading economists of the country have submitted certain specific recommendations recently to arrest the rise in prices and inflation;

(b) if so, a gist thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c) : Government receives from time to time various suggestions in regard to economic matters from economists. Due consideration is given to these views in framing the economic policy for the country.

Amount given by I.F.C. to Madhya Pradesh

869. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The total amount given by the Industrial Finance Corporation to Madhya Pradesh State during the last three years;

(b) the broad outlines of the plans for which this assistance was used and whether any application is pending for decision with the Corporation; and

(c) the nature thereof ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c): During its last three accounting years, namely, 1970-71, 1971-72 and 1972-73 (July-June), the Industrial Finance Corporation of India sanctioned financial assistance aggregating to Rs. 149.09 lakhs in respect of the following projects located/to be located in the State of Madhya Pradesh:—

(Rs. in lakhs)

Name of the concern	Financial Assistance sanctioned	Particulars of the project/purpose for which assistance was sanctioned
1. Co-operative Spinning Mills Limited.	40.00	New cotton spinning mill.
2. Shree Synthetics Limited.	35.00	For meeting a part of over-run in the cost of the new project for the manufacture of Nylon-6 filament yarn and of Polyester filament yarn.
3. Gwalior Lamps and Electricals Limited.	29.09	New project for the manufacture of GLS lamps.
4. Bilaspur Spinning Mills and Industries Limited	45.00	Expansion in the spindleage.
Total	149.09	

As on the 30th September, 1973, no application for financial assistance in respect of any project located/to be located in Madhya Pradesh was pending with the Corporation.

Setting up of additional looms in Co-operative Sector

870. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have recommended to the Central Government to set up additional 10,000 or so looms in the co-operative sector;

(b) if so, whether the Central Government have accepted the proposal of the State Government ; and

(c) the amount of financial assistance which would be provided to the State Government for the purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) No recommendation has been received from the Government of Madhya Pradesh to set up additional 10,000 or so looms in the Co-operative Sector.

(b) & (c) Do not arise.

Export of Kosa Cloth during 1971—73

871. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the total quantity of Kosa Cloth exported during 1971-72 and 1972-73;

(b) the amount of money being given by the Central Government yearly for the welfare of the employees engaged in this industry in Madhya Pradesh; and

(c) the efforts made by Government for increasing capital investment on the research and development of this industry in order to increase export Kosa cloth ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) Quantity of Kosa cloth exported during 1971-72 and 1972-73 is given below :—

1971-72	7.18 Lakhs Sq. Mts.
1972-73	7.14 Lakhs Sq. Mts.

(b) No. funds are being spent by the Central Government for the welfare of employees engaged is this Industry in Madhya Pradesh, and there is no scheme for this purpose.

(c) Research and Development of Kosa cloth which is made out of Tasar silk is attended to by—

(1) Central Tasar Research Station, Ranchi.

(2) Central Tasar Silk worn Seed Station, Lakha.

(3) Central Tasar Sub-station, Batete (J&K), Bhimtal (U.P.) and Imphal (Manipur).

The amount spent by Central Government for the Central Tasar Research Station, Ranchi for the last four years is Rs. 26.33 lakhs, For 1973-74 there is a budget provision of Rs. 12.55 lakhs.

जीवन बीमा निगम के ऐजेंटों को मोटर गाड़ियां खरीदने के लिये अग्रिम राशि देना

872. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन में कुल कितने एजेंटों को मोटर गाड़ियां खरीदने के लिए अग्रिम राशि दी जा चुकी है और दिल्ली डिवीजन जीवन बीमा निगम के ऐसे अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी अग्रिम राशि प्रदान की जा चुकी है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : आवश्यक सूचना नीचे दी गयी है :—

	1970–71	1971–72	1972–73
1. एजेंटों की संख्या			
(i) मोटर कार	1	2	1
(ii) मोटर साईकिल/स्कूटर	5	9	11
	6	11	12
2. अन्य अधिकारी और कर्मचारी जिनमें विकास पक्ष तथा प्रशासनिक पक्ष के अधिकारी आदि की संख्या भी शामिल है			
(i) मोटर कार . .	8	5	26
(ii) मोटर साईकिल/स्कूटर	37	75	34
	45	80	60

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा तीन बोइंग 737 परिवहन विमानों की खरीद

875. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स को विमान संख्या में वृद्धि करने की अन्तरिम योजना के एक भाग के रूप में तीन बोइंग 737 परिवहन विमान खरीदने की स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) क्या निर्माताओं के साथ शर्तों संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं ; और यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) क्रय समझौते पर इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 19 अक्तूबर, 1973 को हस्ताक्षर किए गए। तीनों बोइंग विमानों में से प्रत्येक की मूल कीमत 5,473,551 अमरीकी डालर है। वित्त व्यवस्था के प्रबंध के लिये सरकार की अनुमति अपेक्षित है।

Compulsory provision for advancing Agricultural Loan by Nationalised Banks

876. **Shri Arvind M. Patel :**
Shri D. P. Jadeja :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) wheather Government propose to frame any Rules under which it would be compulsory for each branch of the nationalised banks to advance every year a specified amount as agricultural loan; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) & (b) No, Sir. It would neither be feasible nor desirable to fix uniform, predetermined limits for agricultural advances. Loaning in agriculture is dependent upon local potential, available infra structure and the organisational set-up of the bank branch. Nevertheless, the banks are attempting to prepare their own annual performance budgets for catering to the needs of the priority sectors including agriculture. The performance of the banks in this sector is reviewed by the Government at regular intervals.

कृषकों को उनकी भूमि पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

877. **श्री अरविन्द एम० पटेल** :
श्री वेंकारिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी स्थानीय शाखाओं को उनके मुख्य कार्यालयों के माध्यम से अनुदेश देने के प्रश्न पर विचार कर रही है कि वे कृषकों को उनकी भूमि पर निर्धारित ऋण दें ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस प्रकार के अनुदेश दिये जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, नहीं। कृषि ऋणों के लिए सभी स्थानों पर एकड़ों के आधार पर पूर्व निर्धारित सीमा निश्चित करना न तो सम्भव है और न ही वांछनीय है। ऋण की मात्रा, भूमि के स्वरूप, सिंचाई के साधन, फल उगाने की प्रणाली आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है और एक बैंक शाखा के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र स्थानीय क्षमता, उपलब्ध मूलभूत ढाँचे और संगठनात्मक ढाँचे पर निर्भर करता है। कृषि ऋणों को निगमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को काफी विस्तृत निर्देशक सिद्धान्त जारी कर दिए हैं। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर बैंकों के कार्य की समीक्षा की जाती है और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जिसमें कृषि भी शामिल है की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने पर हमेशा जोर दिया जाता रहा है।

Alleged Failure of Nationalised Banks to Advance Adequate amount of Agricultural Loans to Farmers

878. **Shri Arvind M. Patel :**
Shri N. R. Vekaria :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) wheather the nationalised banks have failed to advance adequate amount of agricultural loans to farmers ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to step up the amount of agricultural loans ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (c) The quantum of direct finance to farmers by the public sector banks as well as the number of accounts have been steadily on the increase since nationalisation as can be seen from the figures given below :

(Rs. in crores)

	No. of Accounts	Balance outstanding
June 1969	1,60,020	40.25
June 1970 .	6,15,952	153.45
June 1971	8,05,630	197.40
June 1972	9,24,780	231.50
June 1973 *	11,94,387	285.06

(* Provisional)

Notwithstanding the increase, Reserve Bank of India and the Govenment have been emphasising upon the public sector banks the need for increased coverage of the agricultural sector. The banks have been opening more branches in unbanked rural areas, strengthen their organisational structure and recruit technical field staff for more effective expansion

and supervision of advances. They have also simplified loan application forms and lending procedures. Forms are now printed in Hindi and regional languages. The scheme of financing of primary agricultural credit cooperative societies by commercial banks has been extended to more States. Greater coordination is sought to be achieved in the SFDA/MFAL areas with these agencies for increased coverage of identified small/marginal farmers and agricultural labourers. Most of the banks have also introduced schemes of concessional interest rates according to the size of holdings in addition to providing loans at low interest rate to the eligible categories of farmers under the differential interest rate scheme.

ऊन के व्यापार को नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव

879. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ऊन के व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने अथवा निर्माताओं को ऐसे अनुदेश देने पर विचार कर रही है कि वे अपने उत्पादन का मूल्य निर्धारित करें और तदनुसार मूल्य इंगित करें ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जी नहीं ।

समुद्र का पानी मिला हुआ सोयाबीन का तेल

880. **श्री के० लकप्पा :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी देश से भारत लाते समय मार्च में चार हजार मीटरी टन सोयाबीन के तेल में समुद्र का पानी मिल गया ; क्या इस मिलावट का पता अगस्त 1973 के तीसरे सप्ताह में उस समय लगा जबकि बम्बई बन्दरगाह पर तेल उतारा गया ;

(ख) क्या वनस्पति घी के निर्माताओं ने इस तेल को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था ; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा यह मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है ; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां । समुद्री पानी को वास्तविक रूप से अलग करके व आवश्यक प्रोसेसिंग करके तथा उसके बाद नगर स्वास्थय अधिकारियों द्वारा मानव उपभोग के लिये उसके उपयुक्त घोषित किये जाने पर सोयाबीन के तेल को वनस्पति घी निर्माताओं में आवंटित करने की अनुमति दी गई थी ।

लम्बी अवधि की संकलित टैक्सटाइलज योजना

881. **श्री के० लकप्पा :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा लम्बी अवधि की संकलित टैक्सटाइल योजना बनाने के प्रश्न पर बिचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क) जी हां ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

कोचीन के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नार्वे से आई मछली पकड़ने बाली नौका के स्वागत के बारे में नार्वे की ओर से शिकायत

883. **श्री के० लकप्पा :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे ने भारत सरकार से इस बात की शिकायत की है कि सितम्बर, 1973 के पहले सप्ताह में नार्वे द्वारा भारत को उपहार में दिये गये मछली पकड़ने के जहाज का कोचीन के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उचित स्वागत नहीं किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं की गयी है । परन्तु, उपहार के साज-सामान तथा कर्मीदल के व्यक्तिगत सामान की निकासी में हुये विलम्ब और उसके कारण हुई असुविधा के संबंध में नार्वे के दूतावास द्वारा एक मौखिक रिपोर्ट की गई थी ।

(ख) इस मामले में की गई जांच से पता चलता है कि (समुद्रदेवी नामक) जलयान 300 अधिक पैकेज लाया था जिनमें अन्य वस्तुयों के साथ-साथ विभिन्न मत्स्य पालन परियोजनाओं के लिये फालतू पुर्जे, कर्मीदल का व्यक्तिगत सामान तथा भारत में कार्य कर रहे नार्वे के कर्मचारियों के लिये खाद्य सामग्री थी । परन्तु उक्त जलयान द्वारा लायी ग ी वस्तुओं की सूची उसमें नहीं थी । हालांकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि उक्त जलयान नार्वे द्वारा भारत को उपहार के रूप में दिया गया था कोचीन सीमाशुल्क गृह द्वारा सभी सुविधायें दी गई थीं, फिर भी उक्त जलयान द्वारा लाये गये साज-सामान तथा व्यक्तिगत सामान की सुची उपलब्ध नहीं होने के कारण, जिसे कि तैयार करना पड़ा, सीमाशुल्क संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने में कुछ समय लग गया ।

चमड़ा निर्यात निगम की स्थापना

884. **श्री के० लकप्पा :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चमड़ा निर्यात निगम की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और यदि हां, तो इसके सदस्य और कार्य क्या हैं ; और

(ख) क्या इससे चमड़े के निर्मित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और कमाए हुये चमड़े और खालों के निर्यात में कमी होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की गोल मार्किट शांच के लेखाधिकारियों की पास बुक्स को पूर्ण करने में बिलम्ब

885. **श्री सतपाल कपूर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात उनके ध्यान में लायी गयी है कि सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की गोल मार्किट शांच को इसके खाताधारियों द्वारा भेजी गयी 'पास बुक्स' को भेजने की तिथि से तीन महीनों तक की अवधि में भी पूरा नहीं किया जाता जिसके फलस्वरूप खाताधारियों को अपने खाते का मिलान करने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है ;

(ख) क्या बैंक द्वारा 'पास बुक्स' डाक अथवा संदेशवाहक द्वारा नहीं भेजी जाती हैं अपितु खाता धारियों को बैंक के काउन्टर से ही इन्हें लेना पड़ता है ; और

(ग) इस बैंक की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने रिपोर्ट दी है कि जुलाई और अगस्त, 1973 के महीनों के दौरान जब इस बैंक की दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सभी शाखाओं के अंशकालिक 'पास बुक्स' लेखक आन्दोलन पर थे संघटकों द्वारा इस बैंक की गोल मार्किट स्थित शाखा में भेजी गयी 'पास बुक्स' समय पर नहीं लिखी जा सकी और न ही वापस की जा सकी।

(ख) चालू खातों के मामलों में पास बुक्स या खाते के विवरण खातेदारों को संवाहक/डाक के माध्यम से भेजे जाते हैं या व्यक्तिगत रूप से भी सुपुर्द किये जा सकते हैं। खातेदारों को चालू खाते की पास बुक्स/खाते पर का विवरण भेजने पर होने वाला खर्च प्रासंगिक व्यय में डाल दिया जाता है जो बैंक द्वारा चालू खाते पर लगाया जाता है। जहां तक बचत खाते का संबंध है खातेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से पास बुक्स बैंक में पेश करनी पड़ती है और बैंक से ले जायी जाती है । इसका कारण यह है कि सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया के 'गृह बचत सुरक्षा लेखा नियम' की शर्तों के अनुसार हर बार रुपया जमा कराते समय या रुपया निकालते समय पास बुक्स बैंक में पेश करनी पड़ती हैं ताकि

जमा करायी गयी या निकाली गयी रकम पास बुक्स में दर्ज की जा सकें। जब किसी खाते से चैक के द्वारा रकम निकाली जाती है तो रकम निकालने के बाद यथा शीघ्र पास बुक बैंक में भेजनी पड़ती है ताकि इसमें अद्यतन हिसाब दर्ज किया जा सके। अधिक संख्या में प्रविष्टियां किये जाने के मामले में बचत बैंक खातेदारों से पास बुक पूरी करने के लिये बैंक में छोड़ जाने और उचित अवधि के बाद उसे ले जाने का अनुरोध किया जाता है, संवाहक या डाक के माध्यम से खातेदारों को पास बुक्स भेजने पर होने वाला खर्च बचत बैंक खातेदारों से नहीं लिया जाता जैसे कि चालू खातेदारों से प्रासंगिक व्यय के रूप में लिया जाता है।

(ग) बैंक ने सूचना दी है कि अंशकालिक पासबुक लेखकों के आन्दोलन के कारण हुई अस्थायी अव्यवस्था के कारण जमा हुई पास बुक्स का बकाया काम बचतखातों और चालू खातों दोनों का पूरा हो गया है।

तस्करी में सीमाशुल्क अधिकारियों का कथित हाथ

886. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री पालम हवाई अड्डे पर स्थित सीमाशुल्क विभाग के गोदाम और राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों का तस्करी में कथित हाथ के बारे में 31 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5143 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बीच कौन से तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : दिल्ली पुलिस ने, जिसे 5 अगस्त, 1973 को इस मामले में जांच पड़ताल का काम सौंपा गया था, संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किये थे और उसके बाद 6 अगस्त, 1973 को उसने सहायक समाहर्ता, सीमाशुल्क, पालम को चुरा ली गई सम्पत्ति की एक सूची पेश करने को कहा था। यह संभव नहीं था क्योंकि जिस चौकीदार ने मूल शिकायत की थी वह उन वस्तुओं का बिवरण नहीं दे सका था जिनका उठाकर ले जाने का प्रयत्न किया गया था। जिस चौकीदार ने उक्त शिकायत की थी वह अब 3-9-73 को एक सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष एक हलफनामे में अपनी बात से मुकर गया है। फिर भी, आगे जांच पड़ताल जारी है।

50 करोड़ रुपये की जमाराशि वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण

887. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के उन गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के राष्ट्रीयकरण का है जिनकी जमाराशि 50 करोड़ रुपये हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश के उन गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिनकी जमाराशि 50 करोड़ रुपये हो गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार के पास उन प्राइवेट बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है जिनकी जमा रकमें 50 करोड़ रुपये हो गयी हैं। राष्ट्रीयकरण

न किये जाने के कारण कई बार संसद में बताए जा चुके हैं। इस संबंध में सरकार के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों से भिन्न भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की जमा रकमें 50 करोड़ रुपये से अधिक हैं :--

(1) आन्ध्र बैंक लि०
(2) न्यू बैंक आफ इण्डिया लि०
(3) विजया बैंक लि०
(4) पंजाब एण्ड सिंध बैंक लि०

दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये फ्लेटों को खरीदने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसीधारियों को गृह निर्माण की मंजूरी

888. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा अपने पालिसीधारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से बने बनाये फ्लैट खरीदने के लिये ऋण नहीं दिया जाता है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम के पालिसीधारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये फ्लैट खरीदने के लिये गृह निर्माण ऋण देने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, और यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के बने बनाये फ्लैट खरीदने के लिये जीवन बीमा निगम अपने पालिसीधारियों को कर्ज नहीं देता।

(ख) कानून के अनुसार, जीवन बीमा निगम ऐसी अचल सम्पत्ति की खरीद के लिये अनुमोदित जमानत पर ऋण दे सकता है, जो उत्तराधिकरणीय तथा हस्तान्तरणीय हो तथा निगम के पास बंधक रखी जा सकती हो। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैट, ऐसी सम्पत्ति नहीं होने से उसकी खरीद के लिये जीवन बीमा निगम अपने पालिसीधारियों को ऋण नहीं दे सकता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जीवन बीमा निगम द्वारा सदर बाजार दिल्ली में सम्पत्ति की बिक्री

889. **श्री नवल किशोर सिंह :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 सितम्बर, 1973 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि जीवन बीमा निगम ने दिल्ली के सदर बाजार में बहुत ही सस्ती दरों पर सम्पत्ति बेची है ; और

(ख) यदि हां, तो सौदे के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) जीवन बीमा निगम को दिल्ली के सदर बाजार के स्वदेशी मार्केट में 81 दुकानों के रूप में सम्पत्ति लक्ष्मी इंश्योरेंस कम्पनी से उत्तराधिकार में मिली थी। आग लगने के कारण 12 जून 1973 को 60 दुकानें जल कर भस्म ो गई। दुकानदारों ने जीवन बीमा निगम को सूचना दिये बिना फिर से दुकानें बनवा ली। वार्षिक किराया कुल 26,000 रु० आता था, और मूल्य ह्रास नगर पालिका कर तथा अग्नि-बीमा प्रीमियम की व्यवस्था करने के बाद इस सम्पत्ति से मुश्किल से 0.5 प्रतिशत की आमदनी थी। कानूनी सलाह प्राप्त करने के बाद, जीवन बीमा निगम ने निर्णय किया कि इन परिस्थितियों में उसके लिये सबसे अच्छा रास्ता यही था कि यदि दुकानदार चाहें और बाजिव दाम दें तो सम्पत्ति उन्हें बेंच दी जाय। जीवन बीमा निगम को भूतकाल में 100 रु० प्रति वर्ग गज से अधिक दर का प्रस्ताव नहीं मिला था। जीवन बीमा निगम तथा दुकानदारों के बीच हुई पहली बैठक में, दुकानदारों ने केवल 60 रु० प्रति वर्ग गज की दर का प्रस्ताव दिया था। बाद में दर को बढ़ाकर 300 रु० प्रति वर्ग गज का प्रस्ताव आया और अंततः सम्पत्ति के लिये 4 लाख रुपये की इकट्ठी रकम का प्रस्ताव प्राप्त किया गया, जिससे मोटेतौर पर 400 रु० प्रति वर्ग गज की दर बैठती है। इसके, अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम को अभी अग्नि बीमा के दावे की रकम भी मिलनी है। (आग से बचाव के लिये दुकानों का 6.35 लाख रुपये का बीमा था।) निर्माण तथा आवास मंत्रालय द्वारा 1972 में किये गये मूल्यांकन के अनुसार, इस क्षेत्र की जगीन के मूल्य का तखमीना 300 रु० प्रति वर्ग गज था, और जीवन बीमा निगम के कार्यकारी इंजीनियर ने इसका मूल्य 410 रु० प्रति वर्ग गज आंका था। यह सम्पत्ति दिल्ली प्रशासन के अधिग्रहण में भी थी, और इन सभी बातों को देखते हुये, जीवन बीमा निगम ने इस सम्पत्ति की बिक्री के लिये 4 लाख रुपये के प्रस्ताव को बाजिव माना। इस सौदे को केन्द्रीय कार्यालय तथा निगम के कार्यालय के अधिकारियों की एक समिति द्वारा सम्पन्न किया गया। इस प्रस्ताव को निर्माण सलाहकार समिति के सामने भी रखा गया था, और जीवन बीमा निगम की कार्यकारी समिति ने अपनी 21 जुलाई 1973 की बैठक में इस सौदे को स्वीकार कर लिया।

उक्त समाचार में लगाये गये आरोपों की जांच की गई है और इस सौदे में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

भारतीय चाय द्वारा कुछ पुरानी मंडियों में अपना स्थान खोना

890. श्री नवल किशोर सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय, जो कि भारत की विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली दूसरी बड़ी वस्तु है, नें कुछ पुरानी मण्डियों में अपना स्थान खो दिया है ;

(ख) जून, 1973 और सितम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में चाय के निर्यात में कितनी कमी हुई है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और क्या चाय उद्योग के निर्यात को अपेक्षित बढ़ावा देने के लिये सरकार का नकद राजकीय सहायता देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) परम्परागत बाजारों में ब्रिटेन मुख्य देश है जिसको गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय चाय के निर्यातों में कमी आई है।

(ख) अप्रैल-जून, 1973 की तिमाही के दौरान भारत से चाय के निर्यात घटकर 279 लाख कि० ग्रा० मूल्य 21.74 करोड़ रु० के हो गये हैं, जो कि अप्रैल-जून, 1972 की अवधि के दौरान हुये चाय के निर्यातों की तुलना में 57 लाख कि० ग्रा० मूल्य 4.3 करोड़ रु० कम हैं। जुलाई-सितम्बर, 1973 के दौरान हुये चाय के निर्यातों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु जुलाई और अगस्त, 1973 के दो महीनों के दौरान भारत से चाय के निर्यात घटकर 370 लाख कि० ग्रा० मूल्य 30.1 करोड़ रु० के हुये जो कि जुलाई और अगस्त, 1972 के दौरान हुये निर्यातों की तुलना में 45.1 लाख कि० ग्रा० मूल्य 3.8 करोड़ रु० कम है।

(ग) चाय के निर्यात व्यापार को बढ़ाने हेतु सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्न कदम उठाये हैं :—

(1) 1 मार्च, 1970 से चाय पर निर्यात शुल्क का हटाया जाना।

(2) 15 अप्रैल, 1970 से निर्यात के समय कीमत के अनुसार भिन्न-भिन्न उत्पादन शुल्क की छूट।

(3) बिभिन्न परम्परागत तथा नये बाजारों में भारतीय चाय के निर्यात की अधिक संभाव्यता बढ़ाने के लिये लंदन, न्यूयार्क, ब्रसेल्स, काहिरा, तथा सिडनी में स्थापित चाय बोर्ड के कार्यालयों द्वारा संवर्धनात्मक कार्यवाहियां करना।

(4) स्थानीय ब्लैंडरों/पैकरों के सहयोग से चुने हुये विदेशी बाजारों में भारतीय चाय के विशेष पैकों का संवर्धन।

(5) विदेशों में उपयुक्त प्रचार साधनों के माध्यम से विज्ञापन देना।

(6) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(7) भारतीय चाय के हित को बढ़ाने के लिये व्यापारियों तथा विशेषज्ञों को दौरों का आदान-प्रदान करना।

(8) पैकटों में बन्द तथा ब्लैंडिड चाय के निर्यात के लिये सरकारी क्षेत्र में एक चाय व्यापार निगम की स्थापना करना।

(9) अन्य हल्के पेय पदार्थों के साथ-साथ एक पेय पदार्थ के रूप में चाय की खपत बढ़ाने के लिये संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रेलिया, तथा न्यूजीलैंड जैसे आठ आयातक देशों में अन्य चाय उत्पादन करने वाले देशों तथा स्थानीय चाय व्यापारियों के साथ मिलकर सामान्य संवर्धन में भाग लेना।

नकद उपदान के संबंध में सुझाव प्राप्त हुये हैं तथा इन पर सरकार गौर कर रही है।

सरकार को चाय बागानों के कार्यकरण की जांच पड़ताल करवाने की शक्ति प्रदान करने के लिये विधान

891. **श्री नवल किशोर सिन्हा :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य मंत्रालय ने विधि मंत्रालय की राय इस मामले में मांगी है कि क्या सरकार को चाय बागानों के कार्यकरण की जांच पड़ताल करवाने की शक्ति प्रदान करने के लिए स्वतंत्र विधान बनाना आवश्यक है और क्या चाय अधिनियम में ही कुछ संशोधन कर लेना पर्याप्त होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विधि मंत्रालय की राय क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री .ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) ने, जिनसे इस बारे में परामर्श लिया गया था, सुझाव दिया है कि इस उद्देशय के लिए चाय अधिनियम, 1953 में उपयुक्त ढंग से संशोधन किया जाए।

Rise in wholesale Prices

892. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the wholesale prices increased by 21.5 per cent during the last one year upto the 30th June, 1973;

(b) whether during the same period, Government expenditure increased by 13.6 per-cent ;

(c) if so, the reasons for the increase in the prices and action taken in this regard; and

(d) the trend of wholesale prices after the 30th June, 1973 till now ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrav Chavan) : (a) The General Index of Wholesale Prices (1961-62-100) showed a rise of 21.4 per cent between July 1, 1972 and June 30, 1973.

(b) According to the Reserve Bank's Annual Report (for the year ended June, 1973) "total spending by the Central and State Governments for all purposes amounted in 1972-73 to Rs. 11,942 crores or 13.6 per cent more than in 1971-72".

(c) The basic reason for the undue rise in prices in 1972 and 1973 has been the sizeable decline in agricultural production for two years in succession. The Government had to undertake considerable additional expenditure during 1971-72 and 1972-73 in connection with the Bangladesh crisis, for drought relief, defence requirements and the emergency agricultural programme. This accentuated the inflationary pressure in the economy resulting from reduced production. The price situation was further compounded by international factors, following upon declines in the world output of some major commodities, thereby resulting in sharp increase in the prices of imports, particularly of metals, crude oil, foodgrains, and oils and fats.

The Government has been taking various administrative, fiscal and monetary measures which have been aimed at improving the availability of essential commodities and curbing excess demand. Larger imports of foodgrains and edible oils, etc. are being arranged, and releases from the public distribution system are being maintained at a high level. Monetary policy has been used to immobilise about Rs. 400 crores of bank funds, while a cut in Central outlay of Rs. 400 crores has been proposed.

(d) The trend of wholesale prices after 30th June is indicated by the following indices :

30th June 1973	242.0
28th July 1973	252.1
25th August 1973	250.0
29th September 1973	252.4
27th October 1973	255.9

Dry Port in Delhi

893. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) since when the proposal to declare Delhi a dry port has been under the condsideration of Government; and

(b) the action taken so far and the future course of action in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) The proposal for setting up a Dry Port in Delhi was first received in 1965, but was not found acceptable.

(b) The proposal was later studied by a Committeee of Delhi Administration and again by an Inter Ministerial Working Group, which submitted its report in 1970. The report of the Group has been examined and the proposal is now under consideration of Government for a final decision.

Outstanding Loan against certain Textile Mills of Ujjain

894. **Shri Hukam Chand Kachwai** : will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Hira, Deep Chand, Vimal and Vinod Textile Mills located at Ujjain in Madhya Pradesh have taken loans from Indian Industrial Finance Corporation and other Central Government Financial Institutions;

(b) whether these mills have neither repaid the loans nor interest thereon;

(c) the amounts of the outstanding loans and interest thereon; and

(d) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir. The Mills have taken loans from various Financial Institutions.

(b) While the Hira Mill is regularly paying the instalments and interest on due dates, except to National Industrial Development Corporation, the Binod Mills Company Limited has defaulted in payment of instalments of principal and interest.

(c) The following loans are outstanding against Hira Mills as on 30-6-1973 :

S. No.	Name of the Institution	Amount
1.	Madhya Pradesh Financial Corporation Limited	5,60,000
2.	National Textile Corporation Limited, N. Delhi	37,66,000
3.	Madhya Pradesh State Textile Corporation Ltd.	36,34,000
4.	National Industrial Development Corpn. Ltd.	37,87,720

(d) The management of Hira Mills has already been taken over by Government under the Industries (L&R) Act, 1951.

The financial position of Binod Mills Company Ltd. has improved substantially recently and its assets are far greater than its liabilities. Besides, the working of the mill Company has improved significantly and its liabilities are being reduced. As such Government does not intend to take any action against the mill company for the time being.

Looting of Cash from a van of the Union Bank of India in Delhi during September, 1973

895. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Y. Eswara Reddy :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether some armed persons looted cash from a van of the Union Bank of India in Delhi during the last week of September 1973;

(b) the amount looted and the nature of the action taken by Government to recover the said amount; and

(c) the steps taken to avoid, such incidents in the future ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrav Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) The amount involved is Rs. 6 lakhs. The Delhi Police has registered a criminal case on this incident and its investigation is continuing.

(c) Union Bank of India has reported that, in this case, there was no lapse or breach of prescribed security measures for transportation of cash on the part of the bank. The bank is nevertheless reviewing the security arrangements for this purpose with a view to further strengthening the same.

Seizure of Smuggled Goods in West Bengal

896. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of smuggled goods seized in West Bengal during the last three years;

(b) the number of persons against whom action was taken indicating the nature of action taken; and

(c) the value of gold in Rupees out of the seized smuggled goods.

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The value of smuggled goods seized by the Customs and Central Excise authorities in West Bengal during the last three years is as follows :—

1971	Rs. 78 lakhs
1972	Rs. 171 lakhs
1973 (Upto September)	Rs. 141 lakhs

(b) The number of persons arrested in connection with the above mentioned seizures is :

1971	232
1972 . . .	79
1973 (Upto Sepember)	136

Criminal prosecution and/or departmental action for imposition of personal penalties against these persons is taken having regard to the evidence available.

(c) The value of the seized gold at the Indian Market rate is as follows :—

1971	Rs. 6.9 lakhs
1972 . . .	Rs. 7.9 lakhs
1973 (Upto September)	Rs. 28.8 lakhs

पी० एल० 480 निधियों के निवटान के संबंध में वार्तायें

898. **श्री समर मुखर्जी :**
श्री डी० के० पण्डा :

क्या वित्त मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस समय अमरीकी पी० एल० 480 निधियों के निपटान के संबंध में अमरीकी सरकार के साथ कोई समझोता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं। संयुक्त राज्य अमरीका के प्राधिकारियों के साथ इस विषय में बातचीत चल रही है।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

कर योग्य जमा राशियों के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सूचना देना

899. **श्री पन्नालाल बारूपाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी बैंकों, विशेषकर राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए यह दायित्व अनिवार्य कराने का है कि वे आयकर, बिक्री कर तथा उत्पाद शुल्क विभागों को फर्मों तथा व्यक्तियों की कर योग्य आय के बारे में प्रति वर्ष सूचित करें, ताकि इन विभागों के लिए उनकी आय का विभागीय दृष्टिकोण से निर्धारण सुविधाजनक हो जाए; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ऐसे अनिवार्य उपबन्ध कर दिये जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी, नहीं। परन्तु आयकर अधिनियम 1961 और आयकर नियमावली 1962 में यह व्यवस्था वर्तमान है कि जो भी करदाता, और उनमें बैंक भी शामिल हैं, किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति को 400 रुपये से अधिक ब्याज की अदायगी करता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह अपनी आय की विवरणी के साथ ब्याज पानेवाले का नाम, पता और ब्याज की दी गई रकम आदि ब्यौरे आयकर विभाग को दे। इन उपबन्धों का विस्तार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली आयकर की चोरी करने वालों के विरुद्ध शिकायतें

900. **श्री पन्नालाल बारूपाल :** क्या **वित्त** मंत्री आयकर अपवंचकों के विरुध शिकायतों के बारे में 17 अगस्त, 1973 के तारांकित प्रश्न सं० 358 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शिकायत के ऐसे कितने मामले हैं जिनके बारे में जांच पूरी कर ली गयी है तथा प्रत्येक मामले में लगाये गये आयकर की राशि एवं जुर्माने की राशि क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जांच-पड़ताल अभी जारी है

सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की दिल्ली और नई दिल्ली स्थित शाखाओं में 'टैलर' व्यवस्था

901. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया की दिल्ली और नई दिल्ली स्थित उन शाखाओं की संख्या और नाम क्या हैं जहां खातेदारों की सुविधा के लिए 'टेलर' व्यवस्था है; और

(ख) क्या सरकार सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धकों को यह अनुदेश देगी कि उक्त बैंक की दिल्ली और नई दिल्ली स्थित सभी शाखाओं में 'टेलर' व्यवस्था लागू की जाये जिससे जनता अनावश्यक कठिनाई से बच सके?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : टेलर व्यवस्था नई दिल्ली में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की निम्नलिखित पांच शाखाओं में लागू की गयी है:

1. अशोक होटल
2. डिफैन्स कालोनी
3. जोर बाग
4. जनपथ
5. सफदरजंग एन्क्लेव

(ख) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया का तीन और शाखाओं-- अर्थात् साउथ एक्स्टेंशन, लाजपत नगर और प्रेस एरिया, में शीघ्र ही टेलर व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। नई दिल्ली की कुछ दूसरी शाखाओं में भी टेलर व्यवस्था लागू करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। बैंक की पुरानी दिल्ली की अधिकांश शाखाओं में स्थान की कमी के कारण टेलर व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है।

केरल के लिये वित्तीय सहायता

902. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार हाल में अत्याधिक वित्तीय संकट का सामना कर रही है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त संकट का सामना करने के लिये केन्द्रीय सरकार से किसी वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य को कोई सहायता दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से चालू वर्ष में बजट संबंधी घाटा पूरा करने के प्रयोजनार्थ सहायता के लिये अनुरोध किया है । फिर भी, घाटा अपने आप में किसी विशेष सहायता की अर्हता प्रदान नहीं करता । चोथी आयोजना की अवधि के दौरान, भारत सरकार केरल सहित उन राज्यों को, जिनके बारे में आयोजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि उनके साधनों में अपरिहार्य अन्तर है, ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान कर रही है। राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष में दी जाने वाली सहायता की मात्रा का निश्चय अपरिहार्य आयोजना भिन्न वचन बद्धताओं, आयोजनाभिन्न व्यय में मितव्ययिता करने की संभावना, उनके राजस्व और कर-संग्रह को सुधारने तथा राज्य सरकारों द्वारा सामान्य बजट संबंधी साधनों को गतिशील बनाने के प्रयत्नों के संबंध में पांचवे वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रख कर किया जाना है। चालू वर्ष में केरल सरकार को मिलने वाली 10.99 करोड़ रूपये की राशि विशेष सहायता द्वारा पहले ही दी जा चुकी है।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को राहत देने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता

903. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत देने के लिये केरल सरकार ने हाल ही में वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) क्या अन्य राज्य सरकारों ने भी केन्द्र सरकार से इसी प्रकार की सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य ने कितनी राशि की सहायता मांगी है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयो है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय सहायता के उद्देश्यों से बाढ़ की स्थिति का अनुमान लगाने और सहायता कार्यों पर व्यय की सीमा निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय दलों को नियुक्त कर दिया है। दलों को दिये गये व्यय के अनुमान दलों द्वारा सिफारिश की गयी सीमा और अभी तक दी गयी केन्द्रीय सहायता का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विवरण में राज्य सरकारों के 1973-74 में बाढ़ सहायता व्यय के अनुमान, अपनायी गयी व्यय की अधिकतम सीमा और अभी तक दी गयी केन्द्रीय सहायता (13-11-73 तक) दिखायी गयी है।

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	राज्य सकारों के व्यय अनुमान	केन्द्रीय दलों की सिफारिशों के आधार पर अपनायी गयी अधिकतम सीमा	लेखे के आधार पर अभी तक दी गयी सहायता
1. असम . .	17.20	*	—
2. बिहार	5.00**	*	—
3. गुजरात . .	47.83	*	0.50
4. जम्मू और कश्मीर	7.08	2.94	0.50
5. केरल .	6.12	1.35	0.25
6. मध्य प्रदेश	15.80	2.44	—
7. उड़ीसा	9.75 (जुलाई–सितम्बर बाढ़)	*	3.00
8. राजस्थान .	14.27	*	5.00
9. त्रिपुरा .	9.08	1.06	1.00
10. उत्तर प्रदेश	32.15	†	—
11. पश्चिम बंगाल . . .	26.36	10.03	2.00

* केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों की प्रतीक्षा है।

** राज्य सरकारों द्वारा तदर्थ सहायता का अनुरोध।

† केन्द्रीय दल की रिपोर्ट विचाराधीन है।

केरल के काजू उद्योग में संकट

904. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में काजू उद्योग को अपरिष्कृत काजुओं की कमी तथा अनियमित सप्लाई के परिणाम स्वरूप भीषण संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने काजू के कारखानों को अपरिष्कृत काजुओं की वितरण संबंधी नीति बनाने के लिये अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इस मामले में निर्णय करने के मार्ग में क्या कठिनाईयां हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क) जी नहीं ।

(ख) 3 नवम्बर, 1973 से आयातित अपरिष्कृत काजुओं की वितरण नीति संशोधित कर दी गई है।

(ग) संशोधित वितरण नीति की मुख्य विशेषताऐं ये हैं :

(1) आयातित काजू उन पात्र वास्तविक उपभोक्ताओं को वितरित किया जाएगा जिन्होंने 1968 1969 के किसी वर्ष में तथा 31-8-1970 तक काजू के आयात-निर्यात व्यापार में भाग लिया था और काजू साधित करने वाले कारखाने चलाये थे।

(2) उन कारखानों को आवंटन किया जाएगा जिनकी भारतीय काजू निगम के पास दाखिल किये गये प्रपत्र में साधितकर्ताओं (वास्तविक उपभोक्ताओं) द्वारा घोषणा की गई हो और/या मार्गीकरण की तिथि के पश्चात् उनके द्वारा स्वीकार किये हों।

(3) कोई कारखाना जो 1-9-70 के पश्चात् लगातार दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिये बन्द रहा हो आवंटन के लिये पात्र नहीं होगा।

(4) कोई कारखाना जो सुरक्षा, सेवा की शर्तों, कर्मचारियो के वेतन के निर्धारण एंव भुगतान से संबंधित कानून के उपबंधों का पालन नहीं करता वह आवंटन का पात्र नहीं होगा।

(5) प्रत्येक कारखाने को आवंटन, कारखाने द्वारा रखे गये उपस्थिति रजिस्टर से अभिनिश्चित तथा निगम द्वारा प्रमाणित श्रम शक्ति के आधार पर भारतीय काजू निगम द्वारा निश्चित किया जायेगा।

(6) निगम द्वारा आवंटित अपरिष्कृत काजू उसी कारखाने में साधित किया जाएगा जिसे आवंटन किया गया है तथा इसका कुछ भाग या समस्त भाग किसी अन्य कारखाने को हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(7) आवंटन इस शर्त के आधार पर होगा कि आवंटित कच्चे काजू के उत्पादन के आधार पर 120 प्रतिशत के बराबर काजू की गिरियों का निर्यात किया जाएगा तथा उसका प्रमाण दिया जाएगा।

केरल के हथकरघा उद्योग में संकट

905. **श्रीमती मार्गंवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि केरल राज्य में हथकरघा उद्योग धागे की अत्यधिक कमी तथा उसके मूल्यों में हुए असाधारण वृद्धि के कारण एक गम्भीर संकट का सामना कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राहत देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। इस सम्बन्ध में सरकार को राज्य सरकारों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कलकत्ता के रिलीज आर्डरधारियों को उनकें द्वारा आयातित माल को बम्बई पत्तन सें रिलीज करनें कें लियें कहना

906. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने प्लास्टिक उद्योग के कच्चे माल के आयात लाइसेंसों के कुछ वास्तविक उपभोक्ताओं को आयातित माल को बम्बई पत्तन से रिलीज करने के लिये कहा है हालांकि वे कलकत्ता के रिलीज आर्डरधारी हैं;

(ख) आयातित माल के लिये कलकत्ता पत्तन की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि ऐसे माल को रिलीज करने में विलम्ब होने के कारण प्लास्टिक उद्योग उत्पादन को काफी हानि हुई है; और यदि हां, तो उत्पादन में आने वाली ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिये उनका मंत्रालय क्या कार्यवाही करेगा?

बाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सामान्यतः पूर्वी क्षेत्र के वास्तविक उपभोक्ताओं को कलकत्ता पत्तन पर आयातित प्लास्टिक का कच्चा माल आवंटित किया जाता है। यह केवल जहाजों की अनुपलब्धता के कारण होता है कि पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक उपयोक्ताओं को कभी दूसरे पत्तनों से, जिनमें बम्बई भी शामिल है, कच्चा माल प्राप्त करना पड़ता है।

(ग) राज्य व्यापार निगम जहाजों से कच्चे माल की रवानगी तेज करने तथा उद्योग के प्रतिनिधियों से परामर्श करके दीर्घावधि आधार पर प्लास्टिक के कच्चे माल को प्राप्त करने की व्यवस्था करने के प्रयत्न कर रहा है। विश्व भर में सभी पेट्रो रसायन कच्चे माल की अभूतपूर्व कमी इस माल की प्राप्ति में देरी का मुख्य कारण है।

देश में जाली करेंसी बरामद होना

908. **श्री सेझियान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान देश में कुल कितनी जाली करेंसी बरामद की गई;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) राज्य सरकारों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी।

संस्थानों का राष्ट्रीयकरण

909. **श्री सेझियान :** क्या **वित्त** मंत्री 9 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2637 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को आंशिक रूप से पूरा करने हेतु सभा-पटल पर रखे गये एक विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष मंत्रालयों से उपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) बाकी बचे तीन मंत्रालयों में से दो से अर्थात् भारी उद्योग और इस्पात तथा खान मंत्रालयों से सूचना की अभी भी प्रतीक्षा है। तीसरे अर्थात् औद्योगिक विकास मंत्रालय ने अब रिपोर्ट दी है कि उनके द्वारा जिन विषयों पर कार्यवाही की जाती है उन विषयों की सीमा में आने वाली किसी संस्था का राष्ट्रीयकरण प्रश्नाधीन अवधि में नहीं किया गया है। शेष मंत्रालयों से जब और जैसे ही अपेक्षित सूचना प्राप्त होगी, उसको सदन पटल पर रख दिया जायगा।

देश में जूट उत्पादकों द्वारा कच्चे जूट के भंडारों को कम मूल्यों पर बेचा जाना

910. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के विभिन्न भागों में अभाव की स्थिति तथा खाद्यान्नों के ऊंचे मूल्य होने के कारण जूट उत्पादक अपने कच्चे जूट के भंडारों को कम मूल्यों पर बेचने को बाध्य हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि जूट निगम उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) भारतीय पटसन निगम का काम यह सुनिश्चित करना है कि कच्चे पटसन की कीमत 125 रुपये प्रति क्विन्टल (कलकत्ता में असम बाटम किस्म के लिए) की न्यूनतम कानूनी कीमत से कम न होने पाये। चूंकि पटसन उगाने वाले क्षेत्रों में कच्चे पटसन की विद्यमान बाजार कीमत न्यूनतम समर्थन स्तर से अधिक है, भारतीय पटसन निगम को, भारतीय पटसन छोटे-छोटे क्षेत्रों के सिवाय, जिनमें मामूली सी मात्रा निहित थी, कहीं भी समर्थन कीमत कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भारतीय पटसन निगम इस प्रकार से वाणिज्यक क्रय भी करता रहा है जिससे कि कलकत्ता में मिल-द्वार पर सुपुर्दगी के आधार पर 157.68 रुपये प्रति क्विन्टल की औसत कीमत पहुंच जाये।

भुवनेश्वर में तफान का पता लगाने वाले रेडार तथा मौसम विज्ञान कार्यालय की स्थापना

911. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में तूफान का पता लगाने वाला रेडार तथा एक मौसम-विज्ञान कार्यालय स्थापित करने की परियोजनाओं को प्रस्तावित क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाईयां हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) तूफान चेतावनी राडार जिसके मूल रूप से भुवनेश्वर में स्थापित करने का प्रस्ताव था, पाराद्वीप पोर्ट में स्थापित किया गया क्योंकि इससे भुवनेश्वर की अपेक्षा समुद्र तट से निकटतर होने के कारण अधिक उपयुक्त स्थान समझा गया। राडार अब परिचालन में है।

उपयुक्त कार्यालय आवास के अभाव में भुवनेश्वर में अब तक मौसम विज्ञान कार्यालय स्थापित नहीं किया जा सका। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने इस प्रयोजन के लिये एक अस्थायी बैरक आवंटित करना मान लिया है तथा शीघ्र ही वहां मौसम-विज्ञान कार्यालय काम करना प्रारंभ कर देगा।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त सम्बन्धी सुधार

912. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त सम्बन्धी सुधारों के बारे में अमरीका तथा युरोपीय देशों के मध्य बात-चीत में गतिरोध पैदा हो गया है क्योंकि दोनों पक्ष समंजन प्रकिया तथा विनिमेयता जैसे दो आधार-भूत तत्वों पर परस्पर विरोधी मत रखते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

वित्त मंत्री श्री (यशवन्तराव चव्हाण) : (क) यह बात सही है कि समायोजन प्रक्रिया तथा रूपान्तरणीयता के बारे में अमेरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्यों के बीच मतभेद रहे हैं। इस प्रकार समायोजन प्रक्रिया के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरीका एक ऐसी प्रणाली के पक्ष में है जिसके अनुसार, कोई देश उसी समय समायोजन सम्बन्धी कार्रवाई कर सकेगा यदि उसकी प्रारक्षित निधि किसी एक विशिष्ट निर्देशक विन्दु से कम हो जाये या बढ़ जाये और इस स्थिति में किसी एक विशेष अवधि के लिए वहीं टिके रहे। किन्तु ऐसा तभी हो सकता है जब तक किसी देश के आधारभूत शोधन-शेष में प्रतिकूल प्रवृति न दिखाई दे अथवा जब तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का कार्यकारी बोर्ड किन्हीं अन्य कारणों से यह निर्णय नहीं करता कि इस प्रकार की कार्रवाही अनावश्यक है। दूसरी ओर, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मत यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के मूल्यांकन के आधार पर ही समायोजन प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए और देशों को यह कार्रवाई करने की अनुमति तभी दी जानी चाहिए जब प्रारक्षित निधि में होने वाले परिवर्तनों तथा मूलभूत शेष राशियों में होने वाली घट-बढ़ के बारे में सभी सम्बद्ध पहलुओं की सावधानी से जांच कर लेने के बाद बोर्ड यह निर्णय करे कि सन्तुलन को फिर से कायम करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

जहां तक रूपान्तरणीयता का संबंध है यद्यपि "बीस की समिति" सामान्यतः इससे सहमत है कि सभी देशों को या तो अपनी प्रारक्षित रकमों को देकर अथवा ऋणों के संबंध में बातचीत करके अपने घाटे की राशियों को निपटाने के लिए इसी प्रकार का दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए किन्तु इनमें एक महत्वपूर्ण मतभेद यह है कि परिसम्पत्ति के निपटान की नयी प्रणाली का संचालन किस प्रकार किया जाय। यूरोपीय आर्थिक अमुदाय के सदस्य घाटे और अधिशेषों की रकमों के अनिवार्य परिसम्पत्ति निपटान के पक्ष में हैं जिसके अनुसार बहुपक्षीय प्रतिस्थापन सुविधा के द्वारा भविष्य में परस्पर सम्मत सीमाओं से अधिक मुद्रा शेष में होने वाली सभी वृद्धियों को प्राथमिक प्रारक्षित परिसम्पत्ति में परिवर्तन कर दिया

जाय। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरीका, एक द्विपक्षीय दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में है जिसके अनुसार प्राथमिक प्रारक्षित परिसम्पत्ति में रूपान्तरित करने का निर्णय प्रत्येक सम्बद्ध देश पर निर्भर करेगा ।

इन दोनों दृष्टिकोणों के संबंध में "बीस की समिति" में तथा डिप्टियों के समूह में व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया है और इन मतभेदों को दूर करने के लिए कुछ मध्यमार्गीय सिद्धान्त अपनाये जाने के बारे में भी सुझाव दिये गये हैं। सहभागी देशों के बीच उत्पन्न इन मतभेदों को तथा अन्य मत-भेदों को दूर करने के लिए 27 सितम्बर, 1973 को नैरोबी में हुई डिप्टियों की अन्तिम बैठक में यह निर्णय लिया गय था कि समायोजन, हस्तक्षेप तथा निपटान, विश्वव्यापी नकदी जैसी परिसम्पत्ति वास्तविक संसाधनों का समेकन और अन्तरण विषयक चार तकनीकी कार्यकारी दल नियुक्त किए जाएं। आशा है कि निकट भविष्य में ये मामले निपटा लिए जायेंगे ताकि जुलाई, 1974 के अन्त तक अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली में सुधार लाने के संबंध में मतेक्य हो सके।

(ख) "बीस की समिति" तथा डिप्टियों की बैठक में भारत तथा अन्य विकासशील देशों ने यह तर्क दिया ह कि कोई सांख्यिकीय निर्देशक, सभी देश समूहों द्वारा इस सम्बन्ध में कार्रवाई किये जाने के लिए प्रभावकारी मार्गदर्शक सिद्धान्त की व्यवस्था नहीं कर सकता। हमने विशेष रूप से यह तर्क दिया है कि इस सम्बन्ध में जो भी नया नियम बनाया जाय वह विकासशील देशों की विशेष समस्याओं तथा उनकी विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाय। किन्तु, जहां तक रूपान्तर्णीयता का संबंध है, हमारा दृष्टिकोण तचीला है और हम सिद्धान्तः द्विपक्षीय दृष्टिकोण की अपेक्षा बहुपक्षीय दृष्टिकोण के पक्ष में है क्योंकि बहुपक्षीय दृष्टिकोण से नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति के निर्माण पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण रखने की सुनिशिचत व्यवस्था हो सकेगी। इन बातचीतों में हमारा प्रयास यह रहा है कि विकासशील देशों की विशिष्ट समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जाय और विकासशील देशों में एकता बनायी रखी जाय और उन समाधानों का समर्थन किया जाये जिनसे दीर्घकालिक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का और विकास हो। हम भावी बातचीत में भी भाग लेते रहेंगे और मुद्रा सुधार सम्बन्धी अनिर्णीत मामलों का शीघ्र निपटान करने के सम्बन्ध में कार्य करेंगे।

ब्रिटेन तथा राष्ट्रीय मंडलीय देशों के बीच व्यापार शर्तों संबंधी विशेषाधिकारों को जारी रखना

913. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने यह स्वीकार कर लिया है कि ब्रिटेन तथा राष्ट्रमंडलीय देशो के मध्य वर्तमान व्यापार शर्तों संबंधी विशेषाधिकारों को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बात क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) हालांकि ब्रिटेन-भारत व्यापार करार 1939 पहली फरवरी, 1973 से समाप्त हो गया, फिर भी ब्रिटेन की सरकार व्यावहारिक रूप से इस करार के अंतर्गत हमें उपलब्ध व्यापार संबंधीं सभी सुविधाओं को 31 दिसम्बर, 1973 तक जारी रखने के लिए सहमत हो गई है। वह 1973 के बाद इन व्यापार सुविधाओं को जारी रखने के लिए सहमत नहीं हुई है ।

1973-74 के दौरान सोमनाथ मन्दिर और गिरनार का विकास

914. **श्री वेकरिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 में सोमनाथ मन्दिर तथा गिरनार के विकास एवं पर्यटकों के लिए अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कितनी धनराशी स्वीकृत की गयी है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : साधनों के सीमित होने तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण सोमनाथ तथा गिरनार में पर्यटन की सुविधाओं की व्यवस्था संबंधी स्कीमों को 1973-74 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जा सका ।

हैसियन पर निर्यात शुल्क में कमी

915. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैसियन पर निर्यात शुल्क को 600 रुपये प्रति टन से घटाकर 200 रुपये प्रतिटन शुल्क कर दिया गया है तथा टाट पर भी निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंडी में इन पदार्थों संबंधी प्रतियोगिता स्थिति में सुधार हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को आशा है कि इन पदार्थों का निर्यात बढ़ने से निर्यात शुल्क में हुई हानि की पूर्ति हो जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में भारतीय फर्नीचर की मांग

916. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में भारतीय फर्नीचर की मांग वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73 में निर्यातित फर्नीचर की लकड़ी इस्पात तथा प्लास्टिक की सामग्री का अनुपात क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान निर्यात किये गए लकड़ी, इस्पात तथा अन्य माल से बने फर्नीचर का मूल्य निम्नोक्त प्रकार था :—

(लाख रुपये में)

वस्तु	मूल्य
लकड़ी का फर्नीचर	14.1
इस्पात का फर्नीचर . .	49.5
अन्य	8.4

भारतीय जूट निगम का कार्यकरण

917. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में भारतीय जूट निगम का कार्यकरण संतोषजनक नहीं रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) चूंकि भारतीय पटसन निगम ने चालू वर्ष के दौरान पहली बार व्यापक रूप में बाजार में प्रवेश किया है इसलिए कुछ प्रारम्भिक कठिनाईयां हुई हैं। सरकार ने भारतीय पटसन निगम को पहले ही सलाह दी है कि वह अवस्थापना में सुधार करके, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर तथा कार्यविधि को सरल व कारगर बनाकर अपने आपको लैस करे।

तीसरे वेतन आयोग के साथ काम करने के लिये प्रतिनियुक्ति पर रखे गये अधिकारी

918. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी तीसरे वेतन आयोग के साथ कार्य करने के लिये प्रतिनियुक्ति पर रखे गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने वे लोग थे जिन्होंने पेंशन प्राप्त करने के लिये अपनी स्वेच्छा व्यक्त कर रखी थी तथा ऐसे कितने थे जिन्होंने अंशदायी भविष्य निधि के लिये अपनी स्वेच्छा व्यक्त की थी;

(ग) ऐसे कितने मामले थे जिनमें अंशदायी भविष्य निधि के लिये स्वेच्छा व्यक्त करने वाले कर्मचारियों के लेखा प्राधिकारियों को सरकार द्वारा अपना अंशदान दिया जाता था; और

(घ) यदि ऐसा कोई मामला नहीं था, तो एसा अंशदान देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) भूतपूर्व तृतीय वेतन आयोग के कार्यालय में 1 जनवरी, 1973 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या 179 थी । इनमें से केवल दो कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि लाभों के हक-दार थे, बाकी पेंशन योजना के अंतर्गत आते थे।

(ग) तथा (घ) देय अंशदान की रकम के संबंध में संबंधित कार्यालय से जब मांग आयगी तब इन दोनों मामलों में आवश्यक रकम की जमा दे दी जायगी।

हालैण्ड से ऋण के लिये करार

919. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के भारतीय सार्थ-संघ के ढांचे के अन्तर्गत वर्ष 1973–74 के लिये वित्तीय सहायता के रूप में 68 लाख गिल्डर के'(ए इज क्रेडिट एड टु इंडिया एग्रीमेंट सेवन्टीथ लोन)' एक ऋण पर हस्ताक्षर किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण संबंधी करार की मुख्य बाते क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 22 अगस्त, 1973 को हैग (नीदरलैंड) में 6.8 करोड़ डच फलोरेंस (केन्द्रीय विनिमय दर के अनुसार 1525.24 लाख रुपये) के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ख) इस ऋण का उपयोग हालैंड से सामान और सेवाओं का आयात करने के लिए किया जायगा तथा यह ऋण 31 वर्षों की अवधि में वापस किया जाना है जिसमें 8 वर्ष की प्रारम्भिक रियायती अवधि भी शामिल है । इस ऋण पर 2½ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज लगेगा ।

पश्चिम बंगाल में हुए पटसन मालिकों के सम्मेलन द्वारा पटसन के मूल्यों का निर्धारण

920. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हुए पटसन मालिकों के सम्मेलन में पटसन का मूल्य 75 रुपये प्रति मन निर्धारित करने की मांग का मंत्री महोदय ने स्वयं साथ दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार द्वारा निर्धारित कच्चे जूट के मूल्यों को प्रभावी न किया जाना

921. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कच्चे जूट के 157.60 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्यों को प्रभावी न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या किसानों को कच्चे जूट की काटल तथा इसे विक्रय योग्य बनाने पर 65 रुपये प्रति मास प्रति मन खर्च करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मूल्य निर्धारित किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कच्चे पटसन (आसाम बाटम किस्म/कलकत्ता में सुपुर्दगी) का न्यूनतम कानूनी मूल्य 125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है । 157.60 रुपये का मूल्य भारतीय पटसन निगम के वाणिज्यिक खरीद कार्यों पर लागू है और भारतीय पटसन निगम द्वारा सभी खरीदारियां इस प्रकार की गई हैं, जिस से वर्ष भर में 157.60 रुपये प्रति क्विंटल का औसत मूल्य आ जाये ।

(ख) पटसन की उत्पादन लागत का भिन्न-भिन्न अनुमान लगाया गया है । पटसन विकास निदेशालय ने 20 रुपये और 26 रुपये प्रति मन तक के बीच आंकड़े दिये हैं ।

(ग) कच्चे पटसन का न्यूनतम कानूनी मूल्य प्रत्येक मौसम में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश पर निर्धारित किया जाता है ।

राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन

229. **श्री वीरेंद्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्रय पद्धति में परिवर्तन करने तथा विभिन्न वस्तुओं के आयात के लिए दीर्घावधि प्रबंध करने के उद्देश्य से राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम की कार्यप्रणाली का इस दृष्टि से बराबर पुनर्विलोकन किया जाता है कि इसे बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तथा कच्चे माल के आयात और परम्परागत बाजारों को नये उत्पादों का तथा नये बाजारों को परम्परागत मालों का निर्यात करने के लिए संभम बनाया जा सके ।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा पिछड़े क्षेत्रों को सहायता देने के लिये व्यवस्था

923. **श्री वीरेंद्र सिंह राव :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पिछड़े क्षेत्रों से ऋणों के लिए आवेदनों में कमी पर चिन्तित होकर इन क्षत्रों में संवर्धन गतिविधियों को चलाने तथा ठोस रूप से नये उद्यमियों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है ;

(ख) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि पिछड़े क्षेत्रों के लिये सम्भाव्यता-प्रतिवेदन तैयार करने, परियोजना विकास सलाहकार सेवा जुटाने तथा रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराने में सहायता देने के लिये उपयुक्त व्यवस्था का गठन किया जाए ; और

(ग) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब कार्य करना आरम्भ कर देगी और इसके कार्यकरण सम्बन्धी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) औद्योगिक वित्त निगम ने अन्य अखिल भारतीय संस्थानों के साथ विभिन्न अल्पविकसित क्षेत्रों में औद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण करने और सर्वेक्षणों पर बाद की कार्यवाई करने के लिए उन राज्यों में अन्तर संस्थात्मक दलों का निर्माण करने के संबंध में पहले ही कार्य आरम्भ कर दिया है । संस्थाओं ने उन सर्वेक्षणों में पता लगायी गयी परियोजनाओं की व्यवहार्यता संबंधी रिपोर्टों पर कार्यवाई शुरू कर दी है जिनका व्यय अखिल भारतीय संबंधी ऋण संस्थाओं द्वारा वहन किया जा रहा है । संस्थाओं ने संयुक्त रूप से केरल और असम में तकनीकी परामर्शदात्री संगठन भी स्थापित किये हैं । ये संगठन नयी औद्योगिक परियोजनाओं के आयोजकों को और परियोजना निर्माण क्रियान्वयन और प्रवर्तन के क्षेत्र में मौजूदा एककों को भी तकनीकी परामर्श देते हैं ।

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत, जो उस वर्ष संसद के शीत-कालीन अधिवेशन में पारित किया गया था, औद्योगिक वित्त निगम को अपने लाभ में से एक उपकारी प्रारक्षित निधि का निर्माण करने के योग्य बना दिया है जिसका उपयोग निगम द्वारा व्यवहार्यता अध्ययनों, परियोजना रिपोर्टों, बाजार संबंधी और तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षणों के व्यय की पूर्ति के लिए और तकनीकी

तथा नये उद्यमकर्ताओं द्वारा आयोजित परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ऋणों या अग्रिमों के संबंध में निगम के ऋण की सामान्य व्याज-दर के विभिन्न आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए और उनके द्वारा औद्योगिक रूप से अल्प विकसित क्षेत्रों में आयोजित परियोजनाओं की तकनीकी और प्रबंध संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा ।

ऐसे नये उद्यमकर्ताओं को, जो निगम की सहायता से उद्योग में प्रवेश करते हैं, और अल्पविकसित क्षेत्रों तथा मध्यम एवं छोटे उद्योगों के उद्यमकर्ताओं को भी, प्रशिक्षण सुविधाएं देने के लिए निगम ने एक प्रबंध विकास संस्था प्रायोजित की है ।

जूट के सामान पर निर्यात शुल्क का समाप्त किया जाना

925. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जूट के सामान पर से निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस शुल्क से प्रतिवर्ष कितना राजस्व प्राप्त होता था ; और

(ग) इस शुल्क को समाप्त करने के क्या कारण हैं जबकि संलिष्ट सामग्री की हर जगह कमी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे जूट निर्यात के लिए संलिष्ट उत्पादों की प्रतियोगिता से कोई गंभीर खतरा भी नहीं है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) प्राथमिक कालीन अस्तर पर निर्यात शुल्क 300 रुपये प्रति टन से घटा कर 200 रुपये प्रति टन और गौण अस्तर पर 300 रुपये से घटा कर 100 रुपये प्रति टन कर दिया गया है और हैसियन पर 600 रुपयें प्रति टन से घटाकर 200 रुपय कर दिया गया है । टाट पर लगाया जाने वाला शुल्क जो कि 150 रुपय प्रति टन था, समाप्त कर दिया गया है । वर्ष 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 के दौरान पटसन की वस्तुओं पर वसूल किया गया राजस्व क्रमश: 1219 लाख रुपये, 2218 लाख रुपये तथा 3002 लाख रुपये था । आशा है कि शुल्क समाप्त/कम करने के कारणस्वरूप राजस्व में होने वाली सारी कमी, निर्यातों में वृद्धि होने से पूरी हो जायगी । संलिष्ट प्रतिस्थानी वस्तुओं की तुलना में भारतीय पटसन वस्तुओं की प्रतियोगी स्थिति, बंगलादेश द्वारा निर्यातित पटसन उत्पादों की सापेक्ष कीमत आदि जैसे विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्यातों को बढ़ाने के विचार से पटसन की वस्तुओं पर शुल्कों को कम/समाप्त किया गया । निर्यात शुल्क को समाप्त/कम करने से भारतीय उत्पादों की वैसी ही प्रतियोगी स्थिति हो जायगी जैसी कि 1971 से पहले थी, जबकि शुल्कों को लागू किया गया था ।

विदेशी सहयोग करारों का विश्लेषण

926. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा में विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1973 पर चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि हाल ही के वर्षों में विदेशी कम्पनियों और भारतीय कम्पनियों के बीच किये गये सब 7,000 अथवा अधिक सहयोग करारों का विश्लेषण किया जाना चाहिये ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा इस बीच ऐसा कोई विश्लेषण किया गया है ;

(ग) उक्त विश्लेषण कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(घ) क्या विश्लेषण के परिणामों को सभा पटल पर रखा जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां । किन्तु बहस के दौरान सदस्य महोदय ने 4,000 विदेशी सहयोग करारों का उल्लेख किया था ।

(ख) से (घ) : अभी तक विश्लेषण शुरू नहीं किया गया है। परन्तु मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

आसाम बाटम और कच्चे पटसन के अन्य किस्मों के लिए सरकार द्वारा समर्थन मूल्य निर्धारित करना

927. **श्री मधु लिमये :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आसाम बाटम तथा कच्चे पटसन की अन्य किस्मों के लिए समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया है ;

(ख) क्या पटसन मिलों ने इन समर्थन मूल्यों पर कच्चे पटसन को खरीदने से इंकार कर दिया है ;

(ग) क्या भारतीय पटसन निगम मंडी में बड़े पैमाने पर पूरे पटसन को खरीदने के लिये आगे नहीं आया है ;

(घ) क्या इस मूल्य के परिणामस्वरूप कच्चे पटसन के मूल्यों में गिरावट आई है जिससे उत्पादकों को भारी हानि तथा परेशानी हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी परेशानियों को दूर करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें लाभप्रद मूल्य मिले, सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) चालू मौसम के दौरान कलकत्ता में डिलीवर की गई कच्चे जूट की आसाम बाटम किस्म के लिए न्यूनतम सांविधिक कीमत 125 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है । कच्चे जूट की अन्य किस्मों/ग्रेडों के लिए निर्धारित न्यूनतम कीमतें संलग्न विवरण में दी गई हैं । [ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 5709/73]

(ख) जी नहीं ।

(ग) भारतीय जूट निगम की चालू मौसम के दौरान फसल का लगभग 15 प्रतिशत खरीदने की योजना है ।

(घ) भारतीय जूट निगम की खरीद की कार्यवाहियों से कीमतों की स्थिरता में यहां तक सहायता मिली है कि कच्चे जूट की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत से अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर चल रही हैं तथा उनकी गत वर्ष की कीमतों के साथ, जबकि फसल कम हुई थी, तुलना की जा सकती है ।

(ङ) सरकार का विचार जूट व्यापार में भारतीय जूट निगम के कार्यभाग को उत्तरोत्तर बढ़ाने का है ।

मैसर्स कापड़िया तथा उनसे संबद्ध सम-निकायों द्वारा प्राप्त आयात लाइसेंस

928. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसस कापड़िया तथा उनसे संबंध सम-निकायों ने गत तीन वर्षों में कितने मूल्य के आयात लाइसेंस प्राप्त किये;

(ख) उक्त लाइसेंस कितने मूल्य का निर्यात करने का दायित्व पर दिये गये थे ;

(ग) क्या उक्त निर्यात दायित्व पूरे किये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) पार्टियों के तथा जिस प्रकार के लाइसेंस प्राप्त किए जाने के बारे में बताया गया है, उनके पूर्ण विवरण के अभाव में अपेक्षित जानकारी देना संभव नहीं है । केवल पात्र निर्यात सदनों को ही लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है : मैसर्स कापड़िया नाम का या इस तरह का कोई भी पात्र निर्यात सदन इस समय नहीं है ।

हवाई अड्डों पर मार्गनिर्देशन तथा विमान-अवतरण संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में टाटा समिति का प्रतिवेदन

929. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हवाई अड्डों पर मार्ग निर्देशन तथा विमान-अवतरण संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता की जांच करने के लिये नियुक्त की गई टाटा समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) (क) नागर विमानन विभाग के संगठनात्मक ढांचे तथा कार्यों का पुनर्विलोकन करने तथा आधुनिक विमानन की तेजी से बढ़ती हुई आवश्यकताओं की दृष्टि से इसके पुनर्गठन के लिए सिफारिशें करने के लिये 21 जुलाई, 1973 को श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था ।

(ख) समिति को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगने की संभावना है ।

अखबारी कागज के आयात में राज्य व्यापार निगम द्वारा कथित अनियमितताएं

930. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों का दौरा करने वाली भारतीय संपादकीय तथा समाचार सेवा (आई० ई० एन० एस०) के प्रतिनिधिमंडल ने यह लिखा है कि राज्य व्यापार निगम ने पक्षपात किया था और अखबारी कागज के आयात में सप्लायर का अंतिम निर्णय किसी भी सिद्धांत पर आधारित नहीं था ;

(ख) क्या यह भी आरोप था कि अखबारी कागज सप्लाई करने वालों का चुनाव तथा असंबद्ध बातों के आधार पर किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है ; और यदि हां, तो इस बारे में सरकार के क्या निष्कर्ष हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) आई० ई० एन० एस० से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज की खरीदों के संबंध में जो जुलाई/अगस्त 1973 में सं० रा० अमेरिका तथा कनाडा में दौरे पर गये इसके प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गई थीं, कुछ टीका-टिप्पणी की गई थी, लेकिन टीका-टिप्पणी तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि सप्लायरों का चयन अखबारी कागज खरीद समिति द्वारा, जिसमें आई० ई० एन० एस० का प्रतिनिधि भी है, बड़ी सतर्कता से जांच करने के बाद किया गया था और क्योंकि अखबारी कागज की खरीद के लिए सविदाएं संम्पन्न करने का विनिश्चय उपरोक्त समिति द्वारा किया गया था ।

कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करने पर टैरिफ तथा अन्य प्रतिबंधों का हटाया जाना

931. **श्री के० एम० मधुकर :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टोकियो में हुए जी० ए० टी० टी० के तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन में कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के निर्यात पर टैरिफ तथा अन्य सभी प्रकार के प्रतिबन्ध हटाने पर जोर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्या सुझाव दिये गये थे और उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 12 से 14 सितम्बर, 1973 तक टोकियो में आयोजित गाट के संविदाकारी पक्षकारों के मंत्री स्तरीय सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री ने किया था और सभा में दिये गये उनके वक्तव्य में आगामी बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के विषय में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था । वाणिज्य मंत्री के संबंधित वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है (अनुबन्ध–1) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5710/73]

मंत्री स्तरीय सत्र में एक घोषणा स्वीकार की गई जिसके अन्तर्गत गाट द्वारा आयोजित वार्ताओं के उद्देश्यों का ब्यौरा दिया गया है और उनके संचालन के लिए मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत भी निर्धारित किये गये हैं । टोकियों सत्र में स्वीकृत घोषणा की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है (अनुबन्ध 2) [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 5710/73]।

गुजरात में द्वारका तथा बेट-द्वारका का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास

932. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात राज्य में द्वारका तथा बेट-द्वारका को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या प्रत्येक वर्ष लाखों यात्री इन स्थानों पर जाते हैं ;

(ग) क्या इन स्थानों पर कोई सरकारी अतिथि-गृह नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो पर्यटकों को पर्याप्त आवासीय सुविधा प्रदान कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) जी, हां । द्वारका और बेट-द्वारका पहले से ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं जो देश के सभी भागों से तीर्थयात्रियों को बड़ी संख्या में आकर्षित करते हैं ।

(ग) द्वारका में एक सरकारी अतिथि गृह, तथा बेट-द्वारका में लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित एक विश्राम गृह है ।

(घ) साधनों के अत्यंत सीमित होने और अन्य प्राथमिकताओं के कारण फिलहाल बेट-द्वारका में केन्द्रीय क्षेत्र में आवास की व्यवस्था करना कठिन होगा ।

जापान एयर लाइंस द्वारा अपने डी०सी०-8 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारणों की पुनः जांच करने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करना

933. **श्री सी० जनार्दनन : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान एयर लाइन्स (जाल) ने गत वर्ष दिल्ली के समीप अपने विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारणों की पुनः जांच कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है ;

(ख) इस विमान दुर्घटना के बारे में जांच न्यायालय के सम्बद्ध निष्कर्षों का सार क्या है ; और

(ग) जापान एयर लाइन्स ने पुनः जांच की मांग अब किस आधार पर की है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जापान एयरलाइन्स ने 24 सितम्बर, 1973 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसमें जांच-अदालत की रिपोर्ट और उसके निष्कर्षों को अभिखण्डित (क्वैश) व अपास्त (सेट एसाइड) कर देने और उक्त रिपोर्ट तथा 21 जून 1973 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भारत सरकार द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति के निर्णय को विखण्डित (रिसिंड) कर देने के लिये, उत्प्रेषण समादेश (सरशियोरेराई रिट) अथवा किसी अन्य समादेश (रिट), आदेश अथवा अनुदेश के जारी करने की प्रार्थना की गई है ।

(ख) सम्बद्ध जांच-परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है :—

(i) ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे उड़ान के दौरान विमान, इसके इंजन तथा विमानवाहित उपस्कर के दुष्परिचालन अथवा विकृत परिचालन का पता चलता हो, और न ही ऐसा कोई प्रमाण मिला है जिससे पता चलता हो कि दिल्ली विमानक्षेत्र पर किसी दिक्चालन व अवतरण उपकरण का कोई दुष्परिचालन अथवा विकृत परिचालन हुआ है ।

(ii) दिल्ली के मौसम का दुर्घटना में कोई योगदान नहीं था ।

(iii) दुर्घटना का तात्कालिक कारण विमान का असामान्य तेज गति से उतरना प्रतीत होता है जिसका कि उड़ान कार्मिकों को अंतिम क्षण तक पता नहीं चला । यद्यपि इस असामान्य अवतरण के कारण को निर्धारित करने के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है तथापि यदि उड़ान कार्मिक उपस्कर संकेतों की पूर्ण सतर्कता से जांच करते तो दुर्घटना को बचाया जा सकता था ।

(ग) समादेश याचिका (रिट पेटीशन) मुख्यतया कानूनी प्रश्नों पर आधारित है जैसे :—

(1) क्या वायुयान नियम, 1937 के नियम 75 के अंतर्गत नियुक्त जांच अदालत को इकतरफा परिक्षण करने तथा इकतरफा निरीक्षण एवं प्रेक्षण करने और उनके परिणामों का प्रयोग करने की छूट है ;

(2) क्या अदालत को वायुयान नियम, 1937 के नियम 75(4) के उपबंधों के अनुसार कोई विशेष दोष लगाए बग़ैर विमानचालकों को दोषारोपित करने अथवा प्रशिक्षण सुविधाओं की आलोचना करने की छूट है ;

(3) क्या वायुयान नियमों के नियम 75 के अंतर्गत नियुक्त एक असेसर को, उसके एक सरकारी पदाधिकारी होने के कारण अदालत की कार्यवाही में भाग लेने के अयोग्य करार दे दिया गया था ।

ब्रिटेन में भारत के चाय व्यापार का बन्द होना

934. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन भारतीय चाय की मण्डी नहीं रही है ;

(ख) क्या ब्रिटेन को चाय का निर्यात 1966–67 के 995 लाख किलोग्राम से घटकर 1972–73 में 530 लाख किलोग्राम रह गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निर्यात की पहले जैसी स्थिति प्राप्त करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ब्रिटेन के चाय के आयातों में भारतीय चाय का भाग 1966 में 41.77 प्रतिशत से घट कर 1972 में 29.35 प्रतिशत रह गया है ।

(ख) भारत से ब्रिटेन को चाय के निर्यात 1966–67 में 959 लाख कि० ग्रा० से घट कर 1972–73 में 530 कि० ग्रा० रह गए ।

(ग) ब्रिटेन की निर्यातों में गिरावट के निम्नोक्त कारण हैं :—

(1) उस देश में चाय की खपत में गिरावट तथा ;

(2) अफ्रीका तथा इंडोनेशिया की चाय से बढ़ती हुई प्रतियोगिता ।

भारतीय चाय के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 1–3–1973 से चाय पर निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया है और 15 अप्रैल, 1970 से निर्यातों पर उत्पादन शुल्क की रिबेट देना भी आरंभ कर दिया है । इसके अतिरिक्त ब्रिटेन को चाय के निर्यात बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड की ब्रिटेन में तीन मुख्य पैकरों के साथ मिलकर संयुक्त संवर्धन योजनाएं ह जो उस देश में उनके द्वारा बेचे जाने वाले अधिक शुद्धता वाले तथा मुख्यतः भारतीय चाय के मिश्रणों से संबंधित हैं ।

नागर विमानन विभाग के कार्यकरण पर टाटा समिति के प्रतिवेदन को लागू करना

935. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री एम० सुनर्शनम :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नागर विमानन विभाग में आमूल परिवर्तन करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या नागर विमानन विभाग की संरचना तथा उस के कार्यकरण में विषद् परिवर्तनों की सिफारिश करने वाली जे० आर० डी० टाटा समिति के प्रतिवेदन को लागू किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों संबंधी विचाराधीन मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) नागर विमानन विभाग के संगठनात्मक ढांचे तथा कार्यों का पुनर्विलोकन करने तथा आधुनिक विमानन की तेजी से बढ़ती हुई आवश्यकताओं की दृष्टि से इसके पुनर्गठन के लिए सिफारिशें करने के लिए 21 जुलाई, 1973 को श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था । समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

विदेश व्यापार क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात/निर्यात बैंक की स्थापना

936. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी व्यापार क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरा करने के उद्देश्य से आयात/निर्यात बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या योजना आयोग भी इस प्रस्ताव से सहमत है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विदेश व्यापार क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात आयात बैंक की स्थापना करने की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) इस संबंध में अन्तिम निर्णय लिये जाने में कुछ समय और लगेगा ।

(ग) इस संबंध में योजना आयोग से अभी तक परामर्श नहीं किया गया हैं ।

भारत में मूल्य वृद्धि के संबंध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया का प्रतिवेदन

937. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री आर०वी० स्वामीनाथन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने, 30 जून 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्यकरण के सम्बन्ध में अपने वार्षिक प्रतिवेदन में मूल्य वृद्धि के लिये सरकार को जिम्मेदार ठहराया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में मूल्य वृद्धि के क्या क्या कारण दिये गये हैं ;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दिये गये सुझावों को देखते हुए मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1972-73 की मूल्य सम्बन्धी प्रवृत्तियों की समीक्षा करते समय अपने मूल्यांकन में ऐसे कई कारण गिनाये है जिनका मूल्यों पर भारी दबाव पड़ा है । रिजर्व बैंक के मूल्यांकन के अनुसार, मूल्य स्तर में वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि "लगातार दो वर्षों से कृषि उत्पादन में कमी हो जाने के कारण कई प्रकार की श्रमिक वस्तुओं विशेषकर कृषि-क्षेत्र मूलक वस्तुओं की भारी कमी हो गयी ।" रिजर्व बैंक ने इस संबंध में जो और कारण बताए हैं उनमें अर्थ-व्यवस्था में उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त मांग एक महत्वपूर्ण कारण है । इस समीक्षा में यह बताया गया कि "आन्तरिक मांग के स्तर में वृद्धि होने का बड़ा कारण सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय है ।" किन्तु इस सम्बन्ध में यह बात स्वीकार की गयी है कि व्यय में जो वृद्धि हुई है वह अंशतः अप्रत्याशित थी । इस प्रकार, सरकार को 1971-72 और 1972-73 में बंगला देश से संबंधित घटनाओं, अकाल तथा अन्य राहत कार्यों के लिये की जाने वाली व्यवस्था, आपातिक कृषि-कार्यक्रम तथा रक्षा संबंधी अधिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में काफी अतिरिक्त व्यय करना पड़ा । कृषि उत्पादन में कमी होने से अर्थव्यवस्था पर जो मूल्य वृद्धिकारी दबाव पड़ा था वह इन दो वर्षों में अपेक्षाकृत अधिक सरकारी व्यय होने के कारण, और अधिक बढ़ गया ।

(घ) सरकार स्थिति के बारे में पूरी तरह से सचेत है तथा अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि में सुधार करने तथा अतिरिक्त मांग को कम करने के हर सम्भव उपाय कर रही है। महत्वपूर्ण अनाजों को निश्चित मूल्यों पर बिक्री करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है। चीनी, मिट्टी का तेल तथा सूती कपड़े की कुछ किस्मों जैसी अन्य अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य तथा उनके वितरण को भी नियंत्रित अथवा नियमित किया जा रहा है। अनाजों और चिकनाइयों की विश्व-व्यापी कमी के दबाव के बावजूद, अनाजों तथा खाद्य तिलहनों/तेलों का बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है। राज्य सरकारों पर इस बात का जोर दिया गया है कि वे कृषि उत्पादन में वृद्धि करने तथा अनाजों की वसूली करने के लिए और इसके साथ ही समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए भरसक प्रयास करें। वर्ष के दौरान मुद्राविषयक नीति को और कड़ा कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर बैंक-दर 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 7 प्रतिशत कर दिया गया तथा न्यूनतम ऋण दर निर्धारित कर दी गयी है। प्रारक्षित अनुपात और शुद्ध नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्ति का अनुपात भी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ-साथ सरकार ने अपने खर्चों में कमी करने का निर्णय किया है। राज्य सरकारों को भी ऐसे ही उपाय करने का परामर्श दिया गया है। अगस्त, 1973 में, केन्द्रीय सरकार ने 1973-74 के बजट परिव्यय में 400 करोड़ रुपये तक कमी करने का निर्णय दिया है इन सब उपायों के अलावा करों तथा अन्य राजस्वों में अधिक से अधिक वृद्धि करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

केन्या में वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भारत का भाग लेना

938. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने भी सितम्बर, 1973 में केन्या में नैरोबी में हुये वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किन-किन विषयों पर हुई ; और

(ग) उसमें क्या निर्णय लिये गये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारत ने, सितम्बर 1973 में नैरोबी में विश्व बक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के गवर्नरों के बोर्डों की वार्षिक बैठक में भाग लिया था।

(ख) इस बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सुधार, विकास संबंधी सहायता और विश्व बैंक समूह के योगदान से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) यह स्वीकार किया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा नियुक्त "बीस की समिति" को अगले वर्ष जुलाई तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सुधार करने के बारे में एक योजना पेश कर देनी चाहिए। सम्मेलन के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के भाग एक के सदस्य देश इस बात पर सहमत थे कि वे विकासशील देशों को सहायता देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साधनों का पुनर्भरण करने हेतु अपने-अपने संसदों की अनुमति से तीन वर्ष तक प्रतिवर्ष 150 करोड़ डालर की रकम देगें।

यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश करने के पश्चात् ब्रिटेन द्वारा भारत के निर्यात पर टैरिफ संबंधी रुकावटें

939. **श्री डी० के० पंडा :**
श्री रानेन सेन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश करने के परिणामस्वरूप भारत के निर्यात पर टैरिफ सम्बन्धी रूकावटें लगायेगा ;

(ख) क्या भारत ने इस प्रश्न पर इस निर्णय को वापस लेने के लिये फिर से ब्रिटेन के साथ बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश के लिए जो संधि है उसके अन्तर्गत ब्रिटेन 1 जनवरी, 1974 से समुदाय के सामान्य सीमा शुल्क टैरिफ को उत्तरोत्तर लागू करने के लिए बाध्य है । इससे हमारे कुछ महत्वपूर्ण निर्यात उत्पादों के लिए ब्रिटेन में नए टैरिफ बाधाएं उपस्थित हो जाएंगी । समुदाय के बड़े होने से हमारे निर्यातों के लिए व्यापार सम्बंधी जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उन्हें सुलझाने के लिए विचार विर्मश चल रहे हैं ।

आय-कर की बकाया राशि को बट्टे खाते डालना

940. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा वर्ष 1973-74 के दौरान 31 अक्तूबर, 1973 तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन तथा सदस्यों द्वारा आयकर की कुल कितनी धनराशि बट्टे खाते डाली गई ; और

(ख) जिन व्यक्तियों पर देय आय-कर की राशि बट्टे खाते में डाली गई, उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में बकाया राशि को बट्टे खाते डालने का औचित्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में 31 अक्टूबर 1973 तक आयकर की बट्टे खाते डालने के लिए अनुमोदित कुल रकम इस प्रकार है :—

अवधि	बट्टे खाते डाली गई रकम रु०
1971–72	2,69,12,616.17
1972–73	1,92,77,806.37
1973–74 (31 अक्तूबर 1973 तक)	58,35,226.55

(ख) 1971-72, 1972-73 और अक्तूबर 1973 तक जिन पार्टियों के प्रति आयकर की रकम बट्टे खाते डाली गई उनके नाम तथा बट्टे खाते डाली जाने के कारणों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है । [**ग्रथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 5711/73].

जीवन बीमा निगम के एजेंटों को दिये जाने वाले कमीशन से आयकर की कटौती

941. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि कोई एजेंट आयकर दाता की श्रेणी में आता है अथवा नहीं, उसको प्राप्त कमीशन में से आयकर के रूप में 10 प्रतिशत कमीशन काटना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार को जीवन बीमा निगम के एजेंटों को इस कारण हो रही कठिनाइयों का पता है ; और

(ग) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा आयकर दाता की श्रेणी में न आने वाले एजेंट के कमीशन से काटी गई आयकर की पूरी राशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में लौटा दिया जाएगा अथवा क्या एजेंट से काटी गई राशि के राशि को लौटाए जाने के लिये आयकर अधिकारियों के समक्ष दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :(क) आयकर अधिनियम की धारा 194-बी में यह व्यवस्था है कि बीमा कमीशन के रूप में प्राप्त आय में से 1 जून 1973 से आयकर को चालू दरों से स्रोत पर काटा जायगा; वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए यह दर 10 प्रतिशत है । इसलिए जीवन बीमा निगम, एजेन्टों द्वारा अर्जित कमीशन में से कर की कटौती करता रहा है, परन्तु जिन मामलों में कोई एजेन्ट आयकर अधिनियम की धारा 197 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि जीवन बीमा निगम प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर आयकर काटे अथवा कर काटा ही नहीं जाय, उनमें यथा स्थिति कार्यवाही की जाती है ।

(ख) उपर्युक्त उपबन्धों के प्रवर्तन के संबन्ध में सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और इस संबन्ध में आवश्यक अनुदेश/स्पष्टीकरण जारी कर दिये गये हैं ।

(ग) जिस किसी भी ऐजेन्ट की कर-निर्धारण योग्य आय वित्तीय वर्ष में कर लगने योग्य सीमा से कम है, वह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 239 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में आयकर विवरणी सहित दरख्वास्त आयकर अधिकारी को प्रस्तुत करके स्रोत पर काटे गये आयकर की वापसी का दावा कर सकता है ।

जीवन बीमा निगम के कार्यकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर व्यय हुआ धन

942. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 तथा 1973-74 में 31 अक्तूबर, 1973 तक जीवन बीमा निगम के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा पर कुल कितनी धन राशि व्यय की गई; और

(ख) जीवन बीमा निगम के इन कार्य-कारी अधिकारियों की विदेश यात्रा के परिणामस्वरूप जीवन बीमा निगम को अनुमानतः कितना लाभ हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कार्यकारी अधिकारियों द्वारा विदेशी दरों पर खर्च की गयी कुल रकम नीचे दी गयी है:—

1971-72	रु० 91,897.45
1972-73	रु० 44,519.95
1973-74	रु० 60,630.15

(ख) यह जरूरी नहीं है कि जीवन बीमा निगम के कार्यकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा कारोबार के विकास के संबन्ध में ही हो। इसलिए इन दरों से हुए लाभों का मूल्यांकन कारोबार में फायदे के रूप में करना संभव नहीं है ।

कलकत्ता में आवास तथा जल सप्लाई में सुधार करने के लिये विश्व बैंक के साथ ऋण के लिये करार

943. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता में आवास तथा जल सप्लाई में सुधार करने के लिये ऋण लेने हेतु विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ हस्ताक्षर किये है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण देना स्वीकार किया गया है और ऋण की शर्तें क्या है; और

(ग) क्या कलकत्ता की आवास तथा जल सप्लाई को सुधारने सबंधी योजना तैयार है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ कलकत्ता नगर विकास परियोजना के लिए 3.5 करोड़ डालर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये है । इस ऋण पर कोई व्याज नहीं लगेगा किन्तु केवल ¾ प्रतिशत का सेवा प्रभार लगेगा और यह 50 वर्षों की अवधि में वापस किया जाना है जिसमें 10 वर्षों की रियायती अवधि भी शामिल है ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा वित्त-पोषित की गयी परियोजना की कुल लागत 70 करोड़ रुपये है और इसमें जल निकासी सुधार, जल पूर्ति, बस्ती सुधार आदि की योजनाएं शामिल होंगी। ये योजनाएं पहले से ही क्रियान्वित की जा रही हैं

भारत और स्कैन्डेनोविया के दलों में विमान परिवहन के बारे में वार्ता

944. **श्री देवेन्द्र सिंह गारचा :**
श्री एम०एस० संजीवी राव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और स्केन्डेनोविया के दलों के बीच हाल ही में विमान परिवहन तथा अन्य संबन्धित विषयों के बारे में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां। भारत सरकार और नार्वे, डेनमार्क और स्वीडन की सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में 8 से 11 अक्तूबर 1973 तक वार्ता हुई।

(ख) वार्ता के परिणामस्वरूप भविष्य में एस० ए० एस० द्वारा भारत को/से होते हुए विमान सेवाओं के परिचालन के संबन्ध में एक करार हुआ। एस० ए० एस० कलकत्ता से गुजरने वाली अपनी सप्ताह में एक बार की सेवा जारी रखेगा और उसे नई दिल्ली से होकर सप्ताह में एक बार की एक अतिरिक्त सेवा का भी अधिकार होगा। पारस्परिक आधार पर एयर-इंडिया को कापनहेगन अथवा स्वीडन या नार्वे में किसी अन्य स्थान से होते हुए सप्ताह में दो बार विमान सेवा परिचालन का अधिकार होगा।

व्यापारियों द्वारा दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की मूल्य सूची ना लगाया जाना

945. **श्री वीरेंद्र सिंह गारचा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बढ़ते मूल्यों एवं इसके लिये उत्तरदायी व्यापारी वर्ग की कटु आलोचना के बावजूद भी राजधानी के खुदरा व्यापारी अपनी दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की मूल्य सूची आदि लगाये बिना उन्हें मनमाने लाभ से बेच रहे हैं; और

(ख) इस प्रकार सामान्य आदमी के शोषण को तथा व्यापारियों की मनमानी को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कठोर कार्यवाही करने का है तथा समाज-विरोधी तत्वों को दबाने के लिये सरकार ने क्या गंभीर प्रयास किये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सुनिश्चित करने के लिए कि जन-साधारण की खपत की वस्तुएं खुदरा व्यापारियों द्वारा ऊंची कीमतों पर न बेची जाएं कोयले, मिट्टी के तेल, वनस्पति तेल, बैट्री सैल, सीमेंट, कुकिंग गैस, बिजली, आटा, मैदा, सूजी, चावल, चीनी तथा डबल रोटी (ब्रेड) की कीमतें दिल्ली विनिर्दिष्ट वस्तु (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1971 के अन्तर्गत निर्धारित कर दी गई हैं। सभी विक्रेताओं को ऐसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को प्रदर्शित करना पड़ता है जो कि दिल्ली (आवश्यक वस्तुओं के मूल्य तथा स्टाक प्रदर्शन) आदेश 1966 के साथ लगी हुई अनुसूची में दी गई है।

(ख) जो खुदरा व्यापारी इन वस्तुओं के संबन्ध में निर्धारित मूल्य की अपेक्षा अधिक मूल्य लेते पाये जाते हैं उनके खिलाफ प्रशासन तत्काल कार्यवाही करता है। क्षेत्रीय अमले को पहले ही यह अनुदेश जारी किये जा चुके हैं कि जो भी मूल्य तथा स्टाक के प्रदर्शन के संबन्ध में आदेशों का उल्लंघन करते पाये जाएं, उन सभी के खिलाफ तत्काल केस दर्ज करें।

तकनीकी कर्मचारियों में स्वनियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिये बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना

946. **श्री देवेन्द्र सिंह गारचा** :
श्री आर० के० सिन्हा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये उद्योग स्थापित करने के इच्छुक विशेषकर तकनीकी जानकारी प्राप्त व्यक्तियों के लिये स्व-नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिये सरकार ने देश के बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों द्वारा वसूल किये जाने वाले ब्याज की दर 11 प्रतिशत है जब कि राज्य स्तर पर लगभग 6 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध है; और

(ग) क्या सरकार का बैंकों को यह सलाह देने का विचार है कि नये उद्यमकर्त्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिये उनसे बहुत कम ब्याज वसूल किया जाये तथा उनको कम से कम एक वर्ष तक कोई ऋण लौटाने को विवश न किया जाये जैसा कि कुछ राज्यों में औद्योगिक विकास निगम करता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) जी हां सरकार ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अनुरोध किया है कि छोटे उद्यमकर्त्ताओं और अन्य आत्म नियोजित उद्यमियों को ऋण देने के अपने प्रयासों में तेजी लायें ताकि आयोजना आयोग द्वारा बनाये गये 'पांच लाख रोजगार' कार्यक्रम के अंग के रूप में, शिक्षित बेरोजगारों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ सकें।

यद्यपि बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की विशेष दरों के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया गया है फिर भी यह कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में विभेदी ब्याज दर योजना लागू है, बैंकों को विभेदी ब्याज दर योजना द्वारा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करते हुये, ऋणकर्त्ताओं से रियायती दरों पर ब्याज लेना चाहिये।

अन्य मामलों में बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उचित तथा उन दरों पर ही ब्याज लेंगे जो इस प्रकार के उद्यमों से लिये जाने का वाली ब्याज दरों के जैसे ही हैं।

पुर्नअदायगी की शर्तें निर्धारित करने में, बैंक लचीला दृष्टिकोण अपनाते हैं और जहां आवश्यक होता है, अग्रिमों की पुर्नअदायगी के लिये प्रारम्भिक छुट भी देते हैं। पात्र मामलों में, वाणिज्यिक बैंको द्वारा योग्य उद्यमकर्त्ताओं को, सर्वाधिक ऋणों की पुर्नअदायगी के लिये 6 मास से 2 वर्ष तक की ऋण-स्थगन की अवधि मंजूर की जाती है।

विकासशील देशों को सहायता देने की नीति

947. **श्री देवेन्द सिंह गारचा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा दिये गये संकेतों के अनुसार विकसित देशों ने आसान शर्तों पर ऋण देने तथा अधिक सहायता देकर विकासशील देशों के लिये नई सहायता नीति, बनाने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ ठोस कार्यक्रम अथवा योजना तैयार की गई है तथा विश्व बैंक स्तर पर सम्बद्ध देशों को इसकी सूचना दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तसम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) अन्तराष्ट्रीय विकास संघ के भाग एक के सदस्य देशों ने अपने-अपने विधानमण्डलों की आवश्यक अनुमति तथा विनियोजन के अधीन, अन्तराष्ट्रीय विकास संघ के साधनों के चौथे पुनर्भरण के लिये तीन वर्षों में प्रतिवर्ष 150 करोड़ चालू डालरों की रकम की व्यवस्था करना मान लिया है। ये साधन, अन्तराष्ट्रीय विकास संघ के विकासशील

सदस्य देशों को समान्य रियायती शर्तों पर अर्थात् ब्याजमुक्त किन्तु केवल 3/4 प्रतिशत सेवा प्रभार के साथ उपलब्ध कराये जायेंगे और ये देश इन ऋणों को 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में चुकायेगें। अन्तराष्ट्रीय विकास संघ के साधनों के चौथे पुनर्भरण के लक्ष्य की तारीख 8 नवम्बर, 1974 निश्चित की गयी है, जब भाग एक के सदस्य देश कुल 360 करोड़ डालर की रकम का अंशदान करके उस व्यवस्था के अनुसमर्थन के बारे में, जिसके लिये वे सहमत हुये थे संघ को सूचित करेंगे।

वर्ष 1973 के दौरान भारतीय परामर्शदात्री सेवा द्वारा प्राप्त किये गये ठेकों की संख्या

948. **श्री देवेन्द्र सिंह गारचा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 के दौरान अब तक भारतीय परामर्शदात्री सेवा द्वारा प्राप्त किये गये ठेकों की संख्या क्या है और इन सौदों में इसे कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या भारतीय विशेषज्ञों की ऐसी एजेंसियों ने आयात पर निर्भरता को भी कम किया है; और

(ग) यदि हां, तो किस रूप में और इससे कितनी बचत हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) : जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ख) तथा (ग) देश में भारतीय परामर्शदात्री फर्मों ने बहुत से क्षेत्रों में, जिनमें इंजीनियरिंग तथा प्रबंध संबंधी परामर्श भी शामिल हैं, पर्याप्त दक्षता प्राप्त कर ली है। कुछ कमियों को छोडकर, जो कि कतिपय क्षेत्रों में विद्यमान हैं, भारतीय परामर्शदात्री फर्में बहुत से क्षेत्रों में पर्याप्त सेवाएं प्रदान करने के योग्य हैं। दक्षता का स्तर काफी उंचा हो गया हैं जैसा कि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि भारतीय परामर्शदात्री फर्में निर्यातों के क्षेत्रों में भी नाम प्राप्त कर रही हैं। जिस हद तक भारतीय परामर्शदात्री फर्मों ने अपनी दक्षता प्राप्त कर ली है, उस हद तक विदेशी जानकारी पर निर्भरता में कमी हो गई है। इस कारण बचत की राशि का कोई ठीक अनुमान लगाना कठिन है।

भारत के बड़े शहरों में ऊनी चीथड़ों की बिक्री में कालाबाजारी

949. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के बड़े शहरों में ऊनी चीथड़ों के बिक्री में हो रहे कालाबाजारी के बारे में सूचना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ऊनी चीथड़ों की कीमत या वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। अतः कालाबाजारी का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1969 से स्वेज नहर के बंद रहने के कारण भारत को हुई हानि

950. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967 में स्वेज नहर के बन्द रहने के कारण भारत को व्यापार में भारी हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो भारत को कितनी हानि हुई और इस बारे में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) यह बताना कठिन है कि स्वेज नहर के बन्द रहने से भारत के विदेश व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ा है क्योंकि व्यापार प्रवाह पर अनेक बाह्य तथा आन्तरित कारणों का प्रभाव पड़ता है जिनमें बिक्री संविदाओं की शर्तों विशेषतः यह कि कि क्या कोट की गई कीमतें जहाज पर मूल्य अथवा लागत बीमा तथा भाड़ा सहित मूल्य के आधार पर हैं, करार माल का निर्यात भारतीय अथवा विदेशी जहाजों के किया जाता है आदि। व्यापारी वर्ग ने नहर के बन्द हो जाने और जहाजों के मार्ग बदलने से उत्पन्न प्रारंभिक व्यवस्था के अनुसार समायोजन कर लिया है। हाल के वर्षों में देश से निर्यातों का केवल समग्र स्तर ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूरोप को भी होने वाले निर्यातों में भी वृद्धि होती रही है।

लघु क्षेत्र में अधिकाधिक पूंजी लगाने के बारे में बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये जाना

951. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र में अधिकाधिक पूंजी लगाये जाने के बारे में सरकार ने बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं;

(ख) क्या बैंकों ने सुझाव को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन बैंकों ने इसको क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिया है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने भी कोई प्रस्ताव किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (घ) सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत, सरकार द्वारा योजना आयोग के परामर्श से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दिये गये कुछ सुझावों की ओर है जिनमें उनसे छोटे उद्यमकर्त्ताओं और अन्य आत्म नियोजना संबंधी उद्यमों को ऋण देने के संबंध में अपने प्रयत्नों में तेजी लाने के लिये कहा था ताकि योजना आयोग द्वारा बनाये गये '5 लाख को रोजगार', कार्यक्रम के अंग के रूप में शिक्षित बेरोजगारों के लिये रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके। आशा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक इन सुझावों को अमल में लायेंगे और वे अक्टूबर, 1973 से प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट भेजेंगे।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात और निर्यात के आंकडे दर्शाने वाला (रोल-आन-प्लान) खाका

952. **श्री श्यामनन्दन मिश्र**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने तीन वर्षों की अवधि के आयात निर्यात के आंकड़े दर्शाने वाला एक खाका (रोल-आन-प्लान) तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने तीन वर्ष की अवधि के लिये जो सतत योजना रोल-आन-प्लान तैयार की है उसके अन्तर्गत भविष्य-कालिक परियोजनायें दी गई हैं। जैसे ही एक वर्ष पूरा हो जायेगा, एक और वर्ष की प्रायोजनायें उसमें शामिल कर दी जायेंगी और इस प्रकार इस योजना की समीक्षा तथा आकलम की एक सतत प्रक्रिया का रूप दिया जायेगा। इसी प्रकार, निगम इस समय निर्यात की जिन मदों का कार्य कर रहा है उनके निर्यातों हेतु बनाई गई सतत योजना (रोल–आन-प्लान) का लक्ष्य प्रतिवर्ष 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक निर्यात वृद्धि करना है।

राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण के बारे में युनुस समिति का प्रतिवेदन

953. **श्री श्यामनन्दन मिश्र**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या युनुस समिति ने जिसको राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण की जांच करने का कार्य सौंपा था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) समिति की रिपोर्ट तयार की जा रही है।

शेयरों के मूल्यों में वृद्धि

954. **श्री श्यामनन्दन मिश्र**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष शेयर के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है, और उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) रिजर्व बैंक का अखिल भारतीय परिवर्तनीय औद्योगिक प्रतिभूति लाभांश सचकांक (1961-62=100) जो 1972 के अन्त में 93.8 था, 27 अक्टूबर 1973 को असमाप्त होने वाले सप्ताह में बढ़ कर 118.8 हो गया अर्थात् उसमें लगभग 26.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं कि एक ओर जहां सामान्य शेयरों की विशेषकर सुव्यवस्थित कम्पनियों की शेयरों की सामान्यतः कमी है तो दूसरी ओर कतिपय कारणों से सामान्य शेयरों की मांग में और वृद्धि हो गयी है। इन कारणों में ये शामिल है:– वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने के कारण नकदी और नकदी जैसी अतिरिक्त परिसम्पत्ति के निर्माण के परिणाम-

स्वरूप व्यापारियों सौदागरों आदि की आय में वृद्धि होना जिन्स, सर्राफा तथा वास्तविक सम्पदा बाजारों में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो जाने के कारण पूंजी का शेयर बाजार की ओर मुड़ना अपेक्षाकृत अधिक मूल्यों के नोटों के विमुद्रीकरण के भय का होना, वित्तीय संस्थाओं द्वारा बड़े-बड़े शेयरों में अधिक रकमों का निवेश किया जाना, लाभप्रदता तथा लाभांश वितरण के रूप में गैर-सरकारी निगमित निकायों का सामान्यतः उत्साहवर्धक परिणाम दिखाना ।

Fall in prices due to agitation launched by political parties in Bombay

955. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the prices of various commodities have come down in Bombay as a result of agitations launched by certain political parties to check the price rise; and

(b) if so, the extent thereof and the reaction of Government thereto?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b) Government do not attribute the fall in prices in Bombay in August and September 1973 to agitations by political parties. On the other hand, the Government of Maharashtra took action under the Defence of India Rules to fix the prices of a number of essential commodities with effect from 16th August, 1973. About 1400 offences were registered against wholesalers and retailers for violation of the relevant Order. This had a favourable effect on the price situation in Bombay. In fact the control on items other than bajra, milk and bread had been withdrawn with effect from November 1, 1973 in view of their easier availability.

Increase in Indian Export as compared to previous years

956. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Indian exports registered an increase over the past years;

(b) the names of the commodities mainly responsible for this increase; and

(c) the extent of increase in the export of non-vegetarian foodstuffs indicating the names thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) The provisional data available for April-Aug. 1973 showed that India's overall exports during this period at Rs. 851 crores were higher by approximately 12.4% over the corresponding period of the last year;

(b) Commodity-wise details for the current year are available only for the first two months i.e. April-May 1973. The main items showing increase included leather and leather mfrs., oil cakes, Iron ore, textile fabrics, cotton piecegoods, castor oil, wood lumber and cor manufactures, iron and steel, spices, transport equipment, minerals, fuels, lubricants and related materials incl. coal and coke, and fish etc.

(c) During April-May 1973 exports of fish and fish preparations increased from Rs. 11.2 crores to Rs. 11.8 crores and meat and meat preparations increased from Rs. 27 lakhs to Rs. 66 lakhs over the corresponding period of the last year.

उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में आयकर के अनिर्णीत पड़े मामले

957. श्री जी० विश्वनाथन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में दिसम्बर, 1972 तक आयकर के कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे;

(ख) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने आयकर की बढ़ती हुई बकाया धनराशि तथा उनको वसूल करने में अपनाये गये तरीकों के बारे में विपरीत टिप्पणी दी है; और

(ग) कर वसूल करने के तरीकों में सुधार लाने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) उच्च न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के पास 31 दिसम्बर, 1972 को आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों के अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या क्रमशः 9,727 और 81,197 थी ।

(ख) आयकर विभाग द्वारा किये गये कर-निर्धारणों की, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षा द्वारा प्रतिवर्ष परीक्षण लेखा परीक्षा की जाती है । परीक्षण लेखा-परीक्षा के परिणामों को राजस्व लेखा परीक्षा रिपोर्ट में प्रतिवर्ष रिपोर्ट किया जाता है और यह रिपोर्ट आमतौर पर वर्ष की पहली सितम्बर से अगले वर्ष की 31 अगस्त तक की होती है । नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में वसूली के लिए बकाया पड़ी करों की शुद्ध प्रभावी रकम के संदर्भ में सामान्यतः सही स्थिति का वर्णन किया जाता है । वह करों की बकाया के बारे में अथवा उन्हें वसूल करने के लिए इस्तेमाल में लाये गये तरीकों के बारे में कोई अभिमत व्यक्त नहीं करता ।

(ग) करों की वसूली के तरीकों में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

हाल के वर्षों में आयकर की बकाया रकमों की वसूली में तेजी लाने के लिये सरकार ने निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किये हैं :—

(i) 1961 से पूर्व करों की बकाया की वसूली राज्य प्राधिकारियों द्वारा की जाती थी जो राजस्व की वसूली में पर्याप्त रूचि नहीं दिखा पाते थे । इसलिये 1961 के अधिनियम में एक स्वतः पूर्ण वसूली संहिता समाविष्ट की गई और कर वसूली अधिकारियों की व्यवस्था की गई जो विभागीय अधिकारी हो सकते है । पश्चिम बंगाल के तीन जिलों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों को छोड कर आय कर आयुक्तों के सभी कार्यक्षेत्रों में कर वसूली का कार्य हाथ में ले लिया गया है ।

(ii) कर्तव्य के अनुसार कार्यविभाजन योजना लागू करना, अर्थात करों की वसूली का काम रेंज के एक या अधिक आयकर अधिकारियों का विशिष्ट कर्तव्य बना दिया गया है । इस कार्य को अब पूरे भारत का 233 आयकर अधिकारी कर रहे हैं ।

(iii) विभाग द्वारा रेखित चैक स्वीकार करना और इस प्रयोजन के लिये आयकर कार्यालयों में विशेष प्राप्ति काऊंटर खोलना ।

(iv) ऐसे निर्धारितियों के नाम प्रकाशित करना जो कुछ निर्धारित सीमाओं से ऊपर करों की अदायगी करने में चूक करते हैं।

(v) पूरे देश में बकाया वेबाकी पक्ष मनाए जा रहे हैं। इस अवधि में, विचाराधीन समायोजना /मूलसुधारों को पूरा करने, अपील आदेशों पर अमल करने और निर्धारितियों से उनकी तरफ देय शुद्ध मांग को वसूल करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

(vi) पूरे देश में आयकर विभाग के 173 अधिकारी कर वसूली अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। हाल ही में कर वसूली अधिकारियों के 50 और पद स्वीकृत हो गये है। आयकर आयुक्त के ओहदे के 5 अधिकारी और कई अपर आयकर आयुक्त कर वसूली आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(vii) कर-निर्धारण करने की समय सीमा घटाकर निर्धारित वर्ष के अन्त मे दो वर्ष कर दी गई है।

जिन अलग मामलों में कर की 10 लाख रू० से अधिक रकम बकाया है, उनकी छानबीन और समीक्षा करने के लिये केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड में एक विशेष सेल स्थापित किया गया है जिससे कि क्षेत्र अधिकारियों का कारगर अनुवर्ती कार्यवाही करने में उचित मार्गदर्शन किया जा सके।

करों की बकाया की समस्या को सुलझाने और एक दृढ नीति निर्धारित करने की दृष्टि से, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मद्रास, कानपुर और लखनऊ के कार्यक्रमों के आयकर आयुक्तों और अधिकासी महासंघों तथा संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। इस बातचीत के परिणामतः निम्नलिखित उपाय प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं :—

(1) आयकर अधिकारी और कर-वसूली अधिकारी संवर्ग को सुदृढ बनाना।

(2) बकाया अपीलों के शीघ्र निपटान और उन्हें समाप्त करने के लिये सहायक आयकर आयुक्तों की संख्या में वृद्धि करना।

(3) अशोध्य मांगों को तेज गति से बट्टे खाते डालने के लिये नई कार्य विधि तैयार की गई है।

(4) पहले ही अदा किये गये करों के समायोजन, मूल-सुधार संबंधी आवेदनों के निपटान और अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करने के कार्य में तेजी लाना।

(5) अपीलीय प्राधिकारियों से उन सभी अपीलों तथा संदर्भ याचिकाओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का अनुरोध करना जिनमें मांग में बड़ी रकमें अन्तर्ग्रस्त हों।

(6) अधिकारियों की संबंधित संस्थाओं, महासंघों के माध्यम से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करना।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य (बजट), आयकर आयुक्तों के साथ विचार विमर्श करते रहे हैं ताकि इस समस्या को और विशेषकर ऐसे मामलों में जहां मांगों में बड़ी-बड़ी रकमें अन्तर्ग्रस्त हों, सुलझाने में आयकर आयुक्तों का मार्गदर्शन किया जा सके।

वांचू समिति ने कई सिफारिशें की हैं जिनमें से कुछ का कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 1973 में समाविष्ट किया गया है जो कि अब प्रवर समिति के समक्ष हैं।

तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों से सरकारी कर्मचारियों में असंतोष

958. श्री पी० वेंकटासुब्बया :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों से भी सरकारी कर्मचारी सतुंष्ट नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : जैसा कि 30 अगस्त 1973 को वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में दिये गये वक्तव्य में बताया गया है, तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट पर स्टाफ पक्ष के प्रतिनिधियों की ओर से उठाये गये मुद्दों पर उनके साथ बातचीत करने का उनका झाव सरकार ने स्वीकार कर लिया था और तदनुसार सितम्बर, 1973 में उनके साथ बातचीत की गई। स्टाफ पक्ष की मांगे ये थी : आयोग द्वारा सिफारिश किये गये 185 रु० के न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 314 रु० करना; सेवाकाल के वर्ष प्रतिवर्ष आधार पर वेतन नियतन कर सकने के लिये वेतन नियतन सूत्र का पुनरीक्षण; जीवन-निर्वाह मूल्य सूचकांक (1960 = 100) के प्रति छः महीने के औसत में होने वाली प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि का शत प्रति-शत निराकरण सुनिश्चित करने के लिये मंहगाई-भत्ता सूत्र का पुनरीक्षण वेतन तथा पेंशन सम्बन्धि लाभों से सम्बन्धित आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख को 1 मार्च, 1973 से बदल कर 1 मार्च 1970 करना; वृद्धिदायक वेतनमानों की सीमा बढ़ाना; सेवा-निवृत्ति संबंधी लाभों में सुधार मकान किराया भत्ता नगर-निवास प्रतिपूर्ति भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता, समयोपरि भत्ता आदि से संबधित आयोग की सिफारिशों के कारण जंहां कही वर्तमान स्थिति अनुदार बन जाए उन मामलों में आयोग की सिफारिशों का संशोधन; विभागिय परिषदों में असंगतियों आदि से सम्बन्धित मामलों पर विचार, तथा बोनस मंजूर करना। आयोग की सिफारिशों में बोनस की मांग शामिल नहीं थी। जहां तक वित्तिय प्रभाव डालने वाली अन्य मांगों का संबंध है, यह पाया गया है कि उनको स्वीकार करने से सरकार की वित्त व्यवस्था पर बड़ा भारी बोझ बपड़ जायगा। वित्तीय साधनों की सीमित स्थिति को ध्यान में रखते हये सरकार व आयोग की सिफारिशों में कुछ सुधार करने के प्रश्न पर कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता के सन्दर्भ में विचार किया, और अपना निर्णय 8 अकतूबर, 1973 को घोषित कर दिया, जिसमें लगभग 61 रु० प्रति वर्ष का आवर्ती व्यय तथा इस वर्ष 25 करोड़ रुपये का अनावृर्ती व्यय ग्रस्त है। सरकार ने जो मुख्य मुख्य संशोधन किये है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

आयोग द्वारा यथा संगणित न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 196 रु० करना; चतुर्थ क्षेणी कर्मचारियों के लिये पांच वेतनमानों को बढ़ाना, मल वेतन के 5 प्रतिशत पर संगणित न्यूनतम लाभ को बढ़ाकर 15 रुपये कर देना तथा वेतन नियतन में संशोधन वेतनमान में जहां कहीं पांच सोपानों से उपर वेतन का समुच्चय हो जाय, उसको हटाना; वेतन आयोग द्वारा मंहगाई भत्ते की मंजूरी के लिये जिस निराकरण घटक की सिफारिश की गई थी, उसमें सुधार करके 300 रु० तक के वेतन स्तर के लिये 100 प्रतिशत निराकरण तथा 301 रु० से 900 रु० तक के वेतन स्तरों के लिये 75 प्रतिशत निराकरण की व्यवस्था करना; वेतन तथा पेंशन संबंधी लाभों पर आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी, 1973 की पिछली तारीख से लागू

करना; मकान किराया भत्ता के भुगतान को लिये किराये की रसीद पेश करने, संतान शिक्षा भत्ते की हकदारी की शर्तों को शिथिल बनाने आदि के मामले में कुछ रियायतों की मंजूरी । अपने वित्तीय साधनों के अधीन रहते हुये उपयुक्त सुधारों को करने में सरकार पहले ही यथा सम्भव उच्चतम सीमा तक जा चुकी है ।

बम्बई में फ्लैटों के आवंटन में जीवन बीमा निगम द्वारा की गई कथित अनियमितताएं

959. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 और 11 सितम्बर, 1973 के 'दि इकानामिक टाइम्स' में जीवन बीमा निगम द्वारा बम्बई में फ्लैटों के आवंटन में की गई अनियमितताओं के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या जीवन आशा सहकारी समिति, बम्बई में फ्लैटों के आवंटन तथा उपयोग के मामले में की गई अनियमितताओं के बारे में निगम के उच्च कार्यकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गए गंभीर आरोपों की जांच सरकार ने की है; और

(घ) क्या जीवन बीमा निगम के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) दिनांक 2 सितम्बर 1973 के 'इकानामिक टाइम्स' में छपी खबर दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में स्थित स्वदेशी मार्केट नामक जायदाद की बिक्री से संबन्धित है जबकि दिनांक 11 सितम्बर, 1973 के समाचार पत्र में छपी खबर में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित के संबन्ध में अनियमितता के आरोप हैं :

(i) बम्बई में जीवन बीमा निगम का जो प्लाट ह्यूजेस रोड पर स्थित है उसकी बिक्री;

(ii) जीवन बीमा निगम के एक उच्च कार्यकारी अधिकारी को फ्लैट का आवंटन; और

(iii) जीवन आशा सहकारी समिति बम्बई में विविध बीमा कम्पनी के एक कार्यकारी अधिकारी को फ्लैट का आवंटन। उक्त आरोपों की जांच की गयी है और कुछ भी अनियमित नहीं पाया गया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा एवरो विमान को न चलाया जाना

960. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1973 के दूसरे सप्ताह में इंडियन एयरलाइन्स के एवरो विमान बेड़े को न चलाने के लिये एकाएक आदेश देने के क्या कारण थे;

(ख) इंडियन एयरलाइन्स के सभी विमानों को पूरी तरह से सामयिक जांच करने के लिये क्या नियम हैं ; और

(ग) क्या एवरों विमानों की काफी समय तक सामयिक जांच करने पर भी उनमें कोई दोष नहीं पाया गया था जिससे धन की काफी हानि हुई तथा जनता को असुविधा का सामना करना पड़ा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) 8-9-1973 को एक एच० एस०—748 विमान को एक एलरान हिंज (सहपक्ष के कब्जे) के विफल हो जाने तथा 12-9-73 को एक अन्य विमान में प्रारम्भिक स्थिति में विद्यमान कुछ दरारों का पता लगने के परिणामस्वरूप यह निर्णय किया गया था कि इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े के उन सभी एच० एस०—748 विमानों का, जिन्होंने 5000 घंटे या अधिक की यात्रा कर ली है, अगली अनुसूचित उड़ान से पहले अनिवार्य निरीक्षण किया जाए :

(ख) अन्य परिचालकों के विमानों के समान इंडियन एयरलाइन्स के विमानों का भी नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा अनुमोदित संधारण सारणियों के अनुसार आवधिक निरीक्षण किया जाता है । इन को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि विभिन्न पुर्जों तथा इंजनों सहित समस्त विमान का, उत्तरोत्तर निरीक्षण हो जाता है । विभिन्न विमानों के निरीक्षण की अवधिकता भिन्न-भिन्न होती है जो कि निर्माताओं की सिफारिशों तथा अलग अलग परिचालकों के परिचालन अनुभव पर निर्भर करती है ; और जिसका अनुमोदन नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा किया जाता है ।

(ग) एवरों में पाया गया दोष इस प्रकार का था इसका सामान्य आवधिक निरीक्षकों में पता नहीं लगाया जा सकता था ।

पश्चिम योरुप के देशों के साथ व्यापार करार

961. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पश्चिम योरुप के देशों के साथ उसी प्रकार का एक करार करने का प्रस्ताव है जिस प्रकार का करार हाल ही में भारत-पश्चिम जर्मन वाणिज्यिक विकास कार्यक्रम पर हुआ था ;

(ख) क्या पश्चिम योरुप के देशों के साथ व्यापार संधि कार्यक्रम से इन देशों को हमारे निर्यात में वृद्धि होगी और यदि हां, तो किस प्रकार से होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां । वाणिज्यिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन होने पर विभिन्न पश्चिम यूरोपीय सरकारों के साथ औपचरिक व्यवस्थाएं। करार करने के प्रश्न को उठाने की प्रस्थापना है ।

(ख) पश्चिम यूरोप के देशों के साथ वाणिज्यिक विकास कार्यक्रम व्यापार तथा विशेष रूप से भारत से निर्यात को बढ़ाने के लिए बनाये गये हैं। जहां आवश्यक हो विदेशी तकनीकी/वित्तीय सहायता से बाजार सर्वेक्षण उत्पादन आधार के सृजन तथा विस्तार, उत्पाद अनुकूलन/रूपान्तरण, बाजार संवर्धन आदि के लिए वाणिज्यिक विकास कार्यक्रम मे चुने हूए उत्पादों को शामिल करने से भारतीय निर्यातों के विविधीकरण से निर्यातों में वृद्धि होने की संभावना है ।

सिगरैटों का आयात तथा निर्यात

962. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश से पिछले तीन वर्षों में सिगरेट का निर्यात कितने मूल्य का हुआ ;

(ख) हम किन-किन देशों को सिगरेटों का निर्यात करते हैं तथा देश वार कितने मूल्य की सिगरेटों का आयात किया तथा क्या विदेशी सिगरेटों का निर्यात किया जाता है; और

(ग) उक्त अवधि में हमने कितने मूल्य की सिगरेटों का आयात किया तथा क्या विदेशी सिगरेटों के आयात पर रोक लगाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान भारत से निर्यात की गई सिगरेटों के मूल्य तथा गन्तव्य स्थान इस प्रकार है :—

(कीमत लाख रुपयों में)

देश	1970-71	1971-72	1972-73
सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	28.97	149.63	160 57
कुवैत	0.19	0.06	0.03
जापान	0.12	नगण्य	नगण्य
नेपाल	0.12	—	0.10
अफगानिस्तान	नगण्य	0.08	0.01 (0.01)
बहरीन	0.04	0.32	0.16
हंगरी .	—	5.17	6.37
सउदी अरब	—	0.79	—
सोमालिया	—	0.14	0.01
मारिशस	—	0.59	—
अन्य सहित योग . . .	29.90	157.06	167.54

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान व्यापार की गई सिगरेटों के मूल्य निम्नोक्त है:—

वर्ष	(मूल्य लाख रुपये में)
1970-71 .	1.81
1971-72	1.55
1972-73	0.42

भारत में स्थित राजनयिक कर्मचारियों के सिगरेटों के आयात के अलावा उनके आयात पर रोक है ।

कालीकट हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य

963. **श्री मुखित्यार सिंह मलिक**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डा यातायात के लिये कब तक उपलब्ध हो जायेगा; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी राशि व्यय किये जाने की संभावना है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहदुर) : (क) से (ग) योजनाएं तथा प्राक्कलन तैयार कर लिये गए हैं तथा कार्य को पांचवीं योजनावधि के दौरान प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। प्रायोजना की अनुमानित लागत 1.11 करोड़ रुपये है ।

गत तीन वर्षों में दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को चाय के निर्यात में कमी

964. श्री मुखित्यार सिंह मलिक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को भारतीय चाय के निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चाय के निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत तीन वर्षों में मुक्त मुद्रा क्षेत्रों को चाय के निर्यातों में कमी हुई है ।

(ख) निर्यातों में कमी के कुछ कारण ये हैं :—

(1) द्विपक्षीय व्यापार देशों द्वारा भारतीय नीलामों में खरीद का दबाव।

(2) बढ़ते हुए घरेलू मार्केट का दबाव ।

(3) अन्य उत्पादक देशों विशेष रूप से श्रीलंका, अफ्रीकी देश, अर्जेन्टीना तथा इंडोनेशिया से, जो अपेक्षाकृत कम कीमतों पर चाय बेच सकते हैं, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्दा।

(ग) चाय के निर्यात व्यापार को बढ़ाने हेतु सरकार ने अन्य बातों के साथ साथ निम्न कदम उठाये हैं :—

(1) 1 मार्च, 1970 से चाय पर निर्यात शुल्क का हटाया जाना।

(2) 15 अप्रेल, 1970 से निर्यात के समय कीमत के अनुसार भिन्न-भिन्न उत्पादन शुल्क की छूट ।

(3) विभिन्न परम्परागत तथा नये बाजारों में भारतीय चाय के निर्यात की अधिक संभाव्यता बढ़ाने के लिए लंदन, न्यूयार्क, ब्रसेल्स, काहिरा तथा सिडनी में स्थापित चाय बोर्ड के कार्यालयों द्वारा संवर्धनात्मक कार्यावाहिया करना ।

(4) स्थानीय ब्लैंडरों/पैकरों के सहयोग से चुने हुए विदेशी बाजारों में भारतीय चाय के विशेष पैकों का संवर्धन ।

(5) विदेशों में उपयुक्त प्रचार साधनों के माध्यम से विज्ञापन देना।

(6) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(7) भारतीय चाय के हित को बढ़ाने के लिए व्यापारियों तथा विशेषज्ञों को दौरों का आदान प्रदान करना ।

(8) पैकटों में बन्द तथा ब्लैंडिड चाय के निर्यात के लिए सरकारी क्षेत्र में एक चाय व्यापार निगम की स्थापना करना ।

(9) अन्य हलके पेय पदार्थों के साथ-साथ एक पेय पदार्थ के रूप में चाय की खपत बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड जैसे आठ आयातक देशों में अन्य चाय उत्पादन करने वाले देशों तथा स्थानीय चाय व्यापारियों के साथ मिलकर सामान्य संवर्धन में भाग लेना।

Demand of Indian Tobacco in Foreign Countries

965. **Dr. Laxminarayan Pandey** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Indian tobacco is in great demand in foreign countries;

(b) whether the export of tobacco declined during the last six months and, if so, the reasons therefor;

(c) the value of export of tobacco in terms of rupee during the year 1972-73 and also during the last six months; and

(d) the main countries which import Indian tobacco?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) There is a fairly good demand for Indian Flue Cured Virginia tobacco in foreign countries.

(b) In terms of quantity there is a decline which is attributable to lower off-take by USSR during the first six months of 1973-74.

(c) Rs. 61.27 Crores in 1972-73 and Rs. 44.06 Crores in April-September, 1973.

(d) United Kingdom, USSR, Japan, Bangladesh, Irish Republic, Somalia, Libya and Nepal.

प्रधान मंत्री को कनाडा ले जाने वाले विमान चालक द्वारा मार्ग से परिचित होने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

966. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के लिये उस मार्ग पर अपने विमान चालक को उससे परिचित कराने के लिये खाली उड़ान कराना आवश्यक है जिस मार्ग से अतिविशिष्ट व्यक्ति को जाना होता है ; और

(ख) क्या उस विमान चालक दल ने भी जो हाल ही में प्रधान मंत्री को कनाडा ले गया था इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया था ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जून, 1973 में प्रधान मंत्री की कनाडा के लिए उड़ान के संबन्ध में, एयर इंडिया के कार्मिकों को विमान क्षेत्र तथा मार्ग प्रक्रियाओं के बारे में, (सिमुलेटर' आदि पर अभ्यास करा कर, पूरी जानकारी दे दी गयी थी। कर्मीदल के ये सदस्य पहले भी यूरोप तथा उत्तर अटलांटिक के पार कई बार उड़ान कर चुके थे। इसके अलावा, एयर इंडिया अति विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ानों के लिए हमेशा दो कमांडरों की व्यवस्था करते हैं।

6 बजे सायंकाल से 6 बजे प्रातः काल के बीच अदीस अबाबा हवाई अड्डे पर विमान उतारने और वहां से उड़ान भरने के लिये एयर इण्डिया के विमान चालकों पर रोक लगाया जाना

967. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदीस अबाबा हवाई अड्डे पर रात के समय संचालन संबन्धी पर्याप्त सुविधायें न होने के कारण एयर इंडिया ने अदीस अबाबा हवाई अड्डे पर 6 बजे सायंकाल से 6 बजे प्रातःकाल के बीच विमान उतारने और वहां से उड़ान भरने के लिए अपने विमान चालकों को मना किया है ;

(ख) क्या 2 जून, 1973 को एयर इंडिया आपरेशन्स डिपार्टमेंट ने एक विमान को इस प्रतिबन्ध को भंग करने का आदेश दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) यद्यपि स्थानीय प्राधिकारियों ने अदीस अबाबा विमान क्षेत्र को प्रातः 5.00 बजे से सायं 11.00 बजे तक खुला घोषित कर दिया था, एयर इंडिया इस विमानक्षेत्र के लिये प्रातः 6 बजे से सांय 6 बजे तक के अपने अनुमत परिचालन घंटों में वृद्धि करने का निर्णय करने से पूर्व वहां स्थापित नवीन दिक्चालन तथा अवतरण उपस्करों के कार्य-निष्पादन के संबन्ध में रिपोर्टों की प्रतीक्षा कर रही थी। इस ग्रीष्म काल में कई सप्ताह तक एयर इंडिया ने अपनी उड़ानों का सायं 6 बजे के बाद भी परिचालन करने की अनुमति दी थी क्योंकि उन्होंने वहां प्राप्त सुविधाओं को पर्याप्त समझा था, परन्तु क्योंकि विमान चालकों ने वर्तमान निर्धारित समय के बाद परिचालन करने के बारे में अनिच्छा प्रकट की अतः इस छूट को रद्द करना पड़ा।

Amount of money stolen from various banks

968. **Dr Laxminarayan Pandey :**
Shri Shankar Dayal Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of money stolen from the various Banks in India during 1971-72 and 1972-73 together with the names of places where they are situated;

(b) the number of cases in which thieves have been apprehended; and

(c) the steps taken by Government to prevent such thefts in future?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b) Information to the extent possible is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) All Banks have their own internal safeguards and security arrangements for pre-prevention of thefts. At bigger centres particularly, banks have additional security arrangements such as, strong rooms for overnight storage of cash, protective enclosures for Cashiers, armed escorts for cash-in-transit and posting of armed guards at the branch premises etc. The internal arrangements for the custody and handling of cash are also reviewed by the banks from time to time. The Reserve Bank of India have also taken on hand a study of the systems hand procedures obtaining in various banks with the immediate objective of identifying areas of deficiencies and suggesting, wherever necessary, the introduction of revised systems and procedures. This study will also cover the custody and handling of cash.

एयर इण्डिया द्वारा पायलटों को विभिन्न प्रकार के विमान उड़ाने की अनुमति दिये जाने की व्यवस्था

969. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने यह वयवस्था बनाई हुई है कि अपने एक्सीक्यूटिव पायलटों को 707 और 747 जैसे विभिन्न प्रकार के विमान उड़ाने के लिये (ओके) अनुमति दे देता है; और

(ख) क्या विश्व में किसी भी बड़ी विमान कम्पनी ने विभिन्न प्रकार के विमान उड़ाने के लिये विभिन्न प्रकार के पायलट नहीं रखे हुए हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) एयर इंडिया ने कुछ वरिष्ठ कार्यकारी विमानचालकों को 747 तथा 707 दोनों प्रकार के बोइंग विमान उड़ाने की अनुमति दी है । इन विमानचालकों को 707 विमान के लिए अपेक्षित तकनीकी पुनश्चर्चा सिमुलेटर तथा स्थानीय मर्ग जानकारी प्रशिक्षण दिया गया है और समय समय पर दोनों विमानों के लिए अपेक्षित कार्यदक्षता प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(ख) विश्व में अन्य विमान कम्पनियों द्वारा अपनायी जा रही पद्धतियों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

चावल तथा मोटे अनाज के विक्रय मूल्यों में वृद्धि का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर प्रभाव

970. **श्री नरेन्द्र कुमार सांद्यो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले चावल तथा मोटे अनाज के मूल्य नवम्बर, 1973 से बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या उक्त वृद्धि से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 8 से 10 प्रतिशत तक वृद्धि हो जाने की सम्भावना है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के लिये बाध्य होना पड़ेगा; और

(ग) सरकार का विचार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) चावल और मोटे अनाज के निर्गम मूल्य में वृद्धि कर दिये जाने का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका पुर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह सूचकांक 50 केन्द्रों का मिला जुला सूचकांक होता है । तथा अलग अलग केन्द्रों का सूचकांक बनाने में खुले बाजार भावों को भी काम में लाया जाता है । परन्तु, मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मिश्रित सूचकांक पर निर्गम मूल्यों में वृद्धि हो जाने का जो प्रभाव पड़ेगा वह लगभग 2 प्रतिशत होगा । सूचकांक के वर्तमान स्तर (अगस्त 1973 में 247) में 2 प्रतिशत वृद्धि का अर्थ मासिक आंकड़ों में 5 अंकों की वृद्धि होना है । महंगाई भत्ते का फार्मूला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 12 महीनों के औसत में 8 अंकों की वृद्धि पर आधारत है । निर्गम मूल्यों में वृद्धि होने से 12 महीनों के गतिमान औसत पर केवल थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से अनाजों का अधिक वितरण; अगस्त 1972 से सरकारी स्टाक से औसतन 10 लाख टन दिया गया ।

(2) आयात द्वारा अनाज और खाद्य तेलों की उपलब्धता में वृद्धि करना । 20 लाख टन से अधिक का आयात पहले किया जा चुका है, और इसके अतिरिक्त अनाजों की अधिक आयात करने के लिये प्रबन्धक किए जा चुके हैं । इसी प्रकार 20 लाख टन खाद्य तेलों के आयात का प्रबन्ध किया जा चुका है तथा और अधिक आयात के लिए बातचीत चल रही है ।

(3) वित्तीय तथा मुद्रा संबंधी उपायों के माध्यम से अतिरिक्त मांग को रोकना सरकार ने, अपने खर्च में 400 करोड़ रुपये की कमी करने का निर्णय पहले ही कर लिया है । पिछले कुछ महीनों में ऋण नीति विषयक जो परिवर्तन किए गए हैं उनमें से एक परिवर्तन का उद्देश्य बैंक की लगभग 400 करोड़ रुपये की जमा रकमों को स्थिर करना है ।

एक ऐसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना करने के विषय में विचार किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत वर्तमान की तुलना में अधिक अत्यावश्यक वस्तुएं आ जाएं ।

रोजगार न देने वाले उद्योगों में विदेशियों का निजी पूंजी नियोजन

971. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रोजगार न देने वाले उद्योगों में विदेशियों के नीजि पूजी निवेश में वर्ष 1968 से प्रतिवर्ष काफी वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या भारत में काम कर रही 500 से अधिक कम्पनियों का कुल लाभ जो वर्ष 1968-69 में 33.2 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1970-71 में 52.0 करोड़ रुपये हो गया था, और

(ग) क्या इन विदेशी कम्पनियों द्वारा स्वेदश भेजे जाने वाले लाभ की राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में विदेशी पूंजी में वृद्धि और स्वदेश भेजे जाने वाले लाभ की राशि का वर्षवर ब्यौरा क्या है और क्या सरकार विदेशी कम्पनियों की इस उन्नति को देश की औद्योगिक प्रगति के लिये सहायता समझती है, यदि नहीं, तो उन्हें इस देश के हितों को ध्यान में रख कर काम करने के लिये राजी करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत भारत में कार्य कर रहीं विदेशी कम्पनियों की शाखाओं के रूप में विदेशी निवेश की ओर है। यदि ऐसा है, तो एक विवरण संलग्न है जिसमें 1968–69 तथा 1970–71 के बीच कुल परिसम्पत्तियों, उत्पादन तथा सकल लाभों का ब्यौरा दिया गया है इस विवरण से यह पता चलता है कि इन कम्पनियों के सकल लाभों की रकम, जो 1968-69 में 33.2 करोड़ रुपये थी, बढ़ कर 1970–71 में 52.0 करोड़ रुपये हो गयी।

(ग) भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की शाखाओं द्वारा 1969–70 तथा 1971-72 के बीच बाहर भेजी गयी लाभों की रकमों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	बाहर भेजी गयी लाभों की रकम
1969–70	12.7 करोड़ रुपये
1970–71	13.1 करोड़ रुपये
1971–72	9.9 करोड़ रुपये

सरकार विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभों की रकमें बाहर भेजने के दायित्व को कम करने के लिए उत्सुक है और इस उद्देश्य के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(i) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 की धारा 18-क के अन्तर्गत, जो पहली अप्रैल 1965 से लागू हुई थी, विदेशी कम्पनियों की शाखाओं के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा केन्द्रीय सरकार की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना अभिकर्त्ताओं अथवा तकनीकी अथवा प्रबन्ध परामर्शदाताओं के रूप में काम करने पर रोक लगा दी गई है।

(ii) नया विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 हाल ही में लागू कर दिया गया है और इस अधिनियम के अनुसार, भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों तथा 40 प्रतिशत से अधिक के विदेशी शेयरों वाली भारतीय कम्पनियों को भारत में नयी शाखा खोलने तथा अपने कार-बार के मौजूदा क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

विवरण

विदेशी कम्पनियों की 522 शाखाओं की, जो 31-3-1972 को देश में कार्य कर रही थीं, 1968-69 और 1970-71 के बीच भारत में कुल परिसम्पत्तियों, उत्पादन तथा सकल लाभों के मूल्यों को दिखाने वाला विवरण

(करोड़ रुपयों में)

	1968-69	1969–70	1970–71
1* भारत में परिसम्पत्तियां .	12,34.2	14,11.5	14,68.6
2* उत्पादन/बिक्री . .	12,58.2	15,35.6	18,88.2
3* सकल लाभ	33.2	39.9	52.0

*इस विवरण का संबंध भारत में 31–3–1972 को कार्य कर रही 541 में से 522 कम्पनियों से है। शेष 19 कम्पनियों के केवल अन्तर्राष्ट्रीय खाते हैं और भारत में उनके कारबार के बारे में कोई अलग खाते नहीं हैं।

भारतीय अर्थ व्यवस्था में मुद्रा स्फीति रोकने के लिये मुद्रा उपलब्धि को विनियमित करने के लिये की गई कार्यवाही

972. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में मुद्रा उपलब्धि में केवल 18.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि मूल्यों में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या वर्षा कम होने और बिजली उत्पादन में कमी का मूल्य-वृद्धि पर बहुत मामूली प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो अर्थ व्यवस्था में अत्यधिक मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए मुद्रा उपलब्धि को विनियमित करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां । 27 जुलाई, 1973 को समाप्त हुए वर्ष में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में 18.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 28 जुलाई, 1973 को समाप्त हुए वर्ष में थोक मूल्यों के सरकारी सूचकांक के अनुसार मूल्यों के सामान्य स्तर में 22.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि वर्षा के कम होने और बिजली उत्पादन में कमी होने का मूल्य वृद्धि पर बहुत मामूली प्रभाव पड़ा है । वास्तव में, राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का अंश 50 प्रतिशत है तथा अर्थ व्यवस्था में काफी उद्योग कृषि पर आधारित हैं । इससे यह पता चलता है कि मानसून के न होने तथा बिजली उत्पादन में कमी होने से वस्तुओं की पूर्ति में भारी कमी हो जाने के परिणामस्वरूप मूल्यों पर भारी दबाव पड़ा है । किन्तु, सरकार मुद्रा एवं राजस्व सम्बन्धी तथा अन्य नीतियों के माध्यम से मूल्यों के स्तर में असाधारण वृद्धि को रोकने के लिए प्रयत्न कर रही है । रिजर्व बैंक ने ऋण के विस्तार को रोकने के लिए विभिन्न उपाए किए हैं जैसे बैंक दर को 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 7 प्रतिशत करना ; कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों को छोड़ कर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के व्याज की दर कम-से-कम 10 प्रतिशत नियत करना, नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्ति के शुद्ध अनुपात को विभिन्न चरणों से 40 प्रतिशत तक बढ़ा कर वाणिज्यिक बैंकों को दी जाने वाली पुनर्वित सुविधा की लागत में वृद्धि करना और इसके साथ-साथ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए नकद प्रारक्षित निधि के अनुपात को विभिन्न चरणों में बढ़ा कर 7 प्रतिशत करना । साथ ही उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने के काम में सुधार करने के लिए काफी उपाय किये गये हैं ।

इसके साथ केन्द्र तथा राज्यों के बजटों में दिखाए गए व्यय में कटौती करके सरकारी खर्च में कमी करने तथा बजटों के घाटों के स्तर को नीचे बनाए रखने के लिए सरकार के राजस्व में वृद्धि करने के प्रयत्न किये गये हैं । आशा है कि इन उपायों के परिणामस्वरूप मुद्रा उपलब्धियों में होने वाली वृद्धि युक्तियुक्त सीमाओं के अन्दर रहेगी ।

इण्डियन एयरलाइंस के लिये बोइंग विमान की उपयुक्तता

973. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा बोइंग विमान खरीदने के निर्णय से पूर्व सरकार ने किस किस्म के विमानों की जांच तथा परीक्षण किया था; और

(ख) सरकार द्वारा बोइंग विमान का चयन किये जाने के क्या कारण हैं तथा हमारी एयर-लाइंस के लिये इस किस्म के विमान किस प्रकार अधिक उपयुक्त हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) अपने प्रचुर यातायात की मांग की पूर्ति के लिये इंडियन एयरलाइंस को अपनी विमान क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता थी । क्योंकि इसके विमान-बेड़े में पहले से ही बोइंग-737 विमान विद्यमान हैं, तथा प्रशिक्षित विमानचालक और सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, अतः इंडियन एयरलाइंस ने अपनी तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तीन बोइंग विमानों को खरीदने का फैसला किया । सरकार ने इंडियन एयर-लाइन्स के चार बोइंग-737 विमान-एक विमान मई 1973 में नष्ट हुए बोइंग-737 विमान के स्थान पर और शेष तीन विमान-बेड़े की अभिवृद्धि के लिये खरीदने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ।

वर्ष 1973-74 के दौरान चाय तथा पटसन के निर्यात में कमी

974. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष पटसन और चाय का निर्यात कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) पटसन निर्मित माल—चालू वर्ष अप्रैल-अगस्त 1973 के दौरान गत वर्ष की तत्संबंधी अवधि की तुलना में पटसन निर्मित माल के निर्यातों के स्तर में गिरावट आई है । निर्यातों में कमी मुख्य रूप से हेशिपन तथा सैकिंग के संबंध में है । अप्रैल-अगस्त, 1973 में हुए निर्यातों की तुलना में समग्र गिरावट की मात्रा की दृष्टि से 8 प्रतिशत तथा मूल्य की दृष्टि से 12 प्रतिशत है । पटसन निर्मित माल के निर्यातों में गिरावट के मुख्य कारण पटसन निर्मित माल पर निर्यात शुल्क तथा बिजली की कटौती के कारण उत्पादन बाधाएं हैं । सरकार ने हेशिपन एवं कालीन स्तर पर शुल्कों की दर घटा कर तथा सैकिंग पर निर्यात शुल्क समाप्त करके निर्यातों के स्तर बनाये रखने के लिये उपचारात्मक उपाय किये हैं । संबंधित राज्य सरकारों से भी अविरोध बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है ताकि हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । पटसन के माल के उत्पादन पर उपकर लगाने की भी प्रस्थापना है तथा इस उपकर से प्राप्त राशि का प्रयोग उद्योग की गवेषणा तथा विकास प्रयोजनों के लिए किया जाएगा । पटसन निर्मित माल पर निर्यात शुल्कों की कमी । समाप्ति तथा इस मौसम में कच्चे पटसन की भरपूर फसल के फल-स्वरूप इस वर्ष हमारे निर्यातों में वृद्धि होने की संभावना है जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि अप्रैल-सितम्बर, 1973 के दौरान पटसन आयुक्त के पास दर्ज की गई निर्यात संविदाएं वर्ष 1972 की तत्संबंधी अवधि में दर्ज की गई संविदाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिकतम भार के लिए है ।

चाय

1973–74 के पहले चार महिनों के दौरान भारत से चाय के निर्यातों में 1972-73 की तत्संबंधी अवधि की तुलना में 42.1 लाख कि० ग्राम तथा 1971-72 की इसी अवधि की तुलना में 60 लाख कि० ग्राम की कमी हुई ।

1973-74 के पहले चार महीनों के दौरान निर्यातों के मूल्य 1972-73 की तत्संबंधी अवधि की तुलना में 2.73 करोड़ रुपये तथा 1971-72 की इसी अवधि की तुलना में 2.26 करोड़ रुपये की कमी हुई ।

चाय के निर्यात संवर्धन हेतु सरकार ने निम्न कदम उठाये या उठाने का विचार है :—

(1) 1 मार्च, 1970 से चाय पर निर्यात शुल्क का हटाया जाना ।

(2) 15 अप्रैल, 1970 से निर्यात के समय कीमत के अनुसार भिन्न-भिन्न उत्पादन शुल्क की छूट ।

(3) विभिन्न परम्परागत तथा नये बाजारों से भारतीय चाय के निर्यात की अधिक संभाव्यता बढ़ाने के लिये लंदन, न्यूयार्क, ब्रसेल्स, काहिरा, तथा सिडनी में स्थापित चाय बोर्ड के कार्यालयों द्वारा संवर्धानात्मक कार्यवाहियां करना ।

(4) स्थानीय ब्लैंडरों/पैकरों के सहयोग से चुने हुए विदेशी बाजारों में भारतीय चाय के विशेष पैकों का संवर्धन ।

(5) विदेशों में उपयुक्त प्रचार साधनों के माध्यम से विज्ञापन देना ।

(6) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

(7) भारतीय चाय के हित को बढ़ाने के लिए व्यापारियों तथा विशेषज्ञों के दौरों का आदान-प्रदान करना ।

(8) पैकटों में बंद तथा ब्लैंडिड चाय के निर्यात के लिए सरकारी क्षेत्र में एक चाय व्यापार निगम की स्थापना करना ।

(9) अन्य हल्के पेय पदार्थों के साथ-साथ एक पेय पदार्थ के रूप में चाय की खपत बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड जैसे आठ आयातक देशों में अन्य चाय उत्पादन करने वाले देशों तथा स्थानीय चाय व्यापारियों के साथ मिल कर सामान्य संवर्धन में भाग लेना ।

कुछ अधिकारियों द्वारा अनुपात से अधिक आस्तियां रखने के बारे में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर के सतर्कता अधिकारी और स्टेट बैंक के इंस्पेक्टर का प्रतिवेदन

975. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के सतर्कता अधिकारी और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के इंस्पेक्टर ने सूचित किया है कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के कुछ अधिकारियों के पास उनके संसाधनों के अनुपात से अधिक आस्तियां हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) चूंकि किसी विशिष्ट निरीक्षण का जिक्र नहीं किया गया अतः यह अनुमान लगाया जाता ह कि यह प्रश्न दिल्ली और नयी दिल्ली के स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखाओं में स्टेट बैंक आफ इंडिया के इन्सपेक्टर और स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण से संबंधित है। यदि ऐसा है तो स्टेट बैंक आफ इंडिया ने सूचना दी है कि अपनी रिपोर्टों में उन दोनों में से किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की नई दिल्ली शाखा के भूतपूर्व एजेण्ट द्वारा गलत मैडीकल बिल पेश किया जाना

976. **श्री एस० ए० मरुगनन्तम** : क्या **वित्त** मंत्री 16 मार्च 1973 तथा 27 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3688 तथा 811 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की नई दिल्ली शाखा के एक भूतपूर्व एजेण्ट ने 1973 में मैडीकल बिल पेश करके जालसाजी की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा 'एयरबस' खरीदे जाने का प्रस्ताव

977. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स का विचार भीड़ वाले ट्रंक मार्गों पर चलाने के लिये 'एयरबस' खरीदने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइंस के लिये चौड़ी बाडी बाले विमान खरीदने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

हवाई अड्डों पर महत्वपूर्ण उपकरणों का उपलब्ध न होना

978. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** :

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अक्टूबर, 1973 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' (अहमदाबाद संस्करण) में 'मेनी एयरपोर्टस डू नाट हैव वाइटल एड्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां,।

(ख) और (ग) विमानों का आधुनिकीकरण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा परिचालनात्मक आवश्यकताओं व साधनों की उपलब्धता के सापेक्ष सुविधाओं को प्रदान करने एवं सुधारने के लगातार प्रयत्न किये जाते हैं। विमान कम्पनियों से परामर्श किया जाता है और अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुसार यथासंभव सीमा तक सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में पर्यटक स्थलों का विकास

979. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राजस्थान सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पर्यटक रूचि के स्थानों का विकास करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) क्या पर्यटक बंगलों के नवीकरण के लिये कुछ धन की व्यवस्था की गई है, और यदि हां, तो कितनी ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के विनिश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान पर्यटक बंगलों के नवीकरण के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि यह राज्य सरकार का दायित्व है। तथापि पांचवीं योजना के दौरान वन्य जीव पर्यटन तथा सांस्कृतिक पर्यटन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत राजस्थान में चुने हुये केन्द्रों के विकास की कुछ योजनायें केन्द्रीय क्षेत्र में ली जायेंगी।

एवरो विमान सम्बन्धी धवन समिति का प्रतिवेदन

980. **श्री श्रीकिशन मोदी**:
श्री पी० गणादेव :
श्री पुरूषोत्तम काकोडकर :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एवरो (एच० एस० 748) विमान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिये नियुक्त धवन समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उस प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुये इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा एवरो विमानों के उपयोग के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) धवन समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा तीन कैरेवैल विमान किराये पर लिये जाने का निर्णय

981. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एयर इण्डस्ट्रीज, (फ्रांस) से तीन कैरेवेल विमान किराये पर लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उनका मासिक किराया कितना होगा; और

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स अपनी क्षमता के अनुसार कब तक पुनः काम आरम्भ कर देगी ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रति विमान 25,000–अमरीकी डालर।

(ग) इंडियन एयरलाइंस का चार बोइंग विमान प्राप्त करने का प्रस्ताव है जिनके 1974 की अंतिम तिमाही में प्राप्त हो जाने की आशा है। इन की प्राप्ति से एयरलाइंस की वहन क्षमता की स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा।

भारत पर्यटन विकास निगम का पुनर्गठन करने सम्बन्धी प्रस्ताव

982. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का पुनर्गठन करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यों और कार्य-क्षेत्र को किन दिशाओं में व्यापक बनाने का विचार है?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड का विचार है कि भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यक्रमों को अधिकतम दक्षता से लागू करने तथा उनके सफल परिणामों को सुनिश्चित करने के लिये इसके संगठनात्मक एवं प्रशासनिक ढांचे की जांच की जानी चाहिये। मामले पर विचार किया जा रहा है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ वाणिज्यिक सहयोग करार

983. श्री **श्रीकिशन मोदी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ वाणिज्यिक सहयोग करार की शर्तों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में मुद्रा स्फीति से निपटने के लिये की गई कार्यवाही

984. **श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुद्रा स्फीति को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और कौन से उपाय विचाराधीन हैं,

(ख) इस बारे में रिजर्व बैंक ने किन उपाये का सुझाव दिया है; और

(ग) इनको किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) मुद्रा स्फीति का सामना करने के लिये कई उपाय किये गये हैं जिनमें मुद्रा तथा राजस्व विषयक और अन्य प्रशासनिक उपाय शामिल हैं। मुद्रा के क्षेत्र में इस बात पर बल दिया गया है कि अनुत्पादक प्रयोजनों के लिये बैंक ऋण के विस्तार को सीमित रखा जाये। यह लक्ष्य, रिजर्व बैंक द्वारा लोगों को दिये जाने वाले ऋणों पर अधिक ब्याज लगाकर तथा वाणिज्यिक बैंकों को दी जाने वाली पुनर्वित्त संबंधी सुविधाओं को सीमित करके पूरा किया जायेगा। बैंक दर 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 7 प्रतिशत कर दी गयी है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार दिये जाने की न्यूनतम दर कतिपय प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को छोड़कर, कम से कम 10 प्रतिशत निश्चित की गयी है। शुद्ध नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्तियों का अनुपात, जिससे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंकों से लिये जाने वाले ऋणों की लागत का पता चलता है, बढ़ा कर 40 प्रतिशत कर दिया गया है और नकद प्रारक्षित निधि का अनुपात, बैंकों के पास नकदी या नकदी जैसी अतिरिक्त परिसम्पत्तियों को बटोरने के लिए बैंको की जमा संबंधी देनदारियों के 7 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। चयनात्मक ऋण नियन्त्रणों के माध्यम से, कम सप्लाई वाली कतिपय संवेदनाशील वस्तुओं के लिये बैंक ऋणों को नियमित किया गया है तथा ऋण सीमायें बैंकवार के बजाये पार्टीवार आधार पर निर्धारित कर दी गयी हैं। ऋण प्राधिकरण योजना का विस्तार कर दिया गया है ताकि उसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के उपक्रमों को भी शामिल कर लिया जाये। जहां तक राजस्व संबंधी उपायों का संबंध है, केन्द्र तथा राज्य, दोनों स्तरों पर बजट में दिखाये गये खर्चों में कटौती करके घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करने और कर-प्राप्तियों में वृद्धि करके अधिक बाजार ऋण लेकर अल्प बचतों के अन्तर्गत संग्रहीत रकमों में वृद्धि करके तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की लाभप्रदता बढ़ा कर गैर-मुद्रा स्फीतिकारी उपायों से बजट संबंधी साधन जुटाने पर बल दिया गया है। समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने के प्रयोजन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बना दिया गया है तथा अनाजों, खाद्य तेलों आदि जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के, जिनकी सप्लाई कम है, आयात की व्यवस्था की गयी है।

(ख) और (ग) : रिजर्व बैंक ने अपनी 1972-73 की वार्षिक रिपोर्ट में, जो अब प्रकाशित हो चुकी है, अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा स्फीति को रोकने के लिये कई सुझाव दिये हैं। बैंक ने अन्य बातों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा उसे सुचारू रूप से चलाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस प्रयोजन के लिये उसने खरीफ के मौसम में बड़ी मात्रा में चावल की वसूली का कार्यक्रम बनाने तथा अनाजों का कुछ अतिरिक्त आयात करने का सुझाव दिया है। उसने मूल्यों पर दबावों को कम करने के लिये सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में खर्च में कटौती करने का भी सुझाव दिया है। सट्टेबाजी को रोकने के लिये उत्पादनशील क्षेत्रों को आवश्यकताओं की हानि पहुंचाये बिना, एक प्रतिबन्धात्मक ऋण नीति अपनाने का सुझाव भी दिया गया है।

रिपोर्ट में मुद्रास्फीति की रोक स्थायी हल के रूप के कृषि तथा औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया गया है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये रिजर्व बैंक ने जिन्सों के क्षेत्र तथा परिवहन, बिजली, सिंचाई आदि जैसे आधारभूत क्षेत्र में सरकारी निवेश और उसके बाद गैर-सरकारी निवेश में पर्याप्त वृद्धि करने की बात पर बल दिया है।

बैंक द्वारा दिये गये अधिकतर सुझाव सरकार के विचारों से मेल खाते हैं और इनमें से बहुत से सुझावों को पहले ही कार्यरूप दिया जा रहा है जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना, खरीफ के अनाजों की अधिक मात्रा में वसूली करना, अनाजों का आयात करना तथा उत्पादक क्षेत्रों में अधिक निवेश करना, रिजर्व बैंक द्वारा किये गये विभिन्न उपायों का बैंक ऋण के विस्तार पर प्रतिबन्धात्मक प्रभाव रहा है। जहां तक मुद्रा स्फीति को रोकने के दीर्घावधिक उपायों का सम्बन्ध है, पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना में, जिसे इस समय अन्तिम रूप दिया जा रहा है, इस सम्बन्ध में विस्तृत उपायों का उल्लेख किया जायेगा।

भारत में काम कर रहे विदेशी उद्यमों के लाभ की दरें

985. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** : **क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में काम कर रहे उद्यमों में संयुक्त राज्य अमेरीका की फर्मों का लाभ सर्वाधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में काम कर रहे संयुक्त राज्य अमेरीका के निर्माता उद्योग और अन्य विदेशी निर्माताओं के लाभ की दरों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (यशवन्तराव चव्हाण) : (क) विदेशी कम्पनियों की शाखाओं और भारत में कार्य कर रही विदेशियों द्वारा नियंत्रित रुपया कम्पनियों की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये अध्ययन से, जो मार्च, 1973 के भारतीय रिजर्व बैंक के बुलिटन में प्रकाशित किया गया है, यह पता चलता है कि 1969-70 में संयुक्त राज्य अमेरीका द्वारा नियंत्रित कम्पनियों को अन्य कम्पनियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लाभ हुआ था। एक विवरण संलग्न है जिसमें अन्य कम्पनियों की तुलना में अमेरिका द्वारा नियंत्रित कम्पनियों के लाभ का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) निर्माता कम्पनियों के लाभ के आंकड़े इस समय अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

I. शाखाओं का लाभ

निम्न देशों में निगमित कम्पनियां	कुल लगी पूंजी की प्रतिशतता की तुलना में सकल लाभ
ब्रिट्रेन	6.1
संयुक्त राज्य अमेरीका	12.4
अन्य देश	7.5

II. विदेशों द्वारा नियंत्रित रुपया कम्पनियों का लाभ

निम्नलिखित देशों के हितों वाली कम्पनियां	कुल लगी पूंजी की प्रतिशतता की तुलना में सकल लाभ
ब्रिटेन	12.7
संयुक्त राज्य अमेरीका	16.1
पश्चिम जर्मनी	14.3
स्विट्जरलैण्ड	15.6
अन्य देश	15.4

योजना आयोग द्वारा कार्यक्रमों में कटौती करने के कारण पर्यटन को धक्का पहुंचना

986. **श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा कार्यक्रमों में कटौती करने के कारण पर्यटन को धक्का पहुंचा है; और क्या पांचवीं योजना के दौरान इसके विकास में कमी आने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1973-74 में काफी का निर्यात

987. **श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में काफी के निर्यात के सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 1973-74 के प्रथम 5 महीनों के दौरान 20.48 करोड़ रुपये के मूल्य की 25113 मे० टन काफी के निर्यात हुए जबकि 1972-73 की इसी अवधि में ये 14.73 करोड़ रुपये के मूल्य की 23625 मे० टन काफी के निर्यात हुए थे ।

Observance of a protest day by L.I.C. employees

988. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the employees of the Life Insurance Corporation observed a protest day on the 25th September, 1973 throughout the country;

(b) whether the call to observe this day as a protest day was given by both the Unions of the employees of the Corporation;

(c) if so, the reasons for observing the protest day by them; and

(d) the action taken by Government in the matter.

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) A section of the employees of the Corporation observed a protest day on 25th Sept., 1973 throughout the country.

(b) The call was given by only two Unions *viz.* All India LIC employees Federation and All India National Life Insurance Employees Federation, and not by other Unions.

(c) The call for protest day was given as a part of the agitation launched by the Employees' Unions demanding an earlier date for the recommencement of the adjourned talks on the Charter of Demand submitted by them.

(d) No action by Government is called for in the matter.

Suggestions made by Representatives of Government employees with Regard to recommendations of third Pay Commission.

989. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether before announcing Government's decision on Pay Commission's Report, Government nominees had talks with the representatives of Government employees;

(b) if so, the main suggestions made by Government employees representatives; and

(c) the reasons for not accepting all or any of the suggestions made by them?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) : The main suggestions made by the representatives of the Staff side of the National Council of J.C.M. are indicated below—

(i) Dearness allowance formula should provide 100% neutralisation of the increase in the cost of living for Class III and Class IV employees and the D.A. should be granted on the basis of 4-points increase in the 6-monthly average of the index (1960=100).

(ii) The date of effect of the Commission's recommendations relating to pay and pensionary benefits should be 1-3-70 instead of 1-3-73 recommended by the Commission.

(iii) The pay fixation in the revised scale should be on point-to-point basis.

(iv) The minimum wage should be raised from Rs. 185 recommended by the Commission to Rs. 314 on the basis of the norms laid down by the 15th Indian Labour Conference.

(v) The rate of pension should be raised from 33/80 of the average emoluments to 30/60 of the pay last drawn.

(vi) The recommendations of the Commission which amount to deliberalisation in regard to childen's educational allowance, overtime allowance, railway passes, hours of work, drawal of house rent allowance without rent receipts etc. should be modified.

The demands were given careful consideration by the Government. It was found that the acceptance thereof would cost a very heavy burden on the finances of the Government. Keeping in view the limitations of financial resources, certain improvements in the recommendations were considered by the Government in the light of the discussions with the representatives of the Staff side and decisions were announced on 8th October, 1973, involving a recurring expenditure of about Rs. 61 crores per annum, and a non-recurring expenditure of Rs. 25 crores this year.

बिहार में इलाहबाद बैंक की शाखाओं का कार्यकरण

991. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इलाहाबाद बैंक की कितनी शाखाएं काम कर रही हैं और उक्त शाखाएं किन किन स्थानों पर हैं ;

(ख) क्या किसी भी शाखा में बैंक ने सशस्त्र गार्डों की व्यवस्था नहीं की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त बैंक की सुरक्षा के लिये सशस्त्र गार्डों को तैनात करने का सरकार ने निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का अपने निर्णय को किस तारीख से लागू करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) बिहार राज्य में इलाहाबाद बैंक की 29 शाखाएं हैं । ये शाखाएं किन किन स्थनों पर कार्य कर रही हैं, यह विवरण में बताया गया है।

(ख) से (घ) 29 शाखाओं में से 12 शाखाओं में अभी तक सशस्त्र गार्डों की व्यवस्था नहीं हैं। बैंक ने इन शाखाओं में सशस्त्र गार्डों की व्यवस्था करने का पहले ही निर्णय कर लिया है और उपयुक्त कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है ।

विवरण

स्थान का नाम (1)	**जिला जिसमें वह स्थित है** (2)
1. बंजारी	शहबाद
2. भागलपुर	भागलपुर
3. भागलपुर विश्वविद्यालय	भागलपुर
4. बकसर	शहबाद
5. धनवाद	धनवाद
6. गोमोह	धनबाद
7. गोविन्दपुर	धनबाद
8. हाजीपुर	मुजफ्फरपुर

(1)	(2)
9. हिलसा	नालन्दा
10. इस्लामपुर	पटना
11. इटारसी	साहबाद
12. जमालपुर	संथान परगना
13. जशीदीह	संथाल परगना
14. कटरासगढ़	धनबाद
15. कुमार धूबी	धनबाद
16. मधुपुर	संथाल परगना
17. नरहाबड़ा	छपरा
18. मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
19. निरसा	धनबाद
20. पटना	पटना
21. पटना विश्वविद्यालय	पटना
22. पटना शहर	पटना
23. फुलवाड़ी सरीफ	पटना
24. रांची	रांची
25. रानीगंज	यूरनिया
26. सिजुआ	धनबाद
27. थाना बीहपुर	भागलपुर
28. दुर्गावती	अराह
29. सोहवरकमल	बेगुसराय

मिल मजदूरों द्वारा कपड़ा मूल्य नियंत्रण योजना की घोषणा

992. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिल मालिकों और सरकार के स्वेच्छा से कपड़ा मूल्य नियंत्रण करने सम्बन्धी योजना की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई और अहमदाबाद में हाल ही में मिल मालिकों ने 'फाईन' और 'सुपर फाईन' कपड़े की किस्मों के मूल्यों में 10 से 40 प्रतिशत वृद्धि की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) मोटे, 'लोवर' तथा 'हायर मीडियम' किस्मों के पहनने योग्य अनियंत्रित कपड़े के लिये 20-7-72 से स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण योजना लागू कर दी गई है। योजना की मुख्य बातें ये हैं :—

(1) मोटे, 'लोवर मिडियम' तथा 'हायर मिडियम' के पहनने के सभी किस्मों के कपड़े (उन किस्मों को छोड़कर जो पहले ही सांविधिक कीमत नियंत्रण के अधीन है) की मिल से निकलते

समय की कीमतें नवम्बर, 1972 में रही कीमतों के अनुरूप एक उच्चतम सीमा के अधीन होगी और अनुवर्ती अवधि में उत्पादन साधन की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिये 10 प्रतिशत की वृद्धि करने की व्यवस्था होगी।

(2) कपड़े की किस्में पहले ही सांविधिक नियंत्रण के अधीन हैं उन्हें छोड़कर कपड़े की उपर्युक्त किस्मों के संबंध में व्यापार मार्जिन मिल से निकलते समय की कीमतों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क जमा करने के बाद उनसे 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3) उपयुक्त आधार पर आकलित अधिकतम मिल से निकलते समय की कीमतों और अधिकतम खुदरा कीमतों की मोहर पहनने के कपड़े के प्रत्येक थान के शुरू में तथा अन्त में लगाई जाएगी।

(4) स्कीम के उल्लंघन किये जाने के मामलों की जांच करने के लिये और मामले की सूचना समुचित कार्यवाही के लिये वस्त्र आयुक्त और उद्योग तथा व्यापार के शीर्ष संघो, जैस भी मामला हो, को देने के लिये कार्यान्वयन समितियां स्थापित की जाएंगी।

(5) कपड़े की खुदरा कीमतों के संबंध में विचार करने और स्कीम के उल्लंघन के मामलों की रिपोर्ट उपचारात्मक कार्यवाही के लिये सरकार और सम्बन्धित उद्योग तथा व्यापार-वर्ग को देने के लिय निगरानी समितियां ी ा पित की जाएंगी।

(ग) कुछ मिलों द्वारा निर्मित सूती कपड़े को कुछ फाइन तथा सुपर फाइन किस्मों की कीमतों का वस्त्र आयुक्त द्वारा जो अध्ययन किया गया उससे प्रगट होता है कि अक्तूबर, 1973 में कीमतें अगस्त, 1973 में प्रचलित कीमतों से 7.2 प्रतिशत से 31.9 प्रतिशत तक बढ़ी है।

(घ) चूंकि फाइन तथा सुपर फाइन कपड़ा, जो कि संगठित क्षेत्र में कपड़े के उत्पादन का लगभग 12 प्रतिशत है, अपेक्षित उच्च वर्गों में खपत में आता है और स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण योजना में ये किस्मे सम्मिलित नहीं है अतः ऐसे फैब्रिक्स की कीमतों को विनियमित करने के लिए सरकार विशेष कदम उठाने का विचार नहीं करती।

Export of Mica to other Countries

993. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of mica producing areas in the country and the quantity thereof produced in each area during the last three years; and

(b) the quantity of mica exported to various countries, country-wise during the same period?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) Two statements are attached. [Placed in Library. See No. L.T. 5712/73]

Value of Mica Trade Handled by M.M.T.C. during the last three years

994. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of mica trade handled by the M.M.T.C. during the last three years and the amount of profit earned by the Corporation therefrom; and

(b) the names of countries from where orders for the supply of Mica have been received during the current year by the M.M.T.C. and the time by which supplies would be made ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Export of mica was canalised through the M.M.T.C. with effect from the 24th January, 1972. The MMTC handled exports of mica valued at approximately Rs. 15 crores in 1972-73. The Corporation made a nominal profit on export of mica.

(b) Orders for supply of mica have been received from the following countries :—

Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Denmark, France, Greece, Federal Republic of Germany, Haiti, Hongkong, Iraq, Italy, Japan, Korea, Lebanon, Netherland, Newzealand, Norway, Philippine, Puerto Rico, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, U.K., U.S.A., Taiwan, Morocco and Malaysia, U.S.S.R., Bulgaria, Rumania, Poland, Czechoslovakia, Democratic Republic of Germany.

These contracts will be executed in the current financial year ending 31st March, 1974.

Western style Cabaret Dances in Hotels

995. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether permission has to be obtained by Hotels in India from Government for Western style cabaret dances; and

(b) if so, the names of Hotels where such dances take place?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) Permission from the Central Government is not necessary for the presentation of cabaret in the Western style, such entertainment being governed by the local regulation relating to Public Entertainment.

However, the Department of Tourism has been constantly urging the Federation of Hotel & Restaurant Associations of India to persuade their members to present entertainment items that reflect a typically Indian style and flavour, and several leading hotels are doing so.

Air India's Offices Located in foreign countries

996. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the places where Air India's Offices are located in foreign countries together with the quantum of business transacted at each office during the last six months;

(b) which of the Offices are running in profit and which are running at loss; and

(c) the names of new places in foreign countries where Air India proposes to set up its Offices in the near future?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) :

(a) Information regarding the places where Air India offices are located in foreign countries together with the quantum of business transacted during the last six months April/September 1973 is given in the enclosed statement. [Placed in Library. See No. L.T. 5713/73]

(b) In the air transport industry no separate profit and loss acounts are maintained in respect of branch offices as the offices are maintained for generating revenue from the resepctive territory as well as to service traffic generated elsewhere to the destinations where the offices are located.

(c) Effective November 1973, Air India have opened Doha as an on-line station. They also propose to open the following off-line offices in the near future :

Hiroshima in Japan;
Brunei in Indonesia;
Dublin in Ireland;
Tripoli in Libya;
East Berlin in East Germany;
Genoa and Bologna in Italy;
Okinawa or Fukuoka in Japan.

भारत पटसन निगम की आलोचना

997. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अक्तूबर, 1973 को भारतीय पटसन निगम की हुई आलोचना की ओर दिलाया गया है कि उक्त निगम पटसन उद्योग के हित में ही कार्य कर रहा है न कि बिचारे पटसन उत्पादकर्त्ताओं के हित में ;

(ख) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल और बिहार में भारतीय पटसन निगम के कार्य और उसकी पटसन खरीदने सम्बन्धी मूल्य नीतियों से सहकारी विपणन समितियों में व्याप्त असन्तोष के कारणों की जांच करने का प्रयास किया है ; और

(ग) क्या इन मतभेदों को दूर करने के लिए केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय पटसन निगम और विभिन्न राज्यों के सहकारी विपणन संगठनों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इस सम्बन्ध में कुछ आलोचना हुई है कि पटसन निगम वास्तविक उपजकर्त्ताओं की पूरी तरह से सेवा नहीं कर सका है । तथापि, निगम के पटसन बाजार में दाखिल होने के परिणाम स्वरूप पटसन के मूल्य स्थिर हो गये हैं तथा जहां भी खरीदारी की गई हैं, भारतीय पटसन निगम ने सदैव यह देखने की कोशिश की है कि उपजकर्ताओं को लाभ हो ।

(ख) पश्चिम बंगाल में पटसन निगम में सहकारिता विपणन सोसाइटी से एक करार किया है तथा प्राप्ति का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। बिहार में सहकारिता सोसाइटियों ने अभी तक क्रय का कार्य शुरू नही किया है ।

(ग) प्रश्न नही उटता ।

पटसन निगम द्वारा गरीब किसानों से पटसन की वसूली

998. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम का गरीब किसानों से कुल कितना पटसन वसूल करने का लक्ष्य है ;

(ख) उक्त लक्ष्य की प्राप्ति में कुल कितनी सफलता प्राप्त हुई और इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई ; और

(ग) क्या भारतीय पटसन निगम के असन्तोषजनक कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चालू वर्ष के दौरान भारतीय पटसन निगम ने अपने क्रय केन्द्रों तथा उपजकर्त्ता सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कच्चे पटसन की लगभग 10 लाख गाठें प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

(ख) 5 नवम्बर, 1973 तक लगभग 5.86 करोड़ रु० मूल्य की लगभग 2.36 लाख गाठें प्राप्त की गई थीं।

(ग) पटसन निगम इस वर्ष के दौरान पहली वार बड़े पैमाने पर बाजार में दाखिल हुआ है तथा इसके कार्यकरण में कतिपय कमियां सरकार के ध्यान में लाई गई है । सरकार उनके उपचार के लिए कार्यवाही कर रही है।

धागा नियंत्रण अध्यादेश को लागू करना

999. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धागा नियन्त्रण अध्यादेश की घोषणा किए जाने के एक सप्ताह बाद भी कुछ राज्यों उक्त अध्यादेश को लागू नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम है और इसको समयानुसार लागू न करने के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार ने सूत उत्पादन, कीमतों तथा वितरण के लिए कोई अध्यादेश जारी नहीं किया है । इसलिए, राज्य सरकारों द्वारा ऐसे अध्यादेश की क्रियान्विति किये जाने का प्रश्न नहीं उटता।

राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा एकाधिकार गृहों और छोटे औद्योगिक एककों को दिये गये ऋण

1000. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से मार्च, 1973 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा एकाधिकार गृहों को औद्योगिक विस्तार के लिए कुल कितनी धनराशि के ऋण दिये गये ; और

(ख) इस अवधि के दौरान इन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के छोटे औद्योगिक एककों को कुल कितनी धनराशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी बैंक सामान्यत: अपने ऋण-कर्ताओं की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता के लिए नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट या ऋणों के रूप में अग्रिम देते हैं । ये उनके द्वारा ऋणकर्त्ताओं की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के बाद दिये जाते हैं। समय समय पर इनकी समीक्षा करने के बाद इनका नवीकरण कर दिया जाता है या इनमें कमी कर दी जाती है या इनमें वृद्धि कर दी जाती है जो इस बात पर निर्भर करता है कि ऋणकर्ता प्रतिष्ठानों का कार्य कैसा है । इस प्रक्रिया में लेखों से समय समय पर निकासियां होती रहती हैं और उनमें वापसी अदायगियां होती रहती हैं और बकाया रकमों में, स्वीकृत सीमाओं के भीतर घटवढ़ होती रहती है । इसलिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा एकाधिकार प्राप्त घरानों को 1971 से मार्च, 1973 तक दिये गये ऋणों की कुल रकम के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करना सम्भव नहीं है । परन्तु उपलब्ध सूचना के अनुसार, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 75 व्यापारिक समूहों/घरानों को दिये गये अग्रिमों की बकाया रकम एकाधिकार जांच आयोग द्वारा 26-3-1971, 31-12-1971 और 29-12-1972 को क्रमश: 491.73 करोड़ रुपये, 534.75 करोड़ रुपये और 551.40 करोड़ रुपये बतायी गयी है ।

(ख) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे पैमानों के उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की बकाया रकम मार्च, 1971, मार्च, 1972 और मार्च, 1973 में कुल मिलाकर क्रमश: 243.9 करोड़, 283.7 करोड़ और 334.34 करोड़ रुपये थी।

पश्चिम गोदावरी जिले के कलक्टर की कार से सोना तथा मुद्रा का पकड़ा जाना

1001. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों ने 28 अगस्त, 1973 को पश्चिम गोदावरी जिला (आंध्र प्रदेश) के कलक्टर श्री गोविन्दराजन की कार से भारी मात्रा में सोना तथा मुद्रा पकड़ी थीं ; और

(ख) क्या इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) पश्चिम गोदावरी जिले के भूतपूर्व कलक्टर श्री एस० आर० गोविन्दराजन की मोटरकार से 28 अगस्त, 1973 को केन्द्रीय उत्पादन अधिकारियों ने सोने की 3 गूर्तियां पकड़ी जिनका भार 351 ग्राम था परन्तु मोटरकार से कोई मुद्रा नहीं पकड़ी गयी । अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में सीमाशुल्क कर्मचारियों ने श्री गोविन्दराजन के श्वसूर के मकान की भी तलाशी ली जिसमें 55000 रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा पकड़ी गई इस रकम को आयकर अधिकारियों ने अपने अधिकार में ले लिया । जांच पड़ताल जारी है ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बोकारो इस्पात कारखाने में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उत्पादन बंद हो जाने का समाचार

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्रीमान् मैं इस्पात और खान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"बोकारो इस्पात कारखाने में हड़ताल के कारण उत्पादन बिल्कुल बंद हो जाने का समाचार।"

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : अक्टूबर, 1973 में बोकारो प्रगतिशील कर्मचारी संगठन (जो पंजीकृत मजदूर संघ है परन्तु मान्यता प्राप्त नहीं है) केन्द्रीय मालिक-मजदूर समिति (सेंट्रल वर्क्स कमेटी) परिचालन कर्मचारी-संस्था, जो पंजीकृत नहीं है बोकारो इस्पात कामगार यूनियन तथा बोकारो आपरेटिव एसोसिएशन ने बोकारो के प्रबन्धकों को अलग-अलग मांग पत्र एवं हड़ताल के नोटिस दिए थे। मोटे तौर पर उनकी मांगे एक जैसी थीं और उनमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन बोनस वार्षिक बोनस; प्रोत्साहन बोनस और लाभ बोनस देने; निर्माण कार्यों में लगे सभी कामगारों को वरिष्ठता के आधार पर बिना किसी साक्षात्कार के परिचालन विभागों में रखने; कामगारों को वरिष्ठता के आधार पर बिना किसी लिखित परीक्षा/ट्रेड टेस्ड के पदोन्नति देने; सभी खाली पदों को विभागीय पदोन्नति द्वारा भरने; गोपनीय रिपोर्ट लिखने की प्रथा को समाप्त करने; सभी कामगारों को क्वार्टर देने अथवा उसके बदले में मकान किराया भत्ता देने ; कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों को दोपहर का खाना देने की व्यवस्था करने ; मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा देने; स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त वर्दी देने तथा ऊंचाई गर्मी और धूलि भत्ते की अदायगी की मांगे थीं।

मांग पत्रों की प्राप्ति पर बोकारो स्टील लि० के प्रबन्धकों ने राज्य की श्रम मशीनरी से हस्तक्षेप करने के लिए कहा। राज्य की श्रम मशीनरी ने बोकारो प्रगतिशील कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू की। बातचीत अभी चल रही थी कि प्रगतिशील कर्मचारी संगठन ने 6 नवम्बर, 1973 से हड़ताल कर दी। केन्द्रीय मालिक मजदूर समिति (सेंट्रल वर्क्स कमेटी) के साथ मैत्रीपूर्ण समझौता करने के भी प्रयत्न किए गये। बकाया विवादों को सुलझाने के विचार से बिहार सरकार के श्रम मंत्री जिन के साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी थे 6 नवम्बर, 1973 को बोकारो गये थे। राज्य सरकार के सुझाव पर बोकारो के प्रबन्धकों ने विभिन्न यूनियनों और एसोसिएशनों द्वारा उठाए गये विवादों/शिकायतों के बारे में राज्य के श्रम मंत्री की सलाह माननी भी स्वीकार कर ली थी। फिर भी, यह आशा व्यक्त की गई थी कि राज्य सरकार इस्पात उद्योग संयुक्त वार्ता समिति के समझौता ज्ञापन तथा सरकारी क्षेत्र के दूसरे इस्पात कारखानों में सेवा की शर्तें तथा उपान्त लाभों को ध्यान में रखेगी।

बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा यह स्पष्ट आश्वासन देने पर भी कि केन्द्रीय मालिक मजदूर समिति (सेंट्रल वर्क्स कमेटी) आपरेटिव एसोसिएशन तथा बोकारो इस्पात कामगार यूनियन 8 नवम्बर, 1973 को हड़ताल में शामिल हो गई। इन एसोसिएशनों ने एक संयुक्त कार्रवाई समिति का गठन किया है जिसने प्रबन्धकों के विचारार्थ एक नया मांग पत्र प्रस्तुत किया है जिस में 27 मांगे रखी गई हैं। बड़ी बड़ी मांगों में सभी कर्मचारियों को परिनियत बोनस की अदायगी, त्येक कर्मचारी को

एक पूरे क्वार्टर का आबंटन अथवा उसके बदले में मकान किराये भत्ते की अदायगी, निर्माण तथा परिचालन कार्यों में लगे कामगारों के लिए उदार इनाम योजना लागू करने, निशुल्क परिवहन सुविधाएं देने अथवा 20 रुपये मासिक की दर से सवारी सहायता देने, 500 रुपये प्रतिमास से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को हस्पताल में मुफ्त खाना देने तथा परिचालन/निर्माण विभाग में उच्च पदों को बोकारो इस्पात लि० के कर्मचारियों में से भरना शामिल हैं।

राज्य सरकार ने हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित किया था ।

हड़ताल के कारण बोकारी की धमन भट्टी बन्द कर दी गई और 8 नवम्बर, 1973 से कच्चे लोहे का उत्पादन नहीं हो रहा है इसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन लगभग 1950 टन जो अक्तूबर 1973 का औसत दैनिक उत्पादन था—की हानि हुई है, जिसका मूल्य लगभग 10.90 लाख रुपए है । फिर भी कोक ओवन बैटरियों, तापीय विद्युत संयंत्र, पम्प हाउस आदि महत्वपूर्ण इकाइयां अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही हैं । प्रबन्धकों ने कम्पनी की सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए भी सभी सम्भव एहतियाती उपाय किए हैं।

मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष है कि बिहार के श्रम मंत्री के हस्तक्षेप से 15-16 नवम्बर की रात से हड़ताल समाप्त हो गई है । हम आशा करते हैं कि एक या दो दिन में कारखाना सामान्य उत्पादन करना आरम्भ कर देगा।

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रत्यक्षतः बोकारो इस्पात संयन्त्र में हुई हड़ताल के बारे में है किन्तु मैं उन मांगों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ जिन्हें लेकर वहां हड़ताल की गई थी । उन्होंने 8.5 प्रतिशत बोनस देने, आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करने और नकद मकान किराया भत्ता देने आदि की मांगें की हैं । इन मांगों का सीधा सम्बन्ध संयंत्र के कार्यकरण की कुशलता से है । प्रबन्धकों की ओर से कहा गया है कि संयंत्र के अपर्याप्त संसाधनों के कारण इन मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संयंत्र का कार्यकरण ठीक नहीं है । मैं जानना चाहूँगा कि संयंत्र की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव किन कारणों से पड़ा है । क्या इसके लिए अनुचित प्रबन्ध व्यवस्था जिम्मेदार है अथवा निर्माण-कार्य सम्बन्धी गलत प्राथमिकताएँ या कार्य के पूरा होने में असाधारण विलम्ब होना अथवा निर्माण कार्य के ठेकेदारों की विफलता ? यदि बोकारो इस्पात संयंत्र को वर्तमान दर से घाटा होता रहा तो उसका कारखाने की कार्यकरण-कुशलता और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन के लिए भुगतान भारत-रूस करार के अनुसार किया जायेगा जबकि आयात किये गये उपकरणों आदि के लिए भुगतान बोकारो ऋण-करार के अनुसार किया जायेगा। भुगतान के तरीके में यह विषमता क्यों रखी गई है? क्या उन किसानों में, जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई है, रोष व्याप्त है क्योंकि उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है ? क्या कारखाने को लौह अयस्क, कोयला और चूना-पत्थर जैसा देशी कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है ? क्या ऐसा प्रयास किया जायेगा जिससे आर्थिक मामले में हम रूस सहित किसी भी बड़ी शक्ति पर निर्भर न रहें और अपनी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र दिशा प्रदान करें । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे ।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय सदस्य ने कई ऐसे प्रश्न पूछे हैं जिनका सम्बन्ध हड़ताल से न होकर संयंत्र के निर्माण-कार्य और उसके उत्पादन आदि से है । जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है इससे 10.90 लाख रुपये का घाटा प्रतिदिन हुआ है । परन्तु यह स्थिति अस्थायी है और स्थिति शीघ्र ही सुधर जायेगी ।

हम अक्तूबर महीने में हो रहे उत्पादन को बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं । माननीय सदस्य को हस बारे में आशंका नहीं होनी चाहिए ।

इस परियोजना के निर्माण के संबंध में हम निर्धारित समय के अनुसार कार्य करने का हर प्रयास कर रहे हैं।

बोनस आदि के संबंध में जैसा कि मैंने पहले कहा है हड़ताल समाप्त कर दी गयी है और कर्मचारियों के साथ दस सूत्रीय समझौता हो गया है और कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं हड़ताल के संबंध में प्रश्न पूछने से पूर्व बोकारो इस्पात संयंत्र के कार्यकरण के संबंध में प्रो० मधु दंडवते द्वारा कही गयी बातों का उल्लेख करना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि भिलाई इस्पात के स्थापित किये जाने से भी बिलकुल पहले उसके विरुद्ध इसी प्रकार अभियान कुछ शक्तियों द्वारा चलाया गया था । मैं जानता हूं चाहे बोकारो तथा भारत सरकार के विरुद्ध कितनी ही आलोचना क्यों न की जाये तो भी वह उन्नति करता रहेगा । सभी इस्पात संयत्रों में भिलाई ही एक संयंत्र है जहां हमारे तकनीशनों ने कुछ सीखा है और मैं अवश्य ही सोवियत संघ को बधायी दूंगा कि उसने हमें वही कुछ दिया है जो हम चाहते थे ।

मैं प्रसन्न हूं कि हड़ताल समाप्त कर दी गयी है मैं मंत्री महोदय को और बिहार के श्रम मंत्री को बधायी देता हूं। किन्तु कुछ बातों का उल्लेख नहीं किया गया है । उनकी इस मांग को कि उन्हें खाद्यान्न उचित मूल्य पर मिलना चाहिये । पूरा किया जाना चाहिये ।

बोनस के बारे में सरकार को अब निर्णय ले लेना चाहिये । उन कर्मचारियों को भी कुछ रियायतें दी जानी चाहिये जिन्होंने 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और जो महत्वपूर्ण उत्पादन के काम में लगे हुए हैं।

परिवहन सुविधाओं के प्रश्न के संबंध में उन्हें ये सुविधायें अवश्य ही दी जानी चाहियें ।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में समस्याओं का समाधान करने के लिये समझौता कराने के एक तंत्र की व्यवस्था की जाये ।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय सदस्य ने बोनस के संबंध में प्रश्न उठाया है । निस्संदेह बोनस के प्रश्न के संबंध में श्रम मंत्री के साथ विचार किया जायेगा।

भोजन समस्या के संबंध में यह मांग भोजन के संबंध में है । यह कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये दोपहर के भोजन की मांग है । इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है ।

जहां तक परिवहन सुविधाओं का संबंध है इसे भी दस-सूत्री समझौते में शामिल किया गया है।

अन्य बातों के संबंध में निश्चय ही हम विचार करेंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार संयुक्त सलाहकार तंत्र जैसा कोई तंत्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने इसे नोट कर लिया है।

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak) : These days there have been frequent strikes in the country. As a result thereof, we have to suffer a great national loss.

It is seen that the management of public undertakings take much time in deciding about the demands of their labour. When the demands were made by the labourers of Bokaro Steel Plant, no action was taken in this regard. The management did not promptly act when notice of strike was given by the members. The Government did not take notice of the situation regarding strike.

The Public Undertakings Committee of this House has criticised the management of Bokaro Steel Ltd. and said that non-official members of the management are not efficient and they have not been appointed or nominated properly. I want to know whether the Government have examined the report of the Public Undertakings Committee.

I would like to know as to how much loss has been caused by this strike. When the tact of suppression against the labour fail then negotiations are started. We have to incur a great loss due to this wrong policy.

I want to know when the charter of demands was sent, what action has taken by the Management Board or Labour Department of Bihar Government in this regard and whether any talks were held with the representations of the labourers and whether any politicions were connected with this trouble or whether the management Board was responsible for this. Will they conduct an enquiry into it?

श्री सुबोध हंसदा: सबसे पहले मांगपत्र 5 अक्तूबर को पेश किया गया था। इसमें 27 मांगें शामिल थीं। अन्त में इन मांगों को कम करके 9 कर दिया गया।

यह बात सही नहीं है कि इन मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। प्रबंधकों द्वारा सभी मांगों पर विचार किया गया। इसके बाद हड़ताल का नोटिस दिया गया।

यद्यपि हड़ताल का नोटिस दिया गया था, तथापि बिहार सरकार का श्रम विभाग कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच समझौता कराने का प्रयत्न करता रहा। स्वंय श्रम मंत्री ने भी समूचे विवाद को हल करने के लिये समझौता कराने का प्रयास किया।

श्रम मंत्री के हस्तक्षेप के कारण, बोकारो स्टील आप्रेटर संगठन के नेता तो समझौते के लिये सहमत हो गये किन्तु अन्य संगठन सहमत नहीं हुये और उन्होंने हड़ताल कर दी। इन सभी बातों पर विचार किया गया और हमने 10 सूत्री समझौता किया और हड़ताल समाप्त कर दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम आगामी विषय को लेंगे।

स्थगत प्रस्तावों के बारे में
Re. MOTIONS FOR ADJOURNMENT

श्री एस० एम० बनर्जी: (कानपुर) : मैंने धनबाद में गोली चलाये जाने के बारे में स्थगत प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कोयला खान के 5 श्रमिक मारे गये हैं। मैंने यह स्थगत प्रस्ताव इसलिये रखा है, कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा गोली चलायी गयी जो गृह मंत्री के अधीन है। इससे पहले ही 5 मौतें हो चुकी हैं और तीन अन्य श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुये हैं। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये अथवा कम से कम सोमवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेने की अनुमति दी जाये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I have tabled an adjournment motion about the situation in Jammu and Kashmir. You might have read in the newspapers that the Pro-Pakistani elements had been active in Sirinagar and they did not allow a college to be named after Jawahar Lal Nehru. They have been looting the shops and have been insulting the girls also. As a result of these incidents, there was reaction in Jammu. The State Government there had proved a failure. The Prime Minister of Pakistan has been inciting the people of Jammu and Kashmir openly to rise in revolt. I have to submit that stern action should be taken against the small section, which supports Pakistan to control the situation so that it may not become uncontrollable.

Mr. Speaker : I have admitted a calling attention motion.

श्री एस० एम० बनर्जी: तो फिर मैं अपने स्थगत प्रस्ताव पर जोर नहीं देता।

अध्यक्ष महोदय : एक ऐसा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है, जिसके बारे में सूचना दी गयी थी। वह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों द्वारा गोली चलाये जाने से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप पांच श्रमिक मारे गये। मैंने पहले ही इसकी अनुमति दे दी है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I had also given notice of an adjournment motion regarding coal mines.

Mr. Speaker : I have seen it. Calling attention is in proper shape.

Shri Atal Bihari Vajpayee : What about Jammu and Kashmir ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि यह राज्य का विषय है और इसे पेश करने के लिये अनुमति नहीं दी जा सकती है। किन्तु हम इस बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त करते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : This subject is related to Pakistani activities, so it cannot be termed as a State subject. It is the question of country's security. Please ask the Minister to inform the House about this.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे उनके पास भेज दूंगा। मेरे विचार में वह यही कर सकते हैं कि वह राज्य सरकार से सूचना प्राप्त करें ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लोक उद्योगों सम्बन्धी कार्यवाही समिति के कार्य की प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन का सारांश, सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) लोक उद्योगों संबंधी कार्यवाही समिति के कार्य की प्रगति पर प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) के सारांश की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये एल०टी० संख्या-5714/73]

(2) सरकारी बचत प्रमाणपत्र, अधिनियम 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (पांचवां निर्गम) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 421 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाक घर बचत प्रमाण पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 422 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र चौथा निर्गम (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 423 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए एल० टी० संख्या 5715/73]

(3) आपात संकट (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात संकट (माल) बीमा (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 508 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए एल० टी० संख्या-5716/73]

(4) आपात संकट (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात संकट (उपक्रम) बीमा (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 509(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये एल० टी० संख्या-5717/73]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 399(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 945 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 431(ङ)जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 442(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० सां० नि० 1021 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० सां० नि० 462(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अक्तूबर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० सां० नि० 469(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 अक्तूबर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल० टी० संख्या-5718/73]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 416 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1019 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल० टी० संख्या-5719/73]

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 407(ङ), 408(ङ) और 409(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 926 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 927 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 946 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० सां० नि० 985 और 986 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० सां० नि० 987 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० सां० नि० 988 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० सां० नि० 989 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा० सां० नि० 1020 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० सां० नि० 456(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा० सां० नि० 457(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा० सां० नि० 470 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 अक्तूबर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा० सां० नि० 474(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 अक्तूबर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए एल० टी० संख्या-5720/73]

(8) आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई उद्-घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आंध्र प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1968 की धारा 72 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) ज्ञापन संख्या 770-टी० आई०/72-9, राजस्व (टी) जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश उत्पाद शुल्क (वृक्ष च्यावन तथा ताड़ी की दुकानें लाइसेंसों की विशेष शर्तें) नियम, 1969 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(दो) अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 631, राजस्व(ई) जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश विदेशी शराब तथा देसी शराब नियम, 1970 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(तीन) ज्ञापन संख्या 2957/टी० आई०/73-9 जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश उत्पाद शुल्क (शराब की खुदरा बिक्री करने के अधिकार का पट्टा) नियम, 1969 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए एल० टी० संख्या-5721/73]

निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा अभिकरणों, व्यापार चिह्न रिजिस्ट्री के वार्षिक प्रतिवेदन टैरिफ आयोग अधिनियम, निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत पत्र आदि आदि।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 16 के उपनियम (3) के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद् और अभिकरणों के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** एल० टी० संख्या-5722/73]

(2) व्यापार तथा व्यापार चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अन्तर्गत व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** एल० टी० संख्या-5723/73]

(3) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) रेशम-उत्पादन उद्योग की द्विवार्षिक समीक्षा संबंधी टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1973)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 13(1)/टी ए आर/73, दिनांक 14 नवम्बर, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसमें उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं।

(तीन) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण [हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण]।

(ख) पटसन के सामान की विभिन्न किस्मों के मूल्य ढांचे संबंधी टैरिफ आयोग (हिन्दी संस्करण) का प्रतिवेदन (1971)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** एल० टी० संख्या-5724/73]

(4) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) अकार्बनिक रसायन का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2789 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अकार्बनिक रसायन का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2965 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सल्फ्यूरिक एसिड का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2968 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) जीरे के बीजों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3099 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** एल० टी० संख्या-5725/73]

सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई
ARREST AND RELEASE OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे जिला मजिस्ट्रेट, नाडिया से प्राप्त दिनांक 15 नवम्बर, 1973 के एक निम्न-लिखित तार की सूचना सभा को देनी है:—

"श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी, सदस्या, लोक सभा को अन्य व्यक्तियों सहित रानाघाट पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन कानून उल्लंघन आन्दोलन के संबंध में पुलिस का घेरा तोड़कर सब-डिविजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की ओर बढ़ने के कारण 14 नवम्बर, 1973 को 14.50 बजे गिरफ्तार किया गया। सदस्या को तथा 15 अन्य महिला सत्याग्रहियों को उसी दिन 18.00 बजे पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत से छोड़ दिया गया"।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कल यह ज्ञात हुआ था कि साम्यवादी मार्क्सवादी दल से संबंधित सभा के एक सदस्य श्री विजय मोदक को 12 तारीख को गिरफ्तार किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस के बारे में सूचना मिल जायगी। कृपया इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं गृह मंत्री से सूचना प्राप्त कर सकूं।

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली से चांदी के सिक्कों की चोरी के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: THEFT OF SILVER COINS FROM NATIONAL MUSEUM, NEW DELHI

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : सदन को यह सूचित करते हुए मुझे खेद है कि राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली से कल 41 सिक्के गायब हो गए।

यह चोरी संग्रहालय की दूसरी मंजिल में स्थित उसकी मुद्रा-शास्त्र दीर्घा में हुई और इसका पता दोपहर बाद लगभग 2 बजकर 40 मिनट पर चला था। पुलिस प्राधिकारियों को फौरन इसकी सूचना दी गई और उन्होंने उसके बाद तुरन्त ही जांच-पड़ताल शुरू कर दी।

जबकि अत्यन्त मूल्यवान सिक्कों को एक सुरक्षित कमरे में रखा गया है और सामान्यतः उन्हें दीर्घाओं में प्रदर्शित नहीं किया जाता, ऐतिहासिक महत्व के अन्य सिक्कों को मुद्रा-शास्त्र दीर्घा में प्रदर्शित-किया गया है। कल प्रदर्शित किये गये सिक्कों की संख्या 254 थी और मुख्य रूप से ये हमारे इतिहास के विभिन्न कालों के भारतीय सिक्के थे। कल दोपहर को सस्सेनियन काल (226-651 ईसवी सन्) के 50 फारसी सिक्के भी प्रदर्शित किए गए थे। गुम हुए सिक्के बाद की श्रेणीं से संबंधित हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय ने यह सिक्के 1950 में प्राप्त किए थे जबकि सस्सेनियन काल के 1691 सिक्के बम्बई के कलक्टर स्वर्गीय श्री एफ० डी० जे० पारुख से 12,000 रुपये की कुल कीमत पर खरीदे गये थे।

सरकार को इस चोरी पर गहरी चिंता है। निःसंदेह सुरक्षा में लापरवाही हुई है और मैंने विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए आदेश दे दिया है। मैं सदन को यह भी आश्वासन देता हूं कि संग्रहालय में सुरक्षा के उपायों को और सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोका जा सके।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : सोमवार, 19 नवम्बर, 1973 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज की कार्य-सूची की सरकारी कार्य की किसी शेष मद पर विचार।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1973 राज्य सभा द्वारा पास किये गयें रूप में
(विचार तथा पास करना)

(3) शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1970-71 और 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा

(4) प्रेस (परिषद् संशोधन) विधेयक, 1973
(विचार तथा पास करना)

(5) भारतीय रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973
(विचार तथा पास करना)

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में
(आगे विचार तथा पास करना)

(7) प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1973, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में
(विचार तथा पास करना)

मैं यह और कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक को भी अगले सप्ताह लिया जायेगा।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : संविधान संशोधन (32वां) विधेयक में व्यवस्था की गई है कि दल-बदल करने वाले संसद सदस्यों एवं विधायकों को अनर्ह घोषित कर दिया जाये। उसमें यह भी व्यवस्था है कि प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री क्रमशः लोक सभा और विधान सभाओं के सदस्य हों। मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को इसी सत्र में पारित किया जाये ताकि यह सरकार उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में दल-बदलुओं के समर्थन से अपनी सरकारें न बना सकें।

लोकायुक्त एवं लोकपाल विधेयक अभी भी अपेक्षित पड़ा हुआ है। उस पर शीघ्र कार्यवाही की जाये। यह और भी आवश्यक है क्योंकि बिहार के राज्यपाल श्री भंडारे ने स्वयं बिहार के मंत्रियों के विरुद्ध आरोप लगाया था।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : मैं उस बैठक में उपस्थित था। श्री भंडारे ने मंत्रियों के विरुद्ध कोई बात नहीं कही थी।

श्री पी० के० देव : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उड़ीसा के राज्यपाल के आचरण के बारे में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय के आशयों के बारे में कब चर्चा की जायेगी।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : It has been reported in the Press that the Chief Minister of U.P. has demanded cereals, dalda, cement and Kerosene oil.

Mr. Speaker : The member should make a speech.

Shri Hukam Chand Kachwai : Will the hon. Minister allow discussions on imposition of Presidents rule in U.P. and its termination Scheduled Castes and Scheduled Tribes Bill is pending since last session and there is an atmosphere of strike aganist the Pay Commission's report in the Country. Will any discussion be allowed on these two ?

The replies of the Minister to the questions are published in the newspapers but the questions asked for by the Members are not published.

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : We should boycott the replies of the Ministers.

Mr. Speaker : How does it relate to the Business Advisory committee ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : A Joint Select Committee was constituted for amendment of election laws, which submitted its recommendations and a Bill is under consideration of the Government. I suggest that it should be brought here and passed before elections in U.P. and Orissa.

None of the matters raised by us has been included in the next weeks business.

Mr. Speaker : Decision has been taken on 3-4 issues.

Shri Atal Behari Vajpayee : But not in the ensuing week.

The present international situation requires a discussion in this House.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : वेतन आयोग की रिपोर्ट में सुधार करने का सरकार ने पिछले सत्र में आश्वासन दिया था, परन्तु किये गये सुधारों से किसी को संतोष नहीं हुआ।

मैंने और श्री बाजपेयी ने श्रीराम इंस्टीट्यूट, दिल्ली का मामला उठाया था जिसके 200 के लगभग वैज्ञानिक बैकार घूम रहे ो महोदय को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : केरल की खाद्य स्थिति पर चर्चा की जानी चाहिए। पंजाब गेहूं और चावल भेजकर हमारी सहायता करता रहा है। हमारी कुल मांग लगभग 80,000 टन प्रति मास है। इसे घटाकर 53,000 टन चावल तथा 20,000 टन गेहूं किया गया। राशन में तीन आऊंस की कटौती की गई तथा मूल्य में 25 प्रतिशत वृद्धि की गई। अतएव इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : पिछले सत्र के अंत में पांचवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र पर पर्याप्त विचार नहीं हो पाया था। इस पर अब विचार किया जाना चाहिए।

श्री चा० किरुतिनन (शिवगंज): वेतन आयोग की रिपोर्ट और उस पर सरकार के निर्णय पर चर्चा की जानी चाहिए।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन): मैंने गुजरात में कोयले की कमी के बारे में नियम 377 के अधीन चर्चा की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अधीन इसकी अनुमति नहीं दी।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं आज ही गुजरात से आया हूं। वहां पर कोयले की बहुत ही कमी है। मंत्री महोदय को इस बारे में आश्वासन देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कार्य मंत्रणा समिति की अगली बैठक में पिछले सत्र के बचे हुए विषयों को लिया जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : "एप्रोच टू फिफ्थ फाइव यीयर प्लान" विषय संबंधी चर्चा के बारे में मैं कार्य मंत्रणा समिति की पिछली बैठक में यह बता चुका हूं कि इससे संबंधित मंसौदा, इस सत्र के अंत तक तैयार ो जायेगा। वास्तव में इसी की पुष्टि मंत्री महोदय द्वारा भी की जा चुकी है। मैं इस संबंध में यह जानना चाहता हूं कि क्या सदन 'एप्रोच' पर विचार करना चाहेगा या मसौदे पर। मैं सदन की राय कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखना चाहता हूं।

जहां तक नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा उठाने का प्रश्न है मैं समझता हूं कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी को समाचार से पता चल गया होगा कि अगले सप्ताह में टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि पांचवीं योजना पर इसी सत्र में चर्चा होगी। यदि यह चर्चा होनी है तो मसौदा कम से कम 10 दिन पहले हमें उपलब्ध करा दिया जाना चाहिये। क्या योजना का मसौदा इतनी जल्दी उपलब्ध करवाना संभव होगा ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेंगुसराय) : राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्वीकृति के बिना योजना के मसौदे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। इन परिस्थितियों में मसौदे के इस सत्र में प्रस्तुत किये जाने की संभावना कम है। अतः मेरा विचार है कि हमें 'एप्रोच टू फिफ्थ प्लैन', जिस पर कि गत सत्र में चर्चा आरंभ की गई थी उसी को चर्चा के लिए ले लेना चाहिये।

श्री के० रघुरामैया : श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् को मसौदा भेजने की जो बात उठाई गई है उस पर हमने विचार कर लिया है और अगले महीने की आठ या नौ तारीख को उसकी बैठक होने वाली है। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही योजना मंत्री ने मुझे यह बताया है कि मसौदा इसी सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है।

समिति के लिये निर्वाचन
Election to Committee

प्राक्कलन समिति

श्री के० एन० तिवारी (बेंतिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्रीमती ज्योत्सना चन्दा के स्थान पर जिनका निधन हो गया है, प्राक्कलन समिति के शेष कार्य काल के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्रीमती ज्योत्सना चन्दा के स्थान पर जिनका निधन हो गया है, प्राक्कलन समिति के शेष कार्य काल के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर सात मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at seven minutes past Fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।
Mr. Deputy Speaker in the chair

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक
Homoeopathy Central Council Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक पर चर्चा आरंभ करेंगे ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद् , के गठन और होम्योपैथी का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखे जाने तथा तत्सम्बद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये" ।

जानकारी के तौर पर मैं यह बताना चाहता हूं कि भारतीय औषध और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, दिसम्बर, 1968 में राज्यसभा में पुरःस्थापित किया गया था। संयुक्त समिति ने विचार करने के बाद होम्योपैथी के लिए अलग परिषद् की स्थापना की सिफारिश की। इसी सिफारिश के आधार पर यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1971 राज्यसभा में 1-12-1971 को पुरस्थापित किया गया था। वर्तमान विधेयक में होम्योपैथी तथा होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर के अनुरक्षण संबंधी अन्य मामलों के लिए एक केन्द्रीय परिषद् के गठन की व्यवस्था की गई है। यह विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा गया था। इस समिति ने होम्योपैथी से संबंधित सभी मामलों तथा देश में इसकी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के संबंध में बहुत अधिक परिश्रम किया है। इस समिति का प्रतिवेदन दोनों सदनों के सभा-पटल पर 26 मार्च, 1973 को रखा गया था। समिति ने इस विधेयक को पारित करने की सिफारिश की है। समिति ने इस विधेयक से संबंधित जो ब्यौरा एकत्रित किया है, उसके लिए मैं समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का आभारी हूं।

समिति ने विधेयक में जो परिवर्तन किये हैं उनके कारणों का उल्लेख प्रतिवेदन में कर दिया गया है। समिति को ज्ञापन के उत्तर में जो विचार पता चले तथा जो साक्षियां समक्ष आईं, उनके आधार पर ये परिवर्तन किये गये हैं। इनके फलस्वरूप यह विधेयक काफी अच्छा बन गया है। जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है और जो राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है उसका सम्बन्ध कर्नाटक राज्य से है क्योंकि उस राज्य की सूचना तब तक उपलब्ध नहीं हुई थी।

इस विधेयक के परिणामस्वरूप संपूर्ण देश में होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा में एकरूपता लाने और उसके स्तर में उपयुक्त सुधार करने में काफी सहायता मिलेगी। इसी संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि गैर सरकारी होम्योपैथी संस्थानों के स्तर में उचित सुधार करने के लिए उन्हें अपने भवनों, उपकरणों तथा कर्मचारियों आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। पांचवीं योजना के दौरान अखिल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अनुरूप ही एक होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान का निर्माण करने का कार्यक्रम है। जैसा कि लोक लेखा समिति द्वारा सिफारिश की गई है, राज्य सरकारों के कालिजों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं को भी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव हमारे समक्ष है और इस पर मेरे मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक मार्गदर्शी होम्योपैथी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

होम्योपैथिक औषधियों के लिए मानक तैयार करने के लिए भारत सरकार ने होम्योपैथिक फारमेको-पोइया समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने आम इस्तेमाल में आने वाली 180 औषधियों के पहले भाग का संकलन तैयार कर लिया है। अब केवल प्रैस द्वारा इसके प्रकाशन की प्रतीक्षा की जा रही है। इस समिति को औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत मान्यता दी जायेगी और निर्माताओं को अपनी वस्तुओं का उत्पादन निर्धारित मानकों के अनुसार करना पड़ेगा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक होम्योपैथिक फारमैको पोइल प्रयोगशाला खोलने का प्रस्ताव भी है जो इन औषधियों की किस्मों में सुधार करेगी और इनके स्तर को ऊंचा उठायेगी। इसके साथ ही यह प्रयोगशाला इनके परीक्षण का कार्य भी करेगी।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् तथा होम्योपैथी में सलाहकार द्वारा तत्सम्बद्ध कार्यवाही और संयुक्त समिति द्वारा कुछ राज्यों की राजधानियों का दौरा करने से राज्य सरकारें भी इसके विकास में अधिक रूचि ले रही हैं। कई राज्य सरकारों द्वारा होम्योपैथी पद्धति के कार्यकरण की देखभाल करने के लिए अलग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। अत: इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिस रूप में यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है वैसे ही इस सदन को भी इसे स्वीकृति दे देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कि होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद् के गठन और होम्योपैथी का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखे जाने तथा तत्सम्बद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I welcome the Bill . In a poor country like India where more than 80 percent people cannot afford to buy allopathic medicines, how can they get medical assistance ? More than 80 or 90 percent people in our country either fail to get proper treatment or they go to ordinary Vaidyas or to some Homoeopathic doctor. In rural areas Tetanus becomes the main reason for several deaths. The reason being that people do not get antitetanus injections.

You may be surprised to know that several places where C.G.H.S. is existing a demand for Homoeopathy dispensary has been received. Even the Central Government employees of Kanpur have passed a resolution for having a homoeopathic dispensary. But it is very strange that although lot of money is being spent on big hospitals but such an ordinary dispensary has not been opened.

It has already been established on the basis of experience that homoeopathy cure is very effective. In many cases its superiority has been established over allopathic cure. I think more and more facilities should be made available to Homoeopathy because allopathy is costly and at the same time it is creating a wrong notion in the minds of people. The council which has been formed by the Government is a good one and I think every effort should be made to extend the services of homoeopathy to every nook and corner of the country.

The other aspect which I want to stress upon is that for homoeopathy qualified doctors should be there. A certificate by a M.L.A. or M.P. for recognising a man as homoeopathic doctor should not be sufficient.

With these words, I support the Bill and suggest that homoeopathy should be developed with every medical scheme of the Government. No discrimination should be made between homoeopathy and allopathy.

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। हमारे देश में काफी समय से होम्योपैथिक पद्धति की उपेक्षा की गई है । अब केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् द्वारा जिसके लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है इस पद्धति को नियमित कर दिया जायेगा। इस विधेयक के अन्तर्गत एक केन्द्रीय परिषद् की स्थापना की जायेगी। वहां सभी मैडिकल प्रैक्टिशनरों का विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत पंजीकरण किया जायेगा। प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय परिषद् में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा ।

वास्तव में इस विधेयक का उद्देश्य देश में होम्योपैथी की प्रैक्टिस को नियमित करना है। यह परिषद होम्योपैथिक शिक्षा तथा मैडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों को नियमित भी करेगी। इस के अनुसार मैडिकल कालेजों को एक अस्पताल, एक अनुसंधान प्रयोगशाला तथा एक फारमेसी चलानी पड़ेगी। इसके साथ ही होम्योपैथिक औषधियों का निर्माण देश में ही होने लगेगा तथा इससे होम्योपैथिक औषधियों का निर्माण करने के लिए फारमेसिस्टों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : Homoeopathy has got its important place among other curing sciences but unfortunately it had been ignored by the Government during all these years. It is because of Government's negligence that homoeopathy has been ignored in our country.

A separate council has been formed by the Government for Ayurvedic system of medicine. Now when the Government has come forward with a bill for such a council and is actually been for the prosperity of this system, then this should be formed at the earliest so that people can have its benefits at the earliest.

I was a member of the select Committee which was formed for this bill. As a member of the Committee I made several amendments out of which some were accepted also. In this connection my observation is that there is no uniformity in the courses which have been adopted by different institutions in different states. I feel there should be uniformity in all of them.

Regarding homoeopathy, it has been stated by the hon. Minister that but for one state there is no separate directorate for this system. There are a good number of states in which homoeopathic system is very poor and there is not a single good dispensary. My submission is that after this Bill is passed, the Government should persue such states for extension of homoeopathy system. In far off rural areas where allopathic doctors do not want to go, Government should attempt to open homoeopathic health centres there. At the same time homoeopathic doctors should be sent there, the Government must pay proper attention to such like areas.

It has been stated by hon. Minister that a Central Research Institute has been opened. But even that will not be sufficient for proper development of this system, we require upto date laboratories. So many regional laboratories are required for the purpose.

Regarding definition of this system. I feel that word 'biochamic' should be added with the definition of homoeopathic. I hope hon. Minister will accept it for the sake of uniformity.

It has been stated by me in my note of dissent that the number of faculties from which people are to be represented should be increased to 20 from 7 for better representation.

The number of members to be nominated under clause 3 should be increased so that more persons could get the representation.

Persons who are registered in the central register should be allowed to practise anywhere in India on the pattern of Indian Council of Medicine. This disparity should be removed in so far as Homoeopathy is concerned.

The funds allocated to the states for this purpose should be utilised for the development of Homoeopathy. There should be more research centres. There should be more Homoeopathy dispensaries and the treatment in these dispensaries should be made reimburseable like that of allopathic treatment.

Dr. Kailas (Bombay-South) : I rise to support the Homoeopathy Central Council Bil.

The State Governments have been registering the names of the persons practising homoeopathy till a definite time which lead to disparities among the different states in so far as period of experience in homoeopathy is concerned. It was considered advisable that Homoeopathic Doctor registered in one state cannot practise in another state.

Institutionally framed homoeopathic Doctors urged the Governement of India for institutional training so that a man could practise anywhere throughout the country and it was for this reason that we passed the Homoeopathic Act.

It was hoped that there should be uniform syllabus for the whole country so that we could have post graduate teachers for teaching in the Universities. It is, therefore, necessary to constitute Central Council of Homoeopathy for which this Bill has been brought forward in this House. It is only for this reason that I support this bill. We may be able to introduce a uniform syllabus throughout the country after constituting this council and persons registered in the central register may be able to practise throughout the country. The Central Council will take decision about the syllabus period of education and setting up of colleges.

*श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : आज़ादी से पहले गांवों में अधिकांश होम्योपैथी दवाईयों का प्रचलन था क्योंकि अन्य प्रकार की अंग्रेजी दवाईयां उन दिनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती थीं। उन दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संस्था जैसी भी कोई संस्थाऐं नहीं थीं। उन दिनों ऐलोपैथी तथा होम्योपैथी दोनों प्रकार के चिकित्सकों के बीच सहयोग की भावना रहती थी लेकिन अब बात ऐसी नहीं है। ऐलोपथी के चिकित्सक, होम्योपैथी के चिकित्सकों को अपने से घटिया दर्जे का समझते हैं। हमने होम्योपैथी चिकित्सक को मान्यता देने के लिये बहुत प्रयत्न किये और सौभाग्यवश हमें सफलता भी मिली है। मंत्री महोदय को इस विधेयक को सदन में लाने के लिये मैं बधाई देता हूं। विधेयक को देर से लाने के बावजूद भी मैं इसका स्वागत करता हूं। दोनों प्रकार की चिकित्साओं के बीच व्याप्त द्वेष भावना को हमें दूर करना चाहिये। आज स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने वाली प्रशासनिक सेवाऐं शिथिल पड़ गयी हैं। इन सेवाओं में इतनी त्रुटियां आ गयी हैं कि मुझे अपने पुत्र को एम० बी० बी० एस० में दाखिल करने के लिये भी श्री अली, जो अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं, के पास पहुंचना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात इस विधेयक से क्या सम्बन्ध रखती है।

श्री मनोरंजन हाजरा : मैं तो केवल प्रशासनिक ढांचे की कमजोरी की व्याख्या कर रहा था। मैं आशा रखता हूं कि परिषद् के गठन के बाद ये त्रुटियां दूर की जायेंगी। दोनों प्रकार की चिकित्साओं के बीच भी तालमेल लाना जरूरी है।

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : मैंने स्वयं होम्यौपैथिक औषधियों का अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए उपयोग किया है। मेरा होम्योपैथी विज्ञान में विश्वास है। अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। परन्तु इसके साथ ही यह अजीब बात है कि हमारी सरकार अब तक होम्योपैथी बिज्ञान

*बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

पद्धति के प्रति मौखिक सहानुभूति ही दिखाती रही है । वास्तविकता यह है कि आज भी ऐलोपैथी औषध पद्धति पर 85 प्रतिशत धनराशि व्यय की जा रही है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक तथा यूनानी आदि पद्धतियों पर कुल मिलाकर 15 प्रतिशत धनराशि खर्च की जा रही है ।

मैं अपने तथा अपने जानने वाले अन्य अनेक लोगों के अनुभवों के आधार पर यह बात कह सकता हूं कि ऐलोपैथी चिकित्सा विज्ञान बहुत ही अपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है । इस विज्ञान से सम्बद्ध एक विदेशी चिकित्सा बुलेटिन में कहा गया है कि 60 प्रतिशत रोगी तो ऐसे होते हैं जिन्हें 'पेटेंन्ट आषधियां' ही देनी होती हैं । 15 प्रतिशत रोगी ऐसे होते हैं जिनके लिए डाक्टर को अधिक कुछ नहीं करना पड़ता । कुल मिलाकर 10 प्रतिशत रोगी ही ऐसे आते हैं जिनके लिए डाक्टर को माथा पची करनी पड़ती है । मेरे ही परिवार के एक सदस्य को गत 15 वर्ष से पीछे कमर में दर्द है । मैं उसे ऐलोपैथी के दिल्ली तथा बम्बई के अनेक बड़े बड़े अस्पतालों में ले गया । उसके अनेक 'टेस्ट' किये गये परन्तु उन लोगों को कुछ भी पता न चला कि दर्द का कारण क्या है । अंत में उन्होंने कह दिया कि दर्द रोगी की कमर में नहीं अपितु मस्तिष्क में है । यह है ऐलोपैथी औषध विज्ञान का असली रूप । इसी लिए मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि सरकार को मौखिक सहानुभूति की अपेक्षा होम्योपैथी औषध विज्ञान के प्रति क्रियात्मक रवैया अपनाना चाहिये । कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि इस विज्ञान पर खर्च करनी चाहिये । आज हमारे 85 प्रतिशत लोग जो होम्योपैथी औषध पद्धति का लाभ उठा रहे हैं, उनकी सहायता करने का यह अच्छा तरीका है ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हैम्योपैथी के डाक्टरों का राज्यवार पंजीकरण किया जा रहा है । परन्तु ऐसा क्यों ? एक राज्य में पंजीकृत व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर डाक्टरी व्यवसाय आरम्भ क्यों नहीं कर सकता ? मैं समझता हूं कि इस का कारण यही है कि मंत्रालय में जो लोग बैठे इस विधेयक पर कार्य करते हैं । उनकी इस औषध विज्ञान के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है ।

जब तक हमारी सरकार इंगलैंड की तरह 5000 की जन संख्या के लिए एक दांतों का डाक्टर उपलब्ध करवाने की स्थिति में नहीं आ जाती तब तक कम से कम प्रत्येक ब्लाक के लिये एक होम्योपैथी डिस्पेन्सरी की व्यवस्था तो उसे करनी ही चाहिये । परन्तु हाँ सरकार को यह भी देखना चाहिये कि होम्योपैथी का डाक्टर 50 या 55 रुपये फीस न ले । मेरा एक सुझाव यह भी है कि मैडिकल कालिजों के साथ ही होम्योपैथी कालिज भी सम्बद्ध होने चाहियें । इस औषध विज्ञान के विकास के लिए सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिये, अनुसंधान की सुविधायें उपलब्ध करवाई जानी चाहिये और प्रयोगशालायें स्थापित की जानी चाहियें ।

यह सौभाग्य की बात है कि होम्योपैथी विज्ञान में 'एलेर्जी' नाम की चीज़ कोई नहीं है । ऐलोपैथी में किसी को 'नावलजीन' ऐलर्जी होती है तो किसी को 'एस्प्रीन' । वैसे होम्योपैथी में भी ऐसी औषधियों की दुकानें होनी चाहियें जहां से कि सिर दर्द जैसे साधारण रोग के लिए शीघ्र ही औषध प्राप्त हो सके ।

मैंने अब तक जो कुछ कहा उसका सारांश यही है कि होम्योपैथी औषध विज्ञान काफी उपयोगी और सफल औषध विज्ञान है । इसके लिए सरकार को कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि खर्च करके इस पद्धति का अपेक्षित विकास करना चाहिये । इस से सच्चे अर्थों में राष्ट्र की स्वास्थ्य सेवा का कार्य हो सकेगा ।

श्री जे० माता गौडर (नील गिरी)* : होम्योंपैथी चिकित्सा पद्धति हमारे देश में चिरकाल से चली आ रही है और आज भी देश के विभिन्न भागों में इस पद्धति के डाक्टर उपलब्ध हैं । यह खेद की बात है कि यह चिकित्सा पद्धति इतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई है जितनी कि इसे होना चाहिये था । इसका मुख्य कारण यही है कि लोग केवल एक दो पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद ही अपनी डाक्टरी आरम्भ कर देते हैं । उनका चिकित्सीय अनुभव बहुत कम होता है और साथ ही यह पद्धति अधिक वैज्ञानिक भी नहीं है । यही कारण है कि लोगों का विश्वास इस पद्धति में घटता जा रहा है ।

यह संतोष की बात है कि इस विज्ञान पद्धति के इसी प्रकार के अनेक दोषों का उन्मूलन करने के लिए मंत्री महोदय ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है । मैं समझता हूं कि इस विधेयक से इस प्रकार की काफी त्रुटियां दूर हो जायेंगी । वास्तव में सरकार को काफी पहले ही इस प्रकार का विधेयक ले आना चाहिये था ।

सरकार को इस औषध पद्धति के विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये क्योंकि प्राकृतिक औषध पद्धति वैज्ञानिक तथा मितव्ययी होने के साथ साथ ऐसी है जिसका उपयोग हमारे देश की अधिकांश जन संख्या द्वारा किया जा सकता है । हमारे जैसे गरीब देश के लिए तो यह पद्धति बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है । परन्तु सरकार अभी तक जिस प्रकार धनराशि का आवंटन ऐलोपैथी तथा होम्यो-पैथी पद्धति के लिए करती आई है उसे देखने पर तो यही पता लगता है कि सरकार इस पद्धति को अधिक प्रोत्साहन देने की इच्छुक नहीं है । पिछले वर्ष के बजट को ही देखिये । उसमें होम्योपैथी तथा अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए 23 लाख रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है जबकि ऐलोपैथी के लिए करोड़ों रुपयों की धनराशि का आबंटन किया गया है ।

हमारा देश गांव प्रधान देश है जिसमें लगभग पांच लाख गांव हैं । यह सर्वमान्य सत्य है कि हमारे देश की अधिकांश जनता को उपयुक्त स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं । हम इस तथ्य से भी भलीभांति अवगत हैं कि हमारे ऐलोपैथी के डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के इच्छुक नहीं हैं और न ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस स्थिति में हैं कि वह एलोपैथी औषधियां खरीद सकें । आवश्यक औषधियों के मूल्यों में हो रही निरन्तर वृद्धि से स्थिति और भी जटिल हो गई है । सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में ल 5,100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और लगभग 25,000 उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं । इन में से 143 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जिनमें डाक्टर ही नहीं हैं । आज स्थिति यह है कि ऐलोपैथी पद्धति के डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते । वह सभी शहरों में ही इकटठे होने जा रहे हैं । इन सब परिस्थितियों को देखते हुये मैं समझता हूं कि होम्योपैथी पद्धति हमारे देश के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है ।

विधेयक के खण्ड 15 (3) (ग) में की गई व्यवस्था के अनुसार 5 वर्ष तक होम्योपैथी डाक्टरी करने वाले डाक्टरों को कुछ अधिकार दिये जायेंगे, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवा में नौकरियां देने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रखें ।

---

* तामिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

Summarised Hindi version of English translation of the speech delivered in Tamil.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सवालों सम्बन्धी समिति
Committee on Private Members Bills and Resolutions

32 वां प्रतिवेदन

श्री ए० एम० चेलाचामी (हेंकासी) : मैं प्रस्ताव रखता हूं : "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 32 वें प्रतिवेदन से, जो 14 नवम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 32 वें प्रतिवेदन से, जो 14 नवम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संविधान (संशोधन) विधेयक
Constitution (Amendment) Bill

अनुच्छेद 1 और 3 का संशोधन

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
Constitution (Amendment) Bill

अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the constitution of India"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : Sir, I introduce the Bill.

छावनी (संशोधन) विधेयक
Cantonments (Amendment) Bill

(धारा 13 का संशोधन तथा धारा 14 आदि का लोप)

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Cantonments Act, 1924".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छावनी अधिनियम, 1924 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : Sir, I introduce the Bill.

कम्पनी (संशोधन) विधेयक
Companies (Amendment) Bill

(धारा 252, 275 का संशोधन तथा नयी धारा 255 क का अन्तःस्थापन)

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 1956".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
Constitution (Amendment) Bill

(अनुच्छेद 371 का संशोधन)

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री पी० के० देव : महोदय मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक

Prevention of food Adulteration (Amendment) Bill

(धारा 16 का संशोधन)

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

(अनुच्छेद 58, 59 आदि का संशोधन)

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री अर्जुन सेठी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भूख से मृत्यु (पर्वाविधानी उपाय और उत्तरदायित्वं) विधेयक

Starvation Deaths (Precautionary Measures and Responsibilities) Bill

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for precautionary measures by village and district authorities to avoid starvation deaths and for responsibilities therefor."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूख से मृत्यु को रोकने के लिये ग्राम तथा जिला प्राधिकारियों द्वारा पूर्वाविधानी उपाय करने तथा तत्संबंधी जिम्मेदारी का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, I introduce this Bill.

बाल विवाह अवरोध (संशोधन) विधेयक

Child Marriage Restraint (Amendment) Bill

(नई धारा 13 का अन्तःस्थापन)

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का और संशोधन करन वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाऐ ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मूल चन्द डागा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

Constitution (Amendment) Bill—contd.

(अनुच्छेद 124 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में श्री अटल विहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किये गये संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाएगा ।

इसकी चर्चा के लिये अब दो घंटे और पांच मिन्ट का समय शेष है ।

Shri Madhu Limaye (Banka): I am sorry to point out that the members of the Ruling Party have alleged that the supreme Court has adopted a reaction any attitude and that it stands in their way of implementing the Directive Principles enshrined in the Constitution. Actually Government want to conceal their dishonesty and failure by way of making this type of allegation on the Supreme Court. If at all this allegation is correct it is the executive who is responsible for this and not the judiciary.

I would like to know from the Law Minister as to who is responsible for the concentration of wealth and economic power in a few hands. Is it not the policy of the Government ? May I know the reasons for this huge increase of foreign capital in the consumer goods industries and the lightening grip of foreign owned multi-national companies in our economy ? The present policies of the ruling party are responsible for this. This is made possible by political leaders who have been working in league with bureaucrats and Indian capitalists. Therefore, to accuse the Supreme Court for the present state of affairs is not proper. The responsibility for prevailing disparity and the absense of social justice in the country is on the Government and on no one else.

During the last discussion on the Report of the third Pay Commission, I proved that stepmotherly treatment has been given to the III and IV class employees. Government can increase the salaries of high officers from Rs. 200 to Rs. 700. In this context, I would like to say that the hon. Minister and the Government want to shirk responsibility.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सभा में उच्चतम न्यायालय को कोई दोष नहीं दिया जाना चाहिये । यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि उच्चतम न्यायालय अथवा न्यायाधीशों के कार्यकरण पर कोई टिप्पणी न की जाए । न्यायपालिका के बारे में यह कहा गया था कि उसे देश में पनपती हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का बोध होना चाहिये । मेरे विचार से माननीय सदस्य के तर्क का यही आधार है ।

Shri Madhu Limaye : Sir, the recent decision of the Government in regard to the appointment of the Chief Justice has created deep suspicion in the minds of the public who fear that the Government want to bring the Supreme Court under the dominance of the executive and thus want to prevent them from getting justice. I do not think the propcsal made by Shri Vajpayee regarding the appointment of the senior most judge as Chief Justice could solve the entire problem. In view of the whole situation, I would like to give a positive suggestion in this regard. My suggestion is that a committee of five members including Ex-chief Justice, the present Chief Justice and three senior most judges of the Supreme Court should be appointed. This committee would prepare a panel of three judges suitable to become Chief Justice of the Supreme Court. Those names should be forwarded to the Bar Council and to the Bar Association of India who would select one name out of three and forward their choice to the Chief Justice of the Supreme Court. He would, then, forward that name to the President for appointment as the Chief Justice of India. However, the appointment could only be made after the approval of Parliament has been received.

I hope the hon. Minister will think over this most suitable suggestion.

श्री के० नारायण राव (बोबिल्ली) : महोदय श्री वाजपेयी द्वारा लाये गये इस विधेयक पर चर्चा के दौरान अनेक उन्हीं बातों को दोहराना पड़ेगा जो पिछली चर्चा के दौरान की गई थीं।

इस विधेयक को लाने के राजनीतिक कारण अधिक हैं। विपक्षी दल ने उस सम्बन्ध में एक तर्क यह दिया है कि विधि आयोग के कुछ सदस्यों ने पुरानी परिपाटी का उल्लंघन किये जाने की भर्त्सना की है। श्री सीकरी, श्री सीतलवाद, और श्री चागला ने सरकार के निर्णय पर असहमति व्यक्त की है।

श्री के० नारायण राव (विजयवाड़ा): इस मामले पर न्यायधीशों की वरीयता के अधिलघंन के समय चर्चा की गई थी।श्री वाजपेयी ने यह विधेयक मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से रखा है। स्मरण रहे कि सभी विरोधी दलों ने, जिन्होंने उक्त अधिलंघन का विरोध किया था, एक तर्क यह दिया था कि विधि आयोग के कुछ सदस्यों ने स्वंय ही वरीयता का विरोध किया था। तीन सदस्य, श्री सीकरी, श्री सीतलवाद और श्री छागला ने सरकार के निर्णय का विरोध किया था। परन्तु आज भी वह लोग सिद्धान्त रूप से इस बात से सहमत होंगे कि भविष्य में न्यायाधीशों की नियुक्ति वरीयता के आधार पर न की जाये। सिद्धान्त रूप से विधि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को ही उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिपति बनाया जाता रहे, तो उच्च न्यायालय के बारे में भी ऐसा ही क्यों नहीं किया जाता।

सरकार वही संसद तथा न्यायपीठ के बीच निरन्तर संघर्ष चलता रहता है। संसद क्षतिपूर्ति को एक अर्थ देती है और न्यायपीठ दूसरा। ऐसी प्रक्रिया सदा चलती रही है संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका का एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सम्पत्ति के अधिकारों के बारे में न्यायपालिका संसद के कृत्यों को व्यर्थ करती रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप न्यायपालिका के कार्यों के बारे में राय दे रहैं हैं। यह आप कैसे कह सकते हैं कि न्याय-पालिका संसद के कार्यों में बाधा बन रही है।

श्री के० नारायण राव : वे संविधानिक संशोधनों के संसद के आशय के विरुद्ध अर्थ ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में उनका विरोध हो सकता है परन्तु ऐसा वे जानबूझ कर नहीं करते।

श्री के० नारायण राव : बेला बैनर्जी के मामले के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने क्षतिपूर्ति का अभिप्राय "बाजार भाव" लिया। हमने चौथे संशोधन द्वारा व्यस्था की कि क्षतिपूर्ति की पर्याप्तता का मामला किसी न्यायालय में नहीं लाया जाता।

बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने क्षतिपूर्ति से 'बाजार भाव' अर्थ लिया।

इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। हम सब एक सामाजिक नीति के प्रति वचन बद्ध हैं। यह सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त का प्रश्न है।

(श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुऐ)

Shri K. N. Tewari in the Chair

यदि वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय से वैसे ही निर्णय होंगे जैसे बैंक राष्ट्रीयकरण तथा प्रिवीपर्स के मामले में लिये गये थे। यह न्यायाधीश प्रतिक्रियावादी थे। यह प्रश्न उठा था कि क्या यह संसद सर्वोपरि है अथवा उच्चतम न्यायालय सर्वोपरि है। संसद भंग कर दी गई और आम चुनाव हुए और यह सदन सर्वोच्च सिद्ध हो गया।

यदि देश को अन्य प्रगतिशील देश के साथ मिल कर सामाजिक परिवर्तन लाने हैं तो हमें उस पथ की सभी बाधाओं को हटाना होगा। हो सकता है न्यायाधीशों का समाजवाद में विश्वास ही न हो। जब देश की प्रधान मंत्री किसान की पुत्री होगी तब भारत में समाजवाद आयेगा। इस समय 50—60 प्रतिशत सदस्य किसान हैं। हम चाहते हैं कि जन्नत की अदालत में सजा देनी चाहिए।

जब किसी अधिकारी को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति न दिये जाने का मामला आता है तब यह लोग कह देते हैं कि वरिष्ठता ही एक मात्र आधार नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के बारे में गोपनीय रिपोर्ट आधार बन जाती हैं।

वरिष्ठता में अयोग्य को निकाल दिया जाता है। हम चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में एसे ही न्यायाधीश होने चाहिए, जिनका खुला दिमाग है। उच्चतम न्यायालय कारों के मूल्य में 3000 रुपये अथवा अधिक की वृद्धि क्यों चाहती है।

मैं इस विधेयक का विरोध इस लिये नहीं कर रहा कि यह श्री वाजपेयी द्वारा लाया गया है। हम उनके द्वारा रखे गये अच्छे प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। परन्तु यह विधेयक राजनीतिक आधार पर रखा गया है। मैं यह तो नहीं कहता कि न्यायाधीश प्रतिबद्ध है। मैं भारत में समाजवाद लाने के लिये वचनवद्ध हूं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को समझ लेना चाहिए कि अब शीघ्र समय आ रहा है कि देश के करोड़ों श्रमिक देश में समाजवाद लायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : यह मामला बहुत दिन से उठा हुआ है और विधि आयोग ने इसका समाधान कर दिया है। उन्होंने राय दी है कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति बनने वाले व्यक्ति को कम से कम 5-7 वर्ष इस पद पर बने रहना चाहिए ताकि उसका अनुभव प्राप्त हो सके।

श्री वाजपेयी अमरीका के प्रशंसक हैं। वहां पर युवा व्यक्ति, को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति बनाया जाता है। 150 वर्ष की अवधि में 14 व्यक्ति, ही इस पद पर रहे हैं। यह पद भारी उत्तरदायित्व का है। उसे न केवल न्यायिक अपितु प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते हैं। उसे न केवल उच्चतम न्यायालय अपितु सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के प्रशासन कार्य भी देखने पड़ते हैं। श्री वाजपेयी ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया है। कई ऐसे रोग हो जाते हैं जो व्यक्ति को पद के अयोग्य बना देते हैं।

प्रश्न केवल यही रह जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति कौन करे। यह चयन राष्ट्रपति द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल के परामर्श से किया जाता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री जी० विश्वानाथन (वान्डीवाश) : यह विधेयक मई, 1971 में लाया गया था। तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता का अधिलंघन स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार की सबसे बड़ी भूल है। उच्चतम न्यायालय की निष्पक्षता में लोगों का अब भी विश्वास है।

श्री जवाहर लाल नेहरू ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को बुद्धिमान व्यक्ति कहा था। सरकार एवं शासक दल को इस देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आदर करना चाहिए। कुछ लोग वास्तव में समाजवाद के हित में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी चुनौती देने को तैयार है श्री साठे के भी ऐसे विचार है। शासक दल को जनता के प्रति वचन बद्ध रहना चाहिए।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : पिछली बार मैंने इतना ही कहा था कि उन्हे संविधान के प्रति वचन-बद्ध होना चाहिए ।

श्री जी० विश्वनाथन : कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना शासक दल का कार्य है ।

कम से कम देश में ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो गणतांत्रिक समाजवाद के लिये वचनबद्ध है । स्वतंत्र न्यायपालिका का समर्थन करना चाहिए । सहसा ही उन्होंने न्यायाधीशों की वरिष्ठता का अधिलंघन कर दिया । शासक दल, जिसकी सदस्य संख्या 360 है, को समाजवाद लाना है और कल्याणकारी राज्य बनाना है ।

उनका तर्क है कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर व्यक्ति को अधिक वर्ष बने रहना चाहिए । परन्तु यह तर्क उचित नहीं है क्योंकि जिन तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता का अधिलंघन किया गया था उनमें से जस्टिस ग्रोवर की पद-धारण करने की अवधि वर्तमान पद-धारी से अधिक थी।

अमरीका आदि देशों में स्थिति हमारे देश की तरह नहीं है । अमरीका में दो प्रभावी दल हैं । उनका राष्ट्रपति आठ वर्ष से अधिक पद पर नहीं रह सकता । हमारे यहां स्थिति भिन्न है । अमरीका के राष्ट्रपति को ऐसी नियुक्तियों के लिये सेनेट का अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है । ऐसी प्रथा हमारे देश में नहीं है । इंगलैंड में महान्यायाधिवक्ता को ही मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करना होता है । आस्ट्रेलिया की भी वैसी स्थिति है ।

स्वर्गीय श्री मोहन कुमार मंगलम ने न्यायाधीशों के दर्शन का उल्लेख किया था । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उक्त दर्शन शासक दल से संबन्धित है । यदि हों, तो कांग्रेस के कौन से ग्रुप से सम्बन्धित है ।

इसी प्रकार ये लोग धोखा दे रहे हैं । ये ऐसे न्यायाधीश चाहते हैं जो सत्तारुढ़ दल के दर्शन में विश्वास रखते हों ये तानाशाह राज्य के लक्षण हैं ।

किसी भी लिखित संविधान के प्रजातंत्र में न तो कार्यपालिका सर्वोच्च होती है और न ही न्याय-पालिका । केवल संविधान ही सर्वोच्च होता है । लेकिन हमारे कुछ माननीय मित्र संसद को सर्वोच्च मानते हैं । इनका कहना है कि मुख्य न्यायधीश ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो संसद को संविधान से उच्च माने ।

मूलभूत अधिकारों के केस में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने चकित कर देने वाली दलीलें दीं । इन दलीलों में से एक दलील यह भी थी कि सरकार को वह शक्ति प्राप्त है जिसके द्वारा संसद की दोनों सभाओं का कार्यकाल अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जा सकता है । सरकार ने इस प्रकार की दलीलें दी हैं ।

श्री नेरेन्द्र कुमार सालवे (बेतूल) : सरकार के वकील केवल संसद की शक्तियों के बारे में बोल रहे थे । इसलिये ऐसा वातावरण पैदा न करें कि किसी की ऐसी इच्छा है और वह व्यक्ति सत्तारूढ़ दल का है ।

श्री जी० विश्वानाथन : इसे सत्तारुढ़ दल पर न छोड़ा जाये बल्कि संविधान पर छोड़ा जाये-- (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि इन शक्तियों का उपयोग किया जाये। आप उनकी बात को गलत ढ़ंग से क्यों रख रहे हैं।

श्री जी० विश्वनाथन : उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के सामने इस प्रकार की दलीलें क्यों देनी चाहियें? (व्यवधान)

सरकार ने मूलभूत अधिकारों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह दलीलें भी दीं कि सरकार के पास वह शक्ति भी है जिसके उपयोग द्वारा संशोधन द्वारा संविधान को प्रभावहीन बनाया जा सकता है।

श्री एच० आर० गोखले : किस पुस्तक के आधार पर ये ऐसा कह रहे हैं?

श्री जी० विश्वनाथन : यह न्यायमूर्ति हेगड़े द्वारा लिखी गयी है।

श्री एच० आर० गोखले : चूंकि इन्होंने कहा है कि यह पुस्तक न्यायमूर्ति हेगड़े द्वारा लिखी गयी है, इसलिये इस पर मैं अपने उत्तर में प्रकाश डालूंगा।

श्री बनर्जी सहित अनेक सदस्यों ने अनेक निर्णयों का जिक्र किया है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चहता हूं कि हम वही लोग हैं जिन्होंने इस सदन में बैंक राष्ट्रीयकरण के लिये मत दिये। सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसे अवैध घोषित किया तो हम अप्रसन्न हुये।

हमने प्रिवीपर्स तथा नरेशों के विशेषाधिकार को समाप्त करने के लिये भी मत दिये। राज्य सभा ने इसे पास नहीं किया और सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया। जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया। उस समय कांग्रेस सदस्यों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की आकांशाओं का ध्यान नहीं रखा।

यह वही सर्वोच्च न्यायालय है जिसने गोलखनाथ केस में सरकार के विरुद्ध और संसद के विरुद्ध निर्णय दिया और इसी ने अपने निर्णय को अभी हाल में मूलभूत अधिकारों के मामले में उल्टा किया है। संसद को संविधान में संशोधन करने के अधिकार प्राप्त हैं लेकिन संविधान के कुछ मूलभूत अंगों को रद्द करने के इसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय को एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में ही रहना चाहिये और सत्तारूढ़ दल को यह नहीं सोचना चाहिये कि यह कार्यपालिका का एक अंग बने। मेरा सूझाव है कि सरकार को एक समिति का गठन करना चाहिये जो इस विषय पर विचार करके सरकार को अपनी रिपोर्ट दे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस ढ़ंग से की जाय।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे : यह बात दुर्भाग्य की है कि तीन न्यायधीशों की वरिष्ठता के उलंघन के मामले में उनके दल के बारे में गलत फहमी है। यह सोचना गलत है कि हमने इस विचार का समर्थन किया है कि हमारे न्यायाधीश ऐसे होने चाहियें जो कि सरकार के हाथों की कठपुतलियां हों। यह नितान्त आवश्यक है कि यदि संविधान को अपने लोकतांत्रिक ढ़ांचे से कार्य करने में तथा लोगों को राहत पहुंचाने में कुछ सीमा तक सफल होना है तो फिर न्यायाधीशों को निष्पक्ष तथा स्वंतत्र होना चाहिये। हम थोड़ी सी देर के लिए भी यह नहीं चाहते कि न्यायाधीश सरकार की इच्छानुसार कार्य करें।

आजादी के 25 वर्षों के बाद भी आज 40 प्रतिशत लोग घोर निर्धनता से जकड़े हुए हैं। इस निर्धनता को दूर करने के लिये कुछ ठोस पग उठाने जरुरी हैं। हम नहीं चाहते कि न्यायाधीश सरकार के हाथों की कठपुतलियां हों।

हम चाहते हैं कि वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करें । वे देश की भावना तथा आवश्यकताओं को समझ सकें और यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो फिर लोकतंत्र एक कहने की बात रह जायेगी जैसा कि कई अन्य देशों में हुआ है ।

हम एक ऐसी स्वतंत्र न्यायपालिका चाहते हैं जो कि जनता तथा उसके प्रतिनिधियों की आकांक्षाओं को समझ सके । हम यहां कुछ उद्देश्यों से आये हैं, जिन्हें हमने पूरा करना है ।

विधेयक के प्रस्तावक की इच्छा है कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिये । यह स्वीकार किया जाता है तो इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः अयोग्य है तब भी वरिष्ठता के कारण वह मुख्य न्यायाधीश हो जायेगा । इस प्रकार का उपबंध कभी भी उचित और न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता ।

इस प्रकार की गलत धारणा नहीं बनायी जानी चाहिये कि न्यायाधीशों की नियुक्ति दल के हितों की दृष्टि से की गई है । हमने जो कुछ भी किया है वह इस उद्देश्य से किया है कि जनता द्वारा चुनाव करके हम सौंपे गये कार्य को करना चाहते हैं । संविधान की सीमा में रहते हुये हमें यह लगे कि उसका संशोधन किया जाना चाहिये तो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उस दिशा में बढ़े भी हैं हमारा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हमने यह संशोधन अपने लोगों की विचारधारा आकांक्षाओं और अन्य इच्छाओं को समझ कर दिया है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : यह एक महत्वपूर्ण विषय है । मैंने विरोधी दल के नेताओं से भी बातचीत की है और वे इस बात के लिये सहमत हो गये हैं कि इस विधेयक का समय एक घंटा बढ़ाया जाय ।

सभापति महोदय : मैं समय को एक घंटा बढ़ाता हूं ।

Shri S. A. Shamim (Srinagar) : When I was listening to the speech of Shri Salve, I was trying to understand as to what was the logic, the rationale for the Government to appoint a judge of their choice as Chief Justice of the Supreme Court and that in violation of the principle of seniority. The Government themselves have been destroying a system which is well-established. It is contended that there are certain judges in the Supreme Court who are having progressive views and others are having conservative views. And a judge of progressive views should be appointed a Chief Justice.

Secondly, it is said at present that there are certain judges of Supreme Court who are progressive and others are retrogressive but what will be the criterion when all judges will be progressive ? May I know whether seniority will be taken into consideration at that time also ? Therefore, I request that this old system of seniority should not be destroyed.

I wanted to know the date from which the judges have become retrogressive and conservative.

The Government have powers to amend the constitution. If a particular judgement of the Supreme Court does not suit the Government, they should bring forward amendments to the constitution. Though I am not adamant that the senior most judge should be appointed as Chief Justice. I suspect the implications of the Executive. Some measures must be taken to see that the Executive is not allowed to appoint judges of their sweet-will. This entire system should not be allowed to be tinkered with by a handful of persons in authority. They have done grave injustice to the Supreme Court.

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का मैं विरोध करता हूं। इस विधेयक में यह कहा गया हैं कि अनुच्छेद 124 में संशोधन करके राष्ट्रपति के अधिकार को सीमित किया जाना चाहिये और केवल वरिष्ठतम व्यक्ति को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिये, जो ठीक नहीं है। वरिष्ठता कोई सिद्धान्त या अर्हता नहीं है। संविधान की प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्वों से सामाजिक-आर्थिक दर्शन का बोध होता है। एक न्यायाधीश जो कुछ ही लोगों के मूल अधिकारों के बारे में सोचता है तथा जनसाधारण की आकांक्षाओं और इच्छाओं की अवहेलना करता है, उसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की न्याय-पीठ पर नहीं बैठाया जाना चाहिये।

इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि केवल तीन न्यायाधीशों का अतिक्रमण किया गया, इसलिये संविधान के अनुच्छेद 124 का संशोधन किया जाना चाहिये। यह केवल एक संयोग है कि वह नियुक्ति निर्णय के एक दिन बाद ही की गई, इसी कारण संदेह किया गया है। विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को पांच वर्ष तक सेवा करना चाहिये। वरिष्ठतम न्यायाधीश एक महीने के बाद ही सेवा-निवृत्त हो जाते हैं। यह कहना उचित नहीं है कि जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वे चमचे होते हैं। श्री रे की नियुक्ति के पश्चात् ऐसे निर्णय दिये गये हैं जो सरकार के विरुद्ध हैं।

मैं एक बार फिर इस बात पर बल दूंगा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये वरिष्ठता ही अर्हता नहीं होनी चाहिये। इस पद पर एसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिये जो सबसे अधिक उपयुक्त स्वतंत्र विचार वाला, ईमानदार, सत्यनिष्ठ और विद्वान हो।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं श्री वाजपेयी को यह विधेयक लाने के लिये बधाई देता हूं। उन्होंने 1971 में ही यह अनुमान लगा लिया था कि 1972-73 में क्या होने वाला है, परन्तु जो उपचार उन्होंने सुझाया है उससे समस्या का हल नहीं होगा।

श्री वाजपेयी ने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्वतन्त्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करना है। परन्तु वह यह कहते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार के पास असीमित शक्तियां हैं। यदि उनका यह कथन सही है और संविधान के अन्तर्गत सरकार के पास असीमित अधिकार हैं तो शेष तर्क स्वतः ठीक हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या संविधान के अनुसार और हमारी संवैधानिक प्रथाओं और प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार के पास असीमित अधिकार हैं ? मैं नहीं समझता कि हमारी उन संवैधानिक प्रथाओं और प्रक्रियाओं, जो गत 20 वर्षों में स्थापित हुई हैं, सरकार के पास कोई अनावश्यक असीमित शक्तियां रही हैं या उसने उन शक्तियों का प्रयोग किया है। लिखित संविधान के अनुसार निश्चय ही कुछ ऐसी बात होती है जो कागज पर खतरनाक लगे पर ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है वह सीमित प्रतीत होती हैं। अतः मैं यह नहीं कह सकता हूं सरकार के पास मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में असीमित शक्तियां हैं।

इतना कह कर मैं कह सकता हूं कि इस समय देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस सारी स्थिति का श्री वाजपेयी के विधेयक के उद्देश्य और कारण सही चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। अतः जिस रूप में श्री वाजपेयी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसी रूप में स्वीकार करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिये बहुत कठिन है।

न्यायपालिका पर जब चर्चा होती है तो राजनैतिक चर्चा को उससे पूर्णतया अलग नहीं रखा जाता, परन्तु मेरा इतना कहना है कि न्यायपालिका से सम्बन्धित मामलों पर जब चर्चा हो, तो उसमें केवल राजनैतिक दृष्टिकोण ही नहीं रहना चाहिए ।

हम सभी जानते हैं कि न्यायपालिका सरकारी तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग ही नहीं वरन् मूल-भूत अंग है ।

कोई कह सकता है कि हमारे देश में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश का कार्य सर्वोच्च स्तर का है। वे जो कुछ करते हैं, उसे प्रचार के लिये नहीं करते परन्तु साथ ही इसका प्रभाव देश के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले छोटे से छोटे लोगों पर भी पड़ता है क्योंकि उसका सम्बन्ध भारतीय संविधान के मूल सिद्धान्तों और दर्शन से है।

इस बात पर सहमति है कि हमारे देश में जहां लिखित संविधान है और जहां न्यायपालिका की भूमिका प्रमुख एवं निर्णायक है वहां स्वतंत्रता, निष्पक्षता और अखंडता की परम्परायें होनी चाहियें। गत 20 वर्षों में इन परम्पराओं का किसी न किसी प्रकार निबाह किया गया है। केवल पिछले कुछ वर्षों में न्यायिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण लोगों का विश्वास इन तीन परम्पराओं से कम हो गया है ।

महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आम जनता का इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार की गई .....

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस विधेयक के लिए आवंटित समय 5 बजकर 40 मिनट पर पूरा हो जायेगा ....

श्री के० रघुरामैया : सभा ने उसे बढ़ा दिया है ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मुझे इसकी जानकारी नहीं थी ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं यह कह रहा था कि आम आदमी का हित तो इस बात में है कि उसे न्याय मिलेगा या नहीं। इतना कहने के पश्चात् मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है तथा हमने कुछ सीमा तक अमरीकी पद्धति का पालन किया है। हमने अपने देश में सरकार की संसदीय पद्धति की स्थापना भी की है तथा ब्रिटिश लोकतंत्र से कुछ प्रथाओं को अपनाने का भी प्रयत्न किया है। इन दोनों ही देशों में न्यायपालिका की परम्पराएं और प्रक्रियाएं भली-भांति स्थापित हैं। यद्यपि अमरीका में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं तथापि वहां लोगों द्वारा जहां तक संभव होता है, आलोचना की जाती है। हमारे यहां अमरीका के ढंग पर नियुक्तियां करने से पहले यह सुनिश्ति करना होगा कि देश में प्रभावी जनमत है या नहीं।

पिछले पांच वर्षों में जो घटनाएं उत्पन्न हुई हैं मैं उनका उल्लेख कर रहा था। गत दो वर्षों में भारत सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के बजाय इसमें राजनीति को स्थान दे रही है और इस पक्ष की ओर से इस खतरनाक प्रथा को दूर करने के लिये जो उपाय सुझाये गये हैं उनसे कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है, यद्यपि वे सुझाव आकर्षक प्रतीत होते हों।

उदाहरण के लिये श्री वाजपेयी ने कहा कि वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः मुख्य न्यायाधीश हो जाना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, कम से कम शिक्षा और न्यायपालिका के क्षेत्र में वरिष्ठता ही काफी नहीं है।

श्री मधु लिमये का सुझाव भी इतना ही आकर्षक है। वह चाहते हैं कि सेवा-निवृत्त होने वाला मुख्य न्यायाधीश और तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश साथ बैठ कर एक तालिका बनायें। इसके पश्चात् राष्ट्रपति उन सिफारिशों पर विचार करेगा और नियुक्ति करेगा तथा उसे स्वीकृति हेतु संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। परन्तु वह यह भूल गये कि संसद् में बहुमत से निर्णय होगा जिस निर्णय में सरकार की इच्छा सर्वोपरि होगी।

जहां तक संभव हो, हमें चाहिये कि स्वतंत्र प्रेस और बी० बी० सी० के जैसे रेडियो के माध्यम से जनमत तैयार करें। स्वतंत्र प्रेस और स्वायत्त रेडियो के माध्यम से हम कुछ अच्छा कार्य कर सकेंगे, यद्यपि यह दीर्घकालीन परियोजना है।

मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में बहुत सी कठिनाइयां और खतरे हैं। उन खतरों से बचने के लिये हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये या ऐसा सुझाव नहीं देना चाहिए जो न केवल निष्क्रिय ही हो अपितु अवांछनीय भी साबित हो सके।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह न्यायपालिका में नियुक्तियां करते समय लोकतांत्रिक भावनाओं और परम्पराओं का आदर करे।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस समस्या पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु वास्तविकता यह है कि कुछ महीने पहले सरकार ने महज बदले की भावना से देश के हित, लोकतंत्र के हित के लिये पूर्वाग्रहित ढंग से कार्य किया।

एक न्यायाधीश के स्थान पर दूसरे न्यायाधीश को नियुक्त करने के बारे में कोई तर्क युक्त और उपयुक्त कारण नहीं बताया गया। जो कारण बताया गया, वह यह है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये वरिष्ठता सिद्धान्त नहीं हो सकता। ऐसा 26 वर्षों में किया गया है।

इसके औचित्य के लिये विधि आयोग का उल्लेख किया गया। परन्तु विधि आयोग ने क्या सिफारिश की? उसकी सिफारिश थी कि यदि वरिष्ठता का अतिक्रमण करना हो तो जिसकी बारी हो उसे दुश्चरित्रवान् पागल या चोर-बाजारी करने वाला आदि होना चाहिये।

इसका कारण नाजायज था। इसीलिये श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है देश के कानून में ऐसी नाजायज बातों के लिये स्थान न रहे।

मैं समझता हूं श्री वाजपेयी ने यह संशोधन लाकर देश की बड़ी सेवा की है।

तत्पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 19 नवम्बर, 1973/28 कार्तिक, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, November 19, 1973/Kartika 28, 1895 (Saka).

MGIPRRND –36 LSS/73 –Sec. II (N.S.)—12-1-74—490.